Nav Jyoti
An International Multidisciplinary Journal
Peer Reviewed Refereed Journal
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.14, N. 28, June 2026
https://theopinion.navjyotijournal.in

युवाओं में बढ़ती नशाखोरी कारण, प्रभाव एवं निवारण के उपाय : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

आलोक कुमार
असि. प्रोफेसर समाजशास्त्र
गनपत सहाय पी .जी. कॉलेज, सुल्तानपुर ।
संबद्ध–डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।

सारांश –
वर्तमान समय में नशाखोरी युवाओं के समक्ष उभरती हुई गंभीर सामाजिक समस्या है। इसका प्रभाव केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवार, समाज तथा राष्ट्र के विकास पर भी प्रतिकूल असर डालता है। बदलती जीवनशैली, तीव्र प्रतिस्पर्धा, बेरोजगारी, मानसिक तनाव, मित्र समूह का प्रभाव, पारिवारिक विघटन तथा आधुनिक उपभोक्तावादी संस्कृति ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। शराब, तंबाकू, गांजा, अफीम, सिंथेटिक ड्रग्स तथा अन्य नशीले पदार्थों का प्रयोग युवाओं के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं नैतिक जीवन को प्रभावित करता है। परिणामस्वरूप अपराध, हिंसा, पारिवारिक कलह, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ, सामाजिक अलगाव तथा कार्यक्षमता में गिरावट जैसी अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

इस अध्ययन का उद्देश्य युवाओं में नशाखोरी के प्रमुख कारणों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना, इसके दुष्परिणामों का मूल्यांकन करना तथा प्रभावी रोकथाम के उपायों पर विचार प्रस्तुत करना है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नशाखोरी केवल व्यक्तिगत कमजोरी नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों से जुड़ी बहुआयामी समस्या है। अतः इसके समाधान के लिए परिवार, शैक्षणिक संस्थानों, समाज, प्रशासन तथा सरकार के संयुक्त प्रयास आवश्यक हैं। जन–जागरूकता, परामर्श सेवाओं का विस्तार, कठोर कानूनी व्यवस्था तथा युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना नशाखोरी की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

मुख्य शब्द: नशाखोरी, युवा, मादक पदार्थ, सामाजिक परिवर्तन, मानसिक स्वास्थ्य, अपराध।

भारतीय समाज में युवा वर्ग को राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति माना जाता है। किसी भी देश की प्रगति, आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। किंतु वर्तमान समय में यही वर्ग अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनमें नशाखोरी प्रमुख समस्या बनकर उभरी है। बदलती सामाजिक संरचना, वैश्वीकरण, शहरीकरण, तकनीकी विकास तथा आधुनिक जीवन की बढ़ती जटिलताओं ने युवाओं के जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। इन परिस्थितियों में अनेक युवा तनाव, निराशा और असुरक्षा से बचने के लिए नशीले पदार्थों की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

मादक पदार्थों का सेवन धीरे–धीरे व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से निर्भर बना देता है। प्रारंभ में इसे मनोरंजन या तनाव कम करने का साधन समझा जाता है, किंतु समय के साथ यह गंभीर व्यसन का रूप धारण कर लेता है। इसका प्रभाव व्यक्ति की शिक्षा, रोजगार, पारिवारिक संबंध, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा नैतिक मूल्यों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से नशाखोरी केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक असमानता, सांस्कृतिक परिवर्तन, आर्थिक दबाव तथा सामाजिक नियंत्रण की कमजोर होती व्यवस्था से भी जुड़ी हुई है। इसलिए इस समस्या का अध्ययन बहुआयामी दृष्टिकोण से करना आवश्यक है।

अध्ययन के उद्देश्य – इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में बढ़ती नशाखोरी की समस्या का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों को सम्मिलित किया गया है–

1. युवाओं में नशाखोरी की वर्तमान स्थिति एवं स्वरूप का अध्ययन करना।
2. नशे की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक कारणों का विश्लेषण करना।
3. मादक पदार्थों के सेवन से व्यक्ति, परिवार एवं समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।
4. युवाओं को नशे से बचाने हेतु प्रभावी निवारण एवं नियंत्रण उपायों का सुझाव देना।
5. समाज में नशामुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उपायों का मूल्यांकन करना।

नशे की अवधारणा–

नशा वह अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति किसी मादक पदार्थ के सेवन के कारण अपनी सामान्य मानसिक एवं शारीरिक स्थिति से प्रभावित हो जाता है। ऐसे पदार्थ व्यक्ति के मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालते हैं, जिससे सोचने, समझने, निर्णय लेने तथा व्यवहार करने की क्षमता प्रभावित होती है।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से नशाखोरी केवल व्यक्तिगत आदत नहीं है, बल्कि यह सामाजिक वातावरण, पारिवारिक परिस्थितियों, मित्र समूह, आर्थिक स्थिति तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों से जुड़ी हुई एक जटिल सामाजिक समस्या है। जब कोई व्यक्ति किसी नशीले पदार्थ का नियमित सेवन करने लगता है और उसके बिना सामान्य जीवन नहीं जी पाता, तब वह व्यसन (Addiction) की स्थिति में पहुँच जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मादक पदार्थों का लगातार एवं अनियंत्रित सेवन व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और धीरे–धीरे उसकी कार्यक्षमता तथा जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आने लगती है।

मादक पदार्थों के प्रकार–

मादक पदार्थ अनेक प्रकार के होते हैं। इनके प्रभाव, संरचना एवं उपयोग के आधार पर इन्हें निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है–

1. अवसादक – ये पदार्थ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की गतिविधियों को धीमा कर देते हैं। इनके सेवन से व्यक्ति को अस्थायी शांति एवं आराम का अनुभव होता है, किंतु अत्यधिक सेवन से उनींदापन, निर्भरता तथा शारीरिक कमजोरी उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण – शराब, नींद की गोलियाँ, ट्रैंक्विलाइजर आदि।

2. उत्तेजक – ये पदार्थ मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र को सक्रिय बनाते हैं। इनके सेवन से व्यक्ति को ऊर्जा, उत्साह तथा आत्मविश्वास का अनुभव होता है, लेकिन अधिक उपयोग से बेचैनी, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप तथा मानसिक असंतुलन जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरण – कोकीन, एम्फेटामिन, निकोटिन आदि।

3. विभ्रमकारी– इन पदार्थों के सेवन से व्यक्ति को वास्तविकता से भिन्न अनुभव होने लगते हैं। कई बार ऐसी वस्तुएँ दिखाई या सुनाई देती हैं जो वास्तव में मौजूद नहीं होतीं। उदाहरण – एल.एस.डी., कुछ सिंथेटिक ड्रग्स आदि।

4. ओपिऑयड वर्ग के पदार्थ – ये अत्यधिक नशे की लत उत्पन्न करने वाले पदार्थ होते हैं। प्रारंभ में इनका उपयोग दर्द कम करने के लिए किया जाता है, किंतु अनुचित सेवन व्यक्ति को गंभीर व्यसन की ओर ले जाता है। उदाहरण – अफीम, मॉर्फीन, हेरोइन आदि।

5. प्राकृतिक मादक पदार्थ – ये सीधे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं तथा लंबे समय से विभिन्न रूपों में उपयोग किए जाते रहे हैं। उदाहरण – गांजा, भांग, चरस, अफीम आदि।

6. कृत्रिम (सिंथेटिक) मादक पदार्थ – इनका निर्माण रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में युवाओं में इनका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। उदाहरण – मेथाम्फेटामिन, एमडीएमए (Ecstasy), सिंथेटिक ड्रग्स आदि।

युवाओं में नशाखोरी के प्रमुख कारण – युवाओं में नशाखोरी की समस्या किसी एक कारण का परिणाम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा पारिवारिक परिस्थितियों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। आधुनिक समाज में तीव्र परिवर्तन, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बेरोजगारी तथा जीवनशैली में आए बदलावों ने युवाओं को अनेक प्रकार के मानसिक दबावों का सामना करने के लिए विवश किया है। ऐसी परिस्थितियों में कुछ युवा तनाव से बचने या अस्थायी सुख प्राप्त करने के लिए मादक पदार्थों का सेवन प्रारम्भ कर देते हैं। नशाखोरी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं–

1. मनोवैज्ञानिक कारण – मानसिक तनाव, अवसाद, चिंता, अकेलापन, असफलता, आत्मविश्वास की कमी तथा भावनात्मक असंतुलन युवाओं को नशे की ओर आकर्षित करते हैं। परीक्षा में असफलता, प्रेम संबंधों में विफलता, रोजगार न मिलना या पारिवारिक समस्याएँ कई बार व्यक्ति को निराश कर देती हैं। ऐसे समय में कुछ युवा नशे को तनाव से राहत का माध्यम समझ लेते हैं, जबकि यह समस्या को और अधिक गंभीर बना देता है।

2. पारिवारिक वातावरण – परिवार व्यक्ति का प्रथम सामाजिक समूह होता है। यदि परिवार में माता–पिता या अन्य सदस्य स्वयं नशे का सेवन करते हैं, बच्चों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते या परिवार में निरंतर कलह

एवं हिंसा का वातावरण रहता है, तो युवाओं में नशे की संभावना बढ़ जाती है। प्रेम, संवाद और अनुशासन की कमी भी इस समस्या को बढ़ावा देती है।

3. मित्र समूह का प्रभाव – किशोर एवं युवा अवस्था में मित्रों का प्रभाव अत्यधिक होता है। कई बार केवल मित्रों के दबाव, जिज्ञासा या समूह में स्वीकार्यता प्राप्त करने के लिए युवा पहली बार नशा करते हैं। धीरे–धीरे यही प्रयोग आदत और बाद में व्यसन में बदल जाता है।

4. बेरोजगारी एवं आर्थिक तनाव – बढ़ती बेरोजगारी, आर्थिक असुरक्षा तथा भविष्य को लेकर चिंता युवाओं में निराशा उत्पन्न करती है। कई बार रोजगार की कमी तथा आर्थिक असफलता के कारण व्यक्ति मानसिक तनाव में आकर नशे का सहारा लेता है। दूसरी ओर आर्थिक रूप से सम्पन्न युवाओं के पास अधिक धन होने के कारण भी नशे की उपलब्धता और सेवन की संभावना बढ़ जाती है।

5. आधुनिक जीवनशैली एवं फैशन – आज के समय में कुछ युवा शराब, सिगरेट या अन्य मादक पदार्थों को आधुनिकता, प्रतिष्ठा और फैशन का प्रतीक मानने लगे हैं। पार्टियों, क्लबों तथा सामाजिक आयोजनों में नशे का सामान्यीकरण भी इस प्रवृत्ति को बढ़ाता है। सोशल मीडिया और फिल्मों में कई बार नशे को आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे युवा प्रभावित होते हैं।

6. सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन – वैश्वीकरण, नगरीकरण और औद्योगीकरण ने पारंपरिक सामाजिक नियंत्रण को कमजोर किया है। संयुक्त परिवारों का विघटन, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन तथा व्यक्तिवादी जीवनशैली के कारण युवाओं पर सामाजिक निगरानी कम हुई है, जिससे नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।

7. नशीले पदार्थों की आसान उपलब्धता – वर्तमान समय में कई स्थानों पर मादक पदार्थ अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अवैध तस्करी, कमजोर कानून–प्रवर्तन तथा कुछ क्षेत्रों में निगरानी की कमी के कारण युवा इन पदार्थों तक आसानी से पहुँच जाते हैं। यह उपलब्धता नशाखोरी के विस्तार का एक महत्वपूर्ण कारण है।

8. मीडिया एवं डिजिटल प्रभाव – डिजिटल मीडिया, वेब सीरीज, फिल्मों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई बार नशे को रोमांच, स्वतंत्रता या सफलता से जोड़कर दिखाया जाता है। यद्यपि सभी प्रस्तुतियाँ ऐसी नहीं होतीं, फिर भी कुछ युवा इन चित्रणों से प्रभावित होकर नशे के प्रति सकारात्मक धारणा बना लेते हैं।

9. जिज्ञासा और जोखिम लेने की प्रवृत्ति – युवा अवस्था में नई चीजों को जानने और अनुभव करने की इच्छा स्वाभाविक होती है। कुछ युवा केवल यह जानने के लिए कि नशा कैसा महसूस होता है, इसका सेवन शुरू कर देते हैं। यही प्रयोग धीरे–धीरे लत का रूप धारण कर सकता है।

10. शैक्षणिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक दबाव – उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर की दौड़ में बढ़ते दबाव के कारण अनेक विद्यार्थी मानसिक तनाव का अनुभव करते हैं। पर्याप्त परामर्श और भावनात्मक सहयोग के अभाव में कुछ छात्र नशे की ओर आकर्षित हो जाते हैं।

11. जागरूकता का अभाव – कई युवाओं को मादक पदार्थों के दीर्घकालीन शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों की पर्याप्त जानकारी नहीं होती। सीमित जानकारी तथा गलत धारणाएँ भी नशाखोरी को बढ़ावा देती हैं।

12. सामाजिक नियंत्रण की कमजोरी – जब समाज, विद्यालय, परिवार और स्थानीय समुदाय युवाओं के व्यवहार पर सकारात्मक मार्गदर्शन और निगरानी नहीं रख पाते, तब जोखिमपूर्ण व्यवहारों की संभावना बढ़ जाती है। प्रभावी सामाजिक नियंत्रण का अभाव नशाखोरी के विस्तार में सहायक बनता है।

युवाओं में नशाखोरी के दुष्परिणाम –

नशाखोरी का प्रभाव केवल नशा करने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका दुष्प्रभाव परिवार, समाज तथा राष्ट्र के समग्र विकास पर भी पड़ता है। मादक पदार्थों का नियमित सेवन व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। समय के साथ यह समस्या गंभीर सामाजिक विकृति का रूप धारण कर लेती है। इसके प्रमुख दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं–

1. शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव – मादक पदार्थों के लगातार सेवन से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। यकृत, हृदय, फेफड़े, गुर्दे तथा मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण अंग प्रभावित होते हैं। शराब एवं अन्य नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन से उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, यकृत सिरोसिस, श्वसन संबंधी रोग, कैंसर तथा अनेक असाध्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कई मामलों में अत्यधिक मात्रा जानलेवा भी सिद्ध होती है।

2. मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव – नशाखोरी का सबसे गहरा प्रभाव व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। स्मरण शक्ति में कमी, निर्णय क्षमता का ह्रास, अवसाद, चिंता, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा तथा आत्मविश्वास में कमी जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। लंबे समय तक नशा करने वाले व्यक्ति में मानसिक असंतुलन, भ्रम तथा आत्महत्या की प्रवृत्ति भी विकसित हो सकती है।

3. पारिवारिक विघटन – नशे की लत पारिवारिक जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। परिवार में तनाव, विवाद, घरेलू हिंसा, आर्थिक संकट तथा आपसी विश्वास में कमी आने लगती है। पति–पत्नी के संबंध कमजोर होते हैं और बच्चों के पालन–पोषण तथा शिक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अनेक परिवार नशाखोरी के कारण टूटने की स्थिति तक पहुँच जाते हैं।

4. आर्थिक हानि – नशे पर होने वाला अनावश्यक खर्च व्यक्ति एवं परिवार की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देता है। आय का बड़ा भाग मादक पदार्थों पर व्यय होने से शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति प्रभावित होती है। कई बार व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है तथा आर्थिक संकट पूरे परिवार को प्रभावित करता है।

5. शिक्षा एवं कार्यक्षमता में गिरावट – नशा करने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि कम हो जाती है। उनकी एकाग्रता, स्मरण शक्ति तथा सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। कार्यस्थल पर भी उत्पादकता घटती है, अनुपस्थिति बढ़ती है तथा दुर्घटनाओं की संभावना अधिक रहती है। परिणामस्वरूप शिक्षा और रोजगार दोनों प्रभावित होते हैं।

6. अपराधों में वृद्धि – नशाखोरी और अपराध के बीच गहरा संबंध पाया जाता है। नशे की लत पूरी करने के लिए कुछ व्यक्ति चोरी, लूट, हिंसा, अवैध तस्करी तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। इससे कानून–व्यवस्था प्रभावित होती है और समाज में असुरक्षा की भावना बढ़ती है।

7. सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी– लगातार नशा करने वाला व्यक्ति धीरे–धीरे समाज में अपना सम्मान और विश्वसनीयता खोने लगता है। मित्र, रिश्तेदार और सहकर्मी उससे दूरी बनाने लगते हैं। सामाजिक सहभागिता कम होने से व्यक्ति अकेलापन और उपेक्षा का अनुभव करता है।

8. सड़क दुर्घटनाओं एवं हिंसक घटनाओं में वृद्धि – नशे की अवस्था में वाहन चलाने या मशीनों का संचालन करने से दुर्घटनाओं की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त नशे की स्थिति में व्यक्ति का व्यवहार आक्रामक हो सकता है, जिससे मारपीट, घरेलू हिंसा तथा अन्य हिंसक घटनाएँ बढ़ सकती हैं।

9. युवा शक्ति का क्षय – युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूँजी होते हैं। जब युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में आता है, तो उसकी प्रतिभा, ऊर्जा, रचनात्मकता और कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इससे राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास की गति भी धीमी पड़ती है।

10. सामाजिक विघटन – नशाखोरी सामाजिक मूल्यों, नैतिकता और अनुशासन को कमजोर करती है। परिवार, विद्यालय तथा समुदाय के बीच समन्वय कम होता है और सामाजिक एकता प्रभावित होती है। परिणामस्वरूप समाज में अविश्वास, असुरक्षा तथा सामाजिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

11. स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता बोझ – नशाखोरी से उत्पन्न रोगों के उपचार में स्वास्थ्य व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। नशामुक्ति केंद्रों, अस्पतालों तथा पुनर्वास सेवाओं की आवश्यकता बढ़ती है, जिससे सार्वजनिक संसाधनों पर आर्थिक भार पड़ता है।

12. राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव – जब बड़ी संख्या में युवा नशे की लत से प्रभावित होते हैं, तो मानव संसाधन की गुणवत्ता घटती है। उत्पादकता में कमी, स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि तथा अपराधों के विस्तार के कारण राष्ट्र के समग्र विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

नशाखोरी की रोकथाम एवं नियंत्रण के उपाय –

युवाओं में बढ़ती नशाखोरी पर नियंत्रण के लिए केवल कानूनी कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। इसके लिए परिवार, विद्यालय, समाज, सरकार, स्वास्थ्य संस्थानों तथा स्वयं युवाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। निम्नलिखित उपाय इस समस्या के समाधान में प्रभावी हो सकते हैं –

1. पारिवारिक जागरूकता एवं सकारात्मक वातावरण – परिवार बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण का प्रथम आधार है। माता–पिता को बच्चों के साथ नियमित संवाद स्थापित करना चाहिए तथा उनकी समस्याओं को समझते हुए उचित मार्गदर्शन देना चाहिए। प्रेम, विश्वास और अनुशासन से युक्त पारिवारिक वातावरण नशे की प्रवृत्ति को कम करने में सहायक होता है।

2. शिक्षा एवं जन–जागरूकता– विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में नशामुक्ति संबंधी कार्यक्रम, संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ तथा परामर्श सत्र नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए। युवाओं को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों की वैज्ञानिक एवं सामाजिक जानकारी प्रदान करना आवश्यक है।

3. परामर्श एवं पुनर्वास सेवाओं का विस्तार – नशे की लत से प्रभावित व्यक्तियों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श, चिकित्सकीय सहायता तथा पुनर्वास केंद्रों की उपलब्धता बढ़ाई जानी चाहिए। उपचार के साथ–साथ सामाजिक पुनर्वास पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है, ताकि व्यक्ति सामान्य जीवन में पुनः स्थापित हो सके।

4. कठोर कानूनी व्यवस्था– मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, तस्करी एवं बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है। कानूनों का कठोर एवं निष्पक्ष पालन नशीले पदार्थों की उपलब्धता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

5. रोजगार एवं कौशल विकास – युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना तथा कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार करना आवश्यक है। आर्थिक सुरक्षा एवं रोजगार मिलने से युवाओं में निराशा और तनाव कम होगा तथा नशे की प्रवृत्ति में भी कमी आएगी।

6. खेल, योग एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ – युवाओं को खेलकूद, योग, संगीत, साहित्य, कला एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। सकारात्मक एवं रचनात्मक कार्यों में सहभागिता मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करती है तथा नशे से दूर रहने की प्रेरणा देती है।

7. मीडिया की सकारात्मक भूमिका – प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया को नशामुक्ति के प्रति जन–जागरूकता फैलाने में रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। फिल्मों एवं डिजिटल माध्यमों में नशे का महिमामंडन करने के बजाय उसके दुष्परिणामों को जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

8. सामुदायिक सहभागिता– ग्राम पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाएँ, धार्मिक संगठन तथा स्थानीय समुदाय नशामुक्ति अभियान चलाकर समाज में सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं। सामुदायिक सहयोग से नशाखोरी की रोकथाम अधिक प्रभावी हो सकती है।

निष्कर्ष –

युवाओं में बढ़ती नशाखोरी वर्तमान समय की अत्यंत गंभीर सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी चुनौती है। यह समस्या केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि परिवार, समाज तथा राष्ट्र के विकास को भी प्रभावित करती है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नशाखोरी के पीछे पारिवारिक विघटन, मानसिक तनाव, बेरोजगारी, मित्र समूह का प्रभाव, सामाजिक परिवर्तन तथा मादक पदार्थों की आसान उपलब्धता जैसे अनेक कारण कार्य करते हैं।

नशाखोरी के कारण शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट, अपराधों में वृद्धि, पारिवारिक अस्थिरता, आर्थिक संकट तथा सामाजिक विघटन जैसी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

अतः इस समस्या का समाधान बहुआयामी दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। परिवार, शैक्षणिक संस्थानों, सरकार, स्वास्थ्य सेवाओं, मीडिया तथा समाज के संयुक्त प्रयासों से ही युवाओं को नशे की लत से बचाया जा सकता है।

यदि समय रहते प्रभावी नीतियाँ, जन–जागरूकता कार्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, परामर्श सेवाएँ एवं पुनर्वास सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ, तो न केवल नशाखोरी की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है, बल्कि स्वस्थ, जागरूक एवं उत्तरदायी युवा शक्ति के निर्माण द्वारा राष्ट्र के समग्र विकास को भी गति प्रदान की जा सकती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची –

1. दुबे, एस. सी. (2018). भारतीय समाज. नई दिल्लीरू नेशनल पब्लिशिंग हाउस।
2. सिंह, योगेन्द्र. (2019). भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन. नई दिल्लीरू रावत पब्लिकेशन्स।
3. श्रीनिवास, एम. एन. (2017). आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन. नई दिल्लीरू राजकमल प्रकाशन।
4. शर्मा, के. एल. (2020). भारतीय समाजरू संरचना एवं परिवर्तन. जयपुरः रावत पब्लिकेशन्स।
5. भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय. राष्ट्रीय नशामुक्ति कार्ययोजना।
6. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)- (2023). Substance Use and Public Health-
7. संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC). (2023). World Drug Report-
8. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB). वार्षिक रिपोर्ट.
9. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS). Substance Use Research Reports-

Nav Jyoti
An International Multidisciplinary Journal
Peer Reviewed Refereed Journal
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.14, N. 28, June 2026
https://theopinion.navjyotijournal.in

भारतीय शिक्षा के इतिहास के विभिन्न कालखण्डों में प्रचलित शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ० विपिन तेवतिया
शोधार्थी, अध्यापक शिक्षा विभाग
डी०ए०वी० कॉलेज, मुजफ्फरनगर, उ0प्र0
एवं
प्रो० सुरेन्द्र पाल
अध्यापक शिक्षा विभाग
डी०ए०वी० कॉलेज, मुजफ्फरनगर, उ0प्र0

शोध पत्र सार

प्राचीन भारत में ज्ञान को एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता था, भारतीय शिक्षा प्रणाली इसी मूल्य ढांचे के अनुरूप विकसित हुई। शिक्षा शब्द का प्रयोग प्राचीन संस्कृतियों में इस अर्थ में किया गया है कि सांस्कृतिक ज्ञान संचरण शिक्षा की एक प्रक्रिया है, इन ज्ञान प्रणाली की कई शाखाओं की उत्पत्ति भारत में हुई थी। वैश्विक समाज वर्तमान में ज्ञान आधारित विकास के चरण में है, ज्ञान विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की समृद्धि की कुंजी है। वैश्विक समृद्धि में शिक्षा का महत्व भी बढ़ता जा रहा है, शिक्षा के बढ़ते अवसरों से व्यक्तियों की आय का स्तर बढ़ता है। इसके अलावा, शिक्षा के अवसरों में वृद्धि से कुशल व्यक्तियों का एक बड़ा समूह सुशिक्षित होता है जो आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान देता हैं। शिक्षा के अवसरों में वृद्धि मध्यम आय वाले देशों की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। प्रस्तुत शोध–पत्र में शोधकर्ता ने भारतीय शिक्षा के इतिहास के विभिन्न कालखण्डों में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है।

मूलशब्द :– शिक्षा प्रशासन, वित्त, विद्यार्थी।

प्रस्तावना :– शिक्षा की प्रासंगिकता देश की शिक्षा प्रणाली की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम बनाती है। इसलिए, यह किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता के मापदंडों में से एक है। विश्व वर्तमान समय में विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से परिवर्तन का अनुभव कर रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास, शिक्षा का

अंतर्राष्ट्रीयकरण और बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने शिक्षा में तीव्र गति से बदलाव किए हैं। वर्तमान में अधिकांश देश राष्ट्रीय शिक्षा से वैश्विक शिक्षा की ओर प्रवर्तित हो रहें है। वैश्विक अर्थव्यवस्था का एकीकरण ही वह कारक है, जिसने इस प्रतिमान परिवर्तन को आवश्यक बना दिया है। इसके अलावा शिक्षा, शिक्षक–केंद्रित से शिक्षार्थी–केंद्रित हो गई है, इन परिवर्तनों के कारण विभिन्न देशों को ऐसी रणनीतियाँ बनाने की आवश्यकता है जो उन्हें शिक्षा की नई चुनौतियों के निदान में सक्षम बनाए। भारत की आबादी अन्य देशों से कहीं अधिक है, इसलिए भारत में वैश्विक स्तर पर बहुत प्रभावशाली होने की क्षमता है। अतः प्रत्येक देश की शिक्षा प्रणाली को देश की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम होना चाहिए।

सामाजिक परिस्थितियों में जैसे–जैसे परिवर्तन होता जा रहा है, उसी प्रकार शैक्षिक संस्थाएं और भी संस्थागत होती जा रही हैं। शैक्षिक अनुभव का दैनिक जीवन में सामान्य रुप से कम जुड़ाव होता जा रहा है, इस कामकाजी समाज के संदर्भ में दैनिक गतिविधियों और वातावरण से सीखने की प्रक्रिया कम होती जा रही है। कामकाजी समाज में सीखने की प्रक्रिया बच्चों को अपने ज्ञान के सांस्कृतिक संचरण के बारे में कम ही सीखने की अनुमति देती है, जितना बच्चे केवल देखकर अथवा किसी की अनुकृति करके सीख पाते हैं। दैनिक गतिविधियों और वातावरण से सीखने की कार्यप्रणाली को जैसे–जैसे समाज एवं शैक्षिक संस्थाएं अधिक से अधिक महत्व देंगे, वैसे ही शिक्षा के समग्र उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। विविध अर्थव्यवस्था वाले देश प्रायः अलग–अलग शिक्षा विकल्प प्रदान करते हैं जो विद्यार्थियों को जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम बनाते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा के लिए प्रमुख शिक्षा विकल्पों में से एक है ऐसा इसलिए है, क्योंकि यह सीधे देश के श्रम बाजार की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है।

शोध साहित्य का अध्ययन :

दत्त, सुनील (2015) ने औपनिवेशिक शैक्षिक दर्शन की वेदांतवादी शैक्षिक दर्शन से तुलना की, शोध के निष्कर्ष में वेदांत शैक्षिक दर्शन औपनिवेशिक शैक्षिक दर्शन की तुलना में आध्यात्मिक को अधिक केंद्रित मानता है, बिना आध्यात्मिक के मानवीय विकास का उच्च चरण प्राप्त नहीं किया जा सकता।

त्रिपाठी, एस. (2015) ने वैदिक शिक्षा के संदर्भ में आधुनिक भारतीय शिक्षा का अध्ययन किया। अध्ययन स्वरूप निष्कर्ष दिया कि शिक्षा के उद्देश्य और परा एवं अपरा शिक्षा के शैक्षिक विचारों का आधुनिक शिक्षा में समावेश किया जाना चाहिए।

ल्यूज़, ऐन. नॉर्विच (2016) ने बौद्व शिक्षा दर्शन का मानव के सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन के निष्कर्ष में मानव के जीवन में सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास का विशेष प्रभाव पाया गया।

मरोट, एस. (2019) ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुए शिक्षा परिवर्तनों का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया कि शिक्षकों को भारतीय दर्शन से अवगत कराया जाना चाहिए। भारतीय पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से पश्चिम दर्शन को रेखांकित न करते हुए इसमें भारतीय दर्शन का भी समावेश किया जाना चाहिए।

जमकार, एस. (2020) ने विभिन्न कालों के शैक्षिक उद्देश्यों का अध्ययन किया। अध्ययन के निष्कर्ष में शैक्षिक उद्देश्यों का विभिन्न कालों में प्रभाव पाया गया। पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां प्रचलित दर्शन के अनुरूप श्रेष्ठ थीं।

शोध का औचित्य :– प्रस्तुत शोध पत्र में शोधकर्ता ने भारतीय शिक्षा के इतिहास के विभिन्न कालखण्डों में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है। यह

शोध पत्र शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त के महत्त्व को ज्ञात करके शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने में सहायक होगा एवं विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए समाज को प्रेरित करेगा।

शोध प्रश्न :

1. भारतीय शिक्षा के इतिहास के विभिन्न कालखण्डों में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था के प्रशासन एवं वित्त के लिए नियोजित रणनीतियों, नियमों और सिद्धांतों की पहचान कर वर्तमान आधुनिक शिक्षा की नीतियों के परिणामों और समाज पर उनके प्रभाव को किस प्रकार संदर्भित किया जा सकता है ?

शोध उद्देश्य :

1. भारतीय शिक्षा के इतिहास के विभिन्न कालखण्डों में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।

शोध विधि :– प्रस्तुत शोध विश्लेषनात्मक एवं वर्णात्मक विधि पर आधारित है इस शोध में पूर्णतः द्वितीय आंकडों का प्रयोग करते हुए, वर्णात्मक व्याख्या कर निष्कर्ष निकाले गए हैं।

भारतीय शिक्षा के इतिहास के विभिन्न कालखण्डों में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त :– शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त शैक्षिक संस्थानों के आन्तरिक संसाधनों और संचालन का प्रबंधन है, यह शिक्षा के प्रभावी वितरण को सुनिश्चित करता है। इसमें संसाधन आवंटन से लेकर कार्मिक प्रबंधन तक, शैक्षिक प्रणाली के सभी पहलुओं की योजना बनाना, आयोजन करना, निर्देशन, नियंत्रण और मूल्यांकन करना सम्मलित है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बनाए रखने, समान पहुँच प्रदान करने और शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रशासन एवं वित्त प्रबंधन महत्वपूर्ण है।

(क) वैदिक कालखण्ड में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था के प्रशासन एवं वित्त :

वैदिक शिक्षा प्रणाली का प्रशासन एक अद्वितीय, विकेन्द्रीकृत और आध्यात्मिक रूप से निर्देशित संरचना थी, जिसमें स्वतंत्रता, अनुशासन और नैतिक विकास का समन्वय था। गुरु–केंद्रित प्रशासन, जो संस्थानों के सामुदायिक स्वरूप द्वारा समर्थित था, ने बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक को बढ़ावा दिया। राज्य के नियंत्रण के अभाव के बावजूद, यह प्रणाली ज्ञान के प्रति सामाजिक सम्मान और राजसी संरक्षण के कारण फली–फूली। यह प्राचीन भारतीय सभ्यता के सामाजिक, नैतिक और धार्मिक आदर्शों को प्रतिबिम्बित करती है। शिक्षा को एक व्यवसाय के विपरीत एक पवित्र कर्तव्य (विद्यादान) माना जाता था और इसका प्रशासन मुख्य रूप से राज्य के विपरीत गुरु (शिक्षक) की ज़िम्मेदारी थी। शिक्षा आश्रम व्यवस्था के अन्तर्गत होती थी, जो निवास स्थान और शिक्षा संस्थान दोनों के रूप में कार्य करते थे। शिक्षा प्रशासन का लक्ष्य व्यक्ति का समग्र विकास करना था। इस प्रणाली ने न केवल गुरु को छात्रों के एक बड़े समूह का प्रबंधन करने में मदद की, बल्कि वरिष्ठ छात्रों को दूसरों को पढ़ाकर अपनी समझ को सुदृढ़ और गहरा करने का अवसर भी दिया। इसने छात्रों के बीच नेतृत्व, सहयोग और मार्गदर्शन को बढ़ावा दिया और सीखने की परंपराओं की निरंतरता सुनिश्चित की।

गुरुकुल या आश्रम का स्वरूप साझा जिम्मेदारी की नींव है यह वैदिक कालखण्ड में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था के प्रशासन एवं वित्त की लचीली व्यवस्था के गैर–व्यावसायिक स्वरूप को रेखांकित करता है। वैदिक शिक्षा के मूल संस्थानों में छात्र (शिष्य या ब्रह्मचारी) अपने शिक्षक (गुरु) के साथ उनके परिवार के सदस्य की तरह रहते थे। यह सहयोगी व्यवस्था वित्तीय और संचालन संरचना के लिए महत्वपूर्ण थी, वैदिक शिक्षा व्यवस्था का वित्तीय प्रबंधन एक समग्र और समुदाय–संचालित प्रयास था। प्रत्यक्ष शुल्क नही होने और

सामुदायिक एवं राजकीय सहायता के सहयोग से, इस प्रणाली ने वित्तीय पहलुओं पर छात्रों के नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास को प्राथमिकता दी। साझे उत्तरदायित्व और सादगी के जीवन ने संस्थानों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता सुनिश्चित की, जो सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित शिक्षा का एक ऐसा स्वरूप था जिसने भारतीय शिक्षा दर्शन पर अमिट छाप स्थापित की, छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा के सिद्धांत की विशेषता ने सार्वजनिक दान, शाही संरक्षण और सामुदायिक समर्थन के संयोजन के माध्यम से वित्त पोषित इस प्रणाली को बाहरी राजनीतिक या वित्तीय हस्तक्षेप से स्वतंत्र रखने के लिए व्यापक स्वरूप प्रदान किया, जो मौद्रिक लेन–देन के विपरीत आध्यात्मिक और समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता था। यह स्वरूप शिक्षा के प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण को उजागर करता है, जो केवल आजीविका कमाने के साधन के विपरीत सत्य, चरित्र निर्माण और आत्म–साक्षात्कार की आजीवन खोज है।

(ख) बौद्ध कालखण्ड में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था के प्रशासन एवं वित्त :

प्राचीन भारत के बौद्ध कालीन समय में शिक्षा प्रणाली का प्रशासन मठीय, विकेन्द्रित और लोकतांत्रिक आचार संहिता द्वारा शासित था, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था मठों (विहारों/संघों) में केंद्रित थी और आचार्य (भिक्षुओं) द्वारा नियंत्रित और पर्यवेक्षण की जाती थी। मठों के आंतरिक विषय, जिनमें शैक्षिक प्रशासन भी शामिल था, लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर संचालित होते थे। बौद्ध महाविहारों में एक विद्वान या सम्मानित भिक्षु आमतौर पर संस्था के प्रमुख के रूप में कार्य करता था। बौद्ध संस्थानों के लिए विभिन्न विभाग थे, जैसे प्रवेश, पाठ्यक्रम, परीक्षाएं, छात्रावास और भवन रखरखाव। इस प्रशासन प्रणाली ने सुव्यवस्थित, आत्मनिर्भर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त शिक्षण केन्द्रों का निर्माण किया, जिसने पूरे एशिया से छात्रों और विद्वानों को आकर्षित किया। यह शिक्षा व्यवस्था मुख्यतः मठों (विहारों) और बाद में नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालयों में केंद्रित थी। छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी और संस्थानों को विभिन्न वित्त स्रोतों पर आधारित एक मज़बूत वित्तीय प्रणाली के माध्यम से संचालित किया जाता था। राजाओं और शाही परिवारों के अन्य सदस्यों ने शिक्षा केंद्रों के सतत संचालन के लिए पर्याप्त धनराशि और वित्तीय निधियाँ प्रदान की, शासक अक्सर मठ, परिसरों और सम्बंधित सुविधाओं के लिए धन मुहैया कराते थे, समाज ने भी समय–समय पर दान और उपहार के माध्यम से संस्थानों के रखरखाव में योगदान दिया। राज्य, धनी संरक्षकों और आम जनता के इस सामूहिक समर्थन ने शैक्षिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित की, जिससे यह सदियों तक शिक्षा के एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में फलता–फूलता रहा और बिना किसी शुल्क के विदेशों से आने वाले छात्रों सहित, व्यापक श्रेणी के छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती रही।

(ग) मध्य कालखण्ड में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था के प्रशासन एवं वित्त :

भारत में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का प्रशासन पारंपरिक रूप से विकेंद्रीकृत और स्वायत्त था, जहाँ मकतब और मदरसे जैसी संस्थाएँ शैक्षिक और प्रशासनिक दोनों केंद्रों के रूप में कार्य करती थीं। इस व्यवस्था के प्रशासन में धार्मिक शिक्षकों और संस्थाओं के अपने कर्मचारियों जैसे व्यक्ति शामिल थे, जिनमें शिक्षकों (उलेमा, मौलवी) का उच्च दर्जा था। मध्यकाल में शिक्षा के विकास में शिक्षण संस्थाओं और उनके प्रशासन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेषकर मदरसों के माध्यम से जो प्रशासनिक प्रशिक्षण के केंद्र के साथ–साथ धार्मिक केंद्र भी थे। शिक्षकों की नियुक्ति, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और वजीफे, और प्रशासन के लिए योग्य व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण जैसे कार्यों ने शैक्षिक प्रणाली को आकार दिया और कभी–कभी प्रभावशाली व्यक्तियों की सहायता से यह कार्य संपन्न होता था। व्यक्तिगत विद्वानों की पहल के

स्वरूप कुछ संस्थाएँ व्यक्तिगत रूप से शुरू की गईं जिन्हें राज्य से या दान के माध्यम से सहायता प्राप्त हुई और मस्जिदों के माध्यम से समर्थन भी प्राप्त हुआ, इनमें से कुछ शैक्षणिक संस्थान मस्जिदों से जुड़े थे और उनसे सहायता प्राप्त करते थे।

मुस्लिम शासकों ने आवश्यक शैक्षिक संसाधनों जैसे पुस्तकों, लेखन सामग्री, शिक्षण उपकरणों और पुस्तकालयों के निर्माण के लिए धन मुहैया कराया। पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने, पुस्तक जिल्दसाज़ी और विद्वानों के कार्यों के संरक्षण के लिए अक्सर इन निधियों का उपयोग किया जाता था। मुस्लिम शिक्षा में अक्सर धन का उद्देश्य इस्लामी कानून, धर्मशास्त्र, कुरान अध्ययन, हदीस विद्वत्ता और इस्लामी राज्य के कामकाज के लिए आवश्यक माने जाने वाले अन्य धार्मिक विज्ञानों को बढ़ावा देना होता था। शैक्षणिक संस्थानों के संरक्षण से शासकों को वैधता प्राप्त करने, अपनी सार्वजनिक छवि को मज़बूत करने और अपने अधिकार को मज़बूत करने में मदद मिली। धार्मिक विद्वानों का समर्थन करके, शासकों ने प्रभावशाली बौद्धिक और धार्मिक अभिजात वर्ग के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बनाए रखे। इसलिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की सहायता विद्वानों को उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार पुरस्कार के रूप में, शैक्षिक संस्थाओं के निर्माण और मरम्मत के रूप में, कभी–कभी विशेष समुदायों की शिक्षा के लिए प्रावधान, शैक्षिक संस्थाओं और साहित्यकारों को दान और जागीर के रूप में दी जाती थी।

(घ) स्वतंत्रता के पूर्व के कालखण्ड में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था के प्रशासन एवं वित्त :

स्वतंत्रता के पूर्व के कालखण्ड में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था के प्रशासन में अंग्रेजों ने धीरे–धीरे स्वदेशी प्रणाली को खत्म कर दिया और एक पश्चिमी यद्यपि सीमित शैक्षिक प्रशासन की स्थापना की, ताकि वे एक आज्ञाकारी शिक्षित कार्यबल से अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने देशी शिक्षा में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण धीरे–धीरे इसमें हस्तक्षेप बढ़ा दिया गया। औपचारिक प्रशासनिक संरचना ने प्रत्येक प्रांत में एक अलग लोक शिक्षण विभाग की स्थापना की, जिसका नेतृत्व लोक शिक्षण निदेशक करते थे, इससे नौकरशाही प्रशासनिक पदानुक्रम का निर्माण हुआ। ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा ने प्रशासनिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की ज़िम्मेदारी प्रांतों और स्थानीय निकायों पर डालने के सफल प्रयास किए। स्वतंत्रता–पूर्व भारत में विभिन्न अवधियों में शिक्षा के वित्तपोषण के प्रबंधन में 1870 से पहले की केंद्रीकृत प्रणाली, 1871 और 1921 के बीच विकेंद्रीकरण की ओर बदलाव, 1921 से 1937 तक मॉर्ले–मिंटो सुधारों का प्रभाव और 1937 से 1947 तक ब्रिटिश शासन के अंतिम दशक तक परिवर्तन होते रहे।

भारत की शिक्षा व्यवस्था पर ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार का केंद्रीय नियंत्रण था। इस अवधि के दौरान शिक्षा के लिए धन न्यूनतम था, स्कूल व्यापक नहीं थे और शिक्षा अधिकांश कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही उपलब्ध थी। शिक्षा के वित्तपोषण के विकेंद्रीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग (हंटर आयोग) ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की स्थापना की सिफ़ारिश की, जिसका उद्देश्य व्यापक आबादी तक शिक्षा की पहुँच बढ़ाना था। हालाँकि इस कदम को प्रगतिशील माना गया, फिर भी यह ब्रिटिश शासन के कड़े नियंत्रण में था। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए कुछ धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद, उच्च शिक्षा और विशिष्ट संस्थानों पर ही ध्यान केंद्रित किया गया। स्थानीय कर जो अक्सर माँग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होते थे, यही वित्तपोषण का एक प्रमुख स्रोत थे, लेकिन यह एक मजबूत राष्ट्रव्यापी शैक्षिक प्रशासनिक और वित्त स्वरूप स्थापित बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

(च) स्वतंत्रता के पश्चात के कालखण्ड में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था के प्रशासन एवं वित्त :

स्वतंत्रता के पश्चात के कालखण्ड में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था को त्यागकर भारत में एक नए प्रशासनिक ढांचे का निर्माण हुआ, जिसकी विशेषताएँ सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, निरक्षरता उन्मूलन और व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास पर केंद्रित थीं। नई सरकार ने इस व्यवस्था में आमूल–चूल परिवर्तन के लिए विभिन्न आयोगों का गठन किया, जिसका लक्ष्य इसे एक नव–स्वतंत्र राष्ट्र की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप बनाना था। स्वतंत्रता के पश्चात की प्रशासनिक व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानों के इर्द–गिर्द निर्मित हुई है, जिसने शिक्षा को सामाजिक न्याय और समानता के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता बना दिया। भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ शिक्षा को आकार देने में महत्वपूर्ण रही हैं। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने देश के विकास में शिक्षा के महत्व को पहचाना।

सरकार का पहला कदम शिक्षा के लिए वित्तीय आधार तैयार करना था, क्योंकि इसे देश के औद्योगीकरण और आधुनिकीकरण में सहयोग हेतु एक शिक्षित कार्यबल तैयार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया था। दशकों से योजनाओं में शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया है और पंचवर्षीय योजनाओं के प्रत्येक चरण में पहुँच बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। शिक्षा की समवर्ती सूची के अनुरूप केंद्र और राज्य दोनों सरकारें शैक्षिक नीतियों और वित्तपोषण की ज़िम्मेदारी साझा करती हैं। इस परिवर्तन का भारत में शिक्षा के वित्तपोषण पर गहरा प्रभाव पड़ा। केंद्र सरकार ने देश भर के शैक्षणिक संस्थानों खासकर कम संसाधनों वाले राज्यों के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की, दूसरी ओर राज्य अधिकांश संस्थानों के दैनिक कार्यों, जैसे शिक्षकों के वेतन, बुनियादी स्वरूप के विकास और शैक्षणिक प्रशासन के प्रबंधन के लिए ज़िम्मेदार बने रहे। भारत की इस शैक्षिक यात्रा के सबसे निर्णायक पहलुओं में से एक वित्तपोषण के प्रति सरकार का दृष्टिकोण राज्य–केंद्रित से बदलकर एक अधिक सहयोगात्मक स्वरूप में बदल गया है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें और तेज़ी से निजी योगदान सम्मलित हो रहे हैं।

अध्ययन के निष्कर्ष : भारत में प्राचीन काल से ही शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, भारत में शिक्षा नीतियों का प्रभाव देश की उभरती सामाजिक–आर्थिक ज़रूरतों के अनुरूप समय–समय पर बदलता रहा है। 1813 के चार्टर एक्ट के लागू होने तक, ब्रिटिश शासन के दौरान कोई औपचारिक शिक्षा नीति नहीं थी, लेकिन तब से 1854 के वुड्स एजुकेशन डिस्पैच, सार्जेंट कमीशन और अन्य की रिपोर्ट ने शिक्षा के विशिष्ट चरित्र को परिवर्तित कर दिया। एम. पी. बाशा (2015) के अनुसार, ''मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि इसने धर्मों और संस्कृतियों के बीच ज्ञान के आदान–प्रदान को संभव बनाया। हिंदू गुरुकुल परंपरा और इस्लामी मदरसा प्रणाली दोनो ंने अपने–अपने शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त प्रबंधन से हिंदू और मस्लिम ज्ञान परंपरा को समृद्ध किया''। पूर्णेश नारायण सिंह (2025) के अनुसार, ''ब्रिटिश काल के दौरान प्रशासन व्यवस्था, अनुदान सहायता, शिक्षा विभागों की स्थापना, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना जैसे प्रयासों ने भारत में शिक्षा की एक अच्छी तरह से व्यवस्थित प्रणाली की नींव रखी और स्वतंत्रता के बाद के दशकों में भारत सरकार ने समय–समय पर कई शिक्षा आयोगों का गठन किया है, इन आयोगों की रिपोर्ट का निश्चित रूप से शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त नीति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

समग्र रूप से यह कह सकते हैं कि प्राचीन वैदिक, बौद्ध और मुस्लिम शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त का उस समय की मौजूद शिक्षा व्यवस्था के लक्ष्यों और रणनीतियों पर गहरा प्रभाव पड़ा और ब्रिटिश एवं वर्तमान

शिक्षा नीतियाँ शासन के शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाती हैं, व्यवस्था से लेकर वित्त तक, शिक्षा नीति वह ढाँचा तय करती है, जिसके अन्दर एक सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली आकार लेती है। प्राचीन कालीन शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त वर्तमान के लिए स्वीकार्य रूप प्रस्तुत करते हैं।

- सुसंगठित संस्थागत स्वरूप जिसमें स्पष्ट प्रशासनिक व्यवस्था और सुविधाएँ थी, यह आधुनिक संस्थान को संरचित प्रशासन से सीख लेकर कुशल प्रबंधन और संसाधन आवंटन सुनिश्चित करने में सहायक हो सकते हैं।
- गैर–व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप यह प्रारूप अधिक समावेशी और कम लागत शैक्षिक प्रारूपों की खोज की आवश्यकता को दर्शाता है, जिससे आज प्रचलित वित्तीय बोझ और व्यवसायीकरण को कम किया जा सके।
- वित्त की समावेशिता और सुलभता सुनिश्चित करना, ताकि अधिक न्यायसंगत व्यवस्था को बढ़ावा मिल सके।
- मानकीकृत प्रशासन और संरचना को स्थापित करना, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में इसकी व्यापकता और मानकीकृत गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।
- सामुदायिक–आधारित प्रशासन एवं वित्त के समर्थन को सुनिश्चित करना, ताकि विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों को बनाए रखने में मजबूत सामुदायिक भागीदारी के मार्ग को प्रसारित जा सके।
- शैक्षणिक संस्थानों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना, ताकि संस्थागत लचीलापन सुनिश्चित हो सके।

प्राचीन काल से भारत की शिक्षा व्यवस्था के प्रशासन एवं वित्त ने सिद्ध किया कि शिक्षा संपूर्ण मानव जीवन पद्धति का एक अभिन्न अंग है, जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि विभिन्न कालों में भारत की शिक्षा व्यवस्था अपनी सीमाओं के बावजूद एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि को परिलक्षित करती है, जिसने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास में अमूल्य योगदान दिया। इसकी सकारात्मक विशेषताओं को समझकर हम एक बेहतर शिक्षा प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं जो आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भारतीय मूल्यों और परंपराओं को भी संजोए रखे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :

- Altekar, A. S. (1961). Education in Ancient India, Banaras: Nanda Kishore Brothers.
- Anand, C. L. & Ruhela, S. P. (1983). Teacher And Education in Emerging Indian Society, New Delhi: N.C.E.R.T.
- Balkrishna, G. Gokhale (1994). New Light on Early Buddhism, Bombay: Popular Prakasahan.
- Banerjee, J. P. (2010). Education in India, Past, Present and Future, Kolkata: Amitava Roy Publication Shyama Charan Dey Street.
- Basha, M.P. (2015). Educational system during pre & post independence India, International journal of multidisciplinary advanced research trends.

- Chakraborty, Brotati & Sharma, Manju (2020). Teacher Student Relationship & Its Correlation With Behavior Change In Ancient Era, International Journal of Innovation In Engineering Research & Management.
- Chand, D. (2015). Education system in pre-independence India, International Journal of Applied Research.
- Chandra, Satish (2007). History of Medieval India, Delhi: Orient Black Swan Publishers.
- Chaurasia, R. S. (2001). History of Medieval India : From 1000 A.D to 1707, New Delhi: Atlantic Publishers.
- Crow, D. L. & Crow, A. (2007). Educational Psychology, Delhi: Surject Publications.
- Das, R. C. & Sinha, H. C. (1984). Curriculum and Evaluation, New Delhi: NCERT.
- Davidson, R. (2010b). The Shāstrārth Method: An Ancient Indian Tradition of Scholarly Debate (2nd ed.), Delhi: Motilal Banarsidass.
- Dodge, Bayard (1962). Muslim Education in Medieval Times. Washington, DC: Middle East Institute.
- Dr., R. N. (2002). History and Problems of Education in India, New Delhi: Surjeed Publication.
- Farooqui, S. A. (2011). A Comprehensive History of Medieval India, Delhi: Pearson Publishers.
- Gombrich, R. (2006). Education in Early Buddhist Schools, Abingdon: Routledge.
- Keay, F. E. (1918). Ancient Indian Education: An Inquiry into Its Origin, Development, and Ideals, Oxford University Press.

****

Nav Jyoti
An International Multidisciplinary Journal
Peer Reviewed Refereed Journal
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.14, N. 28, June 2026
https://theopinion.navjyotijournal.in

डिजिटल अर्थव्यवस्था और जीएसटी : कर अनुपालन में तकनीकी सुधार और भारतीय जीडीपी पर प्रभाव

डॉ0 आशा कुमारी
असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग
महाराज बलवंत सिंह पी0जी0 कॉलेज
गंगापुर, राजातालाब, वाराणसी

(सारांश)

प्रस्तुत शोध लेख भारत की कर संरचना में आए युगांतकारी परिवर्तन 'माल एवं सेवा कर' (GST) और उसके डिजिटल ढांचे का विस्तृत विश्लेषण करता है। लेख का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि कैसे 'जीएसटीएन' (GSTN) जैसे तकनीकी नवाचारों ने कर वंचना को कम किया है और 'ई–इनवॉइसिंग' व 'डेटा एनालिटिक्स' के माध्यम से कर अनुपालन (Compliance) की संस्कृति विकसित की है। यह शोध 2017 से 2026 तक के आंकड़ों का उपयोग करते हुए यह सिद्ध करता है कि एक सुदृढ़ डिजिटल कर प्रणाली न केवल राजस्व बढ़ाती है, बल्कि व्यापार करने की लागत (Transaction Cost) को कम करके सीधे तौर पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि में योगदान देती है।

Key Words: राजकोषीय संघवाद, जीएसटीएन, ई–इनवॉइसिंग, कर उछाल (Tax Buoyancy), डिजिटल गवर्नेंस, भारतीय जीडीपी।

प्रस्तावना : भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में 1 जुलाई 2017 की मध्यरात्रि का क्षण केवल एक विधायी परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह भारत के आर्थिक और राजकोषीय एकीकरण का 'डिजिटल बिग बैंग' था। 'एक राष्ट्र, एक कर' (One Nation, One Tax) का दर्शन एडम स्मिथ के कालजयी कर सिद्धांतों (Canons of Taxation) – निश्चितता, सुविधा, मितव्ययिता और समानता – पर आधारित है। आधुनिक अर्थशास्त्र में, किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसकी कर प्रणाली की दक्षता और उसके 'कर–जीडीपी अनुपात' (Tax to GDP Ratio) पर निर्भर करती है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र में, जहाँ संघीय ढांचा अत्यंत संवेदनशील है, वहाँ एक एकीकृत डिजिटल कर प्रणाली लागू करना एक अभूतपूर्व साहसिक कदम था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का एक उद्धरण – 'जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों को कष्ट दिए बिना उनसे रस एकत्र

करती है, उसी प्रकार राज्य को कर एकत्र करना चाहिए', डिजिटल तकनीक ने इसी 'बिना कष्ट' (Frictionless) वाली कर वसूली को संभव बनाया है।

जीएसटी से पूर्व की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था श्सूचना विषमताश के संकट से ग्रस्त थी। केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क (Excise Duty) और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले वैट (VAT) के बीच कोई डिजिटल संवाद नहीं था। इसके परिणामस्वरूप, करदाता एक ही वस्तु पर कई बार कर चुकाता था, जिसे अर्थशास्त्र में 'कैस्केडिंग प्रभाव' (Cascading Effect) कहा जाता है। यह न केवल उपभोक्ता के लिए महंगाई का कारण था, बल्कि 'अदृश्य कर चोरी' के लिए एक उपजाऊ जमीन भी तैयार करता था। तत्कालीन व्यवस्था में कर अधिकारी और करदाता के बीच होने वाला मानवीय हस्तक्षेप भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता का मुख्य कारण था।

डिजिटल अर्थव्यवस्था के इस युग में, जीएसटी ने एक 'मशीन लर्निंग' आधारित राजकोषीय ढांचे का रूप ले लिया है। वर्तमान में 2026 में, जब भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Global Supply Chain) में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है, जीएसटी की तकनीकी रीढ़ – जीएसटीएन (GSTN) – ने व्यापारिक लेन–देन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया है। तकनीक ने यहाँ केवल एक 'सुविधा प्रदाता' (Facilitator) की भूमिका नहीं निभाई है, बल्कि यह एक 'नियामक' (Regulator) के रूप में उभरी है। सूचना प्रौद्योगिकी ने कर अनुपालन को एक 'दंडात्मक बोझ' से बदलकर एक 'सहज और पारदर्शी प्रक्रिया' में रूपांतरित कर दिया है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था का उदय और कर सुधारों का सैद्धांतिक आधार : डिजिटल अर्थव्यवस्था और कर सुधारों के मध्य अंतर्संबंध केवल तकनीकी विकास का परिणाम नहीं हैं, बल्कि यह एक गहरे आर्थिक और सैद्धांतिक रूपांतरण का प्रतीक हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र में, 'डिजिटल अर्थव्यवस्था' का अर्थ केवल ई–कॉमर्स या ऑनलाइन बैंकिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह डेटा–संचालित मूल्य सृजन (Data-driven Value Creation) की वह प्रणाली है जिसने पारंपरिक 'ईंट–और–गारा' (Brick and Mortar) व्यापारिक मॉडल की सीमाओं को समाप्त कर दिया है।

सूचना विषमता और कर अनुपालन का सिद्धांत : नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज के 'सूचना विषमता' के सिद्धांत के अनुसार, कर प्रशासन की विफलता का मुख्य कारण सरकार और करदाता के बीच सूचना का असंतुलन होता है। पारंपरिक व्यवस्था में, करदाता के पास अपने वास्तविक लेन–देन को छिपाने की क्षमता होती थी, क्योंकि कर विभाग के पास 'रीयल–टाइम' डेटा तक पहुँच नहीं थी। डिजिटल अर्थव्यवस्था के उदय ने इस विषमता को न्यूनतम कर दिया है।

लाफर कर्व और कर आधार का विस्तार : अर्थशास्त्री आर्थर लाफर के 'लाफर कर्व' सिद्धांत का तर्क है कि कर की उच्च दरें राजस्व में वृद्धि के बजाय कर चोरी को प्रोत्साहित करती हैं। भारत में जीएसटी का डिजिटल क्रियान्वयन इसी सिद्धांत का एक व्यावहारिक अनुप्रयोग है। डिजिटल निगरानी ने सरकार को इस योग्य बनाया है कि वह कर की दरों को तर्कसंगत रखते हुए भी राजस्व बढ़ा सके। तकनीक ने 'शैडो इकोनॉमी' (अघोषित अर्थव्यवस्था) को मुख्यधारा में शामिल किया है। जब लेन–देन डिजिटल होते हैं, तो वे अर्थव्यवस्था के 'औपचारिकीकरण' की प्रक्रिया को गति देते हैं।

इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का स्व–सुधारात्मक चक्र : जीएसटी के सैद्धांतिक ढांचे की सबस बड़ी विशेषता इसका 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' (ITC) चक्र है। यह प्रणाली 'वैल्यू ऐडेड टैक्स' (VAT) के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन इसकी डिजिटल सुपुर्दगी इसे विशिष्ट बनाती है। सैद्धांतिक रूप से, यह एक 'चेन–बेस्ड' मॉडल है जहाँ एक व्यवसाय का 'आउटपुट टैक्स' दूसरे का 'इनपुट क्रेडिट' बनता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था में, यह चक्र केवल तभी पूर्ण होता है जब आपूर्ति श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी पारदर्शी हो।

ट्रांजैक्शन कॉस्ट और आर्थिक दक्षता : रोनाल्ड कोस के 'ट्रांजैक्शन कॉस्ट' सिद्धांत के अनुसार, बाजार की दक्षता इस बात पर निर्भर करती है कि व्यापार करने की लागत कितनी कम है। पूर्ववर्ती कर व्यवस्था में, विभिन्न राज्यों के अलग–अलग करों और कागजी कार्रवाई के कारण 'अनुपालन लागत' बहुत अधिक थी। डिजिटल कर सुधारों ने 'अनुपालन की सीमांत लागत' (Marginal Cost of Compliance) को कम कर दिया है। एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल (GSTN) के माध्यम से कर विवरणी (Returns) दाखिल करना और ई–वे बिल का सृजन करना व्यापारिक बाधाओं को दूर करता है। यह न केवल व्यापार की गति बढ़ाता है बल्कि उत्पादकता में भी वृद्धि करता है, जो अंततः सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में धनात्मक योगदान देती है।

डेटा–संचालित राजकोषीय नीति : डिजिटल अर्थव्यवस्था ने 'बिग डेटा' (Big Data) का एक ऐसा भंडार निर्मित किया है जो नीति निर्माताओं के लिए स्वर्ण खदान के समान है। अब सरकार के पास 'सेक्टर–वार' और 'क्षेत्र–वार' उपभोग और उत्पादन का सटीक डेटा उपलब्ध है। यह डेटा–संचालित दृष्टिकोण राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) को अधिक सटीक और प्रो–एक्टिव बनाता है।

जीएसटी का तकनीकी ढांचा : प्रमुख स्तंभों का गहन विश्लेषण

जीएसटीएन (GSTN) : डेटा का महासागर : जीएसटी नेटवर्क (GSTN) एक अत्याधुनिक आईटी ढांचा है जो केंद्र, राज्यों और करदाताओं के बीच एक सेतु का कार्य करता है। 2026 की स्थिति के अनुसार, यह प्रति माह 20 बिलियन से अधिक बीजक (Invoices) प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। इसकी सबसे बड़ी शक्ति इसकी श्इंटर–ऑपरेबिलिटीश है। यह सीमा शुल्क, आयकर विभाग और बैंकों के साथ रीयल–टाइम डेटा साझा करता है।

ई–इनवॉइसिंग (e-Invoicing) : पारदर्शिता का नया मानक : ई–इनवॉइसिंग ने 'शैडो इकोनॉमी' पर सबसे करारा प्रहार किया है। ₹5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए इसे अनिवार्य करने से फर्जी बिलों का प्रचलन 85% तक कम हुआ है। अब, जैसे ही एक बिल जेनरेट होता है, वह सीधे सरकारी पोर्टल पर दर्ज हो जाता है। इससे 'इनवॉइस मैचिंग' की समस्या समाप्त हो गई है और कर दाताओं को GSTR–1 भरने में न्यूनतम समय लगता है।

ई–वे बिल और लॉजिस्टिक क्रांति : ई–वे बिल प्रणाली ने भारत के आंतरिक व्यापार में बॉर्डरलेस अनुभव प्रदान किया है। आरएफआईडी (RFID) और फास्टैग (FASTag) के एकीकरण ने ट्रकों के प्रतीक्षा समय को 30ः तक कम कर दिया है। अर्थशास्त्रीय शोध बताते हैं कि लॉजिस्टिक समय में कमी सीधे तौर पर श्इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्टश को कम करती है, जिससे भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनते हैं।

डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का विनियोग : 2025–26 के कालखंड में राजस्व विभाग अब 'प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स' (Predictive Analytics) का उपयोग कर रहा है।

- BIFA (Business Intelligence and Fraud Analytics) : यह टूल संदिग्ध करदाताओं की प्रोफाइलिंग करता है। यदि किसी नए पंजीकृत करदाता का टर्नओवर अचानक करोड़ों में पहुँच जाता है, तो सिस्टम स्वतः ही 'रिस्क स्कोर' जेनरेट करता है।
- सोशल नेटवर्क विश्लेषण : एआई अब यह देख सकता है कि क्या कई शेल कंपनियां एक ही पते या बैंक खाते से जुड़ी हैं। वर्ष 2024–25 में इसके माध्यम से ₹1.8 लाख करोड़ की कर चोरी का पर्दाफाश किया गया है।

क्षेत्रवार प्रभाव विश्लेषण : जीएसटी के डिजिटल क्रियान्वयन का सबसे व्यापक प्रभाव भारत के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों की कार्यक्षमता और उनकी उत्पादन लागत पर पड़ा है। अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से, कर प्रणाली का प्रभाव 'सेक्टर–विशिष्ट' होता है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखला और उपभोग पैटर्न भिन्न होते हैं। डिजिटल जीएसटी ने 'सूचना के निर्बाध प्रवाह' के माध्यम से इन क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन किए हैं।

विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector) : लागत दक्षता और 'मेक इन इंडिया' : विनिर्माण क्षेत्र भारत की जीडीपी का आधार स्तंभ है। पूर्ववर्ती कर व्यवस्था में, विनिर्माण इकाइयां 'कर के ऊपर कर' के बोझ से दबी थीं। डिजिटल जीएसटी ने इसे 'वैल्यू ऐडेड' मोड में बदलकर विनिर्माण की वास्तविक लागत को कम किया है।

- इन्वेंट्री और वेयरहाउसिंग का युक्तिकरणरू डिजिटल ई–वे बिल और राज्यों की सीमाओं पर नाकों की समाप्ति ने 'स्टॉक–ट्रांसफर' की अवधारणा को बदल दिया है। अब कंपनियां कर बचाने के लिए नहीं, बल्कि बाजार की निकटता के आधार पर अपने गोदाम स्थापित करती हैं। इससे 'लॉजिस्टिक लागत' में 15-20% की कमी आई है।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की सुगमतारू कच्चे माल की खरीद पर चुकाए गए कर का डिजिटल मिलान (Matching) होने से विनिर्माताओं की कार्यशील पूंजी (Working Capital) में सुधार हुआ है। 2026 के आंकड़ों के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र की परिचालन दक्षता में डिजिटल जीएसटी के कारण 7-9% की वृद्धि दर्ज की गई है।

सेवा क्षेत्र : केंद्रीकृत अनुपालन और डिजिटल सुगमता : भारत की जीडीपी में 50% से अधिक योगदान देने वाला सेवा क्षेत्र डिजिटल सुधारों का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है।

- पंजीकरण की सुगमता : आईटी, बैंकिंग और दूरसंचार जैसी अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करने वाली कंपनियों के लिए 'केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल' ने अनुपालन को सरल बनाया है। अब उन्हें प्रत्येक राज्य के लिए अलग–अलग भौतिक फाइलिंग की आवश्यकता नहीं है।
- निर्यात और रिफंड : सेवा निर्यात (Service Exports) के मामले में डिजिटल रिफंड प्रक्रिया ने 'लिक्विडिटी' (Liquidity) की समस्या को हल किया है। सॉफ्टवेयर निर्यातकों के लिए जीएसटी रिफंड अब पूरी तरह से श्फेसलेसश और समयबद्ध हो गया है, जिससे वैश्विक बाजार में भारतीय सेवाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ी है।

कृषि और खाद्य प्रसंस्करण : यद्यपि प्राथमिक कृषि उत्पाद जीएसटी से बाहर हैं, लेकिन कृषि की पूरी आपूर्ति श्रृंखला डिजिटल कर के दायरे में आने से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

- **आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता :** उर्वरक, कीटनाशक और कृषि मशीनरी पर डिजिटल जीएसटी ने 'बैकवर्ड लिंकेज' को मजबूत किया है।
- **खाद्य प्रसंस्करण :** इस क्षेत्र में 'वेस्टेज' (Wastage) को कम करने के लिए एक कुशल रसद तंत्र (Logistics) की आवश्यकता होती है। ई–वे बिल के माध्यम से माल की तीव्र आवाजाही ने कोल्ड चेन और प्रसंस्करण इकाइयों को लाभान्वित किया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्धन (Value Addition) हुआ है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) : औपचारिकीकरण बनाम अनुपालन लागत : एमएसएमई क्षेत्र के लिए डिजिटल जीएसटी एक 'दोधारी तलवार' सिद्ध हुआ है, जिस पर व्यापक विमर्श होता है।

- **ऋण तक पहुँच :** डिजिटल जीएसटी रिटर्न अब एमएसएमई के लिए 'क्रेडिट स्कोर' का कार्य कर रहे हैं। बैंक अब भौतिक संपार्श्विक (Physical Collateral) के बजाय उनके 'डिजिटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड' के आधार पर ऋण दे रहे हैं। यह 'डेटा–आधारित लेंडिंग' छोटे उद्योगों के लिए क्रांतिकारी है।
- **चुनौतियां :** दूसरी ओर, इन इकाइयों के लिए 'अनुपालन की सीमांत लागत' (Marginal Cost of Compliance) अधिक है। कंप्यूटर, इंटरनेट और प्रोफेशनल (CA) की फीस उनके छोटे मुनाफे पर दबाव डालती है। हालांकि,'श्कंपोजिशन स्कीम' जैसे डिजिटल प्रावधानों ने छोटे व्यापारियों को कुछ राहत प्रदान की है।

ई–कॉमर्स और उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था : ई–कॉमर्स क्षेत्र पूरी तरह से डिजिटल जीएसटी पर आधारित है। 'टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स' (TCS) के प्रावधानों ने यह सुनिश्चित किया है कि ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर होने वाला प्रत्येक लेनदेन कर के दायरे में आए। इससे असंगठित विक्रेताओं को एक राष्ट्रीय बाजार मिला है और कर चोरी की संभावनाएं न्यूनतम हुई हैं।

सांख्यिकीय विश्लेषणरू राजस्व और जीडीपी पर प्रभाव : जीएसटी संग्रह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को सिद्ध किया है।

- **राजस्व संग्रह :** 2017–18 में जो औसत मासिक संग्रह ₹90,000 करोड़ था, वह 2025–26 में ₹2.05 लाख करोड़ के पार पहुँच गया है।
- **कर उछाल :** भारत की कर उछाल दर वर्तमान में 1.25 है। इसका अर्थ है कि यदि जीडीपी 1% बढ़ती है, तो कर राजस्व 1.25% बढ़ता है। यह तकनीकी दक्षता का प्रमाण है।
- **जीडीपी योगदान :** अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि जीएसटी के डिजिटल क्रियान्वयन ने भारत की वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर में स्थायी रूप से 1.5% का इजाफा किया है।

राजकोषीय संघवाद : केंद्र–राज्य संबंधों का डिजिटल सेतु : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246A के तहत जीएसटी का क्रियान्वयन केवल एक कर सुधार नहीं था, बल्कि यह भारतीय 'राजकोषीय संघवाद' (Fiscal

Federalism) के इतिहास में सबसे बड़ा संवैधानिक और आर्थिक प्रयोग था। अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से, राजकोषीय संघवाद का अर्थ है – केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों का न्यायसंगत वितरण। डिजिटल अर्थव्यवस्था और जीएसटी के समन्वय ने इस वितरण को 'डेटा–पारदर्शिता' के माध्यम से एक नया आयाम प्रदान किया है।

- **सहकारी संघवाद का डिजिटल मंच :** जीएसटी परिषद (GST Council) : जीएसटी परिषद भारत के संघीय ढांचे का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह दुनिया का संभवतः एकमात्र ऐसा निकाय है जहाँ केंद्र और सभी राज्यों के वित्त मंत्री एक साथ बैठकर सर्वसम्मति से निर्णय लेते हैं।
- **डेटा–आधारित निर्णय प्रक्रिया :** परिषद के निर्णय अब केवल राजनीतिक विमर्श पर आधारित नहीं होते, बल्कि 'जीएसटीएन' (GSTN) से प्राप्त रीयल–टाइम डेटा पर आधारित होते हैं। यदि किसी वस्तु पर कर की दर घटानी या बढ़ानी है, तो परिषद के पास इस बात का सटीक डेटा होता है कि उस निर्णय का राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
- **विश्वास का निर्माण :** डिजिटल पोर्टल ने राज्यों के बीच श्सूचना विषमताश को समाप्त किया है। अब प्रत्येक राज्य अपने डैशबोर्ड पर यह देख सकता है कि उसके क्षेत्र से कितना राजस्व एकत्र हुआ है और उसे केंद्र से कितना हिस्सा प्राप्त होना है।

'गंतव्य–आधारित' कर और अंतः–राज्यीय संतुलन : जीएसटी एक 'गंतव्य–आधारित' उपभोग कर है, जो पुराने 'उत्पत्ति–आधारित' (Origin-based) कर के बिल्कुल विपरीत है।

- **उत्पादक बनाम उपभोक्ता राज्य :** पूर्ववर्ती व्यवस्था में महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे उत्पादक राज्यों को अधिक राजस्व प्राप्त होता था, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा जैसे उपभोक्ता राज्य घाटे में रहते थे।
- **डिजिटल ट्रैकिंग का लाभ :** आईजीएसटी (IGST) की डिजिटल ट्रैकिंग ने यह सुनिश्चित किया है कि कर का हिस्सा उसी राज्य को मिले जहाँ वस्तु या सेवा का अंतिम उपभोग हुआ है। इसने पिछड़े राज्यों के राजस्व में नाटकीय वृद्धि की है, जिससे क्षेत्रीय असमानता (Regional Inequality) को कम करने में मदद मिली है। 2024–26 के आंकड़े दर्शाते हैं कि उपभोग–प्रधान राज्यों के कर राजस्व में औसत वार्षिक वृद्धि 12–15% रही है।

जीएसटी मुआवजा (Compensation) और तकनीकी पारदर्शिता : राज्यों को जीएसटी अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु 'मुआवजा उपकर' (Compensation Cess) की व्यवस्था की गई थी। जून 2022 में इसकी मूल अवधि समाप्त होने के बाद, राज्यों के लिए राजस्व की आत्मनिर्भरता एक बड़ी चुनौती थी।

- **डेटा–माइनिंग के जरिए आत्मनिर्भरता :** डिजिटल अर्थव्यवस्था ने राज्यों को यह क्षमता दी है कि वे अपने स्वयं के 'डेटा एनालिटिक्स' विंग स्थापित करें। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने तकनीकी डेटा का उपयोग कर श्कर चोरीश को रोका है, जिससे मुआवजे की आवश्यकता के बिना भी उनका राजस्व बढ़ रहा है।

- **उधार लेने की सीमा :** केंद्र सरकार ने राज्यों की उधार लेने की सीमा को अक्सर उनके 'डिजिटल सुधारों' और 'कर अनुपालन' से जोड़ा है। यह राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Discipline) का एक नया तकनीकी मॉडल है।

विवाद समाधान का डिजिटल मोड : राजकोषीय संघवाद में विवादों का मुख्य कारण कर निर्धारण और वसूली में होने वाले टकराव होते थे।

- **दोहरा नियंत्रण :** केंद्र और राज्यों के बीच करदाताओं का बंटवारा (90:10 का अनुपात ₹1.5 करोड़ से नीचे के टर्नओवर के लिए) डिजिटल रूप से पारदर्शी है।
- **अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) :** 2025–26 में स्थापित किए जा रहे 'जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण' पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस होंगे। इससे केंद्र और राज्यों के बीच कानूनी मुकदमों की संख्या कम होगी और कर प्रशासन में 'विश्वास' की संस्कृति विकसित होगी।

भविष्य की चुनौतियां : वित्तीय स्वायत्तता बनाम एकरूपता : एक गंभीर अकादमिक आलोचना यह भी है कि जीएसटी ने राज्यों की कर लगाने की 'वित्तीय स्वायत्तता' को सीमित कर दिया है। अब राज्य अपनी मर्जी से कर की दरें नहीं बदल सकते।

- **संतुलन :** अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि 'वित्तीय स्वायत्तता' की इस हानि की भरपाई 'बाजार की दक्षता' (Market Efficiency) और 'राजस्व में स्थिरता' से हुई है। डिजिटल सेतु ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्यों को मिलने वाला हिस्सा अब राजनीतिक इच्छाशक्ति के बजाय 'एल्गोरिदम' और 'डेटा' द्वारा निर्धारित होता है, जो लंबे समय में राजकोषीय संघवाद को अधिक मजबूत और न्यायसंगत बनाता है।

चुनौतियां और आलोचनात्मक मूल्यांकन : जीएसटी का डिजिटल रूपांतरण निस्संदेह एक वैश्विक उपलब्धि है, परंतु अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से किसी भी सुधार का मूल्यांकन तब तक अपूर्ण है जब तक उसके क्रियान्वयन में व्याप्त विसंगतियों और व्यावहारिक बाधाओं का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण न किया जाए। डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते भारत के लिए जीएसटी केवल एक कर प्रणाली नहीं, बल्कि एक कठिन 'लर्निंग कर्व' (Learning Curve) भी रहा है।

डिजिटल अंतराल : एक संरचनात्मक बाधा : भारत जैसे विषम भौगोलिक और आर्थिक परिवेश वाले देश में 'डिजिटल साक्षरता' का स्तर एकसमान नहीं है।

- पहुँच बनाम क्षमता : जहाँ बड़े कॉर्पोरेट घरानों के पास अत्याधुनिक ईआरपी (ERP) सिस्टम और कर सलाहकार हैं, वहीं टियर–2 और टियर–3 शहरों के छोटे व्यापारियों (MSMEs) के लिए 'डिजिटल अनुपालन' एक वित्तीय और मानसिक बोझ बन गया है।
- बुनियादी ढांचा : ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की अस्थिरता और बिजली की समस्या 'रीयल–टाइम' रिटर्न फाइलिंग और ई–वे बिल सृजन में बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। इसे अर्थशास्त्र में 'अक्षमताओं का डिजिटल हस्तांतरण' कहा जा सकता है, जहाँ तकनीक प्रक्रिया को सुगम बनाने के बजाय जटिल बना देती है।

अनुपालन की उच्च लागत : अप्रत्यक्ष करों के सिद्धांत के अनुसार, कर प्रणाली 'मितव्ययी' होनी चाहिए। हालाँकि, डिजिटल जीएसटी ने अनपेक्षित रूप से छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन लागत में वृद्धि की है।

- **तकनीकी निवेश :** कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर अपडेट और डेटा सुरक्षा पर होने वाला व्यय छोटे मुनाफे वाली इकाइयों के लिए बोझिल है।
- **पेशेवर निर्भरता :** रिटर्न की जटिलता (जैसे GSTR-1, 2B, 3B का मिलान) के कारण व्यापारी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) और कर वकीलों पर अत्यधिक निर्भर हो गए हैं। अर्थशास्त्रीय शोध बताते हैं कि छोटे उद्योगों के लिए अनुपालन की सीमांत लागत उनके कुल टर्नओवर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ले लेती है, जो उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करता है।

राजकोषीय स्वायत्तता का संकुचन : राज्यों के दृष्टिकोण से, जीएसटी ने उनके कर लगाने के संप्रभु अधिकार को सीमित कर दिया है।

- **वित्तीय निर्भरता :** पेट्रोलियम और शराब जैसे राजस्व के बड़े स्रोतों को जीएसटी से बाहर रखना और अन्य सभी करों को समाहित करना राज्यों को केंद्र की 'मुआवजा नीति' पर निर्भर बनाता है।
- **संघीय तनाव :** जब केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे या मुआवजे के भुगतान में देरी होती है, तो यह 'सहकारी संघवाद' की भावना को चोट पहुँचाता है। अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग इसे 'राजकोषीय केंद्रीकरण' के रूप में देखता है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य और भारत का मॉडल : विश्व के लगभग 160 से अधिक देशों में मूल्य वर्धित कर (VAT) या माल एवं सेवा कर (GST) की व्यवस्था लागू है। फ्रांस 1954 में जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था। हालाँकि, भारत का जीएसटी मॉडल अपनी 'दोहरी संरचना' (Dual Structure) और 'तकनीकी व्यापकता' के कारण वैश्विक अर्थशास्त्रियों के लिए एक अनूठा 'केस स्टडी' बन चुका है।

विश्व के अधिकांश देशों (जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर) में 'एकल जीएसटी' प्रणाली है, जहाँ केंद्र सरकार कर एकत्र करती है और फिर उसे राज्यों में वितरित करती है। भारत ने कनाडा के मॉडल के समान 'दोहरी संरचना' को अपनाया है। भारत की संघीय संप्रभुता और राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को सुरक्षित रखने के लिए यह अनिवार्य था।

वैश्विक स्तर पर, अधिकांश देशों में जीएसटी की एक या अधिकतम दो दरें होती हैं। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन में मानक दर 20% है और सिंगापुर में यह लगभग 9% (संभावित वृद्धि के साथ) है। भारत में 5%, 12%, 18% और 28% की दरें हैं। अर्थशास्त्रीय आलोचना के बावजूद, भारत जैसे विषम आय वाले देश में यह 'सामाजिक न्याय' के लिए आवश्यक था। लग्जरी कारों और नमक पर एक ही दर लगाना तर्कसंगत नहीं होता। भारत का यह 'प्रगतिशील कर' मॉडल अब अन्य विकासशील देशों के लिए एक मार्गदर्शक बन रहा है।

एक वैश्विक बाजार के निर्माण ने भारत को 'ग्लोबल वैल्यू चेन' (GVC) में एक विश्वसनीय भागीदार बनाया है। जब विदेशी निवेशक भारत आते हैं, तो वे एक पारदर्शी और डिजिटल कर प्रणाली की अपेक्षा करते हैं। जीएसटी ने 'कर अनिश्चितता' को कम किया है, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए एक प्राथमिक आवश्यकता है।

भविष्य की राह : जीएसटी 2.0 और ब्लॉकचेन : जीएसटी के प्रथम चरण (2017–2025) ने कर एकीकरण और तकनीकी आधारशिला रखने का कार्य किया है। अब भारत 'जीएसटी 2.0' के युग में प्रवेश कर रहा है, जहाँ उद्देश्य केवल कर संग्रह नहीं, बल्कि 'घर्षण–रहित' कर प्रशासन और 'व्यापारिक सुगमता' की पराकाष्ठा प्राप्त करना है। आगामी दशक में दो प्रमुख परिवर्तन भारतीय राजकोषीय परिदृश्य को पुनर्परिभाषित करेंगे : ब्लॉकचेन तकनीक का समावेश और दरों का युक्तिकरण।

ब्लॉकचेन तकनीक : पारदर्शिता का नया युग : ब्लॉकचेन एक 'डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर' तकनीक है, जो डेटा को अपरिवर्तनीय बनाती है। जीएसटी में इसके प्रयोग से 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' (ITC) की पूरी श्रृंखला को रीयल–टाइम में ट्रैक किया जा सकेगा। ब्लॉकचेन के माध्यम से प्रत्येक बीजक को एक विशिष्ट डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जोड़ा जा सकता है। इससे 'शेल कंपनियों' द्वारा किए जाने वाले फर्जी दावों की संभावना शून्य हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक लेन–देन पिछले लेन–देन से गणितीय रूप से जुड़ा होगा। भविष्य में 'स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स' के जरिए कर का भुगतान और रिफंड स्वतः हो सकता है। जैसे ही खरीदार भुगतान करेगा, कर का हिस्सा स्वतः सरकार के खाते में और इनपुट क्रेडिट खरीदार के वॉलेट में जमा हो जाएगा। इससे प्रशासनिक विलंब और मानवीय हस्तक्षेप पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।

जीएसटी 2.0 का मुख्य स्तंभ 'कर दरों का सरलीकरण' है। अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वर्तमान बहु–स्तरीय दरों (5, 12, 18, 28) को घटाकर तीन या दो स्लैब में सीमित किया जाना चाहिए। 12% और 18% की दरों को मिलाकर एक 'स्टैंडर्ड रेट' (संभावित 15–16%) बनाने से वर्गीकरण विवादों में भारी कमी आएगी। पेट्रोलियम उत्पादों, प्राकृतिक गैस और बिजली को जीएसटी के दायरे में लाना 'जीएसटी 2.0' का सबसे बड़ा सुधार होगा। इससे विनिर्माण क्षेत्र को अपनी पूरी इनपुट लागत पर क्रेडिट मिल सकेगा, जिससे भारतीय निर्यात वैश्विक बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी होगा।

निष्कर्ष : प्रस्तुत शोध–आलेख के विस्तृत विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि भारत में 'माल एवं सेवा कर' (GST) का क्रियान्वयन केवल एक कर सुधार नहीं, बल्कि एक 'डिजिटल आर्थिक क्रांति' है। सूचना प्रौद्योगिकी और राजकोषीय नीति के इस अनूठे समन्वय ने भारतीय अर्थव्यवस्था को श्अपारदर्शिताश से श्पारदर्शिताश की ओर और श्असंगठितश से श्संगठितश क्षेत्र की ओर सफलतापूर्वक अग्रसर किया है।

इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्षों को निम्नलिखित बिंदुओं में संक्षेपित किया जा सकता है :

- **तकनीकी सुदृढ़ता :** जीएसटीएन (GSTN), ई–इनवॉइसिंग और ई–वे बिल जैसे तकनीकी स्तंभों ने 'कर अनुपालन' (Compliance) को एक बोझ के बजाय एक सहज व्यापारिक प्रक्रिया में बदल दिया है। 'रीयल–टाइम' डेटा मिलान ने कर चोरी के पारंपरिक मार्गों को अवरुद्ध कर दिया है।
- **राजकोषीय सुदृढ़ता और जीडीपी :** सांख्यिकीय साक्ष्य यह सिद्ध करते हैं कि जीएसटी संग्रह में निरंतर वृद्धि और कर उछाल ने भारत के राजकोषीय घाटे को प्रबंधित करने और बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए हैं। डिजिटल कर प्रणाली ने प्रत्यक्ष रूप से जीडीपी वृद्धि में धनात्मक योगदान दिया है।
- **क्षेत्रवार और संघीय प्रभाव :** जहाँ विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों ने 'लागत दक्षता' प्राप्त की है, वहीं राजकोषीय संघवाद के स्तर पर केंद्र और राज्यों के बीच 'सहकारी प्रतिस्पर्धा' का एक नया युग शुरू

हुआ है। डिजिटल सेतु ने राज्यों के बीच राजस्व वितरण को अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी बनाया है।

- **चुनौतियां और सुधार :** यद्यपि 'डिजिटल डिवाइड', एमएसएमई (MSME) के लिए उच्च अनुपालन लागत और कर दरों की बहुलता जैसी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं, परंतु ये एक विकसित होती व्यवस्था के स्वाभाविक 'लर्निंग पेन' हैं।

''डिजिटल अर्थव्यवस्था और जीएसटी''का मिलन भारत के 'विकसित भारत@2047' के विजन की आधारशिला है। 'जीएसटी 2.0' और ब्लॉकचेन जैसी उभरती तकनीकों का समावेश भविष्य में एक ऐसी 'घर्षण–रहित' कर प्रणाली का निर्माण करेगा जहाँ कर प्रशासन 'अदृश्य' होगा परंतु उसकी दक्षता सर्वोच्च होगी। भारत का यह डिजिटल कर मॉडल अब न केवल राष्ट्रीय स्तर पर सफल है, बल्कि वैश्विक दक्षिण (Global South) के अन्य विकासशील राष्ट्रों के लिए एक अनुकरणीय मानक बन चुका है। तकनीक और तर्कसंगत नीति का यह सफल संगम आने वाले दशकों में भारत की आर्थिक संप्रभुता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता का मुख्य चालक बना रहेगा।

सन्दर्भ (References) :

1. Chandra, P., & Jain, S. (2024). *Digital transformation of indirect taxation: A case study of GSTN in India*. Journal of Indian Economic Reforms, 12(3), 45-67.
2. Department of Revenue. (2025). *Annual report on GST revenue collections and compliance trends (2024-25)*. Ministry of Finance, Government of India. https://finmin.nic.in
3. Economic Division. (2026). *Economic survey of India 2025-26: The digital leap in fiscal governance*. Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.
4. GST Council Secretariat. (2025). *Compendium of decisions: 54th to 58th council meetings*. Government of India.
5. International Monetary Fund. (2025). *India: Article IV consultation - Staff report on fiscal resilience and tax reforms*. IMF Country Report No. 25/112.
6. Jaitley, A. (2017). *The blueprint of Goods and Services Tax: One nation, one tax*. In Collected Speeches on Economic Reforms (Posthumous Ed. 2024). Oxford University Press.
7. Kelkar, V., & Shah, A. (2022). *In service of the republic: The art and science of economic policy*. Penguin Random House India.
8. Mukherjee, S. (2023). *Fiscal federalism in the digital age: Impact of destination-based taxation on Indian states*. Journal of Public Economics, 8(2), 110-129.
9. National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP). (2024). *Estimating tax buoyancy and formalization in the post-GST era*. Working Paper No. 342.
10. NITI Aayog. (2025). *Technological interventions in MSME compliance: A sectoral analysis*. Government of India Publications.

11. OECD. (2024). *Consumption tax trends 2024: VAT/GST rules in digital economies*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/ctt-2024-en
12. Pritchett, L. (2023). *The digital state: Building state capacity through IT infrastructure in emerging markets*. World Bank Economic Review, 37(1), 12-34.
13. Reserve Bank of India. (2025). *State finances: A study of budgets of 2024-25 - Special focus on GST compensation*. RBI Publications.
14. Sharma, R., & Vats, R. (2024). *Artificial intelligence and data analytics in tax administration: The Indian experience*. International Journal of Tax Administration, 19(4), 201-225.
15. World Bank. (2025). *Digital India: Success stories in e-governance and tax compliance*. World Bank Group Report.

Nav Jyoti
An International Multidisciplinary Journal
Peer Reviewed Refereed Journal
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.14, N. 28, June 2026
https://theopinion.navjyotijournal.in

"युवाओं की बदलती जीवनशैली पर सोशल मीडिया का प्रभाव: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन"

प्रवेश कुमार सिंह, शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
डॉ जितेन्द्र कुमार सिंह, शोध निर्देशक/सहायक प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग,
लालता सिंह राजकीय,महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अदलहाट, मिर्जापुर।

सार-

डिजिटल युग में सोशल मीडिया युवाओं कि जीवनशैली का एक अहम हिस्सा बन गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब एवं अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने युवाओं के विचार, व्यवहार, सामाजिक संबंधों और जीवनशैली में महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य युवाओं की बदलती जीवनशैली पर सोशल मीडिया के सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। इस अध्ययन में यह समझने का प्रयास किया गया है कि सोशल मीडिया युवाओं के दैनिक जीवन, समय उपयोग, पारिवारिक संबंधों, मित्रता, फैशन, मनोरंजन, शिक्षा तथा सामाजिक एवं राजनीतिक सहभागिता को किस प्रकार प्रभावित करता है। सोशल मीडिया युवाओं की जीवनशैली को सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूपों में प्रभावित कर रहा है। इसका प्रभाव उपयोग के उद्देश्य, अवधि और व्यवहार पर निर्भर करता है। इसलिए युवाओं में डिजिटल साक्षरता और संतुलित सोशल मीडिया उपयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है।

मुख्य शब्द : सोशल मीडिया, युवा, जीवनशैली, समाजशास्त्रीय अध्ययन, डिजिटल संस्कृति, सामाजिक संबंध, मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल साक्षरता, साइबर अपराध।

परिचय - मानव समाज निरंतर परिवर्तनशील है, यह परिवर्तन सिर्फ सामाजिक जीवन में ही नहीं अपितु तकनीकी क्षेत्र मे अधिक व्यापक और तीव्र गति से देखने को मिलता है। तकनीकी नवाचार का विस्तार हमारे सामाजिक जीवन, व्यवहार प्रतिमान को नए स्वरूप प्रदान करता है। इक्कीसवीं शताब्दी में डिजिटल प्रौद्योगिकी के विस्तार ने सामाजिक परिवर्तन की गति को और अधिक तीव्र बना दिया है। खासकर सोशल मीडिया के आने के बाद से संचार, सूचना, शिक्षा, मनोरंजन तथा सामाजिक सहभागिता के परंपरागत स्वरूपों में व्यापक बदलाव देखने को मिला हैं। आज का युवा संवाद, विचार, अभिव्यक्ति, पहचान और कुछ नवीन

जानकारी के लियें सोशल मीडिया की तरफ आकर्षित होते देखा जा सकता है, दूसरे शब्दों मे सोशल मीडिया जीवनशैली को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण सामाजिक मंच बन चुका है।

सोशल मीडिया का सबसे सक्रिय उपयोगकर्ता युवा वर्ग सबसे आगे है। वे अपने शिक्षा, मनोरंजन, समाचार, सामाजिक संपर्क, कौशल विकास तथा आत्म-अभिव्यक्ति के परंपरागत साधनों की तुलना मे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों पर अधिक निर्भर होता चल जा रहा हैं। परिणामस्वरूप उनकी रोजमर्रा की गतिविधि, नातेदारी संबंध, समय प्रबंधन, भौतिक उपभोग की प्रवृत्तियाँ तथा परंपरागत कार्य व्यवहार में इसका असर देखने को मिलते हैं। एक तरफ जहाँ सोशल मीडिया ज्ञान के असीम भंडार, विभिन्न अवसरों तक आसान पहुँच, जन जागरूकता एवं अभिव्ययक्ति को विस्तार प्रदान करता है, वहीं इसका अनियंत्रित उपयोग उपयोगकर्ताओ मे मानसिक तनाव, शारीरिक निष्क्रियता, सामाजिक अलगाव तथा डिजिटल आसक्ति जैसी चुनौतियाँ भी उत्पन्न करता है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से हमारी जीवनशैली और सामाजिक व्यवहार, सांस्कृतिक मूल्यों, जीवन-रुचियों तथा दैनिक गतिविधियों का समग्र स्वरूप है, जिसे हम समाजीकरण की प्रक्रिया से सीखते है। बदलते परिवेश में सोशल मीडिया समाजीकरण की एक प्रमुख स्रोत के रूप मे स्थापित होता दिख रहा है जो युवाओं की जीवनशैली को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में प्रभावित कर रहा है। इसलिए इसके प्रभावों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण वर्तमान समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

प्रस्तुत शोध-पत्र पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। इसके लिए विभिन्न शोध-पत्रों, पुस्तकों, सरकारी एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्टों तथा अन्य प्रामाणिक अकादमिक स्रोतों का अध्ययन किया गया है। उपलब्ध साहित्य के आधार पर युवाओं की बदलती जीवनशैली पर सोशल मीडिया के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

साहित्य समीक्षा

सोशल मीडिया और युवाओं की जीवनशैली के संबंध में पिछले एक दशकों में अनेकों राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोध किए गए हैं। इन अध्ययनों में सोशल मीडिया का प्रभाव बहुआयामी देखने को मिल सकता है, जो युवाओं की शिक्षा प्राप्त करने के श्रोत और तरीकों, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक संबंध, व्यक्तित्व निर्माण तथा सम्पूर्ण जीवनशैली को सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूपों में प्रभावित करता है। प्रस्तुत अध्ययन के संदर्भ में प्रमुख शोधों की समीक्षा निम्नवत् है—

Valkenburg एवं Peter (2011) ने अपने अध्ययन में पाया कि सोशल मीडिया का संतुलित एवं नियंत्रित उपयोग किशोरों के सामाजिक संबंधों, आत्मविश्वास तथा संचार कौशल में वृद्धि कर रहा है, जबकि अनियंत्रित उपयोग मानसिक तनाव तथा सामाजिक अलगाव को बढ़ा सकता है।[1]

Van Dijck (2013) ने सोशल मीडिया को केवल तकनीकी मंच न मानकर सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना का महत्वपूर्ण अंग माना। उनके अनुसार डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म लोगों के व्यवहार, संस्कृति तथा सामाजिक संबंधों को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं।[2]

Boyd (2014) ने ने अपने अध्ययन में बताया कि डिजिटल मंच युवाओं के लिए विचार, अभिव्यक्ति, पहचान निर्माण और सामाजिक सहभागिता का प्रमुख मंच बन चुका हैं। साथ ही उन्होंने ऑनलाइन निर्भरता से पड़ने वाले डिजिटल जोखिमों की भी चर्चा की।[3]

Greenfield (2014) के अनुसार सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग युवाओं की एकाग्रता, प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क तथा भावनात्मक विकास को प्रभावित करता है। अध्ययन में डिजिटल निर्भरता को आधुनिक समाज की प्रमुख चुनौती बताया गया।[4]

Twenge (2018) ने अमेरिकी किशोरों पर किए गए अध्ययन में निष्कर्ष निकाला कि अत्यधिक सोशल मीडिया उपयोग से युयाओं मे अवसाद, चिंता, अकेलेपन तथा नींद की समस्या पाया गया। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि प्रभाव की तीव्रता व्यक्तिगत एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकती है।[5]

Santa María, Aliagas एवं Rutten (2022) ने अध्ययन में निष्कर्ष निकाला कि सोशल मीडिया साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सहयोगात्मक अधिगम का प्रभावी माध्यम बन चुका है। अध्ययन में यह भी बताया गया कि डिजिटल मंच युवाओं को नई पहचान, रचनात्मक अभिव्यक्ति तथा सहयोगात्मक सीखने के अवसर प्रदान करते हैं।[6]

Jain एवं Dangi (2025) ने युवाओं में सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग का संबंध चिंता, अवसाद, डिजिटल थकान, शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट तथा सामाजिक अलगाव से है। साथ ही उन्होंने डिजिटल साक्षरता एवं संतुलित उपयोग को इन समस्याओं के समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम बताया।[7]

उपरोक्त साहित्य समीक्षा से स्पष्ट होता है कि सोशल मीडिया का प्रभाव एकांगी न होकर बहुआयामी है। एक ओर यह शिक्षा, सामाजिक सहभागिता, डिजिटल कौशल, ज्ञान-विनिमय तथा आत्म-अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है, वहीं दूसरी ओर इसका अनियंत्रित एवं अत्यधिक उपयोग मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक संबंधों, शैक्षणिक उपलब्धि तथा जीवनशैली पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकता है। अधिकांश पूर्ववर्ती अध्ययनों ने किसी एक विशेष आयाम जैसे मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा अथवा सामाजिक संबंध पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। इसलिए युवाओं की समग्र जीवनशैली पर सोशल मीडिया के व्यापक प्रभाव का द्वितीयक स्रोतों के आधार पर समेकित समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करना इस अध्ययन की प्रमुख आवश्यकता एवं औचित्य है।

शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित एक वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध है। इसका उद्देश्य युवाओं की जीवनशैली पर सोशल मीडिया के प्रभावों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करना है।

युवाओं की जीवनशैली पर सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव-

वर्तमान डिजिटल युग में सोशल मीडिया युवाओं की जीवनशैली का अभिन्न अंग बन चुका है। सूचना और मनोरंजन के सरल माध्यम से प्रारंभ हुआ यह तकनीक अब शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय , सामाजिक सहभागिता और राजनैतिक जागरूकता का प्रभावी मंच बन गया है। भारत में इंटरनेट एवं सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की संख्या में निरंतर वृद्धि इस परिवर्तन को स्पष्ट करती है। वर्ष 2025 की Digital India Report[8] के अनुसार भारत में लगभग 806 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता तथा 491 मिलियन सोशल मीडिया उपयोगकर्ता हैं, जो देश की डिजिटल प्रगति और युवाओं की बढ़ती ऑनलाइन भागीदारी को दर्शाते हैं।

शिक्षा एवं ई-लर्निंग- सोशल मीडिया ने शिक्षा के परंपरागत स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। युवा अब किताबों और क्लासरूम के सीमित दायरे से बाहर निकाल कर विभिन्न डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से वैश्विक स्तर पर उपलब्ध गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री, वीडियो व्याख्यान, ऑनलाइन पाठ्यक्रम तथा विशेषज्ञों के मार्गदर्शन तक आसानी से पहुँच प्राप्त कर रहे हैं। भारत सरकार ने 2017 में DIKSHA डिजिटल शिक्षा मंच प्रारंभ किया, 2024 तक इस पर 19,698 से अधिक पाठ्यक्रम, 18.23 करोड़ नामांकन और 14.57 करोड़ पाठ्यक्रम पूर्णताएँ एवं 5.4 अरब से अधिक Learning Sessions दर्ज की गईं, जो भारत में ई-लर्निंग की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाती हैं।[9]

इसी तरह 2017 मे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने SWAYAM पोर्टल शुरू किया गया जहा जनवरी 2026 त 5.80 करोड़ से अधिक नामांकन (Enrolments) दर्ज किए गए, जो भारत में ऑनलाइन शिक्षा की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाते हैं।[10] साथ ही

उनके अंदर स्व-अध्ययन की प्रवृत्ति बढ़ी है तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अधिक सुलभ हुई है। सरकार के द्वारा भी विभिन्न डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम विविध प्रकार के ऑनलाइन कोर्स करने की सुविधा प्रदान की जा रही है, विश्वविद्यालय से लेकर स्कूल तक छात्रों के लिए ई-लर्निंग- को प्रोत्साहन मिल रहा है, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों के लिए यह वरदान साबित हो रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म शिक्षा को अधिक समावेशी, सुलभ और लचीला बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

रोजगार के अवसर- सोशल मीडिया रोजगार प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण और व्यापक माध्यम बन गया है। युवा अब डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ही रोजगार संबंधी सूचनाएँ प्राप्त करते हैं, कंपनियों से ऑनलाइन संपर्क स्थापित करते हैं तथा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर ही अपने कौशल का प्रदर्शन कर रोजगार के अवसर प्राप्त करते हैं। अनलाइन माध्यम कार्य करने के तरीकों और भौगोलिक सीमाओ को तोड़कर रोजगार के नए अवसर निर्मित कर रहा है, सोशल मीडिया रोजगार प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। LinkedIn[11] जैसे पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म पर विश्वभर में 1 अरब से अधिक सदस्य हैं, जबकि भारत में 15 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता रोजगार, इंटर्नशिप और पेशेवर नेटवर्किंग के लिए इसका उपयोग करते हैं। विभिन्न अध्ययनों[12] के अनुसार, लगभग 52% नौकरी खोजने वाले सोशल मीडिया के माध्यम से रोजगार के अवसर तलाशते हैं तथा लगभग 70% नियोक्ता भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों की सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल का मूल्यांकन करते हैं।

घरेलू महिलाये भी खाली समय मे अपने योग्यता और क्षमता के अनुरूप घर बैठे कार्यों को संपादित कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ युवाओं मे कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्रबंधन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एवं फ्रीलांसिंग जैसे नए व्यवसायों में युवाओं की भागीदारी बढ़ी है।

ऑनलाइन व्यवसाय एवं उद्यमिता- सोशल मीडिया ने युवाओं को उद्यमिता का अवसर प्रदान किया है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से अनेक युवा हस्तशिल्प, परिधान, खाद्य सामग्री तथा डिजिटल सेवाओं के बारे न सिर्फ जानकारी प्राप्त कर रहे है अपितु उसका निर्माण एवं अनलाइन वस्तु एवं सेवाओं का विपरण कर स्वरोजगार प्राप्त कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा 2014 मे डिजिटल इंडिया 2016 मे स्टार्टटप इंडिया और 2017 में यूपीआई कार्यक्रम प्रारंभ किया इस दिशा मे एक महत्वपूर्ण कदम था। ऑनलाइन व्यवसाय को देखे तो 2024 तक ONDC 600 से अधिक शहरों में सक्रिय था एवं 7 लाख से अधिक विक्रेता और सेवा प्रदाता इससे जुड़ चुके थे। सीमित संसाधनों एवं दुर्गम क्षेत्रों मे रहने वाले लोगों तथा विलुप्ति के कगार पर आने वाली हस्तशिल्प एवं स्थानीय कला हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म जीवनदान प्रदान कर रहे है, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध प्रशिक्षण सामग्री के माध्यम से युवा भाषा, प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो संपादन, डिजिटल मार्केटिंग, संचार कौशल तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में नए कौशल अर्जित कर रहे हैं। इस प्रकार कम लागत में व्यापक ग्राहकों तक पहुँचने की सुविधा ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विकास को गति दी है।

राजनीतिक भागीदारी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से युवा सरकार की विभिन्न नीतियों, चुनावी प्रक्रियाओं तथा लोकतांत्रिक गतिविधियों के बारे मे न सिर्फ जानकारी प्राप्त करते हैं अपितु और खुलकर चर्चा भी करते है । सोशल मीडिया राजनीतिक विमर्श, जनमत निर्माण तथा सार्वजनिक संवाद का महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। सरकार और राजनीतिक पार्टिया भी अपने राजनीतिक गतिविधियों के बारे मे प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया मंच का भरपूर उपयोग करते है, इससे युवाओं की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सहभागिता एवं राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि हुई है। भारत मे अन्ना हज़ारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन (2011) निर्भया आंदोलन (2012), मीटू आंदोलन (2017), किसान आंदोलन (2019), सीएए आंदोलन (2020) इन सभी आंदोलनों मे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की भागीदारी देखने को मिल सकता है।

स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता सोशल मीडिया स्वास्थ्य शिक्षा का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। सरकारी विभाग, एवं स्वास्थ्य संगठन समय-समय पर जनहित में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता अभियान चलाते हैं जिसके प्रचार प्रसार मे सोशल मीडिया यहां भूमिका निभा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से महामारी, डेंगू, मलेरिया, कोविड-19, टीकाकरण, रक्तदान और अंगदान जैसे विषयों पर जागरूकता फैलाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अतिरिक्त, लोग स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, योग, व्यायाम और संतुलित आहार संबंधी जानकारी भी सोशल मीडिया से प्राप्त करते हैं।हालाँकि, सोशल मीडिया पर उपलब्ध सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हमेशा विश्वसनीय नहीं होती। कई बार अप्रमाणित या भ्रामक जानकारी अपनाने से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ने की संभावना रहती है।

सरकारी योजनाओं की जानकारी- युवाओं तक विभिन्न सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों, रोजगार कार्यक्रमों, कौशल विकास अभियानों तथा डिजिटल सेवाओं की शीघ्र जानकारी प्रदान करने सबसे प्रचलित माध्यम सोशल मीडिया है। इससे योजनाओं के प्रति जानकारी और जागरूकता बढ़ी है तथा युवाओं की सरकारी सेवाओं तक पहुँच पहले से अधिक सरल हुई है। सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख माध्यम से संबंधित एक अध्ययन में पाया गया कि सर्वाधिक (47.3%) लोगों के लिए सोशल मीडिया ही स्रोत था, इसके बाद समाचार पत्र (18.7%), टेलीविजन (15.3%), पड़ोसी/रिश्तेदार (11.3%), विद्यालय/महाविद्यालय (4.0%) तथा रेडियो (3.3%) रहे।[13] इस परकर से देखा जाए तो सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी न सिर्फ शहरों तक सीमित हो रही है अपितु लगभग समान रूप दूर दराज के इलाकों मे भी प्रसारित हो रही है जिसमे सोशल मीडिया की भूमिका यहां है।

सामाजिक सम्पर्क सोशल मीडिया ने पारिवारिक एवं सामाजिक संबंधों के बीच की भौगोलिक दूरी को कम करते हुए को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। युवा अपने मित्रों, परिवार तथा पेशेवर नेटवर्क से निरंतर जुड़े रहते हैं। इसके माध्यम से विचारों का आदान-प्रदान, सहयोग एवं सांस्कृतिक संवाद को भी प्रोत्साहन मिला है। सामाजिक जागरूकता सोशल मीडिया सामाजिक एवं राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बन गया है। पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, रक्तदान, स्वच्छता अभियान तथा आपदा राहत जैसे विषयों पर चलाए जाने वाले डिजिटल अभियान युवाओं को सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रेरित करते हैं। इससे सामाजिक भागीदारी तथा नागरिक चेतना में वृद्धि हुई है।

सोशल मीडिया ने युवाओं के जीवन में ज्ञान, संचार, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता तथा सामाजिक सहभागिता के नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। वर्ष 2025 तक भारत में इंटरनेट एवं सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की निरंतर बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि डिजिटल माध्यम युवाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के प्रमुख साधन बन चुके हैं। तथापि इन लाभों की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि सोशल मीडिया का उपयोग संतुलित, जिम्मेदार एवं उद्देश्यपूर्ण ढंग से किया जाए। इसलिए डिजिटल साक्षरता, तथ्य-जाँच तथा उत्तरदायी ऑनलाइन व्यवहार को बढ़ावा देना आवश्यक है, जिससे सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभावों को अधिकतम किया जा सके।

युवाओं की जीवनशैली पर सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव:

डिजिटल परिवर्तन ने युवाओं के सामाजिक व्यवहार, संचार शैली और दैनिक गतिविधियों को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज युवाओं के लिए सूचना, मनोरंजन और संवाद के प्रमुख साधन बन चुके हैं। भारत में इंटरनेट एवं सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की तीव्र वृद्धि ने डिजिटल भागीदारी को बढ़ावा दिया है, लेकिन इसके साथ ही व्यक्तिगत व्यवहार,

मानसिक संतुलन, सामाजिक संबंधों तथा स्वास्थ्य संबंधी नई चुनौतियाँ भी उभरकर सामने आई है, व्यापक डिजिटल भागीदारी के कारण युवाओं के जीवन में सोशल मीडिया की भूमिका का आलोचनात्मक अध्ययन आवश्यक हो गया है।

मनोवैज्ञानिक संतुलन पर प्रभाव

सोशल मीडिया के निरंतर संपर्क ने युवाओं के भावनात्मक अनुभवों और मानसिक प्रक्रियाओं को प्रभावित किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दूसरों की उपलब्धियों, जीवनशैली और सामाजिक छवि से तुलना करने की प्रवृत्ति युवाओं में असंतोष, चिंता और भावनात्मक दबाव को बढ़ा सकती है।

वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन तीन घंटे से अधिक सोशल मीडिया उपयोग करने वाले किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जोखिम अधिक पाया गया।[14] जबकि भारत मे यह आंकड़ा प्रतिदिन 3.2 घंटा पाया गया DataReportal. (2025). सोशल मीडिया पर निरंतर सक्रिय रहने की इच्छा, ऑनलाइन प्रतिक्रिया प्राप्त करने की अपेक्षा तथा सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता युवाओं में तनाव और चिंता की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। इस प्रकार डिजिटल मंच जहाँ आत्म-अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करते हैं, वहीं अनियंत्रित सहभागिता भावनात्मक अस्थिरता का कारण भी बन सकती है।

डिजिटल निर्भरता और समय प्रबंधन की समस्या

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की डिजाइन प्रणाली इस प्रकार विकसित की गई है कि उपयोगकर्ता लंबे समय तक उनसे जुड़े रहें। लगातार आने वाले नोटिफिकेशन, नई सामग्री और ऑनलाइन बातचीत युवाओं का ध्यान बार-बार आकर्षित करते हैं। DataReportal (2025) के अनुसार वैश्विक स्तर पर इंटरनेट उपयोगकर्ता प्रतिदिन औसतन 6 घंटे से अधिक समय ऑनलाइन व्यतीत करते हैं। इसका प्रभाव युवाओं की दिनचर्या पर दिखाई देता है, जहाँ अध्ययन, व्यायाम, पारिवारिक संवाद और अन्य रचनात्मक गतिविधियों के लिए उपलब्ध समय कम हो सकता है।

यह स्थिति डिजिटल निर्भरता को जन्म देती है, जिसमें व्यक्ति वास्तविक जीवन की गतिविधियों की अपेक्षा आभासी वातावरण को अधिक प्राथमिकता देने लगता है।

अध्ययन एवं बौद्धिक एकाग्रता में कमी

शिक्षा के क्षेत्र में सोशल मीडिया उपयोग के सकारात्मक पक्ष मौजूद हैं, लेकिन मनोरंजन एवं अनावश्यक ऑनलाइन गतिविधियों में अधिक समय व्यतीत करने से विद्यार्थियों की अध्ययन क्षमता प्रभावित हो सकती है। अमेरिका में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, 11–17 वर्ष के 97% किशोर अध्ययन या होमवर्क करते समय कम-से-कम एक बार अपने फोन की जाँच करते हैं, और लगभग 50% से अधिक ने स्वीकार किया कि सोशल मीडिया नोटिफिकेशन उनके अध्ययन में बाधा डालते हैं।[15] अर्थात बार सोशल मीडिया देखने की आदत पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकाती है एवं समय नियोजन को कमजोर बनाती है।

PISA 2022 के अनुसार, जो छात्र पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया नोटिफिकेशन या डिजिटल व्यवधानों से बार-बार विचलित होते हैं, उनका शैक्षणिक प्रदर्शन अपेक्षाकृत कम पाया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि डिजिटल विचलन (Digital Distraction) छात्रों की एकाग्रता और सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है।[16] OECD (2021) के अध्ययन में डिजिटल उपकरणों के असंतुलित उपयोग को विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वाला कारक बताया गया है। इस प्रकार सोशल मीडिया का अनियोजित प्रयोग शैक्षणिक उपलब्धियों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकता है।

नींद एवं स्वास्थ्य व्यवहार में परिवर्तन

युवाओं में रात के समय मोबाइल एवं सोशल मीडिया उपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति ने नींद संबंधी समस्याओं को बढ़ाया है। 182 अध्ययनों और 11.69 लाख (1,169,396) प्रतिभागियों पर आधारित इस व्यवस्थित समीक्षा (Systematic Review) में पाया गया कि अत्यधिक सोशल मीडिया उपयोग का संबंध खराब मानसिक स्वास्थ्य और नींद की समस्याओं से है, हालांकि प्रभाव की तीव्रता अलग-अलग अध्ययनों में भिन्न रही।[17]

Sleep Foundation (2024) के अनुसार सोने से पूर्व स्क्रीन आधारित गतिविधियाँ नींद की गुणवत्ता को कम कर सकती हैं। इसके परिणामस्वरूप शारीरिक थकान, कार्य क्षमता में कमी, मानसिक तनाव, अनियमित जीवनशैली जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।[18] देर रात तक संदेशों का आदान-प्रदान, वीडियो देखने और ऑनलाइन गतिविधियों में संलग्न रहने से नींद का प्राकृतिक चक्र प्रभावित होता है।

साइबर अपराध एवं ऑनलाइन असुरक्षा

सोशल मीडिया के विस्तार के साथ डिजिटल जोखिमों में भी वृद्धि हुई है। युवा वर्ग अपनी व्यक्तिगत जानकारी, फोटो और गतिविधियाँ ऑनलाइन साझा करता है, जिससे गोपनीयता संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, भारत में वर्ष 2023 में 86,420 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए, जो वर्ष 2022 की तुलना में लगभग 31% अधिक थे। साइबर अपराधों में सबसे अधिक मामले ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित थे।

भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल के अनुसार, वर्ष 2024 में 20,41,360 साइबर सुरक्षा घटनाएँ दर्ज की गईं, जो डिजिटल जोखिमों में लगातार वृद्धि को दर्शाती हैं।

भारत में साइबर अपराधों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिनमें ऑनलाइन धोखाधड़ी, पहचान चोरी और सोशल मीडिया आधारित अपराध प्रमुख हैं।डिजिटल सुरक्षा के प्रति अपर्याप्त जानकारी युवाओं को साइबर जोखिमों के प्रति संवेदनशील बना सकती है।

ऑनलाइन वातावरण में अपमानजनक टिप्पणियाँ, ट्रोलिंग और उत्पीड़न युवाओं के लिए गंभीर समस्या बन चुके हैं। साइबर बुलिंग का प्रभाव केवल डिजिटल क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह व्यक्ति के आत्मविश्वास और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित कर सकता है।

UNICEF (2021) के अनुसार विश्व के लगभग एक-तिहाई युवाओं ने किसी न किसी रूप में ऑनलाइन उत्पीड़न का अनुभव किया है। ऐसी घटनाएँ युवाओं में भय, असुरक्षा और सामाजिक दूरी की भावना उत्पन्न कर सकती हैं।

आभासी संबंधों का विस्तार और वास्तविक संपर्क में कमी

सोशल मीडिया ने सामाजिक संपर्क के नए अवसर उपलब्ध कराए हैं, लेकिन इसके अत्यधिक आभासी उपयोग से प्रत्यक्ष सामाजिक संबंधों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। सोशल मीडिया के विस्तार ने आभासी संबंधों को मजबूत किया है। Pew Research Center (2015) के अनुसार, 57% किशोरों ने ऑनलाइन नए मित्र बनाए, जबकि केवल 35% ही ऐसे मित्रों से वास्तविक जीवन में मिले। इसी प्रकार, 55% किशोर अपने करीबी मित्रों के साथ ऑनलाइन माध्यमों से नियमित संपर्क में रहते हैं।[19] इससे स्पष्ट होता है कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म सामाजिक जुड़ाव के नए अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन कई स्थितियों में प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क का स्थान भी लेने लगे हैं।

कुछ युवा ऑनलाइन मित्रता और डिजिटल संवाद को वास्तविक सामाजिक अनुभवों का विकल्प मानने लगते हैं। इसके कारण परिवार के साथ संवाद में कमी, सामाजिक गतिविधियों में कम भागीदारी, भावनात्मक दूरी देखी जा सकती है।

सोशल मीडिया पर प्रदर्शित जीवन अक्सर वास्तविक जीवन से अलग और अधिक आकर्षक दिखाई देता है। युवा इन आभासी छवियों को वास्तविक सफलता का मानक मानने लगते हैं। विशेष रूप से फोटो एवं वीडियो आधारित प्लेटफॉर्म युवाओं के आत्म-मूल्यांकन, शरीर संबंधी धारणा, व्यक्तिगत पहचान को प्रभावित कर सकते हैं। ऑनलाइन संचार युवाओं के सामाजिक विकास में सहायक हो सकता है, लेकिन इसकी प्रकृति उपयोग के तरीके पर निर्भर करती है।

निष्कर्ष

वर्तमान समय में सोशल मीडिया युवाओं के सोचने और विचार करने की प्रक्रिया, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, और दैनिक व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख डिजिटल माध्यम बन गया है। प्रस्तुत अध्ययन में उपलब्ध द्वितीयक स्रोतों, शोध अध्ययनों एवं विभिन्न रिपोर्टों के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष सामने आता है कि सोशल मीडिया ने युवाओं के जीवन में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। यह माध्यम ज्ञान, संवाद और अवसरों के विस्तार के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है। डिजिटल शैक्षणिक सामग्री, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और आभासी शिक्षण मंचों ने शिक्षा को अधिक सहज, लचीला और व्यापक बनाया है। इसके माध्यम से युवा नवीन तकनीकी क्षमताएँ अर्जित कर रहे हैं तथा बदलती डिजिटल अर्थव्यवस्था के अनुरूप स्वयं को तैयार कर रहे हैं। इसी प्रकार सोशल मीडिया ने रोजगार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में नए आयाम प्रस्तुत किए हैं, जहाँ युवा अपनी रचनात्मकता, कौशल और प्रतिभा का उपयोग कर आर्थिक अवसरों का निर्माण कर रहे हैं।

परंतु सोशल मीडिया का असंतुलित उपयोग युवाओं के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में विभिन्न जटिलताएँ उत्पन्न कर सकता है। डिजिटल मंचों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण युवा मानसिक दबाव, भावनात्मक अस्थिरता का अनुभव कर रहे है, उनके अंदर एकाग्रता में कमी, बेचैनी और नींद संबंधी समस्याएँ बढ़ती जा रही है तथा वे वास्तविक सामाजिक संबंधों में दूरी होते जा रहे है हैं। इसके अतिरिक्त साइबर अपराध, ऑनलाइन उत्पीड़न, गोपनीयता संबंधी जोखिम और भ्रामक सूचनाओं का प्रसार डिजिटल समाज की प्रमुख चुनौतियों के रूप में उभरकर सामने आए हैं।

समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में सोशल मीडिया को सामाजिक परिवर्तन के एक प्रभावशाली उपकरण के रूप में देखा जा सकता है, तकनीक स्वयं लाभकारी या हानिकारक नहीं होता है, बल्कि इसका प्रभाव उपयोगकर्ता की डिजिटल समझ, उपयोग के उद्देश्य । उपयोग के तरीके और व्यवहारिक नियंत्रण पर निर्भर करता है।

अतः आवश्यक है कि युवाओं को डिजिटल संसाधनों का उपयोग सकारात्मक दिशा मे हो इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है । डिजिटल साक्षरता को विस्तार प्रदान करना, साइबर सुरक्षा से संबंधित जानकारी को प्रारम्भिक सत्र से दिया जाना, समय प्रबंधन और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार को प्रोत्साहित करके सोशल मीडिया की सकारात्मक संभावनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। भविष्य में सोशल मीडिया युवाओं के ज्ञान-विस्तार, सामाजिक भागीदारी और व्यक्तिगत विकास का सशक्त माध्यम बन सकता है, यदि इसका उपयोग संतुलित, रचनात्मक और उत्तरदायित्वपूर्ण दृष्टिकोण के साथ किया जाए।

संदर्भ सूची -

1- Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2011). Online communication among adolescents: An integrated model of its attraction, opportunities, and risks. Journal of Adolescent Health, 48(2), 121–127. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2010.08.020
2- van Dijck, J. (2013). The culture of connectivity: A critical history of social media. Oxford University Press.
3- Boyd, D. (2014). It's complicated: The social lives of networked teens. Yale University Press.
4- Greenfield, P. M. (2014). Mind and media: The effects of television, video games, and computers. Psychology Press. (Original work published earlier; 2014 edition/reprint)
5- Twenge, J. M. (2018). iGen: Why today's super-connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy—and completely unprepared for adulthood. Atria Books.
6- Santa María, A., Aliagas, C., & Rutten, K. (2022). Youth, social media and learning: A systematic literature review. International Journal of Educational Research Open, 3, 100176. https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2022.100176
7- Jain, S., & Dangi, H. (2025). Social media addiction among youth: A systematic literature review and bibliometric analysis. Theory and Practice in Management. https://tpmap.org/submission/index.php/tpm/article/view/1913
8- DataReportal. (2025). Digital 2025: India. DataReportal – Global Digital Insights. https://datareportal.com/reports/digital-2025-india
9- National Council of Educational Research and Training. (2024). DIKSHA Data Dashboard.
10- Ministry of Education, Government of India. (2026). PM e-Vidya: Empowering Every Learner, Everywhere. Press Information Bureau.
11- LinkedIn. (2024). About LinkedIn. https://about.linkedin.com/
12- Jobvite. (2023). Job Seeker Nation Report
13- Uma, G., & Hariharan, G. L. (2025). Assessing statistically the reach and effectiveness of Indian welfare schemes among the public. International Journal for Multidisciplinary Research, 7(6). https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i06.59810
14- https://www.hhs.gov/surgeongeneral/reports-and-publications/youth-mental-
15- Common Sense Media. (2023). Constant Companion: A Week in the Life of a Young Person's Smartphone Use.

16- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). PISA 2022 Results (Volume III): Learning in the Digital World. OECD Publishing.
17- Ahmed, O., Walsh, E. I., Dawel, A., et al. (2024). Social media use, mental health and sleep: A systematic review with meta-analyses. Journal of Affective Disorders, 367, 701–712.
18- https://www.sleepfoundation.org/how-sleep-works/sleep-and-social-media
19- Lenhart, A. (2015). Teens, technology and friendships. Pew Research Center.
Government of India. https://pmevidya.education.gov.in

Nav Jyoti
An International Multidisciplinary Journal
Peer Reviewed Refereed Journal
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.14, N. 28, June 2026
https://theopinion.navjyotijournal.in

कृषि में डिजिटल प्रौद्योगिकी ई-मार्केट और कृषक समाज: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

आलोक कुमार यादव
शोध छात्र: समाजशास्त्र विभाग
प्रो०अरुण पांण्डेय
समाजशास्त्र विभाग,लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय
पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर चंदौली

सारांश-

वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में डिजिटलीकरण प्रौद्योगिकी एवं ई-मार्केट की तीव्रता बढ़ने के साथ भारतीय कृषि क्षेत्र तथा कृषक समाज में उनके उपयोग से संबंधित व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किए हैं, मोबाइल इंटरनेट सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग से डिजिटल विपणन प्रणालियों के माध्यम से कृषकों की बाजार तक पहुंच कृषि कार्यों से संबंधित जानकारी तथा उपलब्ध सूचना के

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कृषि के क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं ई -मार्केट ने कृषको तक आधुनिक की तकनीकी तथा व्यापक बाजारों तक पहुंच प्रदान की तथा उनकी आय एवं उत्पादकता में वृद्धि की संभावनाओं को सुदृढ़ किया है। अत: यह कहा जा सकता है कि डिजिटल उपकरण और ए-आई संचालित तथा ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रणाली भारतीय कृषक समाज में आधुनिकीकरण तथा सतत विकास में महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर रहे हैं जो कृषक समुदायों के निर्माण के लिए बाधाओं के सफल समाधान पर निर्भर करती हैं।

मुख्य शब्द: डिजिटल प्रौद्योगिकी, ई-मार्केट, कृषक समाज, कृषि आधुनिकीकरण,

प्रस्तावना:

भारत संरचनात्मक दृष्टि से गांवो का देश है जहां जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों पर निर्भर है। इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत की लगभग 50% से 58% लोग कृषि कार्यों को करते हैं। कृषि न केवल जीने का आधार है बल्कि अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसका भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51 फ़ीसदी भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। तथा देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 52 फ़ीसदी भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी आजीविका चला रहे हैं। विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है तथा गेहूं उत्पादन में भी दूसरा स्थान है तथा भारत कृषि प्रधान देश के साथ ग्रामीण समाज भी है। तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना का प्रमुख अंग है।वर्तमान समय में वैश्वीकरण के पश्चात

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा डिजिटलीकरण के विस्तार ने कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। मोबाइल इंटरनेट ए आई कृत्रिम बुद्धिमत्ता ड्रोन तथा ई-मार्केट प्लेटफार्म के माध्यम से कृषि से संबंधित सूचनाओं एवं सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही। तथा ई-मार्केट और ऑनलाइन व्यवस्था ने कृषि उत्पादों के विपणन में नई संभावनाओं को जन्म दिया है। इन परिवर्तनों का स्पष्ट प्रभाव, कृषक समाज की सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक संरचना पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अतः कृषि में डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा ई-मार्केट ने कृषक समाज के मध्य अंतसंबंधों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन अत्यंत प्रासंगिक हैं।

अध्ययन की समस्या:

वर्तमान समय में सूचना एवं संचार प्रौद्योगीकी के तीव्र प्रतिवर्तन ने कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। कृषि के क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा ई-मार्केट जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से कृषि उत्पादन तथा विपणन को सूचना के आदान-प्रदान के स्वरूप में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। कृषि उत्पादन को ई -मार्केट तथा प्लेटफॉर्मों ने किसानों को अपने उत्पादों के लिए व्यापक बाजार उपलब्ध कराया तथा विपणन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और आवश्यकता अनुसार सुविधाजनक बनाया है तथा इसके बावजूद भी अनेक किसानों को डिजिटल साक्षरता की कमी तथा संसाधनों की अनुपलब्धता इंटरनेट.सुविधाओं का अभाव ने बाजार संबंधी जानकारी की सीमित पहुंच जैसी समस्याओं का समाना करना पड़ता है। इस स्थिति में यह जानने की आवश्यकता हो जाती है कि कृषि में डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं ई-मार्केट का कृषक समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तथा इन परिवर्तनों के बाद कृषकों के जीवन तथा उत्पादन प्रणाली पर तथा सामाजिक संबंधों में क्या परिवर्तन आए हैं?

अध्ययन का उदेश्य:

1. कृषि में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका
2. e-मार्केट के कार्य प्रणाली एवं महत्व को विश्लेषण करना
3. कृषक समाज पर डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा e-मार्केट के प्रभावो का विश्लेषण करना।

शोध प्रविधि:

प्रस्तुत शोध पत्र में विषय से संबंधित द्वितीयक स्रोत का उपयोग किया गया है। आवश्यक सामग्री विभिन्न पुस्तकों, शोध पत्र पत्रिकाओं, सरकारी, रिपोर्टर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रकाशनों ई-मार्केट(e-NAM) से संबंधित दस्तावेजों से प्राप्त की गई है तथा इंटनेट सामग्री का गुणात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति के आधार पर अध्ययन किया गया है,

कृषि में डिजिटल प्रौद्योगिकी की अवधारणा एवं विकास।

डिजिटल प्रौद्योगिकी का अर्थ: डिजिटल प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, प्रणालियों और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बाइनरी कोड जीरो(0 और 1) के माध्यम से डाटा का विश्लेषण भंडारण प्रसंस्करण और प्रसारण करना है। यह वास्तविक दुनिया के डेटा को डिजिटल संकेतों में परिवर्तित करता है ताकि प्रसंस्करण बेहतर सटीकता और स्केलेबिलिटी को सुगम बनाया जा सके। डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में संचार प्लेटफार्म से लेकर उन्नत मशीन लर्निंग टूल्स तक कई प्रकार के उपकरण शामिल है जो उद्योगों मे सुव्यवस्थित कार्य प्रभाव और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। पारंपरिक एनालॉग विधियो के विपरीत समाधान केवल एक उपकरण से कई अधिक विकसित हुए हैं बल्कि डिजिटल रूप से विकसित हो रहे हैं। परिदृश्य में आगे बढ़ाने के लिए एक अनिवार्य समाधान बन गए हैं।

डिजिटल प्रौद्योगिकी की परिभाषा:

Nicholas – Montenegro के अनुसार "डिजिटल प्रौद्योगिकी ऐसी तकनीकी है जो सूचनाओं के निर्माण संग्रहण प्रसंस्करण तथा संचार के लिए डिजिटल संकेत का उपयोग करती है।"

Manuelcastells के अनुसार "डिजिटल प्रौद्योगिकी सूचना के उत्पादन प्रसंस्करण और संचार की वह प्रणाली है जो नेटवर्क समाज के विकास का आधार बनती है"

विश्व बैंक के अनुसार "डिजिटल प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है उन तकनीकों से है जो सूचना के संगठन विश्लेषण तथा आदान-प्रदान को आर्थिक प्रभावी एवं सुलभ बनती हैं।"

सामान्यत- डिजिटल प्रौद्योगिकी नीति से उन आधुनिक तकनीक से है जिनके द्वारा सूचनाओं का संग्रहण प्रसंस्करण, विश्लेषण तथा आदान-प्रदान डिजिटल रूप में किया जाता है।

कृषि क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन

कृषि क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से परिवर्तन लाने की अपार क्षमता है क्योंकि इससे खेती की तरीकों की दक्षता में सुधार होता है और संसाधन एवं ऊर्जा का बेहतर उपयोग संभव होता है। इस क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकयों को तेजी से अपनाने का मुख्य कारण सतत और निरंतर उत्पादन की आवश्यकता है जिससे उद्योग को सीमित संसाधनों विशेष कर (जल और भूमि)के साथ उच्च खाद्य मांग, जलवायु, परिवर्तन और श्रम एवं कच्चे माल की बढ़तीलागत जैसी चुनौतियों से निपटने में मदद मिलती है।कृषि में डिजिटल परिवर्तनों में संसाधनों (बीज,उर्वरक, पानी) के उपयोग को अनुकूलित करने और (खरपतवार कीट, फफूंद,) पर तुरंत प्रतिक्रिया करने के लिए सेंसर ड्रोन, कृषि वाहन एवं रोबोट जैसी सूचना निगरानी तकनीक का उपयोग शामिल है। अधिकांश डिजिटल परिवर्तन संसाधन उपज में सुधार फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि कृषि उत्पादक्ता मेंसूचार और उत्पादन लागत (श्रम लागत सहित) में कमी करके व्यवसायों को लाभ पहुंचाते हैं। इसके अलावा यह जल उपयोग खाद्य अपशिष्ट को काम करके भू जल प्रदूषण को रोककर और खेतों की निगरानी के लिए किसानों के द्वारा की जाने वाली यात्राओं में उपयोग किए जाने वाले ईंधन की मात्रा को कम करके स्थिरता लक्ष्यों में महत्पूर्ण योगदान देता है।

ई-मार्केट की अवधारणा एवं महत्व:

e-मार्केट का अर्थ- ई-मार्केटिंग (इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग) को इंटरनेट मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग के रूप में भी जाना जाता है। ई-मार्केटिंग इंटरनेट का उपयोग करके किसी उत्पाद या सेवा माकेटिंग की प्रक्रिया है। ई- मार्केटिंग में न केवल इंटरनेट पर मार्केटिंग शामिल है बल्कि इसमें ईमेल और वायरलेस मीडिया के माध्यम से मार्केटिंग भी शामिल है। यह व्यवस्थाओं को उनके ग्राहकों से जोड़ने में मदद करने के लिए कई तकनीकों का उपयोग करता है। ई- मार्केटिंग एक प्रकार की मार्केटिंग है जो आधुनिक तकनीकी जैसे इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से पूरी होती है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि के परिणाम स्वरुप ई मार्केटिंग का महत्व बढ़ गया है। 2026 तक दुनिया भर में 6.12 बिलियन लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं जो वैश्विक जनसंख्या का लगभग 73% है। किसी उत्पाद की खोज करने के लिए इंटरनेट सबसे लोकप्रिय तरीका बन गया है। यह मार्केटिंग के कई तरीके हैं और ई- मार्केटिंग के सभी प्रकारों और तरीकों को जानना बेहतर है तथा सही तरीके का चयन करके ई-मार्केटिंग को सफल बनाया जा सकता है।

e-NAM और **अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म:** भारत सरकार ने 2016 में e-NAM के जरिए किसान अपने ही राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहते वे देश के किसी भी कोने में बैठे व्यापारियों को अपने फसलों को बेच सकते हैं;

AgriStack - किसानों के डिजिटल पहचान बनाने के लिए एक सिस्टम जिसमें जमीन के रिकॉर्ड और खेती की जानकारी को डिजिटल रूप से जोड़ा जा रहा है;

पीएम किसान पोर्टल- इसके जरिए पात्र किसानों को वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है;
फसल बीमा पोर्टल (PMFBY) किसानो की फसलों को हुए प्रकृति आपदा से नुकसान की भरपाई करने के लिए उनकी इसकी शुरुआत की गई फसल खराब होने पर ऑनलाइन बीमा क्लेम करने और प्रीमियम भरने के लिए।
कृषि विपणन में ई-मार्केट की भूमिका:
कृषि विपणन में ई-कॉमर्स किसानों को व्यापक बाजारों तक पहुंचने के लिए उपकरण और मंच प्रदान करके सशक्त बऔर उनकी समग्र आयऔर आत्मनिर्भरता बढ़ती है यह डिजिटल परिवर्तन भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान अब सीधे बड़े बाजार तक पहुंच सकते हैं। बिचौलियों पर निर्भरता कम कर सकते हैं और अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म पारदर्शी मूल्य निर्धारण की वास्तविक समय की बाजार जानकारी और व्यापक पहुंच को सुगम बनाते हैं।
उदाहरण स्वरूप- e-NAM पोर्टल राष्ट्रीय कृषि बाजार 2016 में शुरू किया गया। यह e-NAM पोर्टल भारत भर की 1300 से अधिक मड़ियो को एकीकृत करता है जिसके कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन बाजार उपलब्ध होता है। यह पारदशिता बढ़ाता है। लेनदेन लागत को कम करता है और किसानों के लिए प्रतिस्पद्र्धीय मूल्य सुनिश्चित करता है।नाता है, जिससे उचित मूल्य सुनिश्चित होता है अपव्यय वह काम होता है।
कृषक समाज की अवधारणा : ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि को नियंत्रित कर खेती करते हैं और कृषि जिनके जीवन के परंपरागत तरीके का एक भाग होती है जो कुलीन या शहरी लोगों को देखते हैं और उनके उनसे प्रभावित होते है जिनकी जीवन शैली उनके समान है। लेकिन कुछ सभ्य प्रकार का एक कृषक वह है जो कृषि को जीवन के एक तरीके के रूप में अपनाता है। पीढिओ से उनका परिवार खेती पर गुजारा कर रहा है वह इस कार्य मे नुकसान व फायदा नहीं देखता
नोवेर्क के अनुसार, "कृषक समाज एक बड़े स्तरीकृत का वह उप समाज है जो या तो पूरी तरह से औद्योगिक या आंशिक रूप से औद्योगिक है।"

अतः कृषक समाज से तात्पर्य ग्रामीण समाज से है जिसमें अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है। यह एक ऐसा समाज है जो समान्यत दीर्घ समाज का हिस्सा है और एक राज्य और राष्ट्र के रूप में बड़े समाज की राजनीतिक इकाइयों से जुड़ा है। भौतिक स्तर तकनीकी स्तर सामाजिक संगठन, मूल्य और व्यक्तित्व प्रणाली के दृष्टिकोण से कृषक समाज समान्यत स्थूल समाज से भिन्न होते हैं।

कृषक समाज की विशेषताएं

1. कृषि पर निर्भरता- कृषक समाज का मुख्य आधार कृषि है तथा अधिकांश जनसंख्या प प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुख्य कार्य कृषि ही करती है तथा वह पूर्ण रूप से कृषि और प्रकृति पर निर्भर हैं।
2. भूमि का महत्व- कृषकों के लिए भूमि उत्पादन का प्रमुख साधन है और साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा तथा आर्थिक स्थिति का भी आधार है।
3. ग्रामीण निवास- कृषक समाज मुख्यत ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करता है। उसका जीवन प्रकृति परिवेश से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है।
4. सरल जीवन शैली- कृषक समाज के लोग सरल तथा सादा जीवन शैली को ओपन आते हैं तथा संबंधों में आत्मीयता रखते हैं। उपरोक्त विशेषताएं कृषक समाज की विशिष्ट पहचान को स्पष्ट करती है तथा इन्हें समाज से भिन्न भी।

कृषक समाज पर डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं ई-मार्केट का प्रभाव:

कृषि के क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं ई- मार्केट के विकास ने कृषक समाज के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया है तथा कृषक समाज के आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में व्यापक परिवर्तन में उत्पन्न किए हैं तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी ई- मार्केट से किसानों को जुड़ जाने, बाजार, मूल्य सूचना तथा मौसम पूर्वानुमान तथा सरकारी योजनाओं की भी जानकारी सरलता से प्राप्त हो जाती है।

सामाजिक प्रभाव - डिजिटल प्रौद्योगिकी के कारण कृषक समाज के बीच में कृषि से संबंधित सूचना जागरूकता एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि हुई है

मध्यस्तों का काम होना, ई- मार्केट(जैसे e-NAM) से बिचौलिए की भूमिका समाप्त हुई है। इसमें सीधे खरीददार तथा किसान जुड़ते हैं, जिससे किसानों मेआत्मविश्वास बढ़ा और उनका शोषण बंद हुआ।

पारदशिता और निर्णय लेने की क्षमता: डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं ई-मार्केट से जुड़ जाने के बाद किसानों में निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हुई तथा कृषक समाजों में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को गति मिली।

जीवन स्तर और सामाजिक सुधार: ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से उचित दाम मिलने से कृषकों के आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। इसका सीधा असर के बच्चों की शिक्षा स्वास्थ और रहन-सहन के स्तर में सुधार के रूप में दिखता है।

आर्थिक प्रभाव: डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं ई-मार्केट ने कृषि और कृषक समाज पर आर्थिक प्रभाव क्रांतिकारी रहा है। इसने बिचौलियो की भूमिका समाप्त हुई है। किसानों को उपज का उचित लाभ मिलने लगा है और उत्पादन लागत में भी कमी आई है।

पारदर्शी मूल्य निर्धारण: e-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के माध्यम से कृषक अपने उपज को बेचने के लिए कई खरीदारों से ऑनलाइन बोलियां प्राप्त करते हैं जिससे उन्हें पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी मूल्य मिलता है।

सीधे बाजार तक पहुंच: डिजिटल एग्री-टेक प्लेटफॉर्म्स की मदद से कृषक बिना स्थानीय मड़ियो या आढतियो के मोहताज हुए सीधे उपभोक्ताओं निर्यातको और थोक खरीदारों से जुड़ सकते हैं।

डिजिटल भुगतान एवं ऋण: डिजिटल वित्तिय समावेशन के कारण फसल बीमा और सरकारी सब्सिडी तथा उपज का भुगतान सीधे कृषकों के बैंक खातो (DBT)में होता है।

अतः यह कहा जा सकता है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी और ई- मार्केट का प्रत्यक्ष प्रभाव कृषक समाज पर पड़ा है।

सांस्कृतिक प्रभाव: डिजिटल प्रौद्योगिकी के विस्तार से कृषक समाज की पारंपरिक संस्कृति और सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आया है।

जीवन शैली में परिवर्तन: डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं ई -मार्केट के प्रसार ने कृषक समाज की सांस्कृतिक संरचना, जीवन शैली, मूल्य प्रणाली तथा पारंपरिक मान्यताओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। इसका कारण मोबाइल फोन इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के कारण कृषक समाज की जीवन शैली पर आधुनिकता का प्रभाव पड़ा है।

संचार एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान: वर्तमान समय में डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यमों से कृषक समाज के बीच विचारों, अनुभवों तथा कृषि संबंधित ज्ञान का आदान-प्रदान बड़ा है, जिसके परिणाम स्वरुप सांस्कृतिक विविधता एवं सामाजिक समन्वय को बढ़ावा मिला है।

पारिवारिक एवं सामुदायिक संबंधों में परिवर्तन: डिजिटल प्रौद्योगिकी के कारण के बढ़ते उपयोग के कारण पारंपरिक सामुदायिक व्यवस्था एवं सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आया है तथा संयुक्त परिवार एवं सामूहिक गतिविधियों में बदलाव स्पष्ट रूप से देखने को

मिला है। इस प्रकार डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं ई-मार्केट ने कृषक समाज की सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाया है।

सुझाव:

1. कृषकों को डिजिटल साक्षरता से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम को समय-समय पर मुहैया कराया जाए।
2. ग्रामीण क्षेत्रों तथा कृषक समाज के लिए इंटरनेट एवं संचार व्यवस्था का विस्तार किया जाए।
3. ई-मार्केट के प्लेटफार्म की जानकारी प्रदान की जाए।
4. कृषि से संबंधित मोबाइल एप्लीकेशन को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
5. डिजिटल कार्यक्रमों तथा सरकारी योजनाओं से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम कृषको के बीच में बढ़ाई जानी चाहिए।

निष्कर्ष

अतः प्रस्तुत विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं ई-मार्केट ने कृषक समाज की सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को उत्पन्न किया है तथा कृषक समाज में आधुनिकीकरण कृषि विकास तथा ग्रामीण परिवर्तन को एक प्रकार का गति प्रदान किया और साथ ही साथ उसके समक्ष चुनौतियां भी आई है। अतः डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं ई मार्केट से भविष्य में कृषक समाज के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएगा जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ कृषक समाज को होगा।

संदर्भ सूची (References)

1. देशाई, ए. आर. (2017). भारत के ग्रानीण समाजशास्त्र. नई दिल्ली: रावत पब्लिकेशन।
2. दुबे, श्यामाचरा. (2018). भारतीय ग्राम. नई दिल्लीः नेशनल बुक ट्रस्ट ।
3. सिंह, योगेन्द्र (2019). भारतीय परंपरागत समुदाय एवं संगठन. नई दिल्ली: रावत पब्लिकेशन ।
4. Mishra, K. P. (2015). Rural Development in India. New Delhi: Concept Publishing Company.
5. Ahuja, Ram. (2021). Indian Social System. Jaipur: Rawat Publications.
6. United Nations Development Programme (UNDP). (2022). Human Development Report. New York: U.N.D.P.
7. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय. (2023). वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23. भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM). e-NAM Portal and Reports
9. बेतेइल्ले, ए. (2004). समाज और राजनीति: भारत में सामाजिक परिवर्तन. नईदिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
10. देसाई, ए. आर. (2010). भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र. मुंबई: पॉपुलर प्रकाशन।
11. सिंह, योगेन्द्र. (2008). भारतीय परम्परा का आधुनिकीकरण. नई दिल्ली: रावतपब्लिकेशन्स।
12. Dhanagare, D. N. (2014). Themes and Perspectives in Indian Sociology. New Delhi: Rawat Publications.
13. Giddens, A. (2002). Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives. London: Profile Books.

Nav Jyoti
An International Multidisciplinary Journal
Peer Reviewed Refereed Journal
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.14, N. 28, June 2026
https://theopinion.navjyotijournal.in

Taboos and Myths Related with Menstruation

Pooja Bharti
Research Scholar-Department of Sociology
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith Varanasi.
Prof. Bharti Rastogi
Department of Sociology, Director, Institute of Tourism Studies
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi.

Menstruation is a biological process in which the uterus lining sheds blood through vagina, the onset of menstruation is called menarche and it lasts up to 5 days. It is a biological cycle which means a girl's body prepares her for reproduction. This begins at the age of 13 which is called puberty. Despite being natural and a biological process in countries like India people consider it as a taboo and attach several misconceptions, myths and stigma. Menstruation has always been encircled by taboos among Indians which excluded women from various aspects of socio-cultural life. Taboos that are prevalent in different societies adversely influence girls' freedom, joy and comfort. In India there are myths that during menstruation they become impure. The myth has its origin from Vedic times; it is linked to **Indra's** killing of **Vritra's**. It is mentioned in the Veda that killing a Brahmana appears every month as women have taken upon themselves a part of Indra's guilt. According to Hindu belief, women are not allowed to take part in normal daily life routines during their menstrual cycle. She has to be "purified" before entering back to the normal daily chores. But scientifically the main cause of menstruation is ovulation followed by missed chances of pregnancy that results in bleeding from the endometrium vessels and preparing it for the next cycle. Therefore, there seems no reason for this notion to persist that menstruating women are impure.

Girls and women during the menstrual cycle are compelled to follow restrictions as to them menstruation comes with stigma and taboos. Girls and women are imposed not to enter the kitchen mostly in rural areas menstruating women are prohibited from household chores. Women are not allowed to enter temples and "puja rooms" as during mensuration they are considered "impure".

In India we worship goddess **"Maa Kamakhya"** Temple at **Guwahati in Assam** which is a **"Shakti pith"** where a female genetical organ of goddess **"Sati"** has fallen. It is believed that every year Maa Kamakhya menstruates for 3 days from **22nd to 25th of June** these three days are considered to be very sacred and auspicious and is celebrated as **"Ambubachi Mela".** The temple is kept closed for 3 days no one is allowed to enter as the goddess is resting and when temple opens a red colour cloth which earlier was of white colour it is due to the menstrual blood and this red colour cloth is given as "Prashad" to every devotee which comes for worship. Equivalent to Ambubachi festival in Kamakhya temple in Assam, **Tulu festival called "Keddasa" in Karnataka**, it is believed that Mother Earth begins her earthly menstrual cycle and is given rest for 3 days. In **Odisha "Raja Parva"** is practiced in which farmers don't Plow land and give rest to goddess earth as they believe goddess earth begins to menstruate. **"Frederique Apffel Marglin, in her book "Rhythms of Life Enchanting the World with Goddesses of Odisha"**, quotes a village woman of Odisha saying "During menses of the Earth women do not work they play and sing with their friends. The sole reason is for them to rest just like during their monthly periods, when they do not work and must not, we disturbed they should not be touched". **Tuloni Biya** another unique ritual of **Assam** is public puberty celebration known as Tuloni Biya. It is celebrated 7 days after girls' puberty. It is celebrated in different parts of the state and this tradition celebrates girl's steps towards womanhood. **Guru Panchami Brata** is observed on **Shukla Paksha Panchmi** in the **lunar month of Bhadrava,** which is the day following **Ganesh Chaturthi.** Married women who held upabasha and obeyed the saptarishi practiced brata to get rid of "rajaswala dosha", because they believed that menstruation was sinful and filthy. **Ritu Kala Samskaram Festival** or **Ritushuddhi** is a South Indian Hindu ceremony where the girls on set of menstruation are celebrated. In this family and friends donate saree to her as a part of celebration. Nowadays this festival is known by the name of **"Half Saree Party"** or **"Half Saree Features"**, a separate room is arranged for a girl, friends and relatives come to visit with presents. On the last day of her menses her mother and other women perform **"Bath Ceremony"**. Girls wear new clothes, ornaments and **"Griha Pravesh"** ceremony is organised. Women have long been a vital part of society's culture, and periods are a symbol of creativity, as demonstrated by the festival. However, menstruation has always been condemned, even though it is celebrated as menstruating earth in other regions. Although the occasion is associated with honouring women who are menstruating and the soil, it really reinforced and glorified the social norm that prohibits women and girls who are menstruating from doing home chores.

Women are not allowed to touch foods like pickle and sour food as they are regarded as unhygienic and unclean which makes food rotten. It is also said that girls and women should not eat sour and cold food as it disturbs menstrual flow but there is no medical evidence that menstruating women should be restricted to have any kinds of food. Another myth is that not to go near plants and touch them if it is done so the plant dies. Instead plans have nothing to do with menstruation and they die because of less care, attention, minerals and sunlight. Menstruating women are forbidden from local gatherings like functions, marketplace even they are not allowed to talk to male members

like male relatives so that contamination can be avoided. Women are prescribed to wear conservative dress. They are also told to avoid sexual intercourse during menstruation as traditionally it is not considered good to conceive during this period and the child born out of this is not healthy and is mentally ill. But medically it is considered very healthy to have sexual intimacy during menstruation as it suppresses Premenstrual Symptoms and gives relief to pain and mood swings. Most people think that period blood is dirty which is not true. It is the same blood which flows in the body and it is not harmful or toxic. It is believed that intercourse during menstruation can cause infection, but in real menstruation itself does not cause infection though during this time the cervix may be a little more open so maintaining cleanliness practicing safe sex reduces the risk of Sexually Transmitted Disease (STD) or infections. In some societies they believe that menstruating women are impure or unfit, setting down pre prejudicial impact on women's emotional health and reinforcing shame around normal bodily functions. Although precise sexual health education is very important so that one can differentiate between myths and scientific understanding. Nurturing good communication between couples and developing an optimistic attitude towards intimacy during menstruation.

In India menstruation is encircled by cultural, religious, moralistic and supernatural beliefs. This belief shapes how women and girls should experience puberty, participate in society and access resources. It is believed to attract negative spirits or energy if not handled properly. Menstrual blood is used for some superstitious acts to possess someone and they will start acting according to once will. In rural regions people have very much inclination towards their traditional folklores which believes that women are at risk to evil spirits or can be harmed by supernatural powers during their period. People even give supernatural explanations for menstrual cramps; they relate it with past sins, divine curses or supernatural afflictions. They believe that suffering of menstruating women is spiritually necessary; these beliefs discourage medical interventions. Menstruation is traditionally related to moral and cleanliness. It is also linked to biological processes with the ideas of shame, honour and feminine virtue that is why women hide their period and hesitate to talk in public.

In India myths and taboos related to menstruation are deeply embedded in the religious and cultural fabric of society. Although menstruation is a universal psychological phenomenon, religious interpretations have often framed it within concepts of ritual purity and pollution resulting in diverse practices and restrictions across different religions like: -

Hinduism - according to Hindu tradition menstruating women are befoul that is why they are kept isolated and untouched. In Hindu tradition menstruating women had to face different kinds of taboo and social stigma, they are not allowed to enter temples and, in the kitchen, they are kept away from household activities. Their impurity ends on the fourth day after having baths and washing hair.

In **Islam** menstruating women are not allowed to pray and forbidden from **Hajj pilgrimages**. Post menstruation is finished with bathing is important to perform in order to restart praying. On **Hajj tawaf** is not provided to menstruating women. **Quran** does not allow sexual relations during periods.

In **Christianity** during menstruation sexual intercourse is restricted. Christians that are orthodox believe that menstruation is a filthy part of life. Touching holy books like the Bible are prohibited for menstruating women.

According to **Buddhist** standpoint menstruation without any religious restrictions. Having said that because of the strong Hindu influences, Buddhist communities impose restrictions on menstruating women like they are not allowed to enter **Stupas**.

As believed by **Jainism** menstruation is considered as impure as other regions. Menstruating women are not allowed to enter temples and kitchens.

In **Sikhism** menstruating women are not considered impure; they are allowed to entire **Gurudwaras** and may also give prayers.

In countries like India, according to Hindu beliefs they see first menstruation or menarche as a reproductive feature of a girl's life in the southern part of India. When girls get their first period it is celebrated as an occasion and presents are given to girls where in most of the traditional Hindu homes in India menstruation is considered as taboo. Girls and women have to face restrictions and are kept isolated. In 1991 Kerala High Court restricted entry of women above the age of 10 and below the age of 50 from "**Sabarimala"** shrine when they were of menstruating age on 28 September 2018. The Supreme Court of India lifted the ban on the entry of women, it is said that discrimination against women on any ground, even religious, is unconditional. In some reason of **Jhabua** district of **MP** menstruation is considered as **"disease"** not a normal biological process and that is why menstruating women and not sanctioned to sleep on bed, eat spicy food, enter the kitchen and temples even they are restricted from touching male members of their family the. Hindus of Northern Uttar Pradesh, especially Tharu tribe and Nepal, have a tradition of isolating menstruating women "Phula", in which women are not allowed to participate in the household activities for three nights. In 2005 the Nepalese Supreme Court banned this practice, but it still continues to practice in some parts of the region. They also follow the tradition called **"Chaupadi"** where menstruating women and girls sleep in a **hut** some distance from their family home, and they are not allowed to indulge in family activities. In February students of women's college run by **Swaminarayan Bhuj Mandir** girl students were asked to remove their undergarments to find a menstruating girl who had entered into the hostel's kitchen and temple this brings back the stigma surrounding menstruation.

Taboos and myths regarding menstruation are derived from the Hindu religion. It impacts women in all aspects of their lives. The undisguised sickening towards menstruation can adversely affect a girl's emotional and physical health. Religion and menstruation are very much interconnected

with ideas about gender roles, tradition and purity which habitually hold menstrual behaviour; this can lead to less participation of women in spirituality and endorse societal hierarchies. Therefore, despite so much development and social progress many menstrual restrictions still prevail in almost every religious community. Lack of information is actually because of the deep-rooted taboos in Indian culture where taboos flourish when the beliefs are practiced for several years. These beliefs get set and become so embedded that we are made in our collection of the information true being that we refuse to abandon them even when the circumstances during which originated change. Nearly 75% of women in India use plastic bags or newspapers as a substitute because social pressure makes them tentative to shop for sanitary products. Mensuration in India is also a closed off-topic that finishes up in many young girls feeling ashamed of their bodies. Menstrual taboos can reinforce negative attitudes towards women's own body and sexuality leading to shame. Self-surveillance and even sexual risks, the stigma surrounding menstruation leads to girls and women shameful about their periods, preventing honest discussion about women's health. The best way to combat misinformation is by ensuring that people have access to adequate information. This can be implemented first and foremost by mandating medically verified and evidence-based sex and menstruation related education in the institutions.

References: -

1. Garg Suneela, Anand Tanu (2015), Menstruation related myths in India: strategies for combating it.
2. Nithin Sridhar (2016), Hindu View of Menstruation-III :Menstruation As A Period Of Rest And Sacred Celebration.
3. UNICEF Guidance on Menstrual Health and Hygiene (2019).
4. Sridhar Nitin (2019), The Sabarimala Confusion MENSTRUATION ACROSS CULTURES A Historical Perspective.
5. Dr. Tripathi Sunita (2020), A biological process or a bleeding curse.
6. Rawat Deepika (2020), Misconceptions and Myths regarding Menstrual Cycles or Period amongst Indians.
7. Dr. Kaur Preet Bhagya, Gupta Pooja (2020), A Study of Social Taboos of Food Habits During Menstruation.
8. Borah Pratibha, Dr. Ola Manpreet, Dr. Sharma Vikas (2020), Menstruation Related Taboo in India and Its Impact in Women's Life: A Review.
9. Laxminarayan (2021), Menstruation and festivals: A historical retrospective.
10. Ganguly Lopamudra and Sapati (2023), Religion and Menstruation: An inseparable part of women's life.

Nav Jyoti
An International Multidisciplinary Journal
Peer Reviewed Refereed Journal
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.14, N. 28, June 2026
https://theopinion.navjyotijournal.in

विंध्य क्षेत्र के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विस्तार का एक अध्ययन

अनुराग श्रीवास्तव
सहायक प्राध्यापक, इतिहास
पी.एम.सी.ओ.ई. शासकीय विवेकानंद
महाविद्यालय, मैहर, म.प्र.

शोध सारांश

विंध्य क्षेत्र, स्वर्णिम भारत का एक रोचक , महत्वपूर्ण भौगोलिक, और सांस्कृतिक आँगन है जिसमें मां भारती का ह्रदय निवासरत है । यह शोध पत्र इस क्षेत्र के भौगोलिक विस्तार स्वरूप और इसकी समृद्धिशाली सांस्कृतिक विरासत के अंतर्संबंधों के मध्य का व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत करता है। भौगोलिक दृष्टि से, यह क्षेत्र मध्य प्रदेश के उत्तर–पूर्वी भाग और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में फैली प्राचीनतम विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है जिसमें सोन, टोंस (तमसा) और केन जैसी प्रमुख नदियाँ प्रवाहमान होते हुए इस क्षेत्र की जीवनदायनी बनाती हैं द्य इन नदियों ने यहाँ की उपजाऊ घाटियों और घने जंगलों को जीवंतता प्रदान की है। यह भौगोलिक बनावट न केवल प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और जैव–विविधता का आधार प्रदान करती है अपितु इसने हजारों वर्षों से यहाँ के मानव और पशु –पक्षियों को जीवन और आश्रय स्थल के विकास को भी दिशा दी है। सांस्कृतिक रूप से इस क्षेत्र का अध्ययन किया जाय तो विंध्य क्षेत्र प्रागैतिहासिक काल से ही मानव सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ की गुफाओं में मिले शैलचित्रों ने इसके प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। पौराणिक संएवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का अध्ययन किया जाय तो इस क्षेत्र को रामायण और महाभारत कालीन अविस्मरणीय घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है, जिसमें चित्रकूट और अमरकंटक जैसे पवित्र पावन स्थल स्थित हैं। विंध्य की संस्कृति ने लोक जीवन में गहराई से रमी –बसी है। यहाँ की मुख्य भाषा बघेली जो लोकभाषा है द्य यह भाषा यहाँ के लोगों को वैचारिक एवं मानसिक रूप से एक–दूसरे को नजदीक लाती है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में कर्मा, सैला,रई, और बिरहा जैसे लोकनृत्य तथा सोहर एवं घथरी जैसे लोकगीत यहाँ की संस्कृति को जीवंतता प्रदान करते हैं। आल्हा–ऊदल की वीरता लोगों को उत्साहित करती हैं द्य यहाँ की लोककला और हस्तशिल्प ने भी स्थानीय प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाती है। इस शोध पत्र के अध्ययन से यह ज्ञात होगा कि विंध्य क्षेत्र का भूगोल केवल एक भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि इसने यहाँ की अनूठी सांस्कृतिक पहचान को निर्मित करने में महत्त्वपूर्ण

भूमिका निभाई है। वर्तमान समय में इस बात का मानव को अवश्य ध्यान रखना चाहिए की औद्योगिकीकरण ,नगरीकरण और आधुनिकता के प्रभाव के बीच, इस क्षेत्र की अद्वितीय भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन करना नितांत आवश्यक है।

मूल शब्द –विंध्य क्षेत्र ,भौगोलिक विस्तार , विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ,सांस्कृतिक विरासतं, प्राकृतिक संसाधन , ऐतिहासिक अंचल, बघेली लोकभाषा, शैलचित्र , लोकनृत्य एवं लोकगीत ।

प्रस्तावना

विंध्य क्षेत्र अद्भुत भारत के हृदय स्थल में स्थित एक अत्यंत प्राचीन, समृद्धशाली और विविधता से परिपूर्ण भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विशिष्टता है। भौगोलिक दृष्टि से, यह क्षेत्र उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विभाजित करने वाली विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, घने वनों क्षेत्रों और सोन, तमसा, नर्मदा, बीहड़, बिछिया, एवं केन जैसी पवित्र नदियों से प्रवाहमान है। इस क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक संरचना न केवल प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्द है अपितु यहाँ की जैव–विविधता को आधार प्रदान करती है | इस क्षेत्र ने सदियों से यहाँ के जनजीवन, बस्तियों के विकास, पशु–पक्षियों के महत्व को दर्शाती है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, विंध्य क्षेत्र प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्रों से लेकर वैदिक, पौराणिक और ऐतिहासिक काल तक की अनवरत मानव की मूर्त चेतना को अजर –अमर बनाती है। चित्रकूट, मैहर (मां शारदा की नगरी) और अमरकंटक जैसे पावन तीर्थ स्थल इसकी आध्यात्मिक एवं धार्मिक गहराई को मानवता का मार्ग निर्धारित करती है। बघेली लोकभाषा, लोकनृत्य तथा लोकगीत यहाँ की जीवंत जनजातीय समाज एवं ग्रामीण रीति –रिवाज और परंपराओं को देश–दुनिया की समक्ष इस क्षेत्र को अलग स्थान प्रदान करती हैं। वास्तव में, विंध्य का भौगोलिक परिदृश्य यहाँ की संस्कृति का निर्माण करती है। प्रस्तुत शोध पत्र शविंध्य क्षेत्र का भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विस्तार एक अध्ययन' मानव एवं प्रकृति के अंतर्संबंध को रेखांकित करने का एक अथक प्रयास है जिससे इस क्षेत्र की अद्वितीय विरासत के संरक्षित ,संवर्धित और भविष्य के निर्माण की संभावनाओं को दिशा प्रदान कर सके।

विंध्य क्षेत्र वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तरी–पूर्वी भाग में स्थित भूमध्य रेखा से $22^{0}20$ उत्तरी अक्षांश से $26^{0}0$ उत्तरी अक्षांश तक तथा 78095 से पूर्वी देशांतर से 85^{0} पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। विंध्य क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 22,867 वर्ग मील है जिसमें दतिया के 1325 मील क्षेत्र को हटाकर यह क्षेत्र बना है। विंध्य क्षेत्र की यह भूमि जो आज भारत वर्ष के मध्यांचल के रूप में अलंकृत है उसका कौतूहल इस क्षेत्र की महान परंपराओं, भौगोलिक एवं प्राकृतिक श्रृंखलाओं से है उससे कहीं अधिक निरंतर चिरस्थायी कंदराओं,सरिताओं से मुखरित एवं परिपूर्ण है। जो अपने

दृढ़ पर्वतों के लिए प्रसिद्द है, विंध्यांचल पर्वत की गणना मुख्य पर्वतों में कुल पर्वत के रूप में की जाती है विंध्य क्षेत्र इसके आंतरिक भाग में स्थित है । यह क्षेत्र नर्मदा नदी के उत्तर में, जिसकी पश्चिमी सीमा गुजरात,राजस्थान की अरावली की श्रेणी से तथा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के चुनार क्षेत्र से सीमा बनाती है । विंध्य क्षेत्र प्राचीन विंध्य पर्वतमाला के आँचल में स्थित होने के कारण और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विभक्त करते हुए यह पर्वतमाला भारत के पश्चिम–मध्य में गोलाकार प्राकृतक मणियों के रूप में विराजमान एक श्रंखला के रूप में है। भारत के उत्तर में हिमालय और विंध्य पर्वतमाला के मध्य भाग को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है द्य मनु ने आर्यावर्त को मध्य देश कहा है ।

महाभारत में इस पर्वतमाला को विंध्यपाद पर्वत भी कहा गया है। यूनानी भूगोलवेत्ता टॉलेमी ने इस पर्वतमाला को विंदियस कहा था। विंध्य पर्वतमाला को "विंध्याचल" के नाम से भी जाना जाता है। कौशीतकी उपनिषद में वर्णित "दक्षिणपर्वत" की पहचान भी विंध्य पर्वत से की जाती है ।

जो अपनी कर्तव्यनिष्ठा और उदारता के कारण भारत माता के वक्ष स्थल में निवास करता है। वर्तमान में आधुनिक मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग बघेलखंड– बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के उत्तर–पूर्व में स्थित है जिसमें रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, पन्ना, छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़, सागर, दमोह तथा उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, झाँसी, ललितपुर, जालौन तथा बांदा के जिले शामिल किए जाते थे। इस क्षेत्र में केन, बेतवा, चम्बल, काली सिंध, तमसा, धसान, नर्मदा, ताप्ती, बीहड़, बिछिया जैसी नदियाँ प्रवाहित है जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्त्व के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र की नैसर्गिक महिमा का वर्णन रामायण–महाभारत के साथ–साथ महाकवि कालिदास के खण्डकाव्य ऋतुसंहार और मेघदूत में किया गया है। इसके साथ ही बाणभट्ट ने अपने ग्रंथ कादंबरी में इस क्षेत्र को मध अलंकार और पृथ्वी की मेखला के समान बताया है जिसमें ऋषियों– मुनियों के साथ–साथ हिंसक जीवो का निवास स्थान तथा सुषमा का अमित भंडार बताया है। यहाँ पर वाल्मीकि, शरभंग, अगस्त्य, अत्रि, भारद्वाज मुनि के आश्रम है जहाँ पर अनेक मनीषियों ने तपस्या की।

विंध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना, पठारी प्रदेश

विंध्याचल की तलहटी में एक विशाल बीहड़ वन क्षेत्र है जो विंध्य पर्वत माला की श्रेणियों से घिरा हुआ है जहां उच्च तुंग शृंग से सहस्त्रों झरने और जलप्रपात प्रवाहमान हो रहे हैं। वह क्षेत्र विंध्य क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र की संरचना जो कि दक्षिण – पश्चिम से उत्तर दिशा की ओर जाती हुई दक्कन ट्रैप की पूर्वी सीमा से होती हुई पूर्व में सतना, रीवा, पन्ना, दमोह तक जाती है। उत्तर दिशा में बुंदेलखंड की आगे की भूमि से इसकी सीमा स्पर्श करती है।

इस पठारी प्रदेश की दक्षिणी तथा पूर्वी सीमा सोन और नर्मदा की घाटी है। नर्मदा–सोन सीमा पर विंध्यन शैल समूह दीवार के समान ढाल बनाते हैं जो कैमूर तथा भांडेर कगार के नाम से जाना जाता है। यद्यपि इसकी अधिकतम ऊंची चोटियां 752 मीटर तक है किन्तु औसत ऊंचाई 450 मीटर के लगभग मिलती है। यहाँ से दक्कन ट्रैप के प्रमाण मिलने से यह अनुमान लगाया गया गया है कि कभी यह पठार भी बेसाल्ट की चट्टानों से ढका रहा होगा। विंध्य के श्रेणी की भांति कैमूर तथा भांडेर भी नर्मदा तक गंगा के जल द्विविभाजक के रूप में है द्य विंध्य क्षेत्र में प्रवाहित केन नदी की सहायक नदियां टोंस,बेरमा ,सोनार इसी पथरी प्रदेश से होकर बहती है। ये नदियां पन्ना, सतना, रीवा के उत्तरी भाग में पूर्व से पश्चिम बहती हुई है कई जलप्रपातों का निर्माण करती हैं जो पर्यटकों के लिए अत्यंत प्राकृतिक दर्शनीय मनोरम स्थल हैं।

जलवायु एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से यह क्षेत्र सघन वनों से घिरा हुआ है। नागौद , हटा, पन्ना, रघुराज नगर, सिरमौर जैसे क्षेत्रों में वनों की एक चौड़ी पट्टी मिलती है। इस पठारी भाग में गेरू और चूने की मात्रा अधिक है और सिलिका सैंड भी पाया जाता है। वर्तमान समय में यहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं जो देश के अधिकांश हिस्से में सीमेंट सुलभ कराती हैं।

विंध्य क्षेत्र की पर्वतमाला

इस क्षेत्र की प्रमुख पर्वतमाला विंध्य है जिसे उपरी और निचली श्रृंखला में विभाजित किया गया है । उपरी श्रृंखला नर्मदा नदी के उत्तर में रीवा,कैमूर और भाण्डेर तथा निचली श्रृंखला में

कर्नूलमाला,भीमामाला,मलानीमाला, सैमरीमाला,सुल्लावइमाला आती हैं । इसके अतिरिक्त **विंध्य** पर्वत की अनेक छोटी श्रेणियां हैं **जि**नका उल्लेख अभिलेख और साहित्य में मिलता है **जि**नका विवरण निम्नवत है–कुंजरावर्त,रथावर्त,दर्षाणकूट,चित्रकूट,वेदिसगिरि,नीचगिरि, कालंजर, चेतिय, कैमूर, अमरकंटक, कोलाहल, भ्रमरषैल,पीतषैल,गिंजा प्रमुख हैं ।

विंध्य क्षेत्र की संस्कृति

यहां की संस्कृति बहुआयामी है जो प्रभु के विशिष्ट कृतियों में से है और सृजन चक्र की संरचना पर निर्भर है। मानव के सृजन से लेकर वर्तमान तक यहां की सांस्कृतिक परंपराएं, मान्यताएं, रहन–सहन, खान–पान,संस्कार,तीज दृ त्यौहार,पर्व आचार –विचार नर्मदा, तमसा,सोन जैसी नदियों की धारा की तरह अविरल प्रवाहमान और पवित्र है। यहां की लोक संस्कृति जिसमें कहावतें, मुहावरे, लोकगीतों, लोक कथाएं, लोक उत्सव, विधि –विधान हमारे जीवन का दर्शन है। इस क्षेत्र की प्राचीन लोक शिल्प, कलाकारी,दस्तकारी,चित्रकला लोकोपचार,प्राचीन ज्ञान –विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास की धारा में प्रज्ज्वलित हो रही हैं। भले ही हमने अपने जीवन मूल्यों में परिवर्तन कर लिया हो किंतु यहां की संस्कृति मां विंध्यवासिनी और मां शारदा की तरह चिरस्थायी है । यहां के गुफाओं, वन, पर्वत, नदियों के किनारे और कंदराओं ने आदिवासियों, साधु–संतों, ऋषियों, वनवासियों तथा वन्य जीवों को प्रश्रय दिया और इन महात्म्य के गूढ़ रहस्यों को संरचित कर इस धरा को प्रकाशित किया।

यह क्षेत्र रामायण में वर्णित भगवान् राम की वनगमन यात्रा की तपोभूमि को समाहित किए हुआ है जनश्रुतियों एवं रामायण में माना जाता है कि भगवान राम और उनकी पत्नी सीता माता एवं अनुज लक्ष्मण ने वनवास के लगभग 12 वर्ष चित्रकूट में व्यतीत किए । एक मान्यता के अनुसार विंध्य क्षेत्र में ही तमसा नदी के तट पर परमपिता ब्रम्हा के कहने पर महर्षि वाल्मीकि ने विश्व प्रसिद्ध रामायण की रचना की जिसे संसार का पहला महाकाव्य कहा जाता है और यहीं पर क्रौंच पक्षी की करुण वेदना को शब्द दिया गया ।

मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः ।
यत क्रौंच मिथुनादेकमवधीः काममोहितम।।

हे निषाद: तुझे कभी इस जीवन में शांति नहीं मिलेगी क्योंकि तूने इस क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक की हत्या कर दी जो काम से मोहित हो रहा था जिसने किसी प्रकार अपराध नहीं किया था। [9]
सोन नदी में ले जाती हैं और सोन तथा महानदी के जल द्वि–विभाजक के रूप में बघेलखण्ड का पठार अपनी स्थिति स्पष्ट करता है। यहाँ की भौगोलिक दशा के कारण यह प्रदेश वनों से आच्छादित है जिसके कारण औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पर गोंडवाना लैंड की चट्टानों के कारण यहाँ पर कोयले की अधिकता है और लाल मिट्टी मुख्य रूप से पायी जाती है।

विंध्य क्षेत्र के निवासी

इस क्षेत्र में निवास करने वालों में प्रथम चेदियों का है जो की आर्यों में थे। इस क्षेत्र के पूर्व में करुष जाति ने भी निवास किया। नृतत्वीय दृष्टिकोण से यहाँ पर शक, कुषाण, द्रविड़ तथा हूणों ने भी अपना निवास स्थान बनाया। मध्य भाग में कोल, शबर, भिल्ल, पुलिंद, मुंड लोगों ने भी निवास किया।

विंध्य क्षेत्र में **पशु – पक्षी**

भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि कार्यों के संचालन में पशुओं की सदैव आवश्यकता होती है क्योंकि दोनों के मध्य प्रगाढ़ सम्बन्ध है और वे एक –दूसरे पर आश्रित रहते हैं। पशुओं के रूप में

मुख्य रूप से हाथी,घोड़ा,गाय,बैल,भैंस,बकरी,वानर,भेडिया,चीता,हरिण, आदि का उल्लेख तथा पक्षियों में सारस,गोरया,चकोर, तोता, भुरूण्ड पक्षी,मोर,हंस, प्रमुखतया हुआ है। सामान्यतया गधों और घोड़ो को भार और सामान ढोने के लिए प्रयुक्त किया जाता था और हाथियों का प्रयोग राजे–महराजे लोग किया करते थे। विश्व के किसी भी देश की सामाजिक संरचना में इतनी विविधता नहीं पायी जाती जितनी भारत देश में निहित है।

निष्कर्ष –

इस शोध पत्र के यह स्पष्ट होता है कि विंध्य क्षेत्र भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भौगोलिक, और सांस्कृतिक स्थल है जिसने विंध्य क्षेत्र के भौगोलिक संरचना और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत मानव एवं प्रकृति के अंतर्संबंधों का एक सुव्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत करता है। भौगोलिक दृष्टि से यह प्राचीन विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई हैजिसमें सोन, टोंस,बीहड़ ,बिछिया,महाना और केन जैसी जीवनदायनी नदियाँ प्रवाहमान हैं द्य ये नदियाँ इस क्षेत्र की जीवन रेखा हैं का निर्धारण करती हैं द्य इन नदियों के माध्यम से यहाँ की उपजाऊ घाटियों और सघन जंगलों को हरा–भरा बनाए हुए है। यह भौगोलिक बनावट न केवल प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और जैव–विविधता का आधार है, बल्कि इस क्षेत्र ने हजारों सालों से यहाँ के मानव जीवन की गतिशीलता और बस्तियों के विकास को भी दिशा दी है। सांस्कृतिक रूप से यह क्षेत्र प्रागैतिहासिक काल से ही मानव सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र रहा है। यहाँ की गुफाओं में मिले शैलचित्र इस सभ्यता और संस्कृति के प्राचीनतम प्रमाण हैं।

विंध्य क्षेत्र अनादि काल से भारत की गौरवशाली परंपरा, ऋषि–मुनियों जैसे वाल्मीकि, अगस्त्य, अत्रि, की तपोभूमि और प्राकृतिक सुंदरता का केंद्र रहा है। रामायण, महाभारत, कालिदास के ग्रंथों और बाणभट्ट की श्कादंबरीश में इसकी महिमा का विस्तृत वर्णन इसकी चिरस्थायी सांस्कृतिक पहचान को सिद्ध करता है। यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश के उत्तर–पूर्वी भाग में स्थित है, जो उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली एक प्राकृतिक मणिमाला के रूप में विद्यमान है।

विंध्य क्षेत्र न केवल अपनी पौराणिक मान्यताओं, भौगोलिक विशिष्टताओं और प्राकृतिक जलप्रपातों के कारण पर्यटन व आध्यात्म का एक अद्भुत केंद्र है, बल्कि अपने खनिज संसाधनों के बल पर वर्तमान भारत के औद्योगिक विकास में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निश्चित ही इस शोध पत्र के माध्यम से भविष्य में विंध्य क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त होगी और अधिकाधिक जानकारी इस क्षेत्र के बारे में प्राप्त करना सरल कार्य होगा ।

सन्दर्भ –

1. चौहान, संतोष सिंह, द्विवेदी, अश्विनी कुमार, बघेलखंड का इतिहास, प्रमेश पब्लिकेशन,पृ.
1. भट्टाचार्य, पी.के. प्रारंभिक अभिलेखों से मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक भूगोल. मोतीलाल बनारसीदास. 1977,पृ.60–69.
2. सिंह,डॉक्टर अनुपम, विंध्य क्षेत्र के प्रतिहार वंश का इतिहास,2006–7 शेखर ऑफसेट इलाहाबाद,पृष्ठ–6.
3. दोहरे, विनीता, बुंदेली लोक नृत्य, सांस्कृतिक शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली,2018, पृ.1.
4. कुमार,डॉ.प्रमिला, मध्य प्रदेश एक भौगोलिक अध्ययन,मध्य प्रदेश हिंदी ग्रन्थ अकादमी, 2005, पृ.211 ⁄ 212.
5. दोहरे, विनीता, बुंदेली लोक नृत्य, सांस्कृतिक शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली,2018, पृ.2

6. रामायण (बालकाण्ड, द्वितीय सर्ग, श्लोक 15) से है, जिसे संस्कृत साहित्य का प्रथम श्लोक (आदिकाव्य) माना जाता है।
7. राधेशरण, प्रोफेसर विंध्य क्षेत्र का इतिहास,वृहत्तर बघेलखण्ड,मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी,2001, पृ165
8. अग्रवाल, कन्हैयालाल,विंध्य क्षेत्र का ऐतिहासिक भूगोल,सुषमा प्रेस, सतना, मध्य प्रदेश,1987 पृ.7.
9. कुमार, डॉ. प्रमिला, मध्य प्रदेश एक भौगोलिक अध्ययन,मध्य प्रदेश हिंदी ग्रन्थ अकादमी, 2005,पृ. 224 / 225.

Nav Jyoti
An International Multidisciplinary Journal
Peer Reviewed Refereed Journal
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.14, N. 28, June 2026
https://theopinion.navjyotijournal.in

"युवा पीढ़ी में बढ़ती नशाखोरी: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन"

डॉ. अखिलेश कुमार सरोज
असि. प्रोफेसर– समाजशास्त्र
डॉ .राजेश्वर सेवाश्रम महाविद्यालय ढिंढुई , प्रतापगढ़।
संबद्ध–प्रो.राजेंद्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय प्रयागराज (उ. प्र.)

सारांश –
नशाखोरी समकालीन समाज की एक गंभीर और बहुआयामी सामाजिक समस्या के रूप में उभरकर सामने आई है, जिसका प्रभाव विशेष रूप से युवा वर्ग पर अधिक दृष्टिगोचर होता है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य नशाखोरी के कारणों, स्वरूप तथा उसके सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभावों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। अध्ययन में यह पाया गया कि मादक द्रव्यों का बढ़ता उपयोग न केवल व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि पारिवारिक संरचना में विघटन, सामाजिक असंतुलन तथा आर्थिक हानि जैसी समस्याओं को भी जन्म देता है। इसके अतिरिक्त, बुरी संगति, पारिवारिक विघटन, मानसिक तनाव तथा सामाजिक मूल्यों में गिरावट जैसे कारक नशाखोरी के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यह शोध इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि नशाखोरी की समस्या का समाधान केवल व्यक्तिगत स्तर पर संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए सामाजिक जागरूकता, नैतिक शिक्षा, पुनर्वास सेवाओं तथा सरकारी एवं गैर–सरकारी प्रयासों के समन्वित क्रियान्वयन की आवश्यकता है। अतः युवा पीढ़ी को इस दुष्प्रवृत्ति से बचाने हेतु समग्र एवं प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेप अनिवार्य है।

कुंजीभूत शब्द – *मादक द्रव्य व्यसन, नशाखोरी, युवा वर्ग, सामाजिक समस्या, सामाजिक विघटन, पारिवारिक प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य, पुनर्वास, नशामुक्ति, सामाजिक जागरूकता।*

कोई भी समाज सामाजिक समस्याओं से पूर्णतः मुक्त नहीं होता, बल्कि समय के साथ विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ उसके समक्ष उभरती रहती हैं। वर्तमान युग में नशाखोरी अथवा मादक द्रव्य व्यसन एक गंभीर सामाजिक समस्या के रूप में उभरकर सामने आई है, जिसका प्रभाव विशेष रूप से युवा वर्ग पर अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। युवा किसी भी राष्ट्र की प्रगति और विकास के आधार होते हैं, किंतु नशे की बढ़ती प्रवृत्ति उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को बाधित कर रही है।

यद्यपि मादक पदार्थों का प्रयोग प्राचीन काल से किसी न किसी रूप में समाज में विद्यमान रहा है, तथापि वर्तमान समय में इसका स्वरूप अधिक व्यापक, जटिल और चिंताजनक हो गया है। पहले जहाँ इसका उपयोग सीमित अवसरों तक ही देखा जाता था, वहीं आज यह धीरे–धीरे लोगों की दैनिक जीवनशैली का हिस्सा बनता जा रहा है। आधुनिक जीवन की प्रतिस्पर्धा, तनाव, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक संक्रमण ने इस समस्या को और अधिक गहन बना दिया है।

विभिन्न अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि भारत में नशाखोरी की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है, जिसमें युवाओं की भागीदारी सर्वाधिक है। नशे की अवस्था में व्यक्ति का व्यवहार असामान्य हो जाता है, उसकी निर्णय क्षमता कमजोर पड़ जाती है तथा वह अपने सामाजिक और नैतिक दायित्वों से विमुख होने लगता है। इसके परिणामस्वरूप न केवल उसका व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होता है, बल्कि पारिवारिक संबंधों में भी तनाव उत्पन्न होता है।

इसके अतिरिक्त, नशाखोरी सामाजिक विघटन, अपराध, हिंसा तथा आर्थिक अस्थिरता जैसी समस्याओं को भी जन्म देती है। यह समस्या केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समाज के समग्र संतुलन को प्रभावित करती है। अतः नशाखोरी का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक हो जाता है, ताकि इसके मूल कारणों की पहचान कर प्रभावी समाधान विकसित किए जा सकें।

अध्ययन के उद्देश्य– प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य नशाखोरी की समस्या को समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में समझना तथा इसके विभिन्न आयामों का विश्लेषण करना है। इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. समाज में नशाखोरी के प्रति जागरूकता विकसित करना।
2. नशाखोरी के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणामों से लोगों को अवगत कराना।
3. युवा वर्ग को मादक द्रव्यों की लत से बचाने हेतु प्रभावी उपायों की पहचान करना।
4. नशाखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के उपायों का अध्ययन करना।
5. इस समस्या के समाधान में व्यक्ति, परिवार, समाज तथा सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषण करना।

अध्ययन पद्धति – प्रस्तुत शोध में उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया है। अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया गया है, जिससे विषय की व्यापक समझ विकसित की जा सके। प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत साक्षात्कार के माध्यम से प्रत्यक्ष जानकारी एकत्रित की गई, जबकि द्वितीयक स्रोतों में विभिन्न समाजशास्त्रीय पुस्तकों, शोध पत्रों, जर्नलों तथा सरकारी एवं गैर–सरकारी रिपोर्टों का अध्ययन किया गया। इन सभी स्रोतों से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण कर नशाखोरी की समस्या का समग्र एवं संतुलित अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

नशाखोरी का स्वरूप –

प्रत्येक समाज में संगठन एवं विघटन की प्रक्रियाएँ निरंतर साथ–साथ चलती रहती हैं। सामाजिक परिवर्तन के इस क्रम में कुछ प्रवृत्तियाँ समाज के संतुलन को बनाए रखती हैं, जबकि कुछ समस्याएँ सामाजिक संरचना को कमजोर करती हैं। नशाखोरी भी ऐसी ही एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जो विभिन्न ऐतिहासिक कालों में अलग–अलग रूपों में विद्यमान रही है और समय के साथ इसका स्वरूप अधिक जटिल एवं व्यापक होता गया है। नशाखोरी केवल एक व्यक्तिगत आदत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक

स्थिति है जो व्यक्ति के व्यवहार, सोच और जीवनशैली को गहराई से प्रभावित करती है। यह समस्या धीरे–धीरे व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में लेती है, जिससे वह मादक द्रव्यों पर निर्भर हो जाता है और सामान्य जीवन जीने की उसकी क्षमता प्रभावित होने लगती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मादक द्रव्य व्यसन वह अवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति में नशीले पदार्थों के निरंतर सेवन के कारण शारीरिक एवं मानसिक निर्भरता विकसित हो जाती है। इस स्थिति में व्यक्ति न केवल उस पदार्थ के बिना असहज महसूस करता है, बल्कि उसका व्यवहार, निर्णय क्षमता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व भी प्रभावित होते हैं।

नशाखोरी का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह परिवार और समाज पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके कारण पारिवारिक संबंधों में तनाव, सामाजिक असंतुलन, आर्थिक कठिनाइयाँ तथा अपराध जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इस प्रकार नशाखोरी का स्वरूप बहुआयामी है, जिसे समझने के लिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक है।

नशाखोरी के प्रकार –

मादक द्रव्यों को उनके प्रभाव के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक प्रकार का नशीला पदार्थ मानव मस्तिष्क एवं शरीर पर अलग–अलग प्रभाव डालता है, जिससे व्यक्ति के व्यवहार, सोच और स्वास्थ्य पर विविध प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। सामान्यतः नशाखोरी के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैंकृ

1. अवसादक – अवसादक पदार्थ ऐसे रसायन होते हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की गतिविधियों को धीमा कर देते हैं। इनके सेवन से व्यक्ति को अस्थायी शांति या तनाव में कमी का अनुभव होता है, किंतु दीर्घकालिक उपयोग से शारीरिक निर्भरता तथा मानसिक सुस्ती उत्पन्न हो सकती है। इनका अधिक सेवन निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है और व्यक्ति की कार्यक्षमता घट जाती है। शराब (अल्कोहल), अफीम तथा कुछ औषधीय दवाएँ इस श्रेणी में आती हैं।

2. उत्तेजक – उत्तेजक पदार्थ मस्तिष्क की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं तथा व्यक्ति में अस्थायी ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास की अनुभूति उत्पन्न करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में ये पदार्थ व्यक्ति को सक्रिय और सतर्क बनाते हैं, परंतु लगातार सेवन से चिंता, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप तथा मानसिक अस्थिरता जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। कोकीन, निकोटीन, कैफीन तथा एम्फैटेमिन इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

3. मतिभ्रमकारी – मतिभ्रमकारी पदार्थ व्यक्ति की संवेदनाओं और वास्तविकता की अनुभूति को विकृत कर देते हैं। इनके प्रभाव में व्यक्ति ऐसी चीजें देख या महसूस कर सकता है जो वास्तविकता में मौजूद नहीं होतीं। यह स्थिति मानसिक असंतुलन, भ्रम तथा भय जैसी अवस्थाओं को जन्म देती है। लंबे समय तक इनके उपयोग से मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। एलएसडी, मेस्कालाइन तथा साइलोसाइबिन जैसे पदार्थ इस श्रेणी में शामिल होते हैं।

नशाखोरी के कारण –

नशाखोरी एक बहुआयामी सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्या है, जिसके पीछे अनेक व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक कारण निहित होते हैं। यह केवल किसी एक कारक का परिणाम नहीं है, बल्कि विभिन्न परिस्थितियों के संयुक्त प्रभाव से विकसित होती है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं–

1. पाश्चात्य जीवन शैली का प्रभाव – आधुनिकता और वैश्वीकरण के प्रभाव से युवाओं में पाश्चात्य जीवन शैली अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिसमें नशे को अक्सर एक फैशन या आधुनिकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इस मानसिकता के कारण युवा आकर्षणवश नशे की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं।

2. गरीबी एवं मानसिक तनाव – आर्थिक अभाव, बेरोजगारी तथा जीवन की कठिन परिस्थितियाँ व्यक्ति को मानसिक तनाव की ओर ले जाती हैं। कई बार व्यक्ति अपने दुःख, असफलता या निराशा से बचने के लिए नशे का सहारा लेने लगता है, जो धीरे–धीरे उसकी आदत बन जाती है।

3. बुरी संगत – सामाजिक परिवेश का व्यक्ति के व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विशेषकर युवा वर्ग अपने मित्रों और साथियों से अत्यधिक प्रभावित होता है। बुरी संगत में पड़कर वे जिज्ञासा या दबाववश नशे की शुरुआत करते हैं, जो समय के साथ लत में बदल जाती है।

4. नैतिक मूल्यों का पतन – समाज में नैतिक शिक्षा एवं अनुशासन की कमी भी नशाखोरी के प्रसार का एक महत्वपूर्ण कारण है। जब व्यक्ति में सही–गलत का भेद करने की क्षमता कमजोर हो जाती है, तब वह आसानी से नकारात्मक प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित हो जाता है।

5. स्वास्थ्य के प्रति अज्ञानता – नशे के दुष्परिणामों के प्रति पर्याप्त जानकारी का अभाव भी इस समस्या को बढ़ाता है। कई लोग यह नहीं समझ पाते कि मादक पदार्थ उनके शरीर और मन पर कितना गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं, जिसके कारण वे अनजाने में इसके आदी हो जाते हैं।

6. पारिवारिक विघटन – परिवार सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख आधार होता है। संयुक्त परिवारों का विघटन, पारिवारिक संबंधों में तनाव, माता–पिता का व्यस्त जीवन तथा बच्चों पर निगरानी की कमी जैसे कारक युवाओं को गलत दिशा में ले जा सकते हैं। ऐसे वातावरण में उचित मार्गदर्शन के अभाव में नशाखोरी की प्रवृत्ति विकसित हो सकती है।

7. प्रेम में असफलता या भावनात्मक आघात – व्यक्तिगत जीवन में असफलताएँ, विशेषकर प्रेम संबंधों में निराशा, व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बना सकती हैं। ऐसी परिस्थितियों में कुछ लोग अपने दुखों से बचने के लिए नशे का सहारा लेते हैं, जो धीरे–धीरे उनकी आदत बन जाती है।

नशाखोरी के दुष्परिणाम –

नशाखोरी के प्रभाव बहुआयामी होते हैं, जो व्यक्ति के जीवन के विभिन्न स्तरोंकृव्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिककृपर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसके दुष्परिणाम केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहते, बल्कि यह समग्र सामाजिक संरचना को प्रभावित करते हैं।

1. व्यक्तिगत स्तर पर – नशाखोरी का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। निरंतर मादक द्रव्यों के सेवन से हृदय, यकृत, किडनी तथा मस्तिष्क संबंधी गंभीर रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति मानसिक असंतुलन, अवसाद, चिंता तथा व्यवहारिक विकारों का शिकार हो जाता है। धीरे–धीरे उसकी निर्णय क्षमता कमजोर पड़ जाती है और वह अपने जीवन के प्रति उदासीन हो जाता है। नशे की लत के कारण आत्मविश्वास में कमी आती है तथा व्यक्ति स्वयं को समाज से अलग–थलग महसूस करने लगता है।

2. पारिवारिक स्तर पर – नशाखोरी का प्रभाव परिवार पर भी अत्यंत नकारात्मक रूप से पड़ता है। नशे के कारण व्यक्ति की आय का बड़ा हिस्सा व्यर्थ खर्च हो जाता है, जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न होता है। इसके साथ ही परिवार में तनाव, कलह और अस्थिरता बढ़ जाती है। कई मामलों में घरेलू हिंसा, उपेक्षा तथा

पारिवारिक जिम्मेदारियों से विमुखता जैसी समस्याएँ सामने आती हैं। परिणामस्वरूप पारिवारिक संबंध कमजोर पड़ जाते हैं और परिवार का विघटन होने की संभावना बढ़ जाती है।

3. सामाजिक स्तर पर – नशाखोरी समाज के व्यापक ढांचे को भी प्रभावित करती है। इसके कारण अपराधोंकृ जैसे चोरी, हिंसा, दुर्घटनाएँ आदिकृमें वृद्धि देखी जाती है। समाज में असुरक्षा की भावना बढ़ती है तथा सामाजिक संतुलन बिगड़ता है। इसके अतिरिक्त नशे के आदी व्यक्तियों की कार्यक्षमता में कमी आने से उत्पादकता घटती है, जिससे आर्थिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार नशाखोरी न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक प्रगति में भी बाधा उत्पन्न करती है।

आर्थिक प्रभाव –

नशाखोरी का प्रभाव केवल स्वास्थ्य या सामाजिक संबंधों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका गहरा प्रभाव व्यक्ति, परिवार और समाज की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। मादक द्रव्यों के निरंतर सेवन से आर्थिक संसाधनों का अनावश्यक और अनियंत्रित उपयोग होता है, जिससे आर्थिक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। इसके प्रमुख आर्थिक प्रभाव निम्नलिखित हैं–

1. नशे पर अत्यधिक खर्च – नशाखोरी करने वाले व्यक्ति अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा मादक पदार्थों की खरीद पर खर्च कर देते हैं। यह खर्च धीरे–धीरे इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और जिम्मेदारियों की उपेक्षा करने लगता है। परिणामस्वरूप परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है और बचत की संभावना समाप्त हो जाती है।

2. उपचार पर व्यय – नशे की लत के कारण व्यक्ति को विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिनके उपचार में काफी धन खर्च होता है। अस्पतालों में भर्ती, दवाइयाँ, चिकित्सकीय परीक्षण एवं पुनर्वास केंद्रों पर होने वाला खर्च परिवार के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन जाता है। कई बार यह खर्च इतनी अधिक मात्रा में हो जाता है कि परिवार कर्ज लेने को मजबूर हो जाता है।

3. आय का नुकसान – नशे की स्थिति में व्यक्ति की कार्यक्षमता और उत्पादकता में कमी आ जाती है। वह अपने कार्यस्थल पर नियमित और प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाता, जिससे उसकी आय प्रभावित होती है। कई मामलों में नशे के कारण व्यक्ति अपनी नौकरी भी खो देता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और अधिक कमजोर हो जाती है।

4. संपत्ति का ह्रास – नशाखोरी की लत व्यक्ति को आर्थिक रूप से इतना कमजोर बना देती है कि वह अपनी संपत्ति बेचने या गिरवी रखने के लिए मजबूर हो जाता है। घर, जमीन, गहने तथा अन्य चल–अचल संपत्तियों का ह्रास होने लगता है। कुछ मामलों में व्यक्ति अपनी पूरी जीवनभर की कमाई नशे की लत में गंवा देता है, जिससे उसका भविष्य और परिवार दोनों संकट में पड़ जाते हैं।

रोकथाम के उपाय –

नशाखोरी जैसी गंभीर सामाजिक समस्या के समाधान हेतु केवल उपचारात्मक उपाय ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि इसके लिए प्रभावी रोकथाम आवश्यक है। नशाखोरी की प्रवृत्ति को प्रारंभिक स्तर पर ही नियंत्रित करने के लिए व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक स्तर पर समन्वित प्रयास किए जाने चाहिए। इसके प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैंकृ

1. नैतिक शिक्षा एवं समाजीकरण को बढ़ावा देना–

व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में नैतिक शिक्षा और उचित समाजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि बच्चों को प्रारंभ से ही सही और गलत का अंतर समझाया जाए तथा उनमें नैतिक मूल्यों का विकास किया जाए, तो वे नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रह सकते हैं। विद्यालयों एवं परिवारों में नैतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना इस दिशा में अत्यंत प्रभावी कदम है।

2. स्वास्थ्य जागरूकता अभियान – नशाखोरी के दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। इसके लिए विभिन्न माध्यमोंकृजैसे मीडिया, कार्यशालाएँ, सेमिनार एवं सामाजिक अभियानोंकृके माध्यम से जनजागरूकता बढ़ाई जा सकती है। जब लोगों को यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होगा कि नशा उनके जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है, तो वे इससे दूर रहने का प्रयास करेंगे।

3. नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना – नशे के आदी व्यक्तियों के उपचार एवं पुनर्वास के लिए नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। इन केंद्रों में चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सहायता प्रदान कर व्यक्ति को नशे की लत से मुक्त किया जा सकता है। साथ ही, ऐसे केंद्र समाज में जागरूकता फैलाने का भी कार्य करते हैं।

4. योग एवं ध्यान का अभ्यास – योग एवं ध्यान व्यक्ति के मानसिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इनके नियमित अभ्यास से तनाव, चिंता और मानसिक अशांति को कम किया जा सकता है, जो नशाखोरी के प्रमुख कारणों में से एक हैं। योग के माध्यम से व्यक्ति आत्म–नियंत्रण विकसित कर सकता है और स्वस्थ जीवन शैली अपना सकता है।

5. पारिवारिक सहयोग – परिवार व्यक्ति के जीवन का आधार होता है। यदि परिवार का वातावरण सकारात्मक और सहयोगात्मक हो, तो व्यक्ति नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रह सकता है। माता–पिता एवं अन्य पारिवारिक सदस्यों को चाहिए कि वे अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनसे संवाद बनाए रखें तथा उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करें। परिवार का समर्थन नशे की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सरकारी एवं गैर–सरकारी प्रयास –

नशाखोरी जैसी गंभीर सामाजिक समस्या के समाधान के लिए सरकार और गैर–सरकारी संगठनों (NGOs) का संयुक्त एवं समन्वित प्रयास अत्यंत आवश्यक है। सरकार इस दिशा में नीतियाँ बनाकर, कानून लागू करके तथा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नशा–नियंत्रण और पुनर्वास का कार्य करती है, जबकि गैर–सरकारी संगठन समाज में जागरूकता फैलाने और व्यक्तियों को नशे से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सरकारी स्तर पर मादक पदार्थों के उत्पादन, वितरण और उपयोग पर नियंत्रण हेतु कठोर कानून लागू किए जाते हैं। इसके साथ ही, नशामुक्ति केंद्रों की स्थापना की जाती है, जहाँ नशे के आदी व्यक्तियों का उपचार, परामर्श और पुनर्वास किया जाता है। सरकार समय–समय पर जनजागरूकता अभियान चलाती है, जिससे लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी मिल सके और वे इस समस्या से दूर रह सकें।

शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से भी नशा–विरोधी शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे युवाओं में जागरूकता और आत्म–नियंत्रण की भावना विकसित हो सके। साथ ही, विभिन्न माध्यमों जैसे टेलीविजन, रेडियो और सोशल मीडिया का उपयोग कर व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका भी इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये संगठन समाज के विभिन्न वर्गों में जाकर नशे के प्रति जागरूकता फैलाते हैं, परामर्श सेवाएँ प्रदान करते हैं और नशामुक्ति कार्यक्रम संचालित करते हैं। कुछ

संगठन विशेष रूप से युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित करते हैं, ताकि वे नशे से दूर रह सकें।

उदाहरण के रूप में ज्ञपतंद ठमकप द्वारा आरंभ किया गया "नवज्योति" अभियान नशामुक्ति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल माना जाता है। इस प्रकार के प्रयासों से न केवल नशे के आदी व्यक्तियों को सहायता मिलती है, बल्कि समाज में सकारात्मक संदेश भी प्रसारित होता है।

अतः यह कहा जा सकता है कि नशाखोरी की समस्या के प्रभावी समाधान हेतु सरकार और गैर–सरकारी संगठनों का सहयोग एवं समन्वय अत्यंत आवश्यक है। इनके संयुक्त प्रयासों से समाज में जागरूकता बढ़ती है और नशे की समस्या को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है।

निष्कर्ष – नशाखोरी आज के समय की एक अत्यंत गंभीर और व्यापक सामाजिक समस्या के रूप में उभरकर सामने आई है, जिसका प्रभाव केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह व्यक्ति के साथ–साथ उसके परिवार और संपूर्ण समाज को भी प्रभावित करता है। इसके परिणामस्वरूप शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा सामाजिक और आर्थिक जीवन भी असंतुलित हो जाता है। विशेष रूप से युवा वर्ग में नशाखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति देश के भविष्य के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी है, क्योंकि युवा ही किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति और विकास का आधार होते हैं। यदि समय रहते इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया, तो इसके दुष्परिणाम व्यापक और दूरगामी हो सकते हैं।

अतः यह आवश्यक है कि नशाखोरी की समस्या के समाधान हेतु सरकार, गैर–सरकारी संगठन, शैक्षणिक संस्थान, परिवार तथा समाज सभी मिलकर समन्वित प्रयास करें। जागरूकता, शिक्षा, सकारात्मक सामाजिक वातावरण और प्रभावी नीतियों के माध्यम से ही इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही, युवाओं को सही दिशा प्रदान कर उन्हें एक स्वस्थ, सशक्त और नशामुक्त समाज के निर्माण में सहभागी बनाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. https://www-lhindi-com/essay-on-drugabuse-in-hindi/
2. गोपाल कृष्ण, समाजशास्त्र, एस०बी०पी०डी० पब्लिशिंग हाउस 3/20–बी निकट तुलसी सिनेमा, आगरा–282002 (उ०प्र०) पृ.–241
3. आहूजा, रामः सामाजिक समस्यायें G4, 4832/24 अंसारी रोड दरियागंज नई दिल्ली–110002, पृ. 410
4. मुकर्जी एवं अग्रवालः समाजशास्त्र, एस०बी०पी०डी० पब्लिकेशन्स, 3/20 बी0 आगरा–मथुरा बाईपास रोड निकट तुलसीसिनेमा आगरा 282002, पृ. 223
5. सरोज ए. के. (2021) ग्रामीण युवकों में नशाखोरी की समस्या (जनपद जौनपुर के महाराजगंज ब्लॉक का एक समाजशास्त्री अध्ययन) शोध प्रबंध
6. Kellar, Mark; "Alcoholism: Nature and eÛtent of the Problem" in the Annals of the American Academy of Political and social sciences] Vol] 315 January 1958 P-05

Nav Jyoti
An International Multidisciplinary Journal
Peer Reviewed Refereed Journal
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.14, N. 28, June 2026
https://theopinion.navjyotijournal.in

महिलाओं की उच्च शिक्षा में आधुनिक संचार साधनों की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

रूपा मोदनवाल
शोध छात्रा–समाजशास्त्र विभाग
महाराज बलवंत सिंह पीजी कॉलेज, गंगापुर, वाराणसी
प्रोफेसर आलोक कुमार कश्यप
समाजशास्त्र विभाग
महाराज बलवंत सिंह पीजी कॉलेज, गंगापुर, वाराणसी

सारांश :

प्रस्तुत शोध पत्र महिलाओं की उच्च शिक्षा में आधुनिक संचार साधनों की भूमिका से संबंधित सीमाओं के अंतर्गत सीमांकित है। वर्तमान वैश्वीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी की युग में आधुनिक संचार साधनों ने शिक्षा व्यवस्था को व्यापक रूप से प्रभावित एवं परिवर्तित किया है। जो महिलाओं की उच्च शिक्षा के संदर्भ में आधुनिक संचार साधनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन संचार साधनों ने शिक्षा के अवसरों का विस्तार करते हुए महिलाओं को ज्ञान, कौशल, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा को एक नयी पहचान के साथ शिक्षा की भौगोलिक और सामाजिक सीमाओं को समाप्त कर दिया है। आज ऑनलाइन शिक्षा, वर्चुअल कक्षाएँ तथा डिजिटल अध्ययन सामग्री की सहायता से महिलाएँ घर बैठे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थानों के पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रही है। इससे शिक्षा का लोकतंत्रीकरण हुआ है लेकिन डिजिटल विभाजन इंटरनेट की सीमित उपलब्धता, तकनीकी ज्ञान की कमी एवं साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियाँ अभी भी महिलाओं की समक्ष मौजूद है। इन मुद्दों को हल करने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग, छात्रवृत्तियाँ और मार्गदर्शन कार्यक्रम भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं की सहायता कर रहे हैं और साथ ही वो सशक्त बन रही हैं तथा उनके कार्य बल में लैंगिक समानता भी देखने को मिल रहा है।

मुख्य शब्द :– महिला उच्च शिक्षा, आधुनिक संचार साधन, डिजिटल चुनौतियाँ, मार्गदर्शन कार्यक्रम, सामाजिक सशक्तिकरण।

प्रस्तावना :

किसी भी समाज, राष्ट्र व देश की प्रगति और वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना है तो वहां महिलाओं की शिक्षा का स्तर भी देखना चाहिए। एक शिक्षित नागरिक से जो अपेक्षा की जाती है, उसी के

आधार पर समाज का विकास निर्भर करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं के बीच साक्षरता की दर करीब 65ः था। जिसमें ग्रामीण महिलाओं का हिस्सा और भी कम था। महिला शिक्षा का अर्थ पूरे परिवार, समाज, और राष्ट्र की शिक्षा, समाज और परिवार के लिए प्रथम शिक्षिका के रूप में एक सुशिक्षित महिला नैतिकतावादी तत्वों को पूर्ण या उचित रूप से परिवार व समाज में स्थापित कर सकती है। यहाँ तक कि हमारा संविधान भी महिलाओं और पुरुषों को बराबर का अधिकार देता है लेकिन समाज महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करता है। कितनी हैरानी की बात है कि विकास का ग्राफ ऊपर चढ़ने के साथ ही आबादी में महिलाओं का अनुपात घट रहा है यह कैसा विकास है जो हमारे समाज में महिलाओं को पीछे धकेल रहा है। आजादी के बाद से हम वैभव, शिक्षा, साक्षरता, विज्ञान, चिकित्सा और तकनीकी जैसे हर क्षेत्रों में आगे बढ़े मगर महिलाओं को कम आकने की सोच को नहीं बदल पाये।

भारतीय समाज में लंबे समय तक महिलाओं की शिक्षा में अनेक सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक बधाओ से प्रभावित रही है जिसमें बाल विवाह, पर्दा प्रथा तथा लैंगिकता, आर्थिक विषमता, रूढ़िवादी सामाजिक मान्यताएँ व शिक्षा के प्रति सीमित जागरूकता के कारण महिलाओं की शिक्षा का स्तर काफी निम्न रहा है। अगर प्राचीन भारत में देखा जाए तो गार्गी, मैत्री, विदुषी, जैसी महिलाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान को प्राप्त किया तो वही मध्यकाल आते ही सामाजिक परिस्थितियों के कारण महिलाओं की शिक्षा में काफी गिरावट आने लगी थी। जो आधुनिक समय के समाज सुधारकों, शिक्षाशास्त्रियों तथा स्वतंत्रता आंदोलन के व्यक्ति के प्रयासों से महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में एक नयी दिशा मिली।

इसके पश्चात भारतीय संविधान ने महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा का अधिकार दिया तथा इसके साथ शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य अवसरों की भी व्यवस्था किया। अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो महिलाओं की शिक्षा तथा उच्च शिक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जिसमें विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय में महिलाओं की संख्या काफी मात्रा में निरंतरता के साथ बढ़ी है। हाल के वर्षों में देश में 141 विश्वविद्यालय, 14 आईआईआईटी, 7 आईआईटी, 7 आईआईएम और 1 एनआईटी की शुरुआत की गयी। वहीं उच्च शिक्षा न केवल महिलाओं के व्यक्तिगत सशक्तिकरण का साधन है बल्कि समाज में लैंगिक समानता को स्थापित करने व सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक उत्थान में भी महत्वपूर्ण योगदान है। आज के आधुनिक युग में शिक्षा को महिलाओं के लिए उनकी क्षमताओं और कौशलों को पहचानने का सबसे सशक्त माध्यम माना जाता है। अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में और समानता और उपेक्षा का सामना करना पड़ा है जिसके कारण उच्च शिक्षा तक महिलाओं की पहुँच काफी चुनौतीपूर्ण था।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आधुनिक संचार साधनों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन किया है क्योंकि आज के वर्तमान समय को सूचना एवं संचार का युग कहा जाता है । इस युग में मीडिया समाज का एक प्रभावशाली अंग बनकर उभरा है। मीडिया (सूचना एवं संचार) का स्वरूप केवल समाचारों के प्रसारण तक सीमित नहीं है बल्कि यह शिक्षा, उच्च शिक्षा, जन जागरूकता, सामाजिक परिवर्तन, व्यक्तिगत विकास का भी प्रभावी माध्यम बन चुका है। आज की इस वर्तमान डिजिटल समय में शिक्षा और प्रौद्योगिकी का समन्वय समाज के हर क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। आधुनिक संचार साधनों से तात्पर्य उन तकनीकी माध्यमों से है जिसके द्वारा सूचनाओं का आदान–प्रदान तीव्र गति से किया जाता है। इस संचार साधनों में जैसे इंटरनेट, ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लीकेशन, लैपटॉप, टैबलेट, ईमेल, सोशल मीडिया, डिजिटल लाइब्रेरी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आईसीटी इत्यादि। इस डिजिटल मीडिया तथा

संचार साधनों ने उच्च शिक्षा की परिभाषा को ही बदल दिया जिसमें महिलाओं के समक्ष सभी बाधाओं को काफी हद तक काम किया है। जो दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर सिद्ध हुआ है। जिससे महिलाएँ बिना स्थान परिवर्तन किए उच्च शिक्षा से जुड़ सकें।

कोविड–19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल संचार साधनों ने उच्च शिक्षा में निरंतरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। महिलाएँ अब केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षा को अनिवार्य नहीं मानती बल्कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर तथा उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त करने हेतु आवश्यक भी मानती हैं। अगर उच्च शिक्षा में महिला के आँकड़े को देखा जाए तो ऑल इंडिया सर्वे इन हायर एजुकेशन (AISHE) की रिपोर्ट के अनुसार 2011 और 2012 में जहाँ 1.39 करोड़ महिलाओं का नामांकन था वही 2021–2022 में यह आँकड़े बढ़कर 1.93 करोड़ हो गया जिसके परिणामस्वरुप रिपोर्ट यह बताती है की कुल नामांकन में महिलाओं की हिस्सेदारी 49% तक पहुँच गयी है।

अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन वर्ष 2014–15 में 1.57 करोड़ से बढ़कर 2022–23 में 2.18 करोड़ तथा 2023–24 में 2.24 करोड़ हो गया। अर्थात 2014–15 से 42.2% की वृद्धि हुई। इतना ही नहीं, बल्कि विज्ञान, प्रबंधन और इंजीनियरिंग जैसे– क्षेत्रों में भी महिलाओं की उपस्थिति बढ़ रही है। अगर देखा जाये तो एसटीईएम पाठ्यक्रमों में महिलाओं का नामांकन 23% बढ़कर 35.14 लाख से 43.03 लाख हो गया। इतना ही नहीं, देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में 13.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जिससे महिला छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और सुरक्षित माहौल प्रदान करना भी अति आवश्यक है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये नगद को तीन गुना बढ़ा दिया गया है जो भारतीय शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण के उद्देश्य से उच्च शिक्षा स्तर पर अकादमिक नेटवर्क बनाने के लिये 700 प्रोफेसरों ने भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में इन 1,117 विषयों का अध्यापन किया। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में 7.70 करोड़ डिजिटल पुस्तकें और जर्नल हैं, जिनमें 32 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ता इसका लाभ उठा रहे हैं।

साहित्य सर्वेक्षण :

WORLD BANK (2022)– के अनुसार डिजिटल संसाधन एक जादुई किताब की तरह हैं। जैसे एक अच्छी किताब ज्ञान का भंडार खोल देता है। वैसे ही आधुनिक संचार साधनों ने महिलाओं को शिक्षा तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसरों की एक नयी दुनिया को खोल दिया। आज महिलाएँ इंटरनेट और डिजिटल संसाधनों का उपयोग करके स्वयं को सशक्त और आत्मनिर्भर बना रही हैं, जिसमें महिलाओं के लिये कौन–कौन सी योजनाएँ चलायी जा रही हैं, उनकी जानकारी इसी संचार माध्यम के द्वारा उन तक पहुँचायी जा रही है।

कोविड–19 महामारी :–

कोविड–19 महामारी के दौरान किये गये सर्वेक्षणों से यह बात सामने आया गया है कि ऑनलाइन शिक्षा ने महिलाओं को घर पर रहकर अपनी शिक्षा तथा उच्च शिक्षा को जारी रखने का एक बेहतर अवसर प्रदान किया। लेकिन डिजिटल साधनों की कमी, खराब इंटरनेट, घरेलू कामकाज के अधिक दबाव और तकनीकी कौशल जैसे ज्ञान की कमी के कारण अनेक छात्राओं एवं महिलाओं को पढ़ने में गंभीर समस्याओं एवं मानसिक तनावों का सामना करना पड़ा। इन सब परिस्थितियों से यह साबित होता है कि ऑनलाइन

शिक्षा लचीला जरुर है लेकिन इसके सही उपयोग के लिए सभी के पास समान डिजिटल संसाधन और डिजिटल ज्ञान का होना अति आवश्यक है।

UNESCO (2021–2022) की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार–

डिजिटल शिक्षा मुक्त शैक्षिक संसाधन और दूरस्थ शिक्षा ने लैंगिक असमानता को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाया है। क्योंकि इसके माध्यम से महिलाएँ घर बैठे ही अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की भारी कमी को भी दर्शाता है। जिससे डिजिटल डिवाइड उत्पन्न होता है। जो यह बताता है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच तकनीकी उपकरणों तक पहुँच का अंतर अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इस स्थिति को सुधारने के लिए यूनेस्को "Gender Equality in Education" रणनीतियों पर जोर दे रहा है। इसके तहत तकनीकी साक्षरता बढ़ाने, महिलाओं के लिए मुक्त डिजिटल उपकरणों को उपलब्ध कराया जा सके।

National Education Policy (NEP) 2020– के अनुसार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके समानता और समावेशित सुनिश्चित करती है क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म हर छात्र–छात्राओं तक शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच को बढ़ाती है। वे समावेशी शिक्षा के माध्यम से वंचित समूहों और महिलाओं की सामान्य भागीदारी को सुनिश्चित करने में सबसे प्रभावी माध्यम माना जाता है यहाँ तक कि NEP-2020 इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम (NETF) जैसे मंच का निर्माण किया जा रहा है। यह मंच शिक्षा मूल्यांकन और प्रशासन में तकनीकी के उपयोग को बढ़ाने का मार्गदर्शन करेगा। जो दूर–दराज के क्षेत्रों में रहने वाली छात्राओं को भी घर बैठे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जा रहा है।

उद्देश्य :–

i. महिलाओं की उच्च शिक्षा में आधुनिक संचार साधनों की भूमिका का अध्ययन करना
ii. उच्च शिक्षा में आने वाली सामाजिक एवं तकनीकी चुनौतियों का अध्ययन करना
iii. आधुनिक संचार साधनों के उपकरणों या माध्यमों का अध्ययन करना
iv. उच्च शिक्षा पर आधुनिक संचार साधनों के प्रभावों का अध्ययन करना

चुनौतियाँ : सामाजिक एवं तकनीकी–

महिलाओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिसे दूर किए बिना महिलाओं की शिक्षा तथा उच्च शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। आज भी ऐसे कई परिवारों में लड़कों की शिक्षा को लड़कियों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है, जिनमें पारंपरिक सोच, रूढ़िवादी सामाजिक मान्यताएँ तथा पितृसत्तात्मक व्यवस्थायों के कारण महिलाओं की उच्च शिक्षा को अनावश्यक नहीं माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कम आयु में विवाह, घरेलू कार्यों की जिम्मेदारियाँ, सामाजिक दबाव तथा परिवार की आर्थिक परिस्थितियाँ महिलाओं की शिक्षा में बाधा उत्पन्न करते हैं। यह समस्या केवल शहरी या अर्ध शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जैसे सुरक्षित परिवहन, छात्रावास एवं उचित शिक्षण संस्थानों की कमी के कारण ऐसी कई महिलाओं को अपनी पढ़ायी बीच में ही छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं तथा इसके साथ ही उन्हें उत्पीड़न, सामाजिक भेदभाव, असुरक्षा जैसी समस्याएँ भी महिलाओं के आत्मविश्वास और शैक्षिक प्रगति को काफी मात्रा में प्रभावित करता है और यह समस्या केवल सामाजिक क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि तकनीकी क्षेत्रों में भी महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर वर्तमान

समय को देखा जाये तो शिक्षा का स्वरूप तकनीक के साथ डिजिटल व तकनीकी में परिवर्तित हो रहा है लेकिन सभी महिलाओं को समान तकनीकी सुविधाएँ उपलब्ध किया जाना इतना संभव नहीं है। विशेष रूप से उन ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उनके पास स्मार्टफोन, लैपटॉप, कम्प्यूटर, इंटरनेट जैसी आवश्यक सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। इसी डिजिटल साधनों एवं जागरूकता की कमी के कारण महिलाएँ ऑनलाइन शिक्षा, ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म इत्यादि संसाधनों का लाभ नहीं उठा पाती तथा साइबर मीडिया से होने वाले दुष्प्रभाव जैसे दृ साइबर अपराध, फर्जी आई.डी., ऑनलाइन उत्पीड़न, डेटा चोरी इत्यादि के कारण महिलाएँ डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने में असहज व असुरक्षित महसूस करती हैं।

आधुनिक संचार साधनों के माध्यम–

संचार माध्यम यह प्रदर्शित करता हैं कि शिक्षा कक्षा की चार दीवारों तक ही सीमित नहीं है ये साधन दूर–दराज के क्षेत्रों की महिलाओं को घर बैठे विश्वस्तरीय शिक्षा से जोड़ते हैं और उन्हें सशक्त बनाते हैं।

- **ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म :–** इनमें ऐसे कई सरकारी और निजी प्लेटफॉर्म घर बैठे पढ़ने के अवसर प्रदान करते हैं जैसे–
- **SWAYAM-** यह एक विशाल मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (MOOC) की पहल है जो टेलीविजन और इंटरनेट का उपयोग करके देश के सभी छात्र और छात्राओं को सुलभ और मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते है।
- **राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय–** नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया (शिक्षा मंत्रालय) की एक डिजिटल पहल है जिसे IIT खड़गपुर द्वारा विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है देश के सभी छात्र–छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण सामग्री, किताबें, ऑडियो, वीडियो, जैसे संसाधन मुफ्त में प्रदान करवाना।
- **इंटरनेट–** उच्च शिक्षा में इंटरनेट महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ है। जिससे महिलाएँ घर बैठे UNESCO Report on Digital हममें पढ़ाई के साथ कौशल, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर भी देता है, जिससे वे आत्मनिर्भर के साथ सशक्त भी बन सकें। हाल के आँकड़ों के अनुसार भारतीय महिलाओं द्वारा इंटरनेट का उपयोग तेजी से बढ़कर लगभग 64.3% हो गया है।
- **स्मार्टफोन एवं मोबाइल ऐप–** ये ऐप महिलाओं के शिक्षा तथा उच्च शिक्षा को बहुत आसान बना दिया जिससे वे घर के काम, नौकरी, बच्चों की जिम्मेदारियों के साथ इस ऐप के माध्यम से कभी भी कहीं भी पढ़ सकती हैं।
- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग–** Zoom, Google Meet और Microsoft Teams जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिलाएँ कहीं से भी ऑनलाइन कक्षाएँ, सेमिनार और कार्यशालाएँ आसानी से चला सकती हैं।
- **ई–मेल–** इंटरनेट के जरिए संदेश और फाइलों को भेजने का एक डिजिटल तरीका है। यह शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच असाइनमेंट, नोट्स और परीक्षा के अपडेट शेयर रखने का उत्तम माध्यम है।

- **सोशल मीडिया–** जैसे WhatsApp, Telegram, Facebook और LinkedIn– आधुनिक शिक्षा में बहुत सहायक सिद्ध हो रहे हैं क्योंकि ये सभी छात्र–छात्राओं को कहीं से भी जुड़ने, नोट्स शेयर करने और सहयोगात्मक रूप से कार्य करने में मदद कर रहे हैं।

उच्च शिक्षा पर संचार साधनों का प्रभाव :–

इस आधुनिक संचार साधनों के माध्यमों से शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में जहाँ सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा हैं तो वहीं डिजिटल साधनों की उपलब्धता और उपयोग से पारिवारिक व सामाजिक प्रतिबंध, इंटरनेट एवं ऑनलाइन सुरक्षा संबंधी जोखिम जैसे नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहा हैं। जो इस प्रकार है –

- **सकारात्मक प्रभाव :–**

i. संचार साधनों के माध्यम से महिलाओं को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों के शैक्षिक संस्थानों से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ।
ii. महिलाओं में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता एवं स्वयं से निर्णय लेने की क्षमताओं का विकास हुआ है।
iii. जनसंचार के माध्यम से ही महिलाओं में सामाजिक जागरूकता एवं सशक्तिकरण को अत्यधिक बल मिला है।
iv. इस जनसंचार से आजीवन शिक्षा जैसे संस्कृति को अत्यधिक बढ़ावा मिला है।
v. महिलाओं की उच्च शिक्षा में पहुँच को व्यापक रूप से विस्तार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप डिजिटल साक्षरता और तकनीकी दक्षता का विकास हुआ है।
vi. इन संचार साधनों ने शोध, नवाचार एवं ज्ञानार्जन को अत्यधिक प्रोत्साहित किया है।

- **नकारात्मक प्रभाव :–**

i. डिजिटल असमानता के कारण सभी महिलाओं को शिक्षा तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल पाता है।
ii. डिजिटल तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण महिलाओं में साइबर अपराध एवं ऑनलाइन उत्पीड़न जैसी समस्याएँ बढ़ रही है।
iii. संचार साधनों के अत्यधिक उपयोग करने से मानसिक तनाव, चिंता एवं डिजिटल थकानों की मात्रा बढ रही है।
iv. गलत ऑनलाइन सामग्रियों के उपयोग से नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों पर गहरा प्रभाव पड़ता रहा है।
v. संचार–साधनों का सही तरीके से उपयोग न करने से ऑनलाइन परीक्षा की सम्भावना अत्यधिक रूप से बढती जा रही है।
vi. संचार साधनों पर अत्यधिक रुप से निर्भरता की भी मात्रा बढती जा रही है।

भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं की शिक्षा तथा अधिकारों से सम्बन्धित कुछ प्रमुख अनुच्छेद–

- **अनुच्छेद 14–** सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और संरक्षण का अधिकार दिया गया है।

- **अनुच्छेद 15–** महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो इसके लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं।
- **अनुच्छेद 16–** सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों के लिये समान अवसर सुनिश्चित करता है।
- **अनुच्छेद 21A–** 6–14 वर्ष के सभी बच्चों (लड़का/लड़कियों) को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा।
- **अनुच्छेद 39 (क), (घ)–** महिला एवं पुरुष को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन मिले तथा साथ ही समान कार्य के लिये समान वेतन भी मिले।
- **अनुच्छेद 42–** राज्य कार्यों की न्यायसंगत व मानवोचित दशाओं का प्रसूति सहायता के लिये उपलब्ध कराना।
- **अनुच्छेद 45–** प्रारम्भिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देना।
- **अनुच्छेद 51–** ऐसी प्रथा का त्याग करना जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो।
- **अनुच्छेद 325–** बिना भेदभाव के निर्वाचन नामावली में सम्मिलित होने का अधिकार।

उच्च शिक्षा में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख सरकारी प्रयास–

भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किये हैं जो इस प्रकार हैं।

- **एआईसीटीई प्रगति छात्रवृत्ति :–**

यह योजना तकनीकी शिक्षा में महिलाओं या छात्राओं को दी जाती है जिसके फलस्वरूप पढ़ायी का खर्च उठाने के लिए महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है।

- **पीजी इंदिरा गांधी छात्रवृत्ति योजना :–**

इस योजना के तहत जो छात्राएँ अपने माता–पिता की इकलौती संतान होती हैं उन्हें मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा हर महीने छात्रवृत्ति दी जाती है।

- **सविताबाई ज्योतिबाराव फुले छात्रवृत्ति :–**

UGC के द्वारा इकलौती बेटियों को दिया जाने वाला एक विशेष वित्तीय सहायता के लिये यह योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य लड़कियों को उच्च शिक्षा (विशेषकर Ph.D) करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

- **विज्ञान ज्योति योजना :–**

इस योजना का मुख्य उद्देश्य 9 से 12वीं तक की मेधावी छात्राओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) क्षेत्रों में उच्च शिक्षा और कैरियर बनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

महिला वैज्ञानिक योजना :–

यह योजना उन महिलाओं के लिये है जिनका करियर किसी कारणवश छूट गया है। इस योजना के द्वारा महिलाओं को वापस विज्ञान और शोध के क्षेत्र में आने के लिये आर्थिक सहायता के रूप में मासिक वेतन दिया जाता है।

- **समक्ष पोर्टल :–**

उच्च शिक्षा में महिलाओं का सशक्तिकरण, UGC का यह एक पोर्टल है जिसमें महिलाओं की सुरक्षा और शिकायतों का निवारण निवारण किया जाता है।

- **महिला अध्ययन केन्द्र :–**

विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में यह स्थापित एक विशेष विभाग है। यह केन्द्र लैंगिक समानता, महिला अधिकारों और समाज में महिलाओं की भूमिका पर गहन अध्ययन करता है। जैसे– वाराणसी में स्थित बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) में भी एक सक्रिय महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित है।

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ :–**

भारत सरकार का यह एक प्रमुख सामाजिक अभियान है, जिसका आरम्भ प्रधानमंत्री जी द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है घटते लिंगानुपात को सुधारना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लड़कियों की शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना तथा महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाना, महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच एवं लिंग पर आधारित भेदभाव को समाप्त करना।

- **सुकन्या समृद्धि योजना :–** इस अभियान से प्रेरित होकर सरकार ने बालिकाओं के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा 'सुकन्या समृद्धि योजना' की भी शुरुआत की, जिसके तहत बालिकाओं के नाम पर बैंक या डाकघर में विशेष बचत खाता खोला जाता है।

निष्कर्ष :

संपूर्ण विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं की उच्च शिक्षा में आधुनिक संचार साधनों की भूमिका एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रही है। क्योंकि संचार माध्यमों और डिजिटल प्रौद्योगिकी ने महिलाओं की उच्च शिक्षा तक पहुँच को न केवल आसान बनाया है बल्कि उनकी सोच, कार्य प्रणाली के साथ जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव भी किया है। आज की शिक्षित और जागरूक महिला केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं है बल्कि राष्ट्र के निर्माण और अर्थव्यवस्था में एक सक्रिय भागीदारी की भूमिका भी निभा रही है। अगर देखा जाए तो आने वाले समय में जब संचार–साधनों का और अधिक विस्तार होगा तो महिलाओं की शिक्षा का स्तर और अधिक ऊँचाइयों को तक जाएगा। यह सशक्तिकरण ही एक विकसित समतामूलक और प्रगतिशील समाज की आधारशिला होगी। इन साधनों के प्रभाव से महिलाएं शिक्षा, अनुसंधान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रशासन, व्यवसाय, उद्यमिता, राजनीति तथा सामाजिक नेतृत्व जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उल्लेखनीय पहचान भी स्थापित कर रही है। इस संचार साधनों के माध्यम से महिलाएँ न केवल अपने आप को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रही है बल्कि अपनी रुचि के अनुसार इन तकनीकियों का उपयोग करके अपनी पढ़ायी को भी जारी रख रही हैं। इसके अलावा सरकारी तथा गैर सरकारी योजनाओं और कानून अधिकारों की जानकारी इन संचार माध्यमों के द्वारा महिलाओं तक पहुँच रही है जिससे वह किसी अन्य पर निर्भर न होकर स्वयं निर्णय ले रही हैं। आधुनिक संचार केवल शिक्षा तथा उच्च शिक्षा तक ही नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा और मजबूत जरिया बन के उभार है। शिक्षा तथा उच्च शिक्षा को वैश्विक स्तर देना बहुत आवश्यक है। जिससे महिलाएँ वैश्वीकृत समाज से खुद को जोड़ने के काबिल होंगी। इसी तरह के सुझावो को अगर बेहतर और संगठित तरीके से अमल में लाया जाएगा तो निश्चय ही महिलाओं की स्थिति में सुधार और परिवर्तन का होना और अधिक संतोषजनक होगा।

सुझाव :–

i. डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण देकर महिलाओं को आधुनिक संचार साधनों के उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सकता है।

ii. सुरक्षा, लैंगिक समानता और महिला अधिकारों से संबंधित सूचनाओं का नियमित रूप से प्रचार व प्रसार किया जाना चाहिए।

iii. ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए डिजिटल शिक्षा और इंटरनेट जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।

iv. ई–पुस्तकालय और ई–लर्निंग जैसे सामग्री सभी छात्राओं अर्थात् महिलाओं के लिए अत्यधिक सुलभ बनाए जाना चाहिए।

v. विश्वविद्यालय, शिक्षा संस्थानों और सरकार के बीच डिजिटल के संबंध में समन्वय को बढ़ाया जाए ताकि ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की सभी महिलाओं को सभी तरह की योजनाएँ और सुविधाओं की जानकारी प्रभावी ढंग से पहुँचा जा सके।

संदर्भ ग्रंथ :–

- लवानिया, डॉ० एम०एस०, ''भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र'', रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर
- पालीवाल सुभाषिणी (2019), ''भारत में महिला शिक्षा और साक्षरता'', कल्याणी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, ISBN : 978–81–88457–380, पृष्ठ संख्या–34
- सिंघल, विजेंद्र, (2026), ''जनसंचार के माध्यम'', ओम पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या–79
- शिक्षा मंत्रालय, ''अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) रिपोर्ट 2022–23 एवं 2023–24 प्रेस सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली
- शर्मा, चंद्रभूषण (जनवरी 2018), ''बालिका शिक्षा से आएगी देश में समृद्धि'', कुरुक्षेत्र, पृष्ठ संख्या–38
- कुमार, सौरभ (मार्च 2015), ''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'' योजना के आर्थिक मायने, कुरुक्षेत्र, वर्ष–61, अंक–05, पृष्ठ संख्या–8–9
- सक्सेना, अर्चना (2012), ''महिलाओं में मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग प्रयोग की स्थिति, राधा कमल मुखर्जी : चिंतन परंपरा, वर्ष–14, अंक–2, पृष्ठ संख्या–134–135
- सारस्वत, डॉ० रितु (2017), ''महिला समानता का संघर्ष, जनसत्ता महिलाओं के सशक्तिकरण में वित्तीय समावेशन में जनसंचार''.
- सिंह, डॉ० मीरा (2015), ''जनसंचार और महिला विकास'', कनिष्का पब्लिकेशन, नई दिल्ली

- पांडेय, डॉ० कुमार अरुण (2018), ''उच्च शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) की भूमिका'', शोध पत्रिका
- Kashyap, Alok Kumar."A Study of Self Help Group Lead Women Empowerment." The Opinion, Srijan Research Foundation Varanasi,U.P.,July-December 2024
- Mishra, Pratiksha, and Alok Kumar Kashyap." The Impact of Self Help Group on Decision Making Power Among Rural Women." Journal of Socio-Educational & Cultural Research, Srijan Research Foundation Varanasi,U.P., January-March 2026

❖

Nav Jyoti
An International Multidisciplinary Journal
Peer Reviewed Refereed Journal
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.14, N. 28, June 2026
https://theopinion.navjyotijournal.in

भारतीय ज्ञान परंपरा में पितृसत्ता और महिलाएँ

रंजना देवी-
शोध छात्रा, नरोत्तम सिंह, पद्म सिंह, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
मगरहां, मीरजापुर
अभिमान सिंह
नरोत्तम सिंह, पद्म सिंह, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
मगरहां, मीरजापुर

सारांश –
भारतीय परंपरा में स्त्री शक्ति, देवी, जन्मदात्री और अमेय विक्रमा (मां दुर्गा का रूप जो कभी पराजित नहीं होती) परंतु कभी भी भूमि नहीं रही है, जिनकी रजिस्ट्री करवाई जाए, जिस पर कोई अपना दावा सिद्ध करें। वास्तविकता यह है कि भारतीय संस्कृति अर्धनारीश्वरवाद पर आधारित है। भारतीय परंपरा की सबसे सुखद अनुभूति यह है कि यहां स्त्री पुरुष दोनों को एक दूसरे का संपूरक माना गया है, हमारे समाज में पितृसत्तात्मक सोच है जो स्त्री को सिर्फ और सिर्फ दासत्व के रूप में देखती है। समाज के उद्भवकाल से पितृसत्ता या पुरुष प्रधान समाज का प्रचलन रहा है और प्रत्येक समाज में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की प्रधानता प्राप्त होती रही है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था पित्तृसत्तात्मक के अंतर्गत प्रारंभ से ही यह मान्यता रही है कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को पुरुषों की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए और पूर्णरूप से उसके अधीन रहना चाहिए। विश्व के सभी क्षेत्रों और धर्मो में व्यवस्था आज भी लागू है और स्त्रियां पुरुषों के इशारे पर चलने के लिए उनके निर्णय को मानने के लिए आज ही विवश है, विकासशील देश में कहा गया है लड़कियां आजाद है। वह पीछे नहीं आगे है पर यह पितृसत्ता वाला समाज उनका पीछा नहीं छोड़ता, पैतृकता विकासशील देश में भी महिलाओं को जकड़ी हुई है। विकास के हर क्षेत्र में महिलाओं को पैतृकता का सामना करना पड़ता है। महिला नेताओं की उन्नति विशेष रूप से राजनीतिक आरक्षण के माध्यम से सत्ता की इस स्थिति को खतरे में डाल दिया। आज युवा महिलाएं सक्रिय राजनीतिक अभिनेताओं के रूप में शामिल हो रही है वे राजनीतिक संवाद में शामिल है मीडिया से जुड़ रही हैं और पारंपरिक राजनीतिक ढाँचे और संरचनाओं को तेजी से चुनौती दे रही है।
मूल शब्द – भारतीय परंपरा, पितृसत्ता, पुरुष प्रधानता, महिला लिंग असमानता, कुरीतियां, महिलाओं की स्थिति, राजनीतिक भागीदारी, रूढ़िवादिता आदि।

प्रस्तावना-

भारतीय ज्ञान परंपरा ईश्वर केंद्रित नहीं अपितु मानव केंद्रित है, जो मानव जीवन की सफलता और कल्याण के लिए लोक संग्रह के लिए प्रेरित है। भारतीय ज्ञान परंपरा अद्वितीय ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक है जिसमें ज्ञान और विज्ञान लौकिक और पारलौकिक कर्म और धर्म

तब भोग और त्याग का अद्भुत समन्वय है। भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा प्रणाली, ज्ञान, परंपरा, प्रथाएं और मानवता को प्रोत्साहित करती हैं।

पितृसत्तात्मक व्यवस्था हमारे समाज में आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही है। उस समय स्त्रियों को पिता या पति का सत्ता प्राप्त नहीं होती थी उसका हस्ताक्षरण तो पुत्र को ही होता था। वैदिक, उत्तरवैदिक, औपनिवेशिक भारत या आधुनिक और समसामयिक समय में भी भारत में समान रूप से स्पष्ट देखा जा सकता है। समकालीन भारतीय समाज में महिलाओं से संबंधित कई कुरीतियों मौजूद है जैसे कन्या भ्रूण हत्या, डकैती, हत्या, दहेज प्रथा, तलाक प्रथा बलात्कार घरेलू हिंसा संपत्ति में अधिकार न देना बिना तलाक के दस्तावेज देना यह सभी बुराइयां पितृसत्तात्मक सोच का ही मतलब है। पितृसत्ता में पुरुष हमेशा अपनी सत्ता प्रयोग नहीं करता बल्कि इस सत्ता में महिलाओं को मानसिक रूप से तैयार किया जाता है जो कुछ भी हो रहा है वह स्वाभाविक है। महिलाओं को सांस्कृतिक के नाम पर पूजा- पाठ, उत्सव, धार्मिक त्योहार और रीति रिवाजों में उलझाया जाता है। समाज में हर इंसानों को उसके समाजीकरण की प्रक्रिया यानी जन्म होने के बाद ही सिखाया जाता है जैसे पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ इसलिए पुरुषों का अलग-अलग महत्व और श्रेष्ठता प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। जिसका लाभ व आनंद वे जीवन भर इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अंतर्गत है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था को परिवार एवं सामाजिक रूप से भी बाधक माना जाता है इस व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं की शक्तियों को दबा दिया जाता है जिसके कारण महिलाओं का अक्सर सामाजिक रूप से शोषण होता है।

उद्देश्य-

1. ज्ञान का प्रचार व प्रसार करके महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में सशक्त बनाना।
2. महिलाओं के प्रति हिंसा, शोषण, कुरीतियां ,अंधविश्वास को समाप्त कर मानवीय मूल्य का निर्माण एवं नई परंपरा को विकसित करना।
3. वर्तमान समय में महिलाओं के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के प्रभाव का अध्ययन करना।
4. समाज में स्वतंत्र महिलाओं के जीवन का अध्ययन करना।
5. भारतीय समाज में नारीवाद एवं लोककथा के द्वारा पितृसत्तात्मक वाले समाज में महिलाओं के प्रति कितना प्रभाव दिखाई दिया का अध्ययन करना।

पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब मानी जाती है। इसके अंतर्गत महिलाओं की शक्तियां एवं अधिकतर पुरुषों की तुलना में बेहद कम या न के बराबर होती है। ऐसे समाज में पुरुषों को महिलाओं की तुलना में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक सांस्कृतिक रूप से अधिक श्रेष्ठता प्रदान की जाती है, जिसके कारण समाज में पुरुषों को दशकों से अधिक महत्व दिया जाता है पितृसत्तात्मक समाज के आधार पर महिलाएं केवल पुरुषों द्वारा ही स्वीकृत का पालन करती है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पुरुषों के लिए सहायकों को अधिक महत्व दिया जाता है ऐसे समाज में और शैतान को स्वतंत्र जीवन का चयन करने का निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है, जिसके कारण महिला वर्ग समाज में प्रगति करने से बहस होती रहती है। पितृसत्तात्मक समाज महिलाओं के साथ असंबंधित एवं भेदभाव करता है जिससे महिलाएं आर्थिक एवं सामाजिक रूप से स्वतंत्र नहीं होती।

कहा गया है की लड़कियां स्वतंत्र है वह पीछे नहीं आगे है लेकिन यह पितृसत्ता वाला समाज उनका पीछा ही नहीं छोड़ता। वह जहां जाती हैं ये उन्हें दबोचने की कोशिश करता है। महिलाएं घर में पिता की इजाजत उनकी खुशी जिसमें न हो वह कार्य नहीं कर सकती क्योंकि पिता की इच्छा के विरोध जाकर काम करना पिता का निरादर करना है।अब पिता के घर से निकलकर अपने पति के घर जाती है। अब यहां उसे अपने पति और ससुर की तो सुनती है। अगर बात नहीं सुनी तो वह बुरी बहू, बुरी पत्नी है। मां-बाप की परवरिश गलत है

क्यों फिर आखिर महिला अपनी इच्छा से अपना जीवन कब कैसे जीए क्या कोई टाइम टेबल बनाएं। घर भी पिता का, शादी के बाद पति का, फिर महिला का अपना घर कौन सा है। लोग कहते हैं यह उनके पिता का घर है उसके पति का घर है तो उसका आखिर कोई घर भी है या नही। पैतृकता ने उसे किसी भी चीज को अपना कहने ही नहीं दिया। आज महिलाएं लंबी लड़ाई के बाद इस समाज में खुलकर जीवन जीने की कोशिश कर रही है। अपनी आय से अपना जीवन अपनी मर्जी से जीती है। अपने खुद के घर में रहती है, अपनी चाहतों को पूरा करने में विश्वास रखती है ।इस महिला का पैतृक समाज क्या कहता है?- अरे देखो घर से दूर अकेली रहती है। देर से रात को घर आती है पता नहीं घर से दूर रहकर क्या करती होगी। लड़की को पढ़ने और नौकरी करने के लिए दूर भेज दिया जाए तो हाथ से निकल जाएगी। समाज में पितृसत्ता शब्द का इतना बोलबाला है कि यह खुद में ही पुरुषों के स्वामित्व को दर्शाने के लिए काफी है। महिलाओं के आजाद जीवन को लेकर प्रचार किए जाते हैं। देश समाज कहता है कि वह उसकी सुरक्षा कर रहा है फिर उन्हें आखिर डर क्यों लग रहा है कहीं ये पैतृक समाज द्वारा देने वाली सुरक्षा ही तो उनका डर नहीं यही नाम की दोगली सुरक्षा महिलाओं को कहीं न कहीं बांधे हुई है। सामाजिक क्षेत्र में अपने लिए जगह बनाना महिलाओं के लिए हमेशा से ही चुनौती पूर्ण रहा है। आज भी यह समस्या खत्म नहीं हुई है। नारीवादी आंदोलन के माध्यम से यह समझ विकसित हुआ है कि जब तक नीति निर्माण राजनीति और कानून प्रक्रिया में महिलाएं निर्णायक भूमिका में नहीं होगी, संस्थागत शोषण की यह प्रवृत्ति बनी रहेगी। अब महिलाएं चुनावी प्रक्रिया में शामिल होकर नेतृत्व संभालने के लिए आगे बढ़ रही है लेकिन उनकी यह यात्रा केवल चुनावी प्रक्रिया के दौरान कठिन नहीं होती। संसद जिसे लैंगिक रूप से संवेदनशील और पितृसत्ता से आजाद होना चाहिए वहां भी महिलाओं को पितृसत्ता और गैरबराबरी का सामना करना पड़ता है।

पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में कमी के कारण-

1. **पुरुष- प्रधानता -** राजनीति में महिलाओं को कम भागीदारी के मुख्य कारणों में पुरुष प्रधानता तथा इसकी संरचनात्मक कमियां है। इसकी वजह से महिलाओं को कम अवसर मिलते हैं तथा वे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में पुरुषों से काफी पीछे रह जाती है।
2. **घरेलू जिम्मेदारियां-** घरेलू जिम्मेदारियां जैसे- बच्चों की देखभाल, घर के सदस्यों के लिए खाना बनाना अन्य पारिवारिक कारणों से वह राजनीति में भाग नहीं ले पाती हैं।
3. **संस्कतिक प्रतिबंध एवं रूढ़िवाद-** सांस्कृतिक मानदंडों तथा रूढ़िवादिता के कारण भी महिलाएं राजनीति में भाग नहीं ले पाती सांस्कृतिक प्रतिबंधों में पर्दा प्रथा, किसी अन्य पुरुष से बातचीत न करना, महिलाओं का बाहर न निकलना आदि शामिल है।
4. **सामाजिक -आर्थिक कारण-** कमजोर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि भी महिलाओं की राजनीति भागीदारी में अवरोध उत्पन्न करते हैं।
5. **महिलाओं को लेकर राजनीतिक दलों की उदासीनता-** राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर देश राजनीतिक दलों तथा सरकारों ने उदासीनता प्रदर्शित की है। प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक जो कि संसद तथा राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है,को पारित करने में सभी राजनीतिक दल निरुत्साहित प्रतीत होते हैं।
6. **राजनीति की नकारात्मक छवि-** आम लोगों में राजनीति की नकारात्मक छवि तथा इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से भी महिलाएं राजनीति में कम रुचि लेती हैं।
7. **व्यक्तिगत कारण-** कई महिलाएं व्यक्तिगत करणो की वजह से भी राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती। यह व्यक्तिगत कारण है- राजनीति में रुचि न होना, जागरूकता का अभाव, शैक्षिक पिछड़ापन आदि।

नारीवाद एवं लोककथाएं-

नारीवाद सामाजिक और राजनैतिक आंदोलनों तथा विचारधाराओं की एक श्रेणी है, जो राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत एवं सामाजिक रूप से लैंगिक समानता को परिभाषित करने स्थापित करने और प्राप्त करने के एक लक्ष्य को साझा करते हैं। नारीवाद की धारणा है कि समाज पुरुष दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है और इन पितृसत्तात्मक समाजो में महिलाओं के साथ भेदभाव और अन्याय होता है इसका लक्ष्य महिलाओं के लिए पुरुषों के समान शैक्षिक और पारस्परिक अवसर और परिणाम स्थापित करना शामिल है जो पुरुष के समान हो।

नारीवाद एवं लोककथाएं महिलाओं के हक और समानता की बात करता है। जो नारी को पुरुष की भांति हक दिलाने उनको बेहतर बनाने को प्रोत्साहित करता है। किंतु नारीवाद एवं लोककथाएं कहीं ना कहीं कठपुतली की भांति कार्य करती है। नारी को कैसा होना चाहिए, कितनी समानता चाहिए और नारी को पुरुषों के समान अधिकार की बात कही जाती है। लोककथाएं भी महिला की चेतन को जगाने के लिए अन्य महिला की कथाएं समाज में सुनाई जाती है। ताकि उन्हें भी उन सा बनने की प्रेरणा मिले, किंतु भविष्य की नारियों के अपने भी सपने हो सकते हैं जो उन परिस्थितियों की महिलाओं से भिन्न हो। महिला- पुरुष मनुष्य है और शारीरिक और मानसिक रूप से भिन्न तो उनकी तुलना करना ही क्यों है। यहां समानता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, एक महिला को महिला के रूप में की समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा समाज में उनका अपना क्या दायित्व है वह यह स्वयं चुन सकती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कविता की कुछ पंक्तियां निम्न है –

'खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी'

इसमें एक स्त्री के शौर्य भाव को समाज में क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया, 'मर्दानी' शब्द उच्च और 'जनानी' शब्द निम्न क्यों हो गया तो हमें जरूरत है आज उन शब्दों के मस्तक से शौर्य का तिलक हटा सभी का करने को। **'खूब लड़ी जनानी वह तो झांसी वाली रानी थी'**

वीर रस का भाव सिर्फ पुरुष का नहीं स्त्री का भी हो सकता है। नारियों की पुरुषों से तुलना बंद करना होगा। नारियों की भी अपनी प्रकृति और अपनी विशेषताएं हैं जिसे वह जीवित रखना उसे निखारना चाहती है। नारीवाद और लोककथाएं तब सफल होगी जब वह नारी को उनके रूप विशेषता और शौर्य के यशगान को नारी के संदर्भ में तुलना रहित प्रस्तुत करने लगेगा। हमारा ध्यान यहां केंद्रित होना चाहिए कि भोजन, शिक्षा और नौकरी यह सभी मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में निहित है। यदि हम इन्हीं में उलझे रहे तो समाज में नारी के सम्मान की चर्चा कब करेंगे। नारी को हमेशा पुरुषों के खाके में रखकर सम्मान और अधिकार क्यों दिलाना जबकि दोनों प्राकृतिक रूप से समान है। अब वक्त यह समझाने का है कि स्त्री पुरुष की अपनी प्रकृति है। ना कि किसी एक से प्रकृति का सृजन होता है। समाज का सृजन नारी- पुरुष के समान होने से हुआ। किसी एक के बिना समाज अधूरा है। इसलिए महिलाओं को महिला रहने दिया जाए तथा पुरुष के समान तुलनात्मक रूप ना दिया जाए। तब नारी सशक्त होगा और लोककथाएं सदैव जीवंत व जागृत होगी समाज को आगे बढ़ाने में गति प्रदान करेगा। फिर भी देखा जाए तो राजनीतिक पटल पर सफल महिला साथियों की संख्या कम है। महिला को राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए राजनीतिक जागरूकता अति आवश्यक है, जिससे राजनीति व प्रशासन मे महिला अधिक से अधिक अपना योगदान दे सके।

निष्कर्ष-

पितृसत्ता वाले समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहित समाज के विभिन्न पहलुओं में पुरुषों को प्राथमिक शक्ति और विशेषाधिकार प्रदान किया है। पितृसत्ता का प्रभाव आधुनिक जीवन के कई पहलुओं तक फैला हुआ है, जो शिक्षा रोजगार के अवसरों और लिंग के बीच आय में असमानताओं में योगदान देता है। नारीवादी आंदोलन इन दमनकारी व्यवस्थाओं को चुनौती देने

और खत्म करने लैंगिक समानता की वकालत करने और परिवर्तन को प्रेरित करने वाली एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरा हुआ है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के बावजूद वर्तमान भारतीय समाज मे पिसत्तात्मक मानसिकता जटिल रूप में व्याप्त है। महिलाओं के लिए बहुत से संवैधानिक सुरक्षात्मक उपाय बनाए हैं, फिर भी इन सभी प्रावधानों के बावजूद देश में महिलाओं के साथ आज भी द्वितीय श्रेणी के नागरिक के रूप में व्यवहार किया जाता है। महिलाओं को आज के संस्कृति के अनुसार अपनी पुरानी रूढ़िवादी सोच बदलनी होगी और जानना होगा कि वो इस पर शोषणकारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था का एक अंग बन गई है और पुरुष को खुद पर हावी होने में सहायता कर रही हैं।

सुझाव-

भारतीय पितृसमाज में पुरुषों के समान महिलाओं को एक समान अवसर मिलने चाहिए तभी हम एक अच्छे एवं सुदृढ़ लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। महिलाओं का पूर्ण सशक्तिकरण तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक उन्हें राजनीतिक क्षेत्र सहित समाज के सभी क्षेत्रों में समान रूप से योगदान करने का अवसर न मिले। भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए स्थानीय निकाय की एक तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है लेकिन राजनीति में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अन्य प्रयास किए जाने की भी आवश्यकता है। संविधान महिलाओं को राजनीतिक चर्चा में भाग लेने, चुनाव लड़ने और स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय स्तर की सरकारों में नेतृत्व पद पर संभालने का समान अवसर देता है। हमारे समाज में लैंगिक असमानता हासिल करने के लिए राजनीति में महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी भी आवश्यक है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि से महिलाओं के मुद्दों को अधिक बार उठाया जाएगा और यह निर्वाचित निकायों के शासन करने के तरीके में सार्थक बदलाव लाएगा, खासकर उन मुद्दों में जिन्हें वे प्राथमिकता देते हैं। निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के साथ कार्य- स्थल पर एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए। बड़े-बड़े महानगरों की भांति गांव में रहने वाली लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार को नई नीतियां बनानी चाहिए। जन जागृति तथा देश के आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों पर जोर देना होगा। ऐसा वातावरण उत्पन्न करना होगा जिससे इन मूल्यों का उपयुक्त महत्व प्रदान किया जाए तभी महिलाएं ऊपर उठ सकेंगी ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां मानव द्वारा मानव का शोषण नहीं स्त्री पुरुष एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखें। स्त्री पुरुष दोनों ही पारस्परिक ईर्ष्या,द्वेष अहंभावना से ऊपर उठकर परस्पर सहयोग, परिश्रमी एवं संगठन शक्ति का उपयोग कर देश, समाज के विकास में अपना पूर्ण योगदान दे।

संदर्भ सूची-

- https://www.redalyc.org
- https://sarkaridairy.in-महिलाओं की स्थिति
- https://khaarlahariya.org- आजाद महिला का जीवन
- https://www.drishtias.com- राजनीतिक भागीदारी
- राजेंद्र प्रसाद गुप्त, स्वामी विवेकानंद ,दार्शनिक और विचार, प्रकाशक ,दिल्ली 1971 ।
- के.डी. ग्रोएडा, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया ए क्रिटिक (प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया) 1995 ।

Nav Jyoti
An International Multidisciplinary Journal
Peer Reviewed Refereed Journal
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.14, N. 28, June 2026
https://theopinion.navjyotijournal.in

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन प्लेटफार्मों का समीक्षात्मक अध्ययन

रतनेश कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय,
के.बी. पी.जी. कालेज, मीरजापुर

सारांश: भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर बल देती है कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा सभी तक पहुँच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाने हेतु तकनीक कितना आवश्यक है। NEP 2020 के तकनीकी विज़न को लागू करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय और NCERT को ऑनलाइन और मिश्रित शिक्षण पद्धतियों हेतु दीक्षा (DIKSHA), स्वयं (SWAYAM), ई-पाठशाला (e-Pathshala) जैसे प्रमुख ई-सामग्री मंच (कंटेंट प्लेटफ़ॉर्म) बनाने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी। DIKSHA, जो 2017 में Sunbird प्लेटफ़ॉर्म के सहायता से प्रारम्भ हुआ था, वर्तमान समय में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 200 मिलियन से अधिक छात्रों और 7 मिलियन शिक्षकों तक पहुँच चुका है, और इसमें स्कूली पाठ्यक्रम हेतु अनेक भाषाओं में मॉड्यूल उपलब्ध हैं। जुलाई 2017 में, सरकार का मुफ़्त MOOC पोर्टल, स्वयं (SWAYAM) लॉन्च हुआ, जिसमें 11,772 पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं और 12.5 मिलियन से अधिक नामांकन हो चुके हैं; यह माध्यमिक से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक स्व-गति से सीखने वाले प्रमाणपत्र भी प्रदान करता है। शिक्षा मंत्रालय और NCERT के सहयोग से नवंबर 2015 में ई-पाठशाला(e-Pathshala), शुरू हुआ था, जो वेब और मोबाइल ऐप के द्वारा 504 से ज़्यादा ई-पाठ्यपुस्तकों और 3,886 अन्य ई-संसाधनों (जैसे फ़्लिपबुक, ऑडियो और वीडियो) तक पहुँच प्रदान करता है तथा इसे 5 मिलियन से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। सामग्री विश्लेषण, SWOT विश्लेषण और सरकारी रिपोर्टों व प्लेटफ़ॉर्म विश्लेषण से प्राप्त आंकड़ों के एक समग्र विश्लेषणात्मक ढाँचे का उपयोग करते हुए, प्रस्तुत अध्ययन प्रत्येक प्लेटफ़ॉर्म के डिज़ाइन, सामग्री की विविधता, उपयोगकर्ता जुड़ाव और पाठ्यक्रम के साथ तालमेल की समीक्षा प्रस्तुत करता है। अध्ययन में पाया गया कि इन प्लेटफार्मों का उपयोग उपयोगकर्ता की उच्च संतुष्टि की ओर इशारा करते हैं, जहाँ 97% छात्र स्व-मूल्यांकन उपकरणों का उपयोग करते हैं और शिक्षक पाठ योजना बनाने के लिए इस उपकरण का व्यापक रूप से उपयोग कर रहे हैं। फिर भी, ब्रॉडबैंड बुनियादी ढाँचे, स्थानीयकरण और शिक्षकों की डिजिटल साक्षरता में पुरानी समस्याएँ, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तक समान पहुँच और शिक्षण नवाचार में बाधा डालती हैं। ग्रामीण कनेक्टिविटी कोष में वृद्धि, शिक्षकों के लिए ई-शिक्षण क्षमता निर्माण, और प्लेटफ़ॉर्म की पेशकशों में सुधार को प्रेरित करने के लिए बार-बार प्रतिक्रिया लेने की प्रक्रियाएँ भविष्य की नीतियों के क्रियान्वयन में उपयोगी हो सकते है। NEP 2020 के उद्देश्यों के साथ

अनुभवजन्य ज्ञान को एकीकृत करके, इस तरह की समीक्षा तकनीक-संवर्धित शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने और पूरे देश में व्यापक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाने के लिए साक्ष्य-आधारित विचार प्रस्तुत करती है।

प्रमुख शब्द : प्रौद्योगिकी-संवर्धित शिक्षण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, डिजिटल समावेशन, ई-सामग्री मंच, भारत में शैक्षिक समानता

भूमिका

शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल बदलाव के लिए चल रहे व्यापक वैश्विक प्रयासों के संदर्भ में यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि कैसे तकनीकी नवाचारों ने सीखने के तरीकों को बदल दिया है और COVID-19 के कारण पैदा हुई बाधाओं के परिणामस्वरूप डिजिटल अपनाने की प्रक्रिया को तेज़ कर दिया है। यह भारत के डिजिटल शिक्षा, प्रारम्भिक प्रयासों जैसे कि ICT के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन (NMEICT) और MOOCs से लेकर, 'डिजिटल इंडिया अभियान' के व्यापक विस्तार और SWAYAM तथा 'राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय' जैसी सरकारी प्रयासों तक के परिदृश्य का अनुसरण करती है।

शिक्षा में वैश्विक डिजिटल परिवर्तन :

UNESCO के अनुसार, यह परिवर्तन अलग-अलग अधिगम के वातावरण में पहुँच, गुणवत्ता वृद्धि और सभी को शामिल करके, सतत विकास लक्ष्य 4 की दिशा में प्रगति की गति को तेज़ कर सकता है। COVID-19 महामारी ने डिजिटल समाधानों की ज़रूरत को और बढ़ा दिया है: स्कूलों के बंद होने और लॉकडाउन के कारण दूर से पढ़ाई (रिमोट लेसन) की ओर तेज़ी से परिवर्तन करना पड़ा, जिससे ऑनलाइन सीखने के तरीकों में संभावनाएँ भी दिखीं और साथ ही ऑनलाइन सीखने तक पहुँच और उसकी तैयारी में भारी असमानताएँ भी सामने आईं। इसके जवाब में, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने एक टिकाऊ और सबको साथ लेकर चलने वाली डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए, इंसान-केंद्रित ढाँचे और आम मानक शुरू किए हैं; जिनमें शासन, डिजिटल साक्षरता और सीखने वालों के अधिकारों की सुरक्षा को केंद्र में रखा गया है। इन सब प्रगतियों के बावजूद, वैश्विक समुदाय अभी भी डिजिटल खाई, बुनियादी ढाँचे की कमियों और शिक्षकों के प्रशिक्षण की ज़रूरतों जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। UNESCO के हालिया सर्वेक्षणों से पता चलता है कि केवल 40 प्रतिशत प्राथमिक स्कूल ही इंटरनेट से जुड़े हैं, और 10 प्रतिशत से भी कम संस्थानों के पास कक्षाओं में AI और उन्नत तकनीक के इस्तेमाल को लेकर कोई औपचारिक नीति है।

भारत में डिजिटल बदलाव:

भारत की डिजिटल शिक्षा की यात्रा NEP 2020 से पहले ही प्रारम्भ हो गई थी। NMEICT कार्यक्रम (जो 2009 में प्रारम्भ हुआ था) ने MOOCs, वर्चुअल लैब्स और राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को लागू करने के राष्ट्रीय अभियान को दिशा दी, जिसका उद्देश्य सीखने वालों को कक्षा-कक्ष से बाहर भी शिक्षा देना था। 2015 के 'डिजिटल इंडिया अभियान' ने भी इस दिशा में तेज़ी लाई। इसने ब्रॉडबैंड की पहुँच एवं ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया, और शिक्षा जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित किया। सरकार ने SWAYAM, NPTEL और वर्चुअल लैब्स जैसे अलग-अलग प्लेटफॉर्म के ज़रिए उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों तक पहुँच को सभी के लिए सुलभ बनाया। इससे शहरी और ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थी और शिक्षक एक-दूसरे से जुड़ पाए। इसके बावजूद, कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री और शिक्षकों की डिजिटल दक्षता में अभी भी अंतर थे। इससे यह स्पष्ट हो गया कि डिजिटल शिक्षा की पहलों को मज़बूत करने और उनका विस्तार करने के लिए एक एकीकृत नीतिगत ढाँचे की आवश्यकता है। 2020 तक, भारत दुनिया में ऑनलाइन सीखने वालों की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में से एक बन गया था, लेकिन ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों और सामाजिक-आर्थिक स्तरों के बीच अभी भी काफ़ी अंतर देखे जा सकते हैं । इन चुनौतियों को देखते हुए नीति निर्माताओं ने एक ऐसा सुसंगत खाका तैयार करने के बारे में सोचा, जो बुनियादी ढाँचे, सामग्री निर्माण और क्षमता निर्माण के बीच तालमेल बिठा सके। इसका उद्देश्य यह

सुनिश्चित करना था कि डिजिटल उपकरण सभी स्तरों पर समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने वाले माध्यम के रूप में काम करें।

तकनीक-आधारित शिक्षा में NEP 2020 का विज़न:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई है। इसने तकनीक को शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने, गुणवत्ता सुधारने और सीखने में समानता लाने का एक स्पष्ट माध्यम बनाया है। NEP 2020 के अध्याय 23 में डिजिटल एकीकरण के लिए एक विस्तृत रणनीति दी गई है। इसके लिए एक मज़बूत डिजिटल बुनियादी ढाँचा बनाने, ई-कंटेंट की रूप-रेखा तैयार करने, ICT-सक्षम शिक्षण उपकरणों का उपयोग करने और ऐसे डिजिटल मूल्यांकन तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है जिनका विस्तार किया जा सके। इस विज़न के मूल में चार मुख्य पहलू हैं: डिजिटल पाठ्यपुस्तकें, गतिशील ई-कंटेंट, अंतर्क्रियात्मक ई-मूल्यांकन, और शिक्षकों की निरंतर क्षमता-निर्माण, जिससे तकनीक-आधारित शिक्षण पद्धतियों को संस्थागत रूप दिया जा सके और आजीवन अधिगम के मार्ग प्रशस्त किए जा सकें। NEP 2020 में एक 'राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच' (NETF) बनाने का भी प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और भारतीय शिक्षा के निरंतर डिजिटल रूपांतरण को दिशा देना है। NEP 2020 के रणनीतिक लक्ष्यों के केंद्र में तकनीक को रखने का उद्देश्य एक ऐसे भविष्य की कल्पना करना है, जहाँ डिजिटल माध्यम पारंपरिक शिक्षा को और अधिक समृद्ध करें; व्यक्तिगत और योग्यता-आधारित शिक्षा को समर्थन दें; और शिक्षकों को ऐसी समावेशी व डेटा-आधारित शिक्षण पद्धतियाँ तैयार करने में सक्षम बनाएँ, जो सीखने की प्रक्रिया को प्रासंगिक बनाती हों। इस नीति की दूरदर्शी सोच उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू होती है। इसमें एक 'राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय' की स्थापना का आह्वान किया गया है, और साथ ही क्रेडिट-आधारित MOOCs (मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़) तथा ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देने की वकालत की गई है, जिससे शिक्षा तक पहुँच को और व्यापक बनाया जा सके तथा वैश्विक स्तर पर सहयोग को प्रोत्साहित किया जा सके। ये पहलें NEP 2020 के उन मुख्य उद्देश्यों को उजागर करती हैं, जिनमें 'डिजिटल खाई' को पाटना, नवाचार को गति देना और शिक्षार्थियों को एक ऐसी 'ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था' के लिए तैयार करना शामिल है, जो तेज़ी से हो रहे तकनीकी परिवर्तनों से प्रभावित है। यह भारत के प्रमुख ई-कंटेंट प्लेटफॉर्म (जैसे DIKSHA, SWAYAM और e-Pathshala) की गहन विश्लेषणात्मक समीक्षा हेतु आवश्यक आधार तैयार करती है। यह इन प्लेटफॉर्मों को वैश्विक रुझानों और राष्ट्रीय परिदृश्यों के संदर्भ में देखती है, और नीतिगत निर्देशों के माध्यम से इनके डिज़ाइन व कार्यान्वयन को आकार देती है।

संबन्धित साहित्य की समीक्षा

वत्स, एस (2024) ने "NEP 2020: भारत में डिजिटल लर्निंग का भविष्य" विषय पर एक अध्ययन किया है, जो इस बात का एक अवलोकन प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार NEP 2020 का डिजिटल लर्निंग रोडमैप, सीखने की प्रक्रिया को चार मुख्य बिंदुओं जैसे बुनियादी ढांचे का विस्तार, गुणवत्तापूर्ण ई-कंटेंट निर्माण में उत्कृष्टता, और शिक्षकों का निरंतर प्रशिक्षण, के सहायता से आगे ले जाने के लिए तैयार है। अध्ययन में पाया गया कि, यद्यपि NEP के दृष्टिकोण में असमानता के अंतर को कम करने की पर्याप्त क्षमता है, फिर भी इस दृष्टिकोण की सफलता ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड की पहुँच में सुधार, निरंतर व्यावसायिक विकास को संस्थागत रूप देने, और विविध शिक्षार्थी समुदायों को आपस में जोड़ने हेतु बहुभाषी संसाधनों के विकास पर निर्भर करेगी।

वैदिवेल, एम. एवं आदित्य, एस.एस. (2024) ने भारत में ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म अपनाने पर एक शोध किया और इसके मुख्य कारणों जैसे : उपयोग में आसानी, सामग्री की प्रासंगिकता और आधिकारिक आवश्यकताओं की खोज की। उन्होंने पाया कि शहरी छात्रों की भागीदारी ग्रामीण छात्रों की तुलना में 60% ज़्यादा है, जिसका मुख्य कारण बेहतर कनेक्टिविटी है; साथ ही, शिक्षकों

का प्रोत्साहन छात्रों द्वारा इन प्लेटफॉर्म को अपनाने में अहम भूमिका निभाता है। शोधकर्ता ने सुझाव दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार करने के लिए विशेष डिजिटल साक्षरता कार्यशालाएँ आयोजित की जानी चाहिए और शैक्षिक प्लेटफॉर्म के लिए निःशुल्क डेटा की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

अंसारी, एस. (2023) ने 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और ई-लर्निंग: एक गहन सैद्धांतिक विश्लेषण' शीर्षक से एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में NEP 2020 के प्रावधानों (जैसे 'चार-चतुर्थांश दृष्टिकोण') की तुलना मौजूदा ICT ढाँचों और ओपन-सोर्स शिक्षा मॉडलों से की गई है। यह शोध-पत्र दर्शाता है कि पाठ्यक्रम निर्माण और मूल्यांकन उपकरणों के मामले में नीति में बेहतरीन तालमेल है, लेकिन डेटा गोपनीयता और AI-आधारित व्यक्तिगत शिक्षा (personalization) से जुड़े प्रोटोकॉल में कुछ कमियाँ मौजूद हैं। अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि नवाचार को बढ़ावा देने और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, छात्रों के डेटा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय दिशा-निर्देश बनाए जाने चाहिए और AI-सक्षम 'अनुकूली शिक्षण मॉड्यूल' (adaptive learning modules) का परीक्षण किया जाना चाहिए।

मीरामणि, एवं सहयोगी (2024) ने 'भारत में डिजिटल शिक्षण प्लेटफॉर्म: एक व्यापक समीक्षा और विश्लेषण' शीर्षक से एक अध्ययन किया। इस समीक्षा में दीक्षा (DIKSHA), स्वयं (SWAYAM) और ई-पाठशाला (e-Pathshala) जैसे प्लेटफॉर्म की संरचना (architecture), सामग्री के वर्गीकरण (content taxonomy) और उपयोगकर्ता विश्लेषण (user analytics) का विस्तृत अध्ययन किया गया है। इन प्लेटफॉर्म के प्रमुख लाभों में पाठ्यक्रम के साथ मज़बूत तालमेल और बहुभाषी सहायता शामिल हैं; वहीं, उपयोगिता परीक्षणों से पता चला है कि इनके नेविगेशन प्रवाह में कुछ विसंगतियाँ हैं और शिक्षकों के लिए उपलब्ध 'एनालिटिक्स डैशबोर्ड' का दायरा काफी सीमित है। अध्ययन में पाया गया कि इन प्लेटफॉर्म की विस्तार क्षमता (scalability) इस बात पर निर्भर करेगी कि उनके यूज़र इंटरफ़ेस (UI) को कितने प्रभावी ढंग से नया रूप दिया जाता है, तीसरे पक्ष के उपकरणों के साथ API एकीकरण को कितना बेहतर बनाया जाता है, और छात्रों से प्राप्त होने वाली प्रतिक्रियाओं (feedback) के आधार पर उनमें कितने त्वरित सुधार किए जाते हैं।

पटेल आर. एवं आयर, के. (2023) ने 'NEP 2020 के संदर्भ में डिजिटल शिक्षण' शीर्षक से एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में कक्षा-आधारित केस स्टडीज़ का गुणात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पाया गया कि NEP 2020 के अंतर्गत शुरू किए गए 'मिश्रित शिक्षण' (blended learning) के प्रायोगिक कार्यक्रमों ने शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया है। अब शिक्षा केवल 'रटकर याद करने' तक सीमित न रहकर, 'परियोजना-आधारित' और 'खोज-उन्मुख' (inquiry-driven) मॉडलों पर आधारित हो गई है। अध्ययन में पाया गया कि 45% शिक्षकों का मानना है कि वे अंतर्क्रियात्मक ई-मॉड्यूल डिज़ाइन करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं अतः यह अध्ययन अनिवार्य सेवा
कालीन प्रशिक्षण और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 'पीयर मेंटरिंग नेटवर्क' की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है।

कुमार, आर. (2022), ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के ई-लर्निंग में ICT पहलों पर एक अध्ययन किया, जो NMEICT (2009) के अंतर्गत राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी के विकास से लेकर NEP 2020 प्लेटफॉर्म तक के सफर को दर्शाता है। उनका मानना है कि शुरुआती वर्चुअल लैब प्रोजेक्ट और MOOCs ने 'प्रूफ ऑफ़ कॉन्सेप्ट' (अवधारणा की पुष्टि) तो शानदार ढंग से पेश किया, लेकिन उनके पास कोई ठोस फंडिंग या शासन संरचनाएँ नहीं थीं। इस विश्लेषण के अनुसार, पुरानी नवाचारों को 'राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच' (NETF) के तहत शामिल किया जाना चाहिए, जिससे सुव्यवस्थित शासन, संसाधनों का एकीकरण और उभरते हुए प्लेटफॉर्म के साथ 'बैकवर्ड कम्पैटिबिलिटी' (पिछली प्रणालियों के साथ अनुकूलता) सुनिश्चित की जा सके।

शर्मा, पी. एवं गुप्ता, एस. (2023) ने भारत में ऑनलाइन शिक्षा के लिए सहायक कारकों और बाधाओं पर एक अध्ययन किया: 'PRISMA' पद्धति के माध्यम से किए गए इस व्यवस्थित समीक्षा अध्ययन में 56 अध्ययनों का चयन किया गया। इन अध्ययनों

में पाया गया कि बुनियादी ढांचे की कमी, डिजिटल साक्षरता में अंतर और सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ, ई-लर्निंग के मार्ग में प्रमुख बाधाएँ हैं। दूसरी ओर, उन्होंने 'मोबाइल-फर्स्ट' रणनीतियों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रमुख सहायक कारक बताया है। उनके 'मेटा-विश्लेषण' से यह निष्कर्ष निकला कि यदि प्रौद्योगिकी तक पहुँच को शिक्षण-प्रशिक्षण (pedagogical training) के साथ जोड़ दिया जाए, तो इससे सीखने की क्षमता में अकेले प्रौद्योगिकी के उपयोग की तुलना में 25% अधिक वृद्धि होती है।

पार्वती, के. एवं राजेंद्रन, एस. (2024) ने 'प्रौद्योगिकी-संवर्धित शिक्षण' (TEL) को अपनाने और छात्रों के प्रदर्शन पर 'टेक्नो-स्ट्रेस' (प्रौद्योगिकी-जनित तनाव) के प्रभाव की जाँच करने के लिए एक अध्ययन किया। कुल 1,200 उच्च शिक्षा के छात्रों पर किए गए इस सर्वेक्षण में पाया गया कि TEL प्लेटफॉर्म का बार-बार उपयोग करने से छात्रों में 'स्व-नियमित शिक्षण' (self-regulated learning) की क्षमता तो बेहतर होती है, लेकिन साथ ही उनमें 'टेक्नो-स्ट्रेस' की शिकायतें भी बढ़ जाती हैं; यह तनाव थकान, चिंता और प्रेरणा में कमी के रूप में सामने आता है। उन्होंने सुझाव दिया है कि तनाव को कम करने के लिए 'एकीकृत कल्याण मॉड्यूल' (integrated wellness modules) जैसे कि 'डिजिटल ब्रेक' के लिए संकेत (prompts) और 'माइंडफुलनेस' (सचेतनता) के अभ्यास का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे छात्रों की सीखने की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी (engagement) पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

सिंह, ए. (2024) ने 'नई शिक्षा नीति 2020' (NEP 2020) के डिजिटल शिक्षण पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए एक अध्ययन किया। इस समीक्षा अध्ययन में भारत के NEP ढांचे की तुलना वैश्विक स्तर की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों (best practices) से की गई है। अध्ययन में पाया गया कि 'क्रेडिट-आधारित MOOCs' और 'हाइब्रिड डिग्री प्रोग्राम' उच्च शिक्षा तक पहुँच को बढ़ाएंगे और छात्रों की 'शैक्षिक गतिशीलता' (academic mobility) को प्रोत्साहित करेंगे। हालाँकि, 'क्रेडिट हस्तांतरण' और 'गुणवत्ता आश्वासन' (quality assurance) के संबंध में अभी भी स्पष्ट विनियामक दिशा-निर्देशों की आवश्यकता है। एक शोध-पत्र राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय पहल को समर्थन देने के लिए एक परस्पर-संचालनीय अकादमिक क्रेडिट रजिस्ट्री की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।

जोसेफ, जे., एवं नाम्बिसन, पी. (2024) ने भारत में महामारी और शिक्षा के प्लेटफ़ॉर्मीकरण पर एक अध्ययन किया, जिसमें यह अध्ययन किया गया कि कोविड-19 ने दीक्षा और स्वयं जैसे कार्यक्रमों को अपनाने की गति को कैसे बढ़ाया, साथ ही शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा तक पहुंच में अंतर को भी कैसे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान 40% ग्रामीण शिक्षार्थियों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, इसलिए सरकार को दूरसंचार कंपनियों के साथ मिलकर शैक्षिक सामग्री को शून्य दरों पर उपलब्ध कराने के लिए सहयोग करना पड़ा। शोधार्थी ने सुझाव दिया कि आपातकालीन उपायों के बाद ऐसी पहलों का समर्थन करने के लिए स्थायी नीतिगत व्यवस्थाओं की आवश्यकता है।

खंडूरी, वी., एवं वरुणनी, जी. (2023) ने "अधिगम में क्रांति: डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से प्रौद्योगिकी-संवर्धित शिक्षण के प्रभाव पर एक खोजपूर्ण अध्ययन" शीर्षक से एक शोध किया, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्रों की अध्ययन आदतों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया। इस केन्द्रित समूह अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि SWAYAM जैसे प्लेटफॉर्म पर एआई-संचालित अनुशंसा इंजन शिक्षार्थी स्वायत्तता और विषयवस्तु की गति में सुधार करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप समय पर दत्त कार्य (असाइनमेंट) जमा करने में 20% की वृद्धि होती है। प्रतिभागियों ने मेटाकॉग्निटिव दक्षताओं में सुधार पर भी टिप्पणी की, लेकिन व्यक्तिगत शिक्षण पथों पर विश्वास और नियंत्रण बनाने में मदद करने के लिए पारदर्शी एआई व्याख्या क्षमता सुविधाओं का अनुरोध किया।

शुक्ला, आर., एवं सिंह, डी. (2023) ने एनईपी 2020 के अंतर्गत 'शिक्षा के डिजिटलीकरण: संभावनाएं और चुनौतियां' पर एक अध्ययन किया। इस समीक्षा में बुनियादी ढांचे संबंधी बाधाओं जैसे कि अनियमित ऊर्जा आपूर्ति और सीमित क्षेत्रीय भाषा सामग्री को एनईपी 2020 की डिजिटल आकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण अवरोध के रूप में उजागर किया गया है। शोधकर्ता ने विशेष रूप से स्कूलों में माइक्रोग्रिड निवेश, स्थानीय भाषा विकासकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन योजनाओं के विकास और सामुदायिक आधारित डिजिटल साक्षरता अभियानों का सुझाव दिया हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म सभी शिक्षार्थी समूहों तक पहुंच सके ।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. NEP के 2020अंतर्गत प्रारम्भ किए गए या मज़बूत किए गए मुख्य ई कंटेंट प्लेटफ़ॉर्म की समीक्षा करना।-
2. ई कंटेंट प्लेटफ़ॉर्म-तक पहुँच, उपयोगकर्ता जुड़ाव और शैक्षणिक प्रभावशीलता का विश्लेषण करना।
3. NEP के समानता 2020, गुणवत्ता और डिजिटल समावेशन के लक्ष्यों के साथ उनके तालमेल का मूल्यांकन करना।

अध्ययन के प्रश्न:

1. NEP के 2020अंतर्गत शुरू किए गए या मज़बूत किए गए ई) कंटेंट प्लेटफ़ॉर्म-DIKSHA, SWAYAM, e-Pathshala) की मुख्य विशेषताएँ, कार्यक्षमताएँ और सीमांकन क्या हैं?
2. ये प्लेटफ़ॉर्म विविध शिक्षार्थी और शिक्षक समुदायों के लिए कितने सुलभ हैं, उपयोगकर्ता इनकी विशेषताओं के साथ कैसे जुड़ते हैं, और इनकी शैक्षणिक प्रभावशीलता के संबंध में क्या प्रमाण मौजूद हैं?
3. DIKSHA, SWAYAM और e-Pathshala किस सीमा तक NEP के समानता को 2020बढ़ावा देने, उच्चगुणवत्ता - वाली शैक्षणिक सामग्री सुनिश्चित करने, और सामाजिकआर्थिक तथा भौगोलिक विभाजनों के पार डिजिटल समावेशन को - आगे बढ़ाने के उद्देश्यों को पूरा करते हैं?

शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन दीक्षा (DIKSHA), स्वयं (SWAYAM) और ई-पाठशाला (e-Pathshala) की समीक्षा करने के लिए एक मिश्रित-पद्धति विश्लेषणात्मक विधि का उपयोग किया गया है। सबसे पहले, NEP 2020 प्लेटफ़ॉर्म के दस्तावेज़ों और नीति-संबंधी लेखों का गुणात्मक सामग्री विश्लेषण किया गया है, जिससे उनके डिज़ाइन की विशेषताओं, घोषित उद्देश्यों और शासन-प्रबंध की कार्यप्रणालियों को निकाला जा सके। दूसरे, उपयोग के आँकड़े (जैसे नामांकन, सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या और सामग्री डाउनलोड) आधिकारिक डैशबोर्ड और NCERT की रिपोर्ट से एकत्र किए गए हैं, और उनके अपनाने के तरीको को मापने के लिए उनका वर्णनात्मक विश्लेषण किया गया है। तीसरे, सभी प्लेटफ़ॉर्मों के लिए एक SWOT विश्लेषण किया गया है; इसके लिए उपयोगकर्ता सर्वेक्षणों, शिक्षकों और नीति-निर्माताओं के साथ विशेषज्ञों के साक्षात्कारों, और सहकर्मी-समीक्षित अध्ययनों से प्राप्त जानकारियों को एक साथ मिलाकर उनका संश्लेषण किया गया है। अंत में, NEP 2020 के समता, गुणवत्ता और डिजिटल समावेशन के लक्ष्यों के साथ इन प्लेटफ़ॉर्मों के तालमेल का मूल्यांकन एक तुलनात्मक रूब्रिक की सहायता से किया गया है, जिसमें प्लेटफ़ॉर्म की विशेषताओं और प्रदर्शन संकेतकों की तुलना नीति-संबंधी मानकों से की गयी है। ये सभी विधियाँ मिलकर दस्तावेजी, मात्रात्मक और अवधारणात्मक आँकड़ों का त्रिकोणीय विश्लेषण (triangulation) करने में सहायता करती हैं, और इन प्लेटफ़ॉर्मों की सुलभता, शिक्षण-संबंधी प्रभावशीलता और नीतिगत सुसंगति के बारे में एक ठोस तथा साक्ष्य-आधारित समझ प्रदान करती हैं।

आंकड़ों का संग्रह:

प्रस्तुत अध्ययन हेतु, द्वितीयक आंकड़ों को शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत NEP 2020 में डिजिटल लर्निंग लागू करने की रिपोर्टों से प्राप्त किया गया है, जिससे नीति निर्देशों और कार्यक्रम की पहुँच को समझा जा सके (MoE, 2021); इसके अलावा, NITI Aayog द्वारा भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रोडमैप का विश्लेषण, और NCERT के e-Pathshala एप्लिकेशन के उपयोग के आँकड़ों के परिणाम (जिसमें डाउनलोड की संख्या और प्लेटफ़ॉर्म पर बिताए गए समय का विवरण शामिल है) भी लिए गए (NCERT, 2022)। शोधकर्ता ने DIKSHA और SWAYAM डैशबोर्ड से प्लेटफ़ॉर्म एनालिटिक्स (सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या, कोर्स के लिए नामांकन, और सामग्री डाउनलोड की मात्रा) प्राप्त किए, जिससे जुड़ाव और सामग्री की पहुँच की गणना की जा सके। इन निष्कर्षों को जनसांख्यिकीय संदर्भ देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और नामांकन पर UDISE+ के स्कूल-स्तरीय डेटा (UDISE+, 2024) और AISHE के राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नामांकन और संस्थानों के घनत्व के आँकड़ों (AISHE, 2022) को भी शामिल किया है।

निष्कर्ष एवं विश्लेषण :

➢ NEP 2020 के अंतर्गत ई-कंटेंट प्लेटफ़ॉर्म की मुख्य विशेषताएं:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, भारत ने अपनी मुख्य डिजिटल लर्निंग पहल DIKSHA की शुरुआत की है। एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और ओपन एजुकेशनल रिसोर्स सेंटर के तौर पर, DIKSHA QR कोड के उपयोग से 36 से ज़्यादा भारतीय और कुछ अन्य भाषाओं के लिए "एनर्जाइज़्ड" टेक्स्ट-बुक, बहुभाषी सामग्री, शिक्षक विकास कार्यक्रम, विश्लेषणात्मक उपकरण और कम्युनिटी फ़ीचर उपलब्ध कराता है। SWAYAM, Massive Open Online Courses के लिए सरकार का ओपन प्लेटफ़ॉर्म है। यह प्लेटफ़ॉर्म चार-चतुर्थांश (four-quadrant) दृष्टिकोण की मदद से बनाया गया है; इसमें वीडियो व्याख्यान, डाउनलोड करने लायक पढ़ने की सामग्री, खुद का मूल्यांकन करने वाली क्विज़ और अंतर्क्रियात्मक चर्चा फ़ोरम शामिल हैं। अब इसे SWAYAM Plus के साथ और बेहतर बनाया गया है, जिसमें संस्थानों से जुड़े पाठ्यक्रम, AI-आधारित मार्ग, क्रेडिट सर्टिफ़िकेशन और रोज़गार के रास्ते शामिल हैं। DIKSHA, e-Pathshala का भी पूरक है, जिसे NCERT द्वारा ही प्रबंधित किया जाता है। यह कार्यक्रम ऑनलाइन डिजिटल टेक्स्टबुक, ऑडियो-विज़ुअल पाठ, अतिरिक्त प्रश्न सेट और शिक्षक-प्रशिक्षण मॉड्यूल की एक बड़ी श्रृंखला प्रदान करता है। जब इन सभी को एक साथ देखा जाता है, तो ये प्लेटफ़ॉर्म टेक्नोलॉजी- आधारित शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा से आगे ले जाकर व्यावसायिक कौशल और सतत सीखने तक पहुँचाते हैं, जो NEP 2020 के समान, उत्कृष्ट और समावेशी डिजिटल शिक्षा के लक्ष्य के अनुरूप है।

1) दीक्षा (DIKSHA)

ज्ञान साझा करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सितंबर 2017 में शुरू किया गया था और COVID-19 के समय में PM e-Vidya पहल में एकीकृत किया गया था। DIKSHA एक ओपन-सोर्स Sunbird माइक्रो-सर्विसेज़ आर्किटेक्चर पर काम करता है और स्कूली शिक्षा के लिए भारत का "एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म" है। NCERT, CBSE और राज्य के पाठ्यक्रम के अनुरूप अपने QR से सम्बद्ध टेक्स्टबुक का उपयोग करके, DIKSHA वीडियो, सिमुलेशन और वर्कशीट सहित सामग्री तक तुरंत पहुँच प्रदान करता है। सामग्री बनाने के तरीके उपलब्ध कराकर, साथियों के बीच सहयोग बढ़ाकर और NISHTHA और DIKSHA जैसी पहलों के माध्यम से शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार करके, DIKSHA 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 200 मिलियन से ज़्यादा छात्रों और 7 मिलियन शिक्षकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस प्लेटफ़ॉर्म के रीयल-टाइम एनालिटिक्स डैशबोर्ड राज्य, ज़िला, स्कूल और व्यक्तिगत स्तर पर विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, जो नीतिगत निर्णयों और शिक्षण रणनीतियों को सूचित करने में सहायता करते हैं।

2) स्वयम (SWAYAM -युवा महत्वाकांक्षी मस्तिष्क हेतु सक्रिय सीखने के अध्ययन वेब):

SWAYAM माध्यमिक से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक के मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है जिसे जुलाई 2017 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया । इन पाठ्यक्रमों को विकसित करने और छात्रों का पंजीकरण करने के लिए AICTE, UGC, NCERT और IGNOU जैसे सात राष्ट्रीय समन्वयकों की विशेषज्ञता का उपयोग किया गया है। इस प्लेटफॉर्म की विशिष्ट 'चार-चतुर्थांश' (four-quadrant) शिक्षण पद्धति में सक्रिय जुड़ाव और प्रतिक्रिया हेतु इंटरैक्टिव वीडियो व्याख्यान, सरल पठन सामग्री, स्व-मूल्यांकन क्विज़ और सहकर्मी मंच शामिल हैं। NEP 2020 के 'बहु-प्रवेश और निकास' (multiple entry and exit) के समर्थन में, अपने लॉन्च के समय, SWAYAM Plus में Microsoft और CISCO जैसे उद्योगों के साथ सहयोग, AI-संचालित पाठ्यक्रम सुझाव, बहुभाषी समर्थन और औपचारिक क्रेडिट प्राप्त करने
की क्षमता शामिल है जो शिक्षा जगत को वास्तविक दुनिया के लिए तैयार करता है।

3) ई-पाठशाला (E-Pathshala)

NCTE और शिक्षा मंत्रालय ने 2015 में e-Pathshala की स्थापना की। यह एक विशाल ऑनलाइन भंडार है जिसमें 504 से अधिक डिजिटल पाठ्यपुस्तकें, 1,886 ऑडियो फ़ाइलें, 2,000 वीडियो और 3,886 फ्लिप पुस्तकें शामिल हैं। ये सभी सामग्री 7 MB से कम आकार की हैं। इसके उपयोगकर्ता-अनुकूल वेब इंटरफेस और मोबाइल संस्करण ऑफ़लाइन डाउनलोडिंग का समर्थन करते है। इनमें ऐप के भीतर ही नोट्स लेने और महत्वपूर्ण अंशों को हाइलाइट करने की सुविधा है, साथ ही 'टेक्स्ट-टू-स्पीच' (पाठ को ध्वनि में बदलने वाले) उपकरण भी उपलब्ध हैं, जिससे खराब नेटवर्क वाले क्षेत्रों में भी सीखना संभव हो पाता है। पाठ्यपुस्तकों के अलावा, e-Pathshala प्रश्न बैंक, गतिविधि पुस्तिकाएं और शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल भी प्रदान करता है, ताकि 'फ्लिप्ड क्लासरूम' (कक्षा में सीखने का बदला हुआ तरीका), व्यक्तिगत शिक्षण और प्रतियोगिताएं व कार्यशालाएं जैसी अंतर्क्रियात्मक सामुदायिक गतिविधियां संभव हो सकें।

➢ पहुँच; उपयोगकर्ता जुड़ाव; शिक्षण-अधिगम की प्रभावशीलता:

DIKSHA, SWAYAM और e-Pathshala जैसे राष्ट्रीय ई-कंटेंट प्लेटफ़ॉर्म बहुभाषी सामग्री का विशाल भंडार, ऑफ़लाइन उपलब्धता और सहायक तकनीकों की सुविधा प्रदान करते हैं। DIKSHA में W3C पहुँच मानदंडों का पालन किया गया है, और इसमें QR-लिंक्ड "ऊर्जावान" पाठ्य-पुस्तकें, ऑडियो और दिव्यांगों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। SWAYAM वीडियो पाठ, असाइनमेंट, क्विज़ और अंतर्क्रियात्मक समूह के साथ MOOCs (मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़) प्रदान करता है, लेकिन बुनियादी ढाँचे की समस्याओं के कारण इसमें बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों की दर काफ़ी अधिक है; यही कारण है कि 2017 से अब तक केवल 10% कोर्स ही पूरे हो पाए हैं। e-Pathshala के हल्के (लाइटवेट) वेब और मोबाइल ऐप ऑफ़लाइन EPUB पाठ्य-पुस्तकें, फ़्लिपबुक, ऑडियो-विज़ुअल पाठ और 'टेक्स्ट-टू-स्पीच' (पाठ को आवाज़ में बदलने वाली) सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे खराब नेटवर्क वाले क्षेत्रों में भी पहुँच सुनिश्चित होती है। उपयोगकर्ता जुड़ाव के आँकड़े दर्शाते हैं कि महामारी के दौरान 96% शिक्षकों और 95% छात्रों ने पाठ योजना बनाने और स्व-अध्ययन के लिए DIKSHA का उपयोग किया, जबकि SWAYAM में 24 मिलियन से अधिक प्रमाणित नामांकन दर्ज किए गए हैं। शिक्षण-अधिगम संबंधी मूल्यांकन दर्शाते हैं कि DIKSHA ने ग्रामीण क्षेत्रों में सीखने के अंतर को कम करने और शिक्षकों की क्षमताओं को बढ़ाने का काम किया है; SWAYAM सीखने वालों के परिणामों के मामले में अन्य ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म से बेहतर प्रदर्शन करता है; और e-Pathshala की अंतर्क्रियात्मक सामग्री व्यक्तिगत शिक्षण और समावेश को बढ़ावा देती है।

1) पहुँच:

DIKSHA को "एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म" के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसमें एक माइक्रो-सर्विसेज़ फ़्रेमवर्क का इस्तेमाल करके डेस्कटॉप, टैबलेट और बेसिक मोबाइल फ़ोन पर पाठ्यक्रम के हिसाब से संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। World Wide Web Consortium (W3C) के मानकों के अनुरूप, DIKSHA ऐसे कई शिक्षार्थियों हेतु जिन्हें देखने, सुनने या समझने में कोई दिक्कत है, को ऑडियो विवरण, भारतीय सांकेतिक भाषा के वीडियो और हाई-कॉन्ट्रास्ट यूज़र इंटरफ़ेस उपलब्ध कराता है। शिक्षा मंत्रालय के तहत, SWAYAM ऑफ़लाइन इस्तेमाल के लिए पाठ्यक्रम की सामग्री डाउनलोड करने की सुविधा देता है, हालाँकि क्षेत्रीय बाधाओं की वजह से 4% से भी कम प्रतिभागी इसे पूरा कर पाते हैं। जिन क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड की पहुँच 50% से कम है, वहाँ वीडियो स्ट्रीमिंग से पहुँच कम हो सकती है। e-Pathshala के वेब और मोबाइल इंटरफ़ेस 512 KBps से कम स्पीड वाले कनेक्शन के लिए भी उपयुक्त हैं; इनमें EPUB फ़्लिपबुक, ऑफ़लाइन सुविधा, टेक्स्ट-टू-स्पीच और अलग-अलग पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों के लिए एनोटेशन जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। NCERT के आँकड़ों से पता चलता है कि अपने हल्के डिज़ाइन और कई भाषाओं में उपलब्ध होने की वजह से e-Pathshala 50 लाख से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाया है, जिनमें दूरदराज के इलाकों में रहने वाले शिक्षक और अभिभावक भी शामिल हैं।

2) उपयोगकर्ता की भागीदारी:

वर्ष 2021 से 2024 के बीच DIKSHA पर 3 अरब से ज़्यादा बार कंटेंट देखा गया; COVID-19 महामारी के दौरान इस प्लेटफ़ॉर्म ने शिक्षकों को पाठ योजना बनाने, मूल्यांकन करने और छात्रों को स्वयं अध्ययन करने में मदद की, जिसकी वजह से 96% शिक्षकों और 95% छात्रों ने इस पर सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। SWAYAM द्वारा उपलब्ध कराए गए MOOCs (मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़) के लिए 2 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया है। ये कोर्स माध्यमिक स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक के अलग-अलग स्तरों के लिए उपलब्ध हैं, और इनमें अंतर्क्रियात्मक चर्चा मंचों तथा सहकर्मी समीक्षा (peer review) कार्यों का लाभ उठाया जा सकता है, जो मिलकर सीखने की भावना को बढ़ावा देते हैं। हालाँकि SWAYAM में कोर्स पूरा करने की दर सिर्फ़ 10% है, फिर भी इसने निजी क्षेत्र में स्थापित अपने प्रतिस्पर्धी ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। यह इस बात का संकेत है कि इसमें शुरुआती भागीदारी काफ़ी अच्छी रही है, जिसकी वजह से अब छात्रों को और भी ज़्यादा सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता महसूस हो रही है। e-Pathshala के आँकड़ों के अनुसार, यहाँ प्रत्येक सप्ताह 50 लाख से ज़्यादा बार कंटेंट डाउनलोड किया जाता है। अपने शिक्षक मंचों के माध्यम से, e-Pathshala शिक्षकों के बीच आपसी जुड़ाव (networking) और समुदाय-आधारित योगदान को बढ़ावा देता है, जो छात्रों की समग्र भागीदारी को बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है।

3) शिक्षण-अधिगम की प्रभावशीलता:

DIKSHA किस तरह कक्षा शिक्षण के तरीकों को नया रूप देता है, यह शैक्षणिक मूल्यांकन से पता चलता है: 80% से ज़्यादा शिक्षकों ने बताया कि "एनर्जाइज़्ड" (सक्रिय) पाठ्य-पुस्तक अभ्यासों के प्रयोग से पाठ की गुणवत्ता बढ़ी और छात्रों के परिणाम बेहतर हुए। DIKSHA के डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके, शिक्षक सोच-समझकर फ़ैसले ले सकते हैं, जिससे स्कूल बंद होने के दौरान ग्रामीण छात्रों के सामने आने वाली उपलब्धि के अंतर को 30% तक कम किया जा सकेगा। SWAYAM प्लेटफ़ॉर्म पर वीडियो लेक्चर, पठन सामग्री, मूल्यांकन और फ़ोरम वाले चार-भागों वाले MOOC मॉडल को उच्च शिक्षा के छात्रों में आलोचनात्मक सोच और स्व-नियमित सीखने की भावना को बढ़ावा देने में प्रभावी पाया गया है।

➢ **डिजिटल समावेश को आगे बढ़ाना, समानता को बढ़ावा देना, उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री सुनिश्चित करना:**

भारत के प्रमुख ई-सामग्री कार्यक्रम, जैसे DIKSHA, SWAYAM और e-Pathshala, ने डिजिटल माध्यमों से समानता, गुणवत्ता और पहुंच के NEP 2020 के वादे को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। माइक्रो-सर्विसेज आर्किटेक्चर और QR-लिंक्ड 'एनर्जाइज़्ड' पाठ्यपुस्तकों के उपयोग के साथ, DIKSHA ने 180 मिलियन से अधिक भारतीय छात्रों और 7 मिलियन भारतीय शिक्षकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक संसाधन सुलभ बनाए हैं - विशेष रूप से ग्रामीण और खराब नेटवर्क वाले क्षेत्रों में - जिससे भौगोलिक बाधाओं को दूर करने में मदद मिली है (DIKSHA & India Stack Global, 2023)। 11,772 से अधिक पाठ्यक्रमों और 12.5 मिलियन पंजीकरणों के साथ, SWAYAM में MO के चार चतुर्थांश (quadrants) हैं। ये पहलें समावेशी डिजिटल शिक्षा के लिए NEP 2020 के लक्ष्यों का प्रमाण हैं, हालांकि नीतिगत सफलता को पूरी तरह से प्राप्त करना डिजिटल साक्षरता और क्षेत्रीय रूप से संतुलित सामग्री मिश्रण पर आगे की प्रगति पर निर्भर करता है।

1) समानता को बढ़ावा देना:

NEP 2020 के आधार पर, शिक्षा की योजना बनाने की आवश्यकता है । ग्रामीण इलाकों में DIKSHA को तेज़ी से अपनाया जाना यह प्रदर्शित करता है कि सामाजिक-आर्थिक अंतर को कम करने में यह कितना प्रभावी है (भारत सरकार, 2022)। यह तथ्य कि DIKSHA में W3C एक्सेसिबिलिटी के तरीके शामिल हैं—जैसे कि भारतीय सांकेतिक भाषा के वीडियो और सीखने के लिए हाई-कॉन्ट्रास्ट सेटिंग्स—इससे दिव्यांगता के आधार पर शिक्षा पाने के अवसर बढ़ जाते हैं (India Stack Global, 2023)। छात्रवृत्तियों का प्रावधान और लिंग-संतुलित नामांकन के द्वारा, SWAYAM के पास सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों को सीखने में सक्षम बनाने की एक रणनीति है (NEP 2020, 2020)। हालांकि सफल होने के बावजूद, SWAYAM की 4% से भी कम की पूर्णता दर यह दर्शाती है कि दूरदराज के इलाकों में शैक्षिक समानता हासिल करने के लिए स्थानीय भाषा में सामग्री और ऑफ़लाइन सुविधा की आवश्यकता है।

2) उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री सुनिश्चित करना:

NEP 2020 के दिशा-निर्देशों में डिजिटल सामग्री में उत्कृष्टता बहुत महत्वपूर्ण है; ये दिशा-निर्देश अनुभवी शिक्षाविदों द्वारा तैयार किए गए हैं और इनका मूल्यांकन NCERT और UGC जैसे राष्ट्रीय निकायों द्वारा किया जाता है (NEP 2020; IJHSS)। "ऊर्जावान" DIKSHA की पाठ्यपुस्तकों में वीडियो, सिमुलेशन और सतत मूल्यांकन शामिल हैं, जिन्हें CBSE और राज्य के पाठ्यक्रमों के अनुसार तैयार किया गया है जो शैक्षणिक उत्कृष्टता और एकरूपता सुनिश्चित करता है। शिक्षक-प्रशिक्षण मॉड्यूल की प्रभावशीलता NISHTHA से मिलने वाले प्रमाणन द्वारा काफी बढ़ जाती है। SWAYAM एक चार-चतुर्थांश (four-quadrant) शैक्षणिक प्रणाली का उपयोग करता है जिसमें व्याख्यान, पठन सामग्री, क्विज़ और मंच (forums) शामिल होते हैं, जबकि सामग्री शिक्षण संस्थानों द्वारा उसी तरह प्रदान की जाती है जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्थान करता है। एनालिटिक्स डैशबोर्ड का उपयोग करके, ये प्लेटफ़ॉर्म प्रतिक्रिया और बातचीत के तरीकों के आधार पर सामग्री में वास्तविक समय में सुधार करने में सक्षम होते हैं, जिसका उद्देश्य गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं में और अधिक मूल्य जोड़ना होता है।

3) डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना:

SWAYAM सामग्री को डाउनलोड करने की सुविधा देता है जिससे उसे कभी-कभी ऑफ़लाइन देखा जा सके, और उन क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया जा सके जहाँ तेज़ वीडियो स्ट्रीमिंग संभव नहीं है। E-Pathshala का हल्का (<7 MB) मोबाइल ऐप 'टेक्स्ट-टू-स्पीच' (पाठ को आवाज़ में बदलने) की क्षमता के साथ आता है, जिसका उपयोग 512 KBps जितनी कम गति वाले कनेक्शन पर

भी किया जा सकता है। NISHTHA कार्यक्रम और वर्चुअल लैब शिक्षाविदों और शिक्षार्थियों को उन डिजिटल दक्षताओं से सशक्त बनाते हैं जो एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी शैक्षणिक दुनिया बनाने के लिए आवश्यक हैं।

सुझाव:

1) बहुभाषी और समावेशी डिजिटल सामग्री को बढ़ावा :

NEP 2020 के समानता और सांस्कृतिक समावेशिता के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु, सभी डिजिटल माध्यमों पर बहुभाषी शैक्षिक सामग्री का बड़े पैमाने पर वितरण आवश्यक है। पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण सामग्री और मल्टीमीडिया संसाधन सभी 22 निर्धारित भाषाओं में उपलब्ध कराए जाने चाहिए, और इनमें स्थानीय शिक्षण पद्धतियों के अनुसार बदलाव भी होने चाहिए, जिससे दूरदराज के या भाषाई रूप से वंचित छात्रों के लिए सीखने के अवसर बढ़ सकें। मुख्य ध्यान समावेशी विशेषताओं पर होना चाहिए, जिसमें भारतीय सांकेतिक भाषा, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ऑडियो-बुक और विविध उपयोगकर्ताओं के लिए पाठ्य सामग्री शामिल है।

2) एक व्यापक और आकर्षक सामान्य प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता :

DIKSHA जैसे प्लेटफॉर्म की मदद से NISHTHA जैसे राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों को पेशेवरों के लिए अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। इससे शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास में आसानी होगी। प्रशिक्षण में डिजिटल शिक्षा की रणनीतियाँ, शिक्षण सामग्री का डिज़ाइन, AI संसाधनों का उपयोग और छात्रों के प्रदर्शन के आँकड़ों (metrics) की व्याख्या जैसे सभी पहलू शामिल होने चाहिए। सहकर्मी मार्गदर्शन (peer mentoring), माइक्रो-क्रेडेंशियलिंग और मिश्रित प्रशिक्षण (blended training) के तरीकों का उपयोग इस प्रणाली की निरंतरता और प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

3) व्यक्तिगत शिक्षा हेतु AI और लर्निंग एनालिटिक्स का समन्वयन :

उपयोगकर्ताओं की भागीदारी और जुड़ाव (retention) बढ़ाने हेतु, ई-सामग्री प्लेटफॉर्म को AI-आधारित सुझाव प्रणालियों, गतिशील मूल्यांकन विकल्पों और तत्काल प्रतिक्रिया तंत्रों को आपस में जोड़ना चाहिए। AI, अनुकूली शिक्षण (adaptive learning) के लिए व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम बनाने में मदद करता है, जिन्हें प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत प्रगति और सीखने की गति के अनुसार विशेष रूप से तैयार किया जाता है। शिक्षकों को लर्निंग एनालिटिक्स डैशबोर्ड तक पहुँच प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वे विशेष रूप से 'जोखिम वाले छात्रों' (at-risk students) की पहचान करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय ले सकें।

निष्कर्ष:

DIKSHA, SWAYAM और e-Pathshala, जो भारत के कुछ प्रमुख ई-कंटेंट प्लेटफ़ॉर्म हैं, छात्रों के लिए डिजिटल अधिगम की पहल को बढ़ाकर NEP 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म बहुभाषी संसाधनों, ऑफ़लाइन सुविधाओं और पाठ्यक्रम के अनुरूप सामग्री के माध्यम से NEP 2020 के सिद्धांतों को अपनाते हैं। ये सभी समानता को बढ़ावा देते हैं, सामग्री के मानकों को बेहतर बनाते हैं और डिजिटल भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं। पाठ्यपुस्तकों में QR कोड का उपयोग करने का DIKSHA का तरीका, SWAYAM का खंडित MOOC दृष्टिकोण और e-Pathshala के आसानी से उपलब्ध भंडार, शिक्षण विधियों में प्रौद्योगिकी के सही उपयोग के बेहतरीन उदाहरण हैं। इसके अलावा, कुछ प्रमुख समस्याएं भी बनी हुई हैं, जैसे SWAYAM में सीखने की प्रक्रिया को पूरा करने की कम दरें, शिक्षकों में डिजिटल दक्षता की कमी, स्थानीय भाषाओं में सामग्री का अभाव और सांस्कृतिक अंतर, जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में बाधा डालते हैं। इन समस्याओं के उचित समाधानों में ब्रॉडबैंड की उपलब्धता बढ़ाना, शिक्षकों के कौशल विकास के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना और पाठ्यक्रम व सामग्री की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए एक केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। इन बुनियादी आधारों पर विकास करना, प्रौद्योगिकी-

आधारित शिक्षा की गति को बनाए रखने और एक ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, जिसमें डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम NEP 2020 के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को सहजता से पूरा करने में सहायक सिद्ध हो।

संदर्भ:

1. अंसारी, एस. (2023). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और ई-लर्निंग: एक गहन सैद्धांतिक विश्लेषण, *जर्नल ऑफ़ पॉलिसी एंड प्रैक्टिस इन एजुकेशन,* 14(1), 45–62.
2. दास, टी., और रॉय, एम. (2024). एन इवैलुएशन ऑफ द एड टेक सेक्टर इन इंडिया : ट्रेंड्स एण्ड चैलेंजेस, प्रोसीडिंग ऑफ दी 2024, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 112–127.
3. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (DIKSHA) एण्ड इंडिया स्टैक ग्लोबल। (2023). DIKSHA प्लेटफ़ॉर्म कैपेबिलिटीज़ एण्ड एक्सेसबिलिटी
4. एक्स्ट्रामार्क्स (2024). इंफैसीस ऑन यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी इन एन ई पी : हाउ डज इट इन्शोर फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन retrieved fromhttps://www.extramarks.com/blogs/emphasis-on-use-of-technology- in-nep/
5. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय। (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. https://www.education. gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
6. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय। (तारीख नहीं दी गई) डिजिटल लर्निंग इज एक्सपेकटेड टु एक्सिलरेट स्टूडेंट्स इनरोलमेंट इन टु हायर एजुकेशन एण्ड मेक क्वालिटी एजुकेशन एक्सिसेबल टु आल retrieved https://www.education.gov.in/nep/digital-learning
7. जोसेफ, जे., और नंबिसन, पी. (2024). द पंडेमीक एण्ड द प्लेत्फ़ोर्माइजेशन (Platformization)ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च ओपन*, 2, 100082.
8. खंडूरी, वी., और वरुण्णी, जी. (2023). लर्निंग में क्रांति: डिजिटल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म और AI टूल्स का उपयोग करके तकनीक-संवर्धित लर्निंग का विश्वविद्यालय के छात्रों की अध्ययन आदतों पर प्रभाव का एक खोजपूर्ण अध्ययन, *जर्नल ऑफ एजुकेशनल कंप्यूटिंग रिसर्च*, 61(8), 1642–1665.
9. कुमार, आर. (2022). आई सी टी इनिसिएटिव इन ई-लर्निंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया , *एशियन जर्नल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन,* 17(2), 88–107.
10. मीरामणि, एन., नटराज, एस., दुरागन्नवर, जी. एफ., और कुमार, पी. बी. (2024). डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म इंडिया: एक व्यापक समीक्षा और विश्लेषण, *इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ रिसर्च इन ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग*, 25(3), 178–201.
11. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (2018). दीक्षा: इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नालेज शेयरिंग retrieved from https://diksha.gov.in/about/
12. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (दिनांक अज्ञात).ई-पाठशाला: लर्निंग ऑन द गो, https:// epathshala.nic.in/
13. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT). (2022). कोविड-19 में स्कूली शिक्षकों और छात्रों के लिए दीक्षा की पहुँच और उपयोग, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी*, 14(1), 22–39.

14. पटेल, आर., और अय्यर, के. (2023). एनईपी 2020 के संदर्भ में डिजिटल लर्निंग, कंटेम्परेरी एजुकेशनल रिव्यू, 9(4), 301–320.
15. पार्वती, के., और राजेंद्रन, एस. (2024). छात्रों के प्रदर्शन पर प्रौद्योगिकी-संवर्धित शिक्षण और तकनीकी तनाव के प्रभाव का परीक्षण, *जर्नल ऑफ इंटरएक्टिव लर्निंग रिसर्च*, 35(2), 205–228.
16. शुक्ला, आर., और सिंह, डी. (2023). एनईपी 2020 के अंतर्गत शिक्षा का डिजिटलीकरण: संभावनाएं और चुनौतियां, *जर्नल ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज रिसर्च*, 11(3), 45–67।
17. शर्मा, पी., और गुप्ता, एस. (2023). भारत में ऑनलाइन शिक्षा के लिए सहायक कारक और बाधाएं: एक व्यवस्थित समीक्षा, *एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट*, 71(5), 1151–1174.
18. सिंह, ए. (2024) . डिजिटल लर्निंग पर नई शिक्षा नीति 2020 के प्रभाव का विश्लेषण: एक समीक्षा, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल डेवलपमेंट,* 88, 102581.
19. वत्स, एस. (2024). एनईपी 2020: भारत में डिजिटल लर्निंग का भविष्य, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंजीनियरिंग डेवलपमेंट,* 7(4), 384–390. https://doi.org/ 10.5281/zenodo.13166112 (ResearchGate, ijsred.com)
20. वडिवेल, एम., और आदित्य, एस. एस. (2024). अ स्टडी ऑन एडोप्टेशन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म इन इंडिया , *जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सिस्टम्स*, 53(2), 123–145.

Nav Jyoti
An International Multidisciplinary Journal
Peer Reviewed Refereed Journal
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.14, N. 28, June 2026
https://theopinion.navjyotijournal.in

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना : वर्तमान समय की आवश्यकता और महिला सशक्तिकरण

रीता राजपूत
शोधार्थिनी
पी0के0 विश्वविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

सारांश

*फ्रांसीसी नारीवादी लेखिका **सिमोन द बुआ** ने अपनी पुस्तक द सेकंड सेक्स में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए लिखा है, **"स्त्री पैदा नहीं होती, बल्कि उसे ऐसा बना दिया जाता है।"** यही महिला सशक्तिकरण पर आधारित गूढ़ विचार है। समाज की संरचना में नारी का स्थान सर्वोपरि है। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहॉ महिलाओं की महत्ता ना हो इसी लिए प्राचीन काल में नारी की महत्ता पर बल देते हुए मनु ने अपने ग्रंथ 'मनुस्मृति' में कहा था–''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।'' अर्थात् जहॉ नारी की पूजा होती है वही देवता निवास करते है। प्रदेश में बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने तथा उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिये ही राज्य सरकार द्वारा कन्या सुंमंगला योजना बनाई गयी है। इस योजना के क्रियान्वयन से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं की अवधारणा सुदृढ़ होगी तथा महिलाओं के सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा।*

भारत का सामाजिक तानाबाना स्वयं में जटिल और संवेदी है। सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक और परिवारिक परिस्थितियां महिलाओं और बालिकाओं के लिए अनादिकाल से भेदभाव पूर्ण रही है। समाज में प्रचलित कुरीतियों एवं भेद–भाव जैसे कन्या भ्रूण हत्या असमान लिंगानुपात बाल विवाह एवं बालिकाओं के प्रति परिवार की नकारात्मक सोच जैसी प्रतिकूलताओं के कारण प्रायः बालिकायें/महिलायें अपने जीवन संरक्षण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाती है। इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु सरकारी और गैर–सरकारी स्तर पर निरन्तर प्रयास भी किये जा रहे है। इस परिवेश के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुमंगला योजना के रूप में नई पहल की जा रही है जो अत्यन्त आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को सामजिक सुरक्षा के साथ–साथ विकास हेतु नये अवसर प्रदान करने के लिए

योजना प्रारम्भ की जा रही है। इसके फलस्वरूप जहाँ एक तरफ कन्या भ्रूण हत्या एवं बाल–विवाह जैसी कुरीतियों के रोकथाम के प्रयासों को बल मिलेगा वहीं दूसरी ओर बालिकाओं को उच्च शिक्षा व रोजगार के अवसरों की ओर बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा।

महिला सशक्तिकरण वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। महिला सशक्तिकरण के आधारभूत स्तम्भ एवं शिक्षा है। प्रदेश में बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने तथा उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिये ही राज्य सरकार द्वारा कन्या सुंमंगला योजना बनाई गयी है। इस योजना के क्रियान्वयन से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं की अवधारणा सुदृढ़ होगी तथा महिलाओं के सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा।

कन्या सुमंगला योजना के मुख्य उद्देश्यः–

- प्रदेश में स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति को सुदृढ़ करना।
- प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना।
- प्रदेश में समान लिंगानुपात स्थापित करना।
- बाल–विवाह की कुप्रथा को रोकना।
- नवजात कन्या के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा
- उत्तर प्रदेश में बालिका के जन्म से आमजन में सकारात्मक सोच विकसित करना व उनके उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला रखना।

कन्या सुमंगला योजना के क्रियान्वयन के स्तर –

कन्या सुंमगला योजना 6 श्रेणियों में निम्नवत् लागू की जायेगी।

1– प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत् नवजात बालिकाओं जिनका जन्म 01/04/2019 के पश्चात् हुआ हो, को लाभान्वित किया जायेगा।

2– द्वितीय श्रेणी के अर्न्तगत वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिनका एक वर्ष के भीतर सम्पूर्ण टीकाकरण हो चुका हो तथा उनका जन्म 01/04/2018 से पूर्व न हुआ हो।

3– तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत् वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो।

4– चतुर्थ श्रेणी के अन्तर्गत् वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान छठी कक्षा में प्रवेश लिया हो।

5– पंचम श्रेणी के अर्न्तगत् वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होने चालू शैक्षाकि सत्र के दौरान नवीं कक्षा में प्रवेश लिया हो।

6– षष्टम श्रेणी के अर्न्तगत वह सभी बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक–डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो।

कन्या सुमंगला योजना धनराशि वितरण की श्रेणियाँ-:	बलिका के जन्म होने पर	रू0 2000 एक मुश्त

प्रथम श्रेणी		
द्वितीय श्रेणी	बलिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त	रू0 1000 एक मुश्त
तृतीय श्रेणी	कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरान्त	रू0 2000 एक मुश्त
चतुर्थ श्रेणी	कक्षा छ :में बालिका के प्रवेश के उपरान्त	रू0 2000 एक मुश्त
पंचम श्रेणी	कक्षा नौ में बालिका के प्रवेश के उपरान्त	रू0 3000 एक मुश्त
षष्ठम श्रेणी	ऐसी बालिकायें जिन्होने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक-डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो।	रू0 5000 एक मुश्त

कन्या सुमंगला योजना की पात्रता की अर्हताएं : –

- लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/विद्युत/टेलीफोन का बिल मान्य होगा
- लाभार्थी की परिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रू0 3 लाख हो।
- किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
- लाभार्थी के परिवार का आकार (साईज) परिवार में अधिकतम दो बच्चे हो।
- किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुडवा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमान्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकायें ही होती है तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमान्य होगा।
- यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुये अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होंगी।

महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं –

(1) पुरानी व रूढ़िवादी विचारधाराएं– भारतीय समाज में अभी भी महिलाओं के अकेली घर छोड़ने पर पाबंदी होती है। शिक्षा तथा रोजगार के लिए घर से बाहर जाने के लिए आजादी नहीं होती। इसी प्रकार अभी भी संतान के रूप में पुत्र के जन्म को प्राथमिकता दिया जाता है। पुत्र के जन्म पर धूमधाम से खुशियां मनाई जाती है, जबकि पुत्री के जन्म पर ऐसा नहीं होता।

(2) महिलाएं समाज की परंपरागत पितृप्रधान व्यवस्था में रहते–रहते स्वयं को पुरुषों की तुलना में कमतर मानने लगती है।
(3) कार्यक्षेत्र में होने वाला शोषण भी महिला सशक्तिकरण में एक बड़ी चुनौती है। कालसेंटर में काम करने वाली महिलाएं देर रात तक कार्य करती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में रात्रिकालीन सेवा देने वाली महिलाओं के साथ यह समस्या व्यापक पैमाने पर परिलक्षित होती है।
(4) लैंगिक स्तर पर भेदभाव आज भी एक बड़ी समस्या है। आज भी महिलाओं के साथ शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र में भेदभाव जगजाहिर है। उच्च शिक्षा में परिवारों में भी लड़का को प्राथमिकता दिया जाता है।
(5) महिलाओं को पुरुषों की तुलना में भी कम वेतन या मजदूरी देने की शिकायत सुनने को मिल जाती है, हालांकि यह समस्या अब कम देखने को मिल रही है।
(6) महिला अशिक्षा भी महिला सशक्तिकरण में एक बड़ी चुनौती है। आज भी ग्रामीण अंचलों में महिला अशिक्षा देखने को मिलती है। दूसरी समस्या महिलाओं में पुरुषों की तुलना में उच्च शिक्षा की कमी होना।

महिला सशक्तिकरण की समाज की आधी आबादी को अलग थलग रखना ही समाज के पिछड़ेपन का बड़ा कारण है। जिस प्रकार रथ का पहिया दोनों पहियों के ठीक होने पर सही ढंग से चलता है, उसी प्रकार पुरुषों के समान महिलाओं का भी सशक्त होना आवश्यक है, तभी समाज का सर्वांगीण विकास संभव है। महिलाओं को समाज के मुख्य धारा में लाए जाने की नितांत आवश्यकता है। महिलाओं के उज्जवल भविष्य के लिए भी महिला सशक्तिकरण परम आवश्यक है। समाज में अभी भी महिलाओं तथा पुरुषों में भेदभाव अत्यधिक परिलक्षित होता है, महिलाओं को तेज आवाज में बात करने से मना किया जाता है, जबकि पुरुषों के तेज बोलने से कोई दिक्कत नहीं है। आर्थिक रूप से महिला जब सशक्त होती है, तो अपनी सामाजिक सुरक्षा व अधिकारों के लिए खुद बड़ी हो पाती है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के अंदर की क्षमता को समझते हुए उन्हे उनके फैसले खुद करने देने का अधिकार है। इस हेतु महिला की शक्तियों को बढ़ाने के लिए पूरे विश्व में अंतराष्ट्रीय महिला दिवस 08 मार्च को मनाया जाता है। इससे यह संदेश जाता है कि महिला बेचारी नहीं अपितु शक्ति का रूप है। इस महिला सशक्ति का मुख्य कारण औरतो पर हो रहे अत्याचारो को रोकना है और उन्हे उनके अधिकारो के प्रति जागरूक करना है। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हर प्रकार के निर्णय लेने का आजादी उन्हे हो, ताकि वो पुरूष के कंधे से कंधा मिलाकर घर बाहर का जिम्मेदारी उठा सके, आर्थिक रूप से वह इतना सशक्त हो कि पुरूषों पर निर्भरता खत्म हो जाये। इन्ही सभी अवधारणा को लेकर चलते हुए महिला सशक्तिकरण पर पूरा जोर दिया जा रहा है। महिलाये समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक रूप से सशक्त बने। वर्तमान परिस्थितियों में महिला सशक्तिकरण बहुत ही आवश्यक हो गया है जैसा की हम सभी जानते है कि किसी भी राष्ट्र में आधी आबादी महिलाओं की होती है। महिलाओं के बिना हम उज्जवल भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते पुराने जमाने से चला आ रहा है कि महिलाए केवल घर तक सीमित रहना चाहिये, पर्दे के अंदर रहना चाहिये, व सीमित आयु में उनका विवाह कर देना चाहिये और महिलाओं को तेज आवाज में नहीं बोलना चाहिये, किन्तु क्या सच में एक महिला को इस प्रकार का जीवन व्यतित करना चाहिए क्या उन्हे कोई हक नहीं है, कि वह बाहर निकले पुरूषों के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करें व अपने परिवार के भरण–पोषण में योगदान कर सके औरतों की इसी दबी हुई आवाज को मुखर करने हेतु आर्थिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सुमंगला योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण लागू किया गया है। जिससे महिलाओं को

पूरा अधिकार दिया जाये व पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर बाहर व घर की जिम्मेदारियों को उठा सके। इस हेतु केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाए चलाई जा रही है ताकि वे लाभांन्वित हो तथा समाज व राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सके।

संदर्भ ग्रंथ –

1. गुप्ता कुमार कमलेश महिला सशक्तिकरण बुक एनक्लेव, जयपुर।
2. गौतम हरेन्द्र राज 2006 महिला अधिकार संरक्षण कुरूक्षोत्र मार्च।
3. लवानिया एम.एम. भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र, रिसर्च पब्लिशर्स, जयपुर 2004.
4. स्त्रोत हैप्पी वूमेनस डे परन्तु हमारी महिला सशक्तिकरण
5. प्रो0 अमिता सिंह, लिंग और समाज
6. सीमोन द बोउवार : द सेकेण्ड सेक्स (अनु. प्रभा खेतान स्त्री उपेक्षित) प्रकाशन हिन्दी पॉकेट बुक्स नई दिल्ली।
7. दैनिक जागरण पेपर, अमर उजाला पेपर
8. upgovt.in

Nav Jyoti
An International Multidisciplinary Journal
Peer Reviewed Refereed Journal
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.14, N. 28, June 2026
https://theopinion.navjyotijournal.in

महिला सशक्तिकरण पर डिजिटल तकनीक का प्रभाव

कु0 रीना देवी
शोध छात्रा, अग्रसेन कन्या पी0जी0 कालेज परमानन्दपुर, वाराणसी
प्रो0 कुमुद सिंह
समाजशास्त्र विभाग
अग्रसेन कन्या पी0जी0 कालेज परमानन्दपुर, वाराणसी

शोध सारांश–
इस पत्र में भारत में महिला सशक्तिकरण पर डिजिटल तकनीक के प्रभाव का अध्ययन किया गया है तथा महिलाओं को सशक्त बनाने में डिजिटल तकनीक की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। सशक्तिकरण सामाजिक विकास की वह बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक सतत् विकास में भाग लेने के लिए सक्षम बनाया जाता है। चूंकि 21वीं सदी में बहुत सी डिजिटल तकनीक एवं महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम से नगरीय महिलाएं अधिक लाभान्वित हुई है इसकी अपेक्षा ग्रामीण महिलाएं इससे कम प्रभावित हुई है। डिजिटल तकनीक ने महिलाओं का कार्य आसान कर दिया है। इससे उनके समय की भी बचत होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को तकनीकी शिक्षा देने की आवश्यकता है ताकि वे भी डिजिटल तकनीक का लाभ उटा सके और अपने जीवन को सरल बना सकें।
इस प्रकार कहा जा सकता है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तकनीकी रूप से दक्ष होना आवश्यक है, जिससे महिलाएं इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी समस्याओं को खुलकर रख सकती है। डिजिटल तकनीक के माध्यम से महिलाएं बाहरी दुनिया से भी जुड़ रहीं है। कई एप्स ऐसे हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाये गये है। जैसे 1098 का हेल्पलाइन नम्बर भी महिला सुरक्षा के लिए एक कारगर कदम साबित हुआ है। इसके अतिरिक्त अनेक मशीनों का आविष्कार हुआ जैसे वाशिंग मशीन, मिक्सर–ग्राइंडर, ओवेन जिसने महिलाओं के जीवन को आसान बना दिया है। तकनीकी विकास के कारण महिलाओं ने आज समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी स्थिति उच्च कर ली है। इस प्रकार यदि तकनीक का सही प्रकार से उपयोग किया जाये तो महिलाएं इससे और आर्थिक सशक्त तथा आत्मनिर्भर बन सकती है।
यह अध्ययन विशुद्ध रूप से द्वितीयक स्त्रोतों पर आधारित है। अन्य विकसित देशों की अपेक्षा भारत की महिलाएं कम सशक्त पायी गयी है। निष्कर्ष के रूप में यह पाया गया कि डिजिटल तकनीक ने जहाँ महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आधुनिक जीवन शैली को अपनाने में सहायता की है साथ ही सामाजिक, आर्थिक व

राजनीतिक रूप से उनका सशक्तिकरण भी हुआ है तथा इसके प्रयोग से महिलाओं का जीवन प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ा है। वहीं इसने भावनात्मक सम्बन्धों का ह्रास, संवेदनहीनता, अलगाव, तनाव, पारिवारिक टूटन तथा आपसी सम्बन्धों में विखराव को भी बढ़ावा दिया है।

Keyword – महिला, सशक्तिकरण, डिजिटल तकनीक, स्वतन्त्रता, समानता

प्रस्तावना –

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य है, समाज के प्रति महिलाओं के भय को दूर करना उन्हें शक्ति सम्पन्न बनाना और महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में सुधार लाकर उन्हें समाज में समानता का दर्जा दिलाना है। जिससे महिलाएं सामाजिक स्वतन्त्रता एवं तरक्की प्राप्त कर सकें। इस प्रतिक्रिया द्वारा महिलाएं भी पुरुषो के समान अपनी हर आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकती है। महिलाओं की स्थिति को सुधारने में डीजिटल तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है।

आज महिलाएं घर के कार्यों को करने के साथ–साथ समाज के अनेक महत्त्वपूर्ण समस्यों को सुलझाने में किसी से भी पीछे नहीं हैं। वर्तमान में महिलाएं भी किसी भी कार्य को करने में सक्षम है चूंकि इतिहास पर दृष्टि डालते है तो हम देखते है कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में कम अवसर, संसाधनों तक सीमित पहुँच और राजनीतिक में कम प्रतिनिधित्व के कारण समाज में उन्हें दोयम दर्जे का स्थान प्राप्त है।

समाज के संतुलित विकास में लैंगिक असमानता बहुत बड़ा बाधक तत्व है। यह एक वैश्विक मुद्दा है। डिजिटल तकनीक की शिक्षा के माध्यम से लैगिंक समानता हासिल करने महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है। पिछले कुछ दशकों में संसद द्वारा बनाये गये अनेक कानूनो, केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा आरम्भ किया गया विभिन्न योजनाओं ने महिलाओं को कानूनी राजनीतिक एवं सामाजिक मुक्ति प्रदान करने की दिशा में बहुत प्रयास किये है। महिला सशक्तिकरण हेतु एक नवीन क्रान्ति का सूत्रपात केन्द्र सरकार द्वारा 1 जुलाई की 'डिजिटल इंडिया'' के किए साथ किया गया। जिसके माध्यम से महिलाओं की प्रत्येक शासकीय विभाग में पहुँच सुलभ होगी साथ ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नवीन आयाम प्राप्त होगा।

भारत में महिला सशक्तिकरण

वर्तमान में भारत में महिलाओ की स्थिति पुरुषों के बाद दोयम दर्जे की है अतः महिलाओं का सशक्त होना अति आवश्यक है। भारत में यदि हम महिलाओं की स्थिति देखे तो इस काल के आधार पर प्राचीन काल, मध्य काल, आजादी मे पूर्व के काल तथा स्वतन्त्रता के बाद के काल में महिलाओं की बदलती परिस्थितियों को समझकर वर्तमान परिस्थितियों को समझ सकते हैं।

प्राचीन काल अथवा वैदिक काल में महिलाओं को समाज में बहुत ही सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। हमारे देश की आधी आबादी महिलाएं है जब ज्यादा से ज्यादा महिलाएं कार्य करती है तो इसका सीधा प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। महिला आर्थिक सशक्तिकर सकारात्मक विकास तथा उत्पादकता को बढ़ाता है, इसके अतिरिक्त यह आर्थिक विविधीकरण एवं आय समानता को भी बढ़ाता है।

किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए महिला सशक्तिकरण अत्यंत आवश्यक है।. स्वतन्त्र महिलाएं न केवल परिवार बल्कि पूरे राष्ट्र को अवलोकित करती हैं। महिलाएं वर्तमान युग में प्रत्येक क्षेत्र में ऊँचा मुकाम हासिल कर रहीं है। देश की अर्थव्यवस्था एवं विकास पूर्णतः महिला सशक्तिकरण पर आधारित है। आधुनिक समय में अनेक महिलाएं आर्थिक, शारीरिक एवं नैतिक रूप से दूसरों पर निर्भर है। चूँकि महिलाओं में साक्षरता तथा ज्ञान का प्रतिशत बढ़ रहा है। अपने जीवनकाल में महिलाएं अनेक भूमिकाएँ निभाती है। वह परिवार में माँ,

बेटी या समुदाय में किसी अन्य सेवा में हो सकती है। इस प्रकार एक सशक्त महिला न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समुदाय के विकास में हमेशा बेहतर स्थिति में योगदान देती है।

स्वतन्त्रता के पूर्व अनेक समाज सुधारकों जैसे सावित्रीबाई फूले, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर एवं स्वामी दयानन्द सरस्वती इन्होंने भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने तथा ऊपर उठाने में अग्रणी भूमिका निभाई।

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारतीय संविधान में लैंगिक समानता के सिद्धान्त को शामिल किया गया। भारतीय संविधान महिलाओं को समानता प्रदान करने के साथ–साथ राज्य को उनके प्रति सकारात्मक भेदभाव के उपाय अपनाने का भी अधिकार देता है। 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग (छॅब) की स्थापना की गयी थी, जिसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों और कानूनी अधिकारों की रक्षा करना था। हमारे संविधान में पंचायतो और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय शासी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान 73वें तथा 74 वें संशोधन (1993) में रखा गया है। इससे स्थानीय शासन संस्थाओं तथा निर्णय निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि हुई। विकास, योजना, एवं स्वास्थ्य के विषय में बालिकाओ एवं किशोरियों के प्रति भेदभाव समाप्त करने की ओर कदम उठाये गये।

वर्तमान समय का दौर महिला सशक्तिकरण का माना जा रहा है। समाज में चारों ओर महिलाओं के उत्थान पर ही चर्चा की जा रही है।

महिला सशक्तिकरण के प्रमुख कारक

महिला सशक्तिकरण को मुख्य रूप से दो प्रमुख कारक बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। पहला है कि महिलाओ की शिक्षा और दूसरा उनकी आर्थिक स्वतन्त्रता। वास्तवित रूप से एक महिला को सशक्त बनाने में ये दोनो कारक बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा ने महिलाओं के अनेक मार्ग प्रशस्त किये है। महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो इसके लिए उनका शिक्षित होना अति आवश्यक है। शिक्षा के प्रसाद के कारण महिलाएं पुराने विचारों, परम्परागत बंधनों तथा अंध– विश्वासों से मुक्त हो रहीं हैं। आधुनिक शिक्षित महिला अपने कार्यों को अपने विवेक से करने की क्षमता रखती है और पुरुषों की दासता को स्वीकार नहीं करती हैं। वे पुरुष के समान ही अपना भी अधिकार लेने के पक्ष में हैं।

पढ़ना लिखता जानना ही शिक्षा का अर्थ नहीं होता है। इसके अन्तर्गत समाज में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है इन सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करना तथा जागरुकता निर्माण के व्यापक पहलू को सम्मिलित किया गया है।

बर्तमान युग तकनीकी प्रगति एवं व्यापक डिजिटलीकरण का है। इसलिए वर्तमान समय में डिजिटल तकनीक, प्रसार का ज्ञान होना अति आवश्यक है। शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला समाज में अपनी सम्मान, सशक्त तथा उपयोगी भूमिका प्राप्त कर सकती है।

वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति और महिला का स्वावलम्बी होना आवश्यक है। अपनी योग्यता के अनुसार महिलाओं को अर्थोपार्जन हेतु प्रयास करना चाहिए यदि महिलाएं चाहे तो आर्थिक रूप से सक्षम होकर परिवार को समृद्ध बना सकती है, साथ ही वे अपनी कई इच्छाओं (पहनने–ओढ़ने, खाने–पीने, घूमने–फिरने) को अपनी इच्छा से पूरा कर सकती है। जो महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतन्त्र होती है वे मुसिबत आने पर भी किसी की मोहताज नहीं होती। वे अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए स्वयं सक्षम होती है। आर्थिक रूप से स्वतन्त्र होने के लिए सरकारी या निजी संस्थानों में नौकरी करने में अतिरिक्त महिलाएं अपना व्यवसाय भी

कर सकती है। यदि महिलाएं सम्पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से सम्पन्न है तब भी उसे अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए कुछ न कुछ काम अवश्य करना चाहिए इससे वे देश के विकास में अपना योगदान दे सकती हैं।

भारत में डिजिटल तकनीक और महिला सशक्तिकरण पर इसका प्रभाव

डिजिटल तकनीक में व्यावसायिक प्रक्रियाओं में सुधार, दक्षता बढ़ाने और उत्पादकता को अनुकूलित करने संगठनों के कामकाज के तरीके को बदलने की क्षमता है।

भारत ने 2015 में डिजिटल इंडिया लांच किया जो एक प्रमुख मुख्य कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई) द्वारा परिकल्पित किया गया है। यह कार्यक्रम परिवर्तनकारी प्रकृति का है इस कार्यक्रम के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सरकारी सेवायें इलेक्ट्रानिक रूप से नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं अर्थात् सरकारी व प्रशासनिक सेवाओं को आम लोगो तक पहुँचाने के साथ सार्वजनिक जवाबदेही भी सुनिश्चित की जायेगी। यह कार्यक्रम महिलाओं के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है इसे समझने से पहले डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालना आवश्यक है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 9 प्रमुख उद्देश्य हैं –

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के नौ स्तम्भ

1– ब्रॉडबैंड हाइवेज

2– मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक पहुंच

3– पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम

4– ई. गवर्नेंस – प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार

5– ई–क्रान्ति सेवाओं की इलेक्ट्रानिक डिलीवरी

6– सभी के लिए सूचना

7– इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण

8– नौकरियों के लिए आईटी

9– अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम

1– ब्रॉडबैंड हाइवेज :– ब्रॉडबैंड का तात्पर्य दूरसंचार से हैं, जिसमें सूचना के संचार के लिए आवृत्तियों के व्यापक बैंड उपलब्ध होते हैं। सूचना को कई गुना तक बढ़ाने के लिए ब्रॉडबैंड की आवश्यकता होती है और जुड़े हुए अनेक बैंड की विभिन्न फ्रीक्वेंसीज या चैनलों के माध्यम से सूचना को भेजा जा सकता है।

2– मोबाइल कनेक्टिविटीः– 5 वर्षों के अन्दर देश के 55,000 गांवो में मोबाइल सम्पर्क की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 20,000 करोड के यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएस ओ एफ) का गठन किया जा रहा है। इसके द्वारा ग्रामीण उपभोक्ताओ के लिए इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिग के प्रयोग में आसानी होगी।

3– पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम : (सभी सरकारी विभागों तक आम व्यक्ति की पहुँच)

4– ई–गवर्नेंस : प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार की कार्यप्रणालियों में सुधार।

5– ई– क्रान्ति– सेवाओं भी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी। ई–एजुकेशन के तहत सभी स्कूलों को बॉडबैंड से जोड़ने मुफ्त वाई–फाई की सुविधा लगभग ढाई लाख स्कूलों को मुहैया कराने तथा डिजिटल लिट्रेसी कार्यक्रम की

योजना है। किसानों के लिए रीयल टाइम कीमत की सूचना, नकदी, कर्ज, राहत भुगतान, मोबाइल बैंकिंग आदि की ऑनलाइन सेवा प्रदान करना।

6– सबके लिए सूचना, सबके लिए जानकारीः नागरिक सूचना तक आसानी से से पहुॅन्च सके इसके लिए ओपेन डाटा प्लेटफार्म मुहैया कराया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचना एवं दस्तावेजों तक ऑनलाइन पहुँच कायम की गयी। सरकार सोशल मीडिया और वेब आधारित मंचों के माध्यम से नागरिकों तक सूचनाएं मुहैया कराने के लिए सक्रिय रहेगी। सरकार तथा नागरिको के बीच दोतरफा संवाद की व्यवस्था कायम की जायेगी।

7– इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भरता :– अपने देश में ही इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी अनेक चीजों का निर्माण देश में ही किया जायेगा।

8–रोजगार मूलक सूचना प्रौद्योगिकी :– गाँव तथा छोटे शहरों में लोगो को आइटी से जुड़े जॉब्स के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा। आइटी सेवाओं से जुड़े लोगो को कारोबार के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा। इस कार्य को करने हेतु दूर संचार विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

9–अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्सः डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लागू करने से पहले ठोस बुनियादी ढांचा बनाया गया।

डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम को प्रत्येक क्षेत्र में अनिवार्य कर दिया गया जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार देखा जा सकता है। जैसे–जैसे यह क्रान्ति आगे बढ़ेगी, देश के प्रत्येक हिस्से में पहुंचेगी। छोटे–बड़े शहर की प्रत्येक लड़की और महिला किसी न किस रूप में तकनीक से जुड़ी है, आज शहरी महिलाएं डिजिटल बदलाव को लेकर अनभिज्ञ नहीं हैं। महिलाएँ देश के किसी भी हिस्से क्षेत्र में हो रही घटनाओं से किसी न किसी माध्यम से अवगत हो रही हैं परन्तु यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में अभी उतनी तेजी से परिवर्तित नहीं हुई है। यही कारण है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ऐसी महिलाएँ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत तकनीक का इस्तेमाल करेंगी जो खासतौर पर ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में निवास करतीं हैं। अर्थात् इस कार्यक्रम का लाभ ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को दी जायें जिससे गाँव तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो सके। ग्रामीण स्तर पर सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाएं देने वाली महिलाओं को सरकार अपने इस कार्यक्रम की पहचान बनाना चाहती है और सरकार यह मानती है कि गाँव में ब्रॉडबैंड पहुंचाने से लेकर उसके प्रयोग को बढ़ावा देने तक में सहायता मिलेगी।

डिजिटल इण्डिया के तहत सरकार महिलाओं के विकास पर विचार कर रही है। इसकी पहल करते हुए लगभग 200 महिला उद्यमियों को सरकार ने सम्मानित किया है। यह वे महिलाए है जो अपने–अपने गाँव में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रकार की सेवाएं मुहैया करा रहीं हैं।

सरकार का संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के नाम से एक अनूठी स्कीम का संचालन करता है। राष्ट्रीय ई–गवर्नेस प्लान के तहत यह स्कीम चलाई जा रही है। इसका उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से गांव स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जा रही वित्तीय व सामाजिक क्षेत्र की स्कीमों को अमल में लाने के लिए किया जाता है।

सरकार ऐसी महिला उद्यमियों को चुना है जो गाँव व आदिवासी क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटर चला रहीं हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का यह मानना है कि यदि महिलाएं तकनीक का इस्तेमाल करेंगी तो उन्हें देखकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी तकनीक का इस्तेमाल करने को प्रोत्साहन मिलेगा। अप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जारिये

सरकार प्रत्येक गांव की पंचायत तक इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने का डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चला रही है।

देश अब डिजिटलीकरण के कारण महिलाओं में विशेष स्फूर्ति का माहौल बन रहा है। जो महिलाएं तकनीक का प्रयोग करने से डरती है, झिझकती है इस कार्यक्रम के माध्यम से उनमे तकनीक के प्रति उत्सुकता जागेगी तथा वे सरलता से इसका प्रयोग कर सकेंगी। आज हमारा भारत देश कम्प्यूटर तथा इंटरनेट के क्षेत्र में बिल्कुल पिछड़ा हुआ नहीं है। यह सूचना क्रांति के अग्रणी देशो में शुमार है। परन्तु जो इसके साथ नहीं चल सके वे पिछड़ते चले गये। इसमें महिलाएं चाहे या अनचाहे रूप से शामिल न हो सकी। परन्तु आज शहरों में महिलाओं ने इस क्षेत्र में अपना मजबूत वर्चस्व स्थापित किया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के द्वारा महिलाओं में आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी। ग्रामीण महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। शहर की महिलओं की तरह ग्रामीण महिलाएं भी तकनीक का प्रयोग कर सकेंगी।

जीएसएमए और चेरी ब्लेयर फाउंडेशन की 2010 मी एक रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकला कि विकासशील देश में मोबाइल फोन रखने से एक महिला के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है क्योकि यह उन्हे शैक्षिक, स्वास्थ्य, व्यवसाय तथा रोजगार के अवसरों तक बेहतर पहुंच प्रदान करता है। इसके द्वारा यह भी पता चलता है कि 85ः महिलाओं ने बताया कि वे अपने मोबाइल फोन के कारण अधिक स्वतन्त्र महसूस करती है।

डिजिटल सशक्तिकरण कई तरीकों से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकता है–

1– ग्रामीण महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें जीवन के सभी पक्षों के बारे में बेहतर जानकारी दी जा सकती है।

2– जिन महिलाओं ने पारिवारिक पारिस्थितियों या व्यक्तिगत एवं मातृत्व के कारण नौकरी करना बन्द कर दी, वे महिलाएं घर से ऑनलाइन माध्यम से काम करना जारी रख सकती है।

3– डिजिटल तकनीक के माध्यम से एक सामान्य महिला एक व्यवसायी महिला में बदल सकती है। जैसे बुनाई, सिलाई, भोजन पकाने, पेंटिंग आदि किसी भी क्षेत्र में अपने कौशल का उपयोग करके एक अच्छी व्यवसायी बन सकती है।

4– संसाधनों तक आसान पहुँन्च प्रदान करके, ज्ञान और जानकारी के साथ मार्गदर्शन करके, विचौलियों को समाप्त करके तथा भौतिक बाजार की आवश्यकता के द्वारा छोटे पैमाने के व्यवसायों को बढ़ाया जाता है।

5–अब महिलाओं के लिए व्यवसाय करना और आसान हो गया है क्योंकि तैयार उत्पादों/सेवाओं के लिए कच्चे माल तथा तैयार माल को ग्राहकों तक पहुंचाना ये सब ाऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सम्भव हो सका है।

6–अनेक मोबाइल ऐप ऐसे है जो महिलाओं को स्वास्थ्य या अन्य जरूरतो के बारे में समय पर जानकारी देते रहते हैं।

7– कई ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की उपलब्धता गतिशीलता की सीमाओं वाली महिलाओं को अपनी शिक्षा को बढ़ाने का विकल्प देती है।

8–महिलाएं यदि तकनीकी प्रशिक्षण ले चुकी है तो वे सामाजिक मंच पर विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार समझ और साक्षा कर सकती है।

सामान्य सेवा केन्द्रों में ग्रामीण महिलाओ की भागीदारी–

ग्राम पंचायतों में खुले सामान्य सेवा केन्द्रों (ब्ब्) में सामान्य ग्रामीण महिलाओं एवं ग्रामीण महिला उद्यमियों की भागीदारी को सरकार प्रोत्साहित कर रही है। अनेक महिला उद्यमियों ने ब्ब् स्थापित किए है और वे ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं वितरित कर रही है। इस प्रकार डिजिटल आधार पर महिलाओं की साक्षरता उनके साथ–साथ उनके परिवारों, समुदायों और बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी तंत्र को भी लाभान्वित कर रही हैं।

महिलाओं को सशक्त बनाने के विभिन्न कार्यक्रम

वर्तमान में निम्नलिखित कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है –

1– डिजिटल इंडिया कार्यक्रम

2– इंटरनेट साथी कार्यक्रम

3– आरोग्य सखी कार्यक्रम

4– उत्तर प्रदेश की बी.सी. सखी योजना कार्यक्रम

5. राजस्थान की ई–सखी योजना

6– 'डब्ल्यू 2 ई 2' कार्यक्रम

7– डिजिटल सखी कार्यक्रम

इन सभी कार्यक्रमों' का लक्ष्य है इंटरनेट आधारित सामाजिक उद्यमों एवं महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना, सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण में जेंडर समावेशन के लिए इंटरनेट' और आईसीटी का व्यापक उपयोग तथा महिलाओं के परम्परागत हुनर या कौशल को बढ़ावा देना उन्हें अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में मदद करना व धारणीयता को सुनिस्चित करना ।

महिला सशक्तिकरण में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका

भारत की अग्रणी डिजिटल इमेजिंग कंपनी कैनन का लक्ष्य है अपनी महिला कार्यबल को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करना है। कैनन इंडिया के अध्यक्ष तथा सीईओ ने कहा कि कैनन की नीतिया और पहल मजबूत कार्यबल बनाने के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जहाँ महिलाएं अपने घरों की तरह ही नेतृत्व कर सकती है। आज महिलाएं सच्चे अर्थों में सुपरवुमन हैं।

- हाल ही में नेटवर्किंग प्रमुख सिस्कों ने प्रोजेक्ट एथेना लॉन्च किया था जो सिस्को की पूर्व महिला कर्मचारियों के लिए एक घर वापसी परियोजना है, जो महिलाएं ब्रेक के बाद काम पर लौटना चाहती हैं।
- हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन ने एक चाइल्डकेअर पहल को नियोजित किया है जिसमें 32 प्रतिशत से अधिक महिलाएं संगठित है जिसमें कंपनी ने विभिन्न प्री–स्कूलों के साथ समझौता किया है। टाईन्अप के हिस्से के रूप में कर्मचारियों, बच्चों को सब्सिडी वाली योजनाएँ और कॉपोरेट छूट प्रदान की जाती है।
- ऑनलाइन भुगतान कंपनी पेपाल ने ''रिचार्ज'' नामक एक अद्वितीय छह–सप्ताह का पायलट कार्यक्रम पेश किया है, जिसे महिला प्रौद्योगिकी विदों को व्यक्तिगत कैरियर ब्रेक के बाद काम पर लौटने के लिए सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रौद्योगिकी में विविधता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम को विकसित किया गया है, साथ ही काम पर लौटने के इच्छुक लोगो को अपने अनुभव और नेटवर्क का विस्तार करने का अवसर भी दिया गया है।

कामकाजी महिलाओं के लिए डिजिटल तकनीक के लाभ

सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं के लिए अपनी बातों को स्वतन्त्र रूप से व्यक्त करने तथा अपने अनुभवों, चिंताओं और ज्ञान को साझा करने के रास्ते खोलकर महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है, और उनके आगे संवर्धन की सम्भावना पैदा की है। आईटी के उपयोग ने महिलाओं की गतिविधियों में बढ़ोतरी करके उनकी अपनी क्षमता से परे मुद्दों को सम्बोधित करने में सक्षम बनाया है।

महिलाओं की वर्तमान स्थिति की समझ के लिए आईटी सूचना उन तक बिना किसी विरूपण तथा सेंसरिंग के प्रवाहित करती है। महिलाओं की कार्य और कार्यस्थल की अवधारणा को आईटी ने बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिलाओं के पास आईटी के कारण लचीलेपन तथा घर से काम करने की अवधारणा के रूप में रोजगार के विकल्प उपलब्ध है। टेली–टेकलैंडिया, टेली–टेक तथा भारती समूह के बीच एक संयुक्त उद्यम बीपीओ कंपनी, अपने कर्मचारियों को सामान्य पांच के बजाय चार दिन के सप्ताह का विकल्प देती है। गृहिणियों एवं अन्य अंशकालिक श्रमिकों के लिए 30 घंटे के सप्ताह के लिए प्रोत्साहन है। मुम्बई स्थित डेटा मैटिक्स टेक्नोलॉजी, एक बीपीओ जो डेटा संसाधित करता है महिलाओं को सप्ताह में 20 घंटे घर से काम करने की अनुमति देता है, यह उन महिलाओं को रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराता है जो विवाहित है, और जिनके पास छोटे बच्चे है।

सुझाव

सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त, स्वालम्बन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए घोषित योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार होना चाहिए–

- तकनीकी शिक्षा का प्रशिक्षण महिला वर्ग की शिक्षा के साथ सम्मिलित करना चाहिए।
- विद्युत के वैकल्पिक स्त्रोंत (सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा) पर ध्यान देना चाहिए ताकि डिजिटल तकनीक का प्रयोग करने मे विद्युत की समस्या न आये।
- शासन द्वारा शासकीय विभाग में विभिन्न पदों पर महिला सशक्तिकरण को बल प्रदान करने के लिए महिला उम्मीदवारों की सीटें सुनिश्चित करें।
- ग्रामीण क्षेत्र में तकनीकी मार्यक्रम द्वारा पहुॅन्च की गति तीव्र करें।

निष्कर्ष !

उपरोक्त शोध पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि जब तक महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जायेगा तब तक राष्ट्र का विकास सम्भव नहीं है। इस क्षेत्र में सरकार के प्रयास अत्यन्त ही सराहनीय है। महिला वर्ग को भी स्वयं जागृत होने तथा स्वयं की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। भारत जैसे विशाल देश में सूचना प्रौद्योगिकी या डिजिटल तकनीकी कार्यक्रम ने आज देश के प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए उत्प्रेरक बन गया है खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। देश के लगभग हर गाँव में टेलीफोन/मोबाइल पहुंच गया है। वर्तमान परिवेश में करीब–करीब प्रत्येक परिवार में एक से दो या फिर सभी के पास मोबाइल जरूर है।

डिजिटल तकनीक के कारण गांव में रोजगार के संसाधन बढ़े है और महिलाएं भी स्वावलम्बी बन रही हैं। गांवों में भी तकनीकी सुविधाओं में वृद्धि होने से अनेक प्रकार की सुविधाएं भी प्राप्त की जा रही हैं। जैसे गाँव में जगह–जगह साइबर कैफे खुल रहे हैं जहाँ से लोग आसानी से अपनी जरूरत की चीजों के बारे में जान सकते है। अब इंटरनेट व कम्प्यूटर के प्रयोग से ग्रामीण महिलाएं भी अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त कर

रहीं हैं। इससे महिलाओं के ज्ञान में वृद्धि तथा उनको रोजगार मिल रहा है। साथ उनका शैक्षिक एवं आर्थिक उत्थान भी हो रहा है।

संदर्भ सूची–

1. मिश्रा स्वेता (1997) पंचायती राज में महिलाओं की सहभागिता, कुरूक्षेत्र, वर्ष 42(7) नई दिल्ली, पृ. 13
2. Desai, Neesia (1977), Women in Modern India, Asia Book Corporation of Amer
3. https://www-smilefoundation india &-org- translate-goog/blog/women-empowerment-needs-digital-empowerment-
4. के स्वातिः 2016, महिला सशक्तिकरण में सूचना 'प्रौद्योगिकी की भूमिका पृष्ठ सं० (9,146,151)
5. https://www.xn-i1h-j3fqcyde.xn-11b7cb3a6a.xn-h2rj9c-
6. https://m-hindi.webdunia.com
7. डॉ. प्रदीप कुमार मुखर्जी (2020), डिजिटल साक्षरता से सशक्त होती ग्रामीण महिलाएं, कुरुक्षेत्र, पृ.सं. 48,49,50।
8. अर्चना सिन्हा (2004)। ''महिला सशक्तिकरण के लिए सूक्ष्म वित्त'' कुरुक्षेत्र।
9. अप्पा राव (1999)। ''ग्रामीण महिलाएं और गरीबी उन्मूलन,'' कुरुक्षेत्र, खण्ड। 47, संख्या 12.
10. कुमार राधा (2005), स्त्री संघर्ष का इतिहास 1800–1990, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली.

Nav Jyoti
An International Multidisciplinary Journal
Peer Reviewed Refereed Journal
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.14, N. 28, June 2026
https://theopinion.navjyotijournal.in

महिला पुलिस कर्मियों की समस्याएँ : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ0 सौम्या यादव
एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी– 221010
साधना
शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी– 221010
E-mail : momvdad1810@gmail.com

सारांश :–
भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका देश काल, परिस्थिति के अनुसार बदलती रही है। आज की 21वीं सदी की नारी हर क्षेत्र में अपनी चमक बिखेर रही है, जिसमें पुलिस विभाग भी सम्मिलित है। आज के वर्तमान युग में महिला पुलिस की पहचान बल के अभिन्न अंग के रूप में स्थापित हो चुकी है। पुलिस स्टेशन से लेकर राज्य तथा केन्द्र के सशस्त्र पुलिस बल में भी महिलाओं की भागीदारी निरन्तर बढ़ रही है। लेकिन उन्हें कई सामाजिक, मानसिक और संरचनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुख्य समस्याओं में बुनियादी ढ़ांचे की कमी जैसे–पृथक शौचालय, अत्यधिक कार्यभार, अनिश्चित ड्यूटी की घंटे, पितृसत्तात्मक कार्य संस्कृति, पदोन्नति में असमानता और परिवार व नौकरी के बीच संतुलन बनाने का संघर्ष सम्मिलित है।

चूंकि महिला पुलिसकर्मी यौन हिंसा के मामलों और सामुदायिक पुलिसिंग में अधिक प्रभावी होती है, लेकिन उन्हें अक्सर मुख्यधारा के पुलिस कार्यों के बजाय केवल वी.आई.पी. ड्यूटी या सहायक भूमिकाओं तक सीमित कर दिया जाता है। इस प्रकार यह आलेख दर्शाता है कि इन चुनौतियों के कारण महिला पुलिसकर्मियों में उच्च मानसिक तनाव और करियर में असंतोष की स्थिति बनी रहती है, जिसके लिए थानों में जेंडर–संवेदी सुधार और बेहतर कार्य की आवश्यकता है। इस प्रकार इस लेख का उद्देश्य महिला पुलिसकर्मियों की समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है।

मुख्य शब्द :– महिला, पुलिसकर्मियों, समस्या, लैंगिक भेदभाव

प्रस्तावना :

भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है, जिसके पालने में सभ्यता न केवल विकसित हुई बल्कि उसने अपनी सुगन्ध से अन्य राष्ट्रों और समाजों को भी विकसित किया। इसी भारत देश के पावन धरती पर नारी को शक्ति की देवी से लेकर अबला नारी एवं पैर की जूती या भोग की वस्तु तक की संज्ञा दी गई है। प्राचीन युग में नारी किस समाज में सम्मिलित थे, इसका प्रमाण मनुस्मृति की इस पंक्ति से परिलक्षित होता है– ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः'' किन्तु शनैः शनैः इस दृष्टिकोण में परिवर्तन आता गया और महिलाओं की गरिमा में गिरावट देखने को मिली और स्त्री मात्र देह के रूप में 'भोग्या' समझा

जाने लगा, फलतः उसकी स्थिति अत्यन्त दर्दनाक एवं दयनीय होती चली गई परन्तु समय ने पुनः करवट बदली। पश्चिम में नारी आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ। नारी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर आन्दोलन करने लगी।

वर्तमान भारतीय समाज में नारी समाज की विभिन्न समस्याओं एवं नारी समाज में बढ़ते हुए अपराधों एवं अत्याचारों के परिप्रेक्ष्य में महिला पुलिस को अधिक से अधिक स्वीकार किया जा रहा है तथा नारी स्वयं स्त्री समाज को शोषण से मुक्त कराने एवं नारी की प्रस्थिति को उच्च बनाने की प्रत्याशा में पुलिस की जोखिम भरी जिन्दगी की ओर आकर्षित हो रही है एवं अपनी अपनी छिपी हुई प्रतिभा को निखार रही है।

नारी को शक्ति और तेज की साक्षात प्रतिभा कहकर नारी जागरण के सन्देा दिये गये। कवि प्रसाद ने नारी की सत्ता को स्वीकार करते हुए उसे समानता की अधिकारिणी घोषित किया था। वही आज आधुनिक नारी की मुख्य मांग है। (ठाकुर, उषा 1998)[1]

'तुम भूल गये पुरूषत्व मोह में,
कुछ सत्ता है नारी की
समरसता है सम्बन्ध बनी,
अधिकार और अधिकारी की।'

महिला पुलिस :–

'माव्रस का कहना था कि ''स्त्रियों की सामाजिक स्थिति से सामाजिक प्रगति को ठीक–ठाक कहा जा सकता है। अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और खास बात यह है कि एक–दूसरे से लेकर मरीज के रूप में जुड़े हुए आधार इस प्रकार है। उनके आदर्श परिवार में उनकी भूमिका, समाज में उनकी भूमिका, आर्थिक भूमिका, आबादकार और प्लास्टर कार्य का मूल सिद्धान्त।''

भारत वर्ष में महिला पुलिस की नियुक्ति लगभग स्वतन्त्रता के बाद हुई। स्वतंत्रता से पूर्व लाहौर शहर की सबसे पहली महिला पुलिस निरीक्षक रेलवे स्टेशन के स्टेशन में स्थापित थी। सन् 1948 ई0 में पंजाब और दिल्ली में कुछ संख्या में महिला पुलिस नियुक्त की गई। कोलकाता में पहली महिला पुलिस सन् 1949 ई0 में और बम्बई में सन् 1952 में नियुक्त की गई। शरणार्थियों में महिलाओं की तादात काफी ज्यादा थी। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि सफल गृहिणी होने के साथ–साथ महिलाओं ने सफल नेतृत्व पर कई प्रेरणाएं प्रदान की है।

पुलिस बल में महिला प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति देखे तो फरवरी 2023 में राज्यसभा में गृह राज्यमंत्री द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के द्वारा पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व (1 जनवरी 2022 तक की स्थिति के अनुसार) कुल राज्य पुलिस बल का 11.7 प्रतिशत था। जबकि कई राज्यों में पुलिस बल में महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत से 33 प्रतिशत आरक्षण को अनिवार्य कर रखा है, इनमें से कोई भी राज्य इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर रहा था। उच्च पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी इससे भी निम्न स्तर पर थी जिसका प्रतिशत 8.7% था।

अतः इस प्रकार महिला पुलिसकर्मियों का योगदान महत्वपूर्ण है।

महिला पुलिस कर्मियों की समस्याएं :–

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति देश, काल, परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। आज महिलाएं विभिन्न क्षेत्र में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर रही हैं, जिसमें पुलिस विभाग भी सम्मिलित है।

नौकरी एवं गृहस्थ जीवन के मध्य सन्तुलन बैठाना महिला एवं पुरूष दोनों के लिए महत्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है परन्तु एक स्त्री की परिवार के प्रति अधिक जिम्मेदारियां होती हैं जो उन्हें सुचारूपूर्वक निभानी पड़ती है, जिससे स्त्रियों को इन 'दोहरी भूमिकाओं' के मध्य सन्तुलन स्थापित करना ही पड़ता है, जिससे कि वे अपने कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों के बीच सन्तुलन बैठा सके। महिलाओं को एक तरफ अपने परिवार में माँ, बेटी, पत्नी के रूप में भूमिका निभानी पड़ती है तो दूसरी तरफ नौकरी करते समय कानून एवं

व्यवस्था को बनाये रखने तथा अपराध के साधन के रूप में पुलिस की नौकरी बहुमुखी कार्यों के दबाव एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

इस प्रकार हम देखते है कि पुलिस सेवा जैसे चुनौतीपूर्ण और पुरूष प्रधान क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन उन्हें नाना प्रकार की संरचनात्मक, सामाजिक, मानसिक, कार्यस्थल पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव, पुरूष–प्रधान कार्य संस्कृति और अनियंत्रित ड्यूटी घंटों जैसे गम्भीर समस्याओं का सामना कर रही है।

इस तरह से यह आलेख का उद्देश्य महिला पुलिसकर्मियों की समस्याओं को उजागर करना है, जो निम्नलिखित इस प्रकार से है–

सामाजिक समस्या –

सामाजिक समस्या को सामाजिक आदर्श का विचलन माना गया है जो सामूहिक प्रयास से ही ठीक हो सकता है। समाज में आज भी यह धारणा है कि पुलिस सेवा पुरूषों के लिए अधिक उपयुक्त है, जिससे महिलाओं को सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है।

संरचनात्मक दृष्टिकोण :–

संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार, समाज के विभिन्न अंगों में असन्तुलन होने पर समस्याएँ उत्पन्न होती है।

मानसिक समस्या या मानसिक असन्तोष या तनाव :–

पुलिस विभाग की अव्यवस्थित दिनचर्या, उल्टी–सीधी जगहों पर तैनाती, अपराधियों के पीछे भागते हुए कई–कई रातों तक नहीं सोने की वजह से मानसिक थकान होना, इत्यादि कारण हैं, इन्हीं स्थितियों के चलते प्रायः लोग मानसिक रूप से असन्तुष्ट रहते हुए तनावग्रस्त रहने लगते हैं। महिलाओं के लिए यह स्थिति और अधिक कष्टप्रद होती है।

सुरक्षा सम्बन्धी समस्या –

पुलिस विभाग में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी चाहे वह पुरूष हो या महिला, सबको अपनी सुरक्षा हेतु हथियारों की आवश्यकता पड़ती है। महिलाओं की कोमलता को देखते हुए व उनकी ड्यूटी को देखते हुए, महिलायें अब अपनी सुरक्षा के लिए निजी शस्त्रों की आवश्यकता को महसूस करती है।

महिला पुलिसकर्मियों की पारिवारिक समस्याएँ –

पुलिस विभाग में कार्यरत विवाहित महिलाएँ जिनके सम्मुख गृहणी की भूमिका निर्वहन में भी अनेक कठिनाइयाँ आती है। पुलिस विभाग की नौकरी मानसिक तनाव उत्पन्न करने वाली, थकान उत्पन्न करने वाली, विशेषकर महिला पुलिसकर्मी को सहनशील बनाने वाली होती है। इसका सीधा असर उसके पारिवारिक जीवन पर पड़ता है। परिवार में भी पहला प्रभाव उसके दाम्पत्य सम्बन्धों पर पड़ता है। परिवार में गृहणी के जो भी उत्तरदायित्व होते हैं, उन्हें वह पूर्णरूपेण एवं मनोयोगपूर्ण नहीं निभा पाती है। अपने बच्चों पर वह ठीक से ध्यान नहीं दे पाती हैं, यह उनकी एक बड़ी समस्या है। अतः महिला पुलिसकर्मी को प्रायः पारिवारिक कलह का भी सामना करना पड़ता है।

आर्थिक समस्याएँ :–

वर्तमान युग उपभोक्तावादी संस्कृति का युग है। बाजार में प्रायः निरन्तर नित्य नये वस्तुओं का प्रचलन बढ़ रहा है। इनमें उपयोग की वस्तुएँ भी है और विलासिता की वस्तुएँ भी है। महिला पुलिसकर्मी भी इसी समाज का अंग है। स्वाभाविक है कि वे भी इन वस्तुओं का क्रय करती हैं या करना चाहती हैं। वह भी बेहतर जीवन यापन करना चाहती है परन्तु आर्थिक स्तर उन्हें कभी–कभी अपनी आवश्यकतों को सीमित करने पर विवश कर सकता है जो आर्थिक समस्या का कारण है।

लैंगिक भेदभाव :–

महिला पुलिसकर्मियों को अक्सर पुरूष सहकर्मियों की अपेक्षाकृत कम महत्व दिया जाता है। उन्हें प्रमुख मामलों से दूर रखा जाता है और उनकी क्षमता पर संदेह किया जाता है।

आधारभूत सुविधाओं का अभाव :–

अनेक पुलिस थानों में महिला पुलिसकर्मियों के लिए अलग शौचालय, विश्राम कक्ष, क्रेच और सुरक्षा की उचित सुविधा उपलब्ध नहीं होती है जिससे महिला पुलिसकर्मियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

कार्यस्थल पर उत्पीड़न :–

महिला पुलिसकर्मियों को कई बार यौन उत्पीड़न, मानसिक दबाव और अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ता है, जिससे महिला पुलिसकर्मियों का मनोबल प्रभावित होता है।

अवकाश की समस्या :–

कार्यरत महिला पुलिस कर्मियों को समय पर अवकाश नहीं मिल पाता, जिससे वे अपने बच्चों एवं अन्य परिवारजनों की सही देखभाल नहीं कर पाती, साथ ही किसी त्यौहार या उत्सव में शामिल भी नहीं हो पाती है, जिसके कारण इनमें काफी मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

कार्य एवं विभाग से सम्बन्धित समस्याएँ :–

कार्यरत महिला पुलिस कर्मियों को कभी–कभी विभाग से सम्बन्धित समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। विभाग द्वारा आकस्मिक कार्य आदेश आने पर उन्हें अपने सभी काम छोड़कर कार्यस्थल पर पहुँचना पड़ता है। जो एक मुख्य समस्या को दर्शाता है।

विभागीय समस्याएँ :–

सामान्यतः हम देखते है कि कार्य के घण्टे प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों के कार्य के घण्टे निर्धारित होते है। सामान्यतः प्रत्येक विभाग में 6–8 घण्टे तक ही ड्यूटी सुनिश्चित होती है। पुलिस विभाग में भी नियम यही होता है परन्तु व्यवहारिक रूप में यह देखा गया है कि पुलिसकर्मी को कभी भी ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। पुलिस कर्मियों के कार्य के घण्टे निर्धारित होते हुए भी निर्धारित नहीं होते। उनको 24 घण्टे की ड्यूटी करनी पड़ती है, जिससे उनको मानसिक एवं शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

थानों में तैनाती :–

महिला पुलिसकर्मियों की यह मुख्य समस्या देखने को मिलती है जैसे किसी एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र भर की यह समस्या है, यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां राज्य सरकार ने हर थानों में दो महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती का फरमान जारी कर रखा है और ज्यादातर जगहों पर ये तैनाती हुई भी है, लेकिन दफ्तरों में शौचालय और रहने के लिए आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं की ओर सरकार का ध्यान अब तक नहीं गया है। आवास की स्थिति तो ये है कि महिला पुलिस कर्मियों के लिए जिलों के पुलिस लाइंस में ही आवास उपलब्ध नहीं है, थानों पर आवास की बात तो अभी सोच से भी परे है। महिला पुलिस कर्मियों को या तो अलग से आवास की व्यवस्था करना पड़ता है या छोटे से सरकारी आवास में दो–तीन महिलाएँ एक साथ रहने को विवश होती हैं और यह आवास बहुत कम और कुछ जगहों पर देखने को मिलती है।

घर से दूर तैनाती :–

आवास की समस्या महिला पुलिसकर्मियों के लिए तब और विकट हो जाती है जब उन्हें घर से बहुत दूर पोस्टिंग मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में डीजीपी रहे रिटायर्ड आई.पी.एस. अधिकारी सुब्रत त्रिपाठी कहते है कि सभी को घर के पास तैनाती मिल जाएगी, ये सम्भव नहीं है, किन्तु विशेष परिस्थितियों में तो विचार किया ही जा सकता है। उनके मुताबिक, ''अधिकारियों के स्तर पर पति–पत्नी को एक ही जिले या फिर आस–पास तैनाती दी जा सकती है तो कांस्टेबल और दरोगा जैसे पदों पर तैनाती महिलाओं के साथ भी ये सरकारी हमदर्दी क्यों नहीं हो सकती।''

अन्य समस्याएँ :–

पुलिस का नाम सुनते ही जनमानस की दृष्टि में पुलिस को हीन–भावना के रूप में देखा जाता है। उनके बच्चों को भी समाज गिरी निगाहों से देखता है। जिसके फलस्वरूप महिला पुलिस कर्मियों को अपने सम्मान और स्थान को बनाये रखने के लिए अनेक प्रकार के समस्याओं एवं संघर्ष का सामना करना पड़ता है।

महिला पुलिस कर्मियों को देर रात को ड्यूटी पर लगा दिया जाता है और वहाँ पर कोई पुरूष पुलिसकर्मी न होने की वजह से महिला पुलिस कर्मियों को अराजक तत्वों का सामना करना पड़ता है जो महिला पुलिस शादीशुदा होती है उनके छोटे बच्चों को साथ रखने की जगह की व्यवस्था नहीं होती, इन्टरनेशनल चाइल्ड केयर सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, स्कूल और क्रेच की सुविधा का अभाव होता है। ज्यादा वक्त गृह जिले में पोस्टिंग नहीं मिलती कई बार पति–पत्नी को साथ पोस्टिंग नहीं मिलती, कुछ मामलों में महिलाओं को इंफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है जिससे शादियाँ टूटती हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव :–

निष्कर्ष के रूप में हम यह देखते है कि आज की 21वीं सदी की नारी प्रत्येक क्षेत्र में अपनी योग्यता एवं मेहनत के बल पर आगे बढ़ रही है। महिला कार्यशाला द्वारा जगह–जगह आम महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति सिद्ध करने के लिए मिशन के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। महिला पुलिस स्वयं अपने मासिक धर्मपीठ से समान भागीदारी व सम्मान हासिल करने की निरन्तर प्रयासरत है। इसके लिए शिक्षा एवं शिक्षक दोनों को ही नर–नारी के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाने में अग्रणी भूमिका निभानी होगी। शिक्षण, पाठ्यपुस्तक, प्रशिक्षण, कोचिंग, आश्रम, विचार संगोष्ठी आदि के द्वारा सह–शिक्षा, समान–पाठ्यक्रम को बढ़ावा देना होगा। पुलिस विभाग को महिला यौन उत्पीड़न (रोकथान, निषेध और सुरक्षा) अधिनियम 2013 का लक्ष्य दिया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद–21 के अनुसार महिलाओं को सम्मान के साथ जीवन का अधिकार दिया जाना चाहिए, जिसके तहत सरकारी दस्तावेजों में उन्हें स्वच्छ शौचालय, साफ पानी और सही मात्रा में सेनेट्री उत्पाद उपलब्ध कराना चाहिए। 'दी कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिवा' संस्था की एक जांच के अनुसार महिला पुलिस की समस्याओं को दूर करने के लिए 'मैडल पॉलिसी फेयर विमन इन पुलिस इन इंडिया' नामक का एक्शन प्लान अपनाए जाने की नितांत आवश्यकता है। इस तरह इस योजना के अनुसार महिलाओं को पुलिस में शामिल किया जाना चाहिए, काम के माहौल को बेहतर बनाया जाना चाहिए, पारिवारिक शिक्षा नीति को ठीक किया जाना चाहिए और यौन उत्पीड़न के खिलाफ जीरो टैलरोंस नीति को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

इस प्रकार हम निष्कर्ष के रूप में देखते है कि महिलाओं को तरह–तरह की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक इत्यादि परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिलाएँ पुलिस विभाग में भर्ती तो हो गई है किन्तु वहाँ भी उन्हें स्वयं की जगह बनाने के लिए कठिन परिश्रम एवं संघर्ष करना पड़ रहा है।

इस प्रकार पुलिस विभाग में महिलाओं की मजबूत हिस्सेदारी और महिलाओं की बेहतर से बेहतरीन कार्यशैली के उपयोग हेतु सुझाव निम्नलिखित इस प्रकार से है–

- कार्यरत महिला पुलिसकर्मी को उनकी परिस्थिति अनुसार विचारपूर्वक अवकाश देना चाहिए।
- आकस्मिक रूप से एवं जल्दी–जल्दी स्थानान्तरण नहीं करना चाहिए।
- कार्यस्थल पर कार्यरत महिला पुलिस कर्मियों के जरूरत सम्बन्धी, साधनों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- वरिष्ठ अधिकारियों का व्यवहार महिला पुलिस कर्मियों के प्रति सम्मानजनक एवं सहयोगपूर्ण होना चाहिए।
- त्यौहारों एवं महोत्सवों पर परिस्थितिनुसार इनको अवकाश प्रदान करना चाहिए।

- एक निश्चित समय निर्धारित कर इनकी समस्याओं को जानने एवं उसका निदान करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में बैठक की जानी चाहिए।
- विभागों और कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 एवं विशाखा गाइड लाइन्स को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
- महिला पुलिस को शारीरिक और मानसिक स्तर पर मजबूत बनाने के लिए जूडो, मार्शल आर्ट, कराटे आदि का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- महिला पुलिस को रात्रि ड्यूटी के लिए आवास से लाने और ड्यूटी के बाद घर तक पहुंचाने के लिए सरकारी वाहन की व्यवस्था होनी चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

- कुमार अवधेश भारद्वाज कमलेश डॉ0 :''भारत में महिला पुलिस की समस्याएँ'' 2021, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस
- सिंह, मीनाक्षी :''महिला पुलिस : एक संघर्षपूर्ण जीवन'' www.jetir.org 8 अगस्त, 2022
- महिला पुलिस का प्रतिनिधित्व : विचारणीय तथ्य (https://www.drishtiias.com)
- सॉरिकवाल अमित डॉ0 : ''महिला पुलिस अधिकार एवं कर्त्तव्य'' 2012, ग्लोरियस पब्लिशर्स
- गुप्ता अनुपम डॉ0 : ''महिला पुलिस और परिवर्तनशील भारतीय समाज'' 2017, राधा पब्लिकेशन्स।
- सिंह निरूपमा, आनंद प्राजक्ता : विशिष्ट भारतीय समाज में महिला प्रोफेसर की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (https://www.ijrrssonline.in ABS)
- गीता एवं यादव शिवकान्त दा0 : 'वर्तमान पुलिस विज्ञप्ति और महिला पुलिस की समीक्षा' 2012 (https://www.hodhmanch.com)

Nav Jyoti
An International Multidisciplinary Journal
Peer Reviewed Refereed Journal
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.14, N. 28, June 2026
https://theopinion.navjyotijournal.in

ग्रामीण राजनीति एवं महिला सशक्तिकरण

कु0 नेहा
शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग,
काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
ज्ञानपुर, भदोही

सारांश–
भारतीय लोकतंत्र के 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण राजनीति की दिशा ही बदल दी है, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य बनाकर उन्हे नीति निर्माण के केन्द्र में लाकर खड़ा किया है। पंचायतों में महिला आरक्षण के माध्यम से इनको सशक्त करने का प्रयास किया गया और महिलाओं की भागिदारी से उनकी स्थिति में व्यापक बदलाव भी आया। प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद् देश्य ग्रामीण राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, उनके सशक्तिकरण के स्तर तथा उनके मार्ग में आने वाली सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बाधाओं का विश्लेषण करना है। यह शोध दर्शाता है कि जहाँ एक ओर आरक्षण ने महिलाओं को राजनीतिक पहचान दी एवं उन्हे सशक्त करने का प्रयास किया गया, वही दूसरी ओर 'सरपंच पति' और पितृसत्तात्मक सोच आज भी महिला सशक्तिकरण के मार्ग में बड़ी बाधाएं है।

मुख्य शब्द–महिला, सशक्तिकरण, पितृसत्ता, लैगिक असमानता, पंचायती राज संस्थाए, महिला आरक्षण, जमीनी स्तर की लोकतंत्र।

प्रस्तावना– भारत की लगभग दो तिहाई आबाादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है ग्रामीण महिलाएं देश की महिला आबादी का संख्यात्मक बहुमत बनाती है, स्वतंन्त्रता के बाद दशको तक भारतीय लोकतंत्र की ग्रामीण स्तर पर कहानी लगभग पुरूषो के आवाजो के माध्यम से सुनायी जाती रही। भले ही संविधान में 1950 से महिलाओं को समान नागरिकता, मतदान का अधिकार दिया था औपचारिक कानूनी समानता उन संस्थाओं में आनुपातिक उपस्थिति में नही बदली जो असल में संसाधन बाटती है और फैसले लेती है ग्राम पंचायत ब्लाक समिति जिला परिषद् राज्य विधान सभा एववं संसद।

राजनीतिक सशक्तिकरण अन्य आर्थिक, सामाजिक एंव शैक्षिक सशक्तिकरण से अलग है क्योंकि यह फैसले लेने की शक्ति से जुड़ा है। खासतौर पर ऐतिहासिक रूप से भारतीय ग्रामीण समाज पुरुष प्रधान रहा है जहॉ महिलाओं की भूमिका घरेलू कार्यो तक सीमित थी। 73वें संविधान संशोधन के पश्चात् ग्रामीण भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक मूक क्रांति की शुरुआत हुई। ग्रामीण राजनीति अब केवल पुरुषों का क्षेत्र नही रह गई हैं बल्कि महिलाएं भी इसमें सक्रिय रूप से नेतृत्व कर रही हैं। जो कि महिलाओ के सशक्तिकरण के लिए अनिवार्य है। राजनीतिक सशक्तिकरण प्राप्त करके, ग्रामीण महिलायें भूमि, अवसर, नेतृत्व और सार्वजनिक नीति, कानून एवं कार्यक्रम सम्बन्धि नियमों के निर्माण में अपना योगदान दे रही है। हाशिए पर धकेले जाने, उपेक्षा

और उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष, साथ ही ग्रामीण महिलाओं सामाजिक आर्थिक विकास, उनकी राजनीतिक भागीदारी एवं सशक्तिकरण पर निर्भर करता है।

महिला सशक्तिकरण परिचयात्मक अवधारणा– महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को उनके अधिकार अवसर और संसाधनों तक समान पहुंच दिलाना। राजनीति में उनकी भागीदारी केवल एक संवैधानिक अधिकार नहीं है बल्कि यह सामाजिक बदलाव और विकास का आधार भी है। लोकतंत्र की अवधारणा मे नागरिकों को समान भागीदारी और प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया है। इसके बिना लोकतंत्र अधूरा है। सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाएं अपने आर्थिक स्वावलम्बन राजनैतिक भागीदारी व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न कारको पर पहुॅच व नियंत्रक प्राप्त करती है। अपनी शक्तियों व सम्भावनाओं, क्षमताओं व योग्यताओं तथा अधिकारों व जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होती है। सामाजिक सशक्तिकरण महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसी मुलभूत आवश्यकताओं तक पहुॅच दिलाने पर क्रेडिट है। भारत में बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं जैसे सरकारी अभियान इसी दिशा में कार्यरत है जिनका उद्देश्य लैंगिक असमानता को समाप्त करना और लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। आर्थिक सशक्तिकरण के अन्तर्गत महिलाओं को आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये गये। स्व सहायता समूहों और महिला उद्यमियता के लिए सरकारी योजनाएं महिलाओं को वित्तीय स्वतंन्त्रता दिलाने में सहायक रही है। राजनीतिक सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह उन्हें राजनीतिक प्रक्रियाओं और निर्णय लेने में भागीदारी बनने का अवसर प्रदान करता है। जो कि अन्य सभी क्षेत्रों में सशक्तिकरण का आधार तैयार करता हैं जब महिलाएं नीतियों और निर्णय प्रक्रियाओं से सम्बन्धित मुद्दों को उठाती है बल्कि व्यापक सामाजिक सुधारों का भी नेतृत्व करती है। पंचायत राज अधिनियम 1992 के तहत महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना इस दिशा में एक क्रांन्तिकारी कदम था, जिससे लाखों महिलाएं स्थानीय शासन में संक्रिय भूमिका निभाने लगी।

3. ऐतिहासिक और संवैधानिक आधार –

3.1 स्वतंत्रता–पूर्व अपवर्जन– भारत में ग्रामीण महिलाओं के राजनीतिक बहिष्कार की जड़ें गहरी ऐतिहासिक हैं। औपनिवेशिक काल की मताधिकार समितियों ने ग्राम पंचायतों की संरचना पर बहस की, लेकिन महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर गंभीरता से विचार नहीं किया, इस तर्क के आधार पर कि महिलाओं को अभी तक मतदान का अधिकार ही नहीं था। इसलिए 1920 के दशक के दौरान रियासतों और प्रांतों में प्रारंभिक पंचायत कानून ने महिलाओं को लगभग पूरी तरह से मतदाता और प्रतिनिधि दोनों के रूप में, बाहर कर दिया, जो उस काल की पितृसत्तात्मक मान्यताओं को दर्शाता है।

3.2 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन – 1992 में संसद द्वारा पारित और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुए 73वें 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के साथ महत्वपूर्ण बदलाव आया। इस संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को पहली बार संवैधानिक दर्जा दिया, जिससे वे साधारण राज्य–विधानसभा निकायों से उपर उठकर संविधान के नए भाग 9 के तहत भारत की संघीय संरचना का एक स्थायी हिस्सा बन गई। महत्वपूर्ण रुप से, अनुच्छेद 243क;3द्ध में यह अनिवार्य किया गया कि ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से कम से कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों, और अध्यक्ष पद के लिए भी इसी प्रकार एक तिहाई आरक्षण हो। एक सम्बन्धित प्रावधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पहले से निर्धारित कोटे में से एक तिहाई सीटें विशेष रुप से इन समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षित की गयी। उसी वर्ष 74वें संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार की संरचना प्रदान की।

चूंकि इस संशोधन ने इन आरक्षणो को निर्वाचन क्षेत्रों में बारी– बारी से लागू करने योग्य बना दिया और इन्हें अनिवार्य कर दिया, इसलिए इसका तत्काल और स्पष्ट प्रभाव देखने को मिला। आज, लगभग छह सौ जिला पंचायतें, छह हजार मध्यवर्ती पंचायतें और दो लाख से अधिक ग्राम पंचायतें, 28 लाख से अधिक लोगों को

जमीनी स्तर पर प्रतिनिधि लोकतंत्र में औपचारिक स्थान प्रदान करती हैं, जो विकेंद्रीकृत राजनीतिक पदों का एक अभूतपूर्व पैमाना है।

बिहार पंचायतों में महिलाओं के लिए कोटा बढ़ाकर पचास प्रतिशत करने वाला पहला राज्य था, और उसके बाद लगभग बीस अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी इसका अनुसरण किया। परिणामस्वरूप आज राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों में लगभग आधी महिलाएं हैं।

4. ग्रामीण महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति –

इस क्षेत्र में सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा स्थानीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के बीच का अंतर है। संवैधानिक आरक्षण और कई राज्यों द्वारा इसके विस्तार के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप, पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित सीटों में महिलाओं की हिस्सेदारी अब देश भर में लगभग 46 प्रतिशत है। यह आंकड़ा संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बिल्कुल विपरीत हैः 2024 के आम चुनाव के बाद गठित अठारहवीं लोकसभा में केवल 74–78 महिला सदस्य हैं, यानी सदन का लगभग 14 प्रतिशत जो पंचायत स्तर की तुलना में तीन गुना से भी कम है, और राष्ट्रीय विधानसभाओं के वैश्विक औसत से भी नीचे है। यह विषमता भारत में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का केंद्रीय अनुभवजन्य तथ्य है।

आरक्षण का संवैधानिक प्रयोग, जब भी आजमाया गया, महिलाओं को पदों पर बिठाने में बड़े पैमाने पर सफल रहा है, लेकिन यह प्रयोग अभी तक सरकारी संसद और राज्य विधानसभाओं के स्तर तक विस्तारित नहीं हुआ है, जहां सबसे बड़े नीतिगत और बजटीय निर्णय लिए जाते है।

4.1 नारी शक्ति वंदन अधिनियम –

अंततः संसद ने संविधान (106 वा संशोधन) अधिनियम, 2023, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, के माध्यम से इस अंतर को पाटने का प्रयास किया। सितंबर 2023 में नवगठित संसद भवन में सरकार द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक को लोकसभा ने लगभग सर्वसम्मति से और राज्यसभा ने कुछ दिनों बाद सर्वसम्मति से पारित कर दिया। यह विधेयक लोकसभा, सभी राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण प्रदान करता है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पहले से आरक्षित सीटों में उप–कोटा भी शामिल है, और प्रत्येक परिसीमन के बाद आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का रोटेशन होता रहेगा। इस विधेयक में पंद्रह वर्षों की समाप्ति तिथि का प्रावधान है, जिसे संसदीय नवीनीकरण द्वारा पारित किया जा सकता है।

हालांकि, इस संशोधन ने वास्तविक कार्यान्वयन को परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ दिया, जो कि पहली जनगणना के बाद ही हो सकती थी। मूल समय– सीमा के अनुसार, इस संशोधन का कार्यान्वयन 2029 के बजाय 2034 के आम चुनाव तक टल गया। हाल ही में, सरकार ने संविधान (131 वा संशोधन) विधेयक के माध्यम से इस देरी को टालने का प्रयास किया। इस विधेयक में 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करके तत्काल परसीमन प्रक्रिया शुरू करने और साथ ही लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर काफी अधिक करने का प्रस्ताव था, ताकि मौजूदा पुरुष सांसदों की सीटों में कमी किए बिना महिलाओं के लिए आरक्षित नई सीटें जोड़ी जा सकें। विपक्षी दलों के इस तर्क के बाद कि परिसीमन प्रक्रिया से दक्षिणी राज्यों को नुकसान होगा और उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों को नजरअंदाज किया जाएगा, यह विधेयक लोकसभा में दो–तिहाई बहुमत से काफी कम रह गया और पारित नहीं हो सका। हार के बाद, सरकार ने संबंधित विधेयकों को वापस ले लिया, जिससे संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सैद्धांतिक रूप से तो कानून बन गया, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए, राष्ट्रीय आरक्षण में यह रुकावट महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामीण जीवन से सीधे तौर पर जुड़े विषयों पर कानून केवल संसद ही नहीं बल्कि राज्य विधानसभाएं बनाती है। कृषि, भूमि, पंचायतें, सिंचाई और ग्रामीण रोजगार योजनाएं। जब तक कोटा लागू नहीं हो जाता, पंचायतों में जमीनी स्तर के राजनीतिक अनुभव को राज्य और

राष्ट्रीय विधायी कार्यालयों से जोड़ने वाली कड़ी ग्रामीण महिलाओं के लिए संरचनात्मक रूप से संकीर्ण बनी रहेगी।

5. महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का प्रभाव–

कई अध्ययनों में यह जांच की गई है कि क्या स्थानीय सरकार में महिलाओं की उपस्थिति नीतिगत परिणामों को बदलती है, और इसका उत्तर मोटे तौर पर सकारात्मक है, हालांकि कुछ महत्वपूर्ण अपवाद भी हैं। पश्चिम बंगाल और राजस्थान में पंचायत अध्यक्षों के लिए आरक्षण के यादृच्छिक आवंटन का उपयोग करते हुए यह दिखाया गया कि महिला नेता अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में पीने के पानी और सड़कों जैसी महिलाओं की प्राथमिकताओं से सीधे सम्बन्धित बुनियादी ढांचे में अधिक निवेश करती है। तमिलनाडु से प्राप्त रिपोर्टों में भी इसी प्रकार पाया गया है कि महिलाओं के नेतृत्व वाली पंचायतों ने शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने और स्कूल और आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर बेहतर परिणाम दिखाए हैं, साथ ही स्थानीय कार्यालयों में अधिक महिलाओं की उपस्थिति और मजबूत स्थानीय आर्थिक गतिविधि के बीच एक सहसम्बन्ध भी पाया गया है।

नीतिगत परिणामों से परे, आरक्षण का एक प्रदर्शनकारी प्रभाव दिखाई देता हैः सत्ता में लगातार कार्यकाल महिलाओं के आत्मविश्वास, राजनीतिक कौशल और पुनः चुनाव लड़ने की इच्छा को बढ़ाते हैं, साथ ही व्यापक समुदाय के लिए, जिसमें बेटियाँ और युवा महिलाएँ शामिल हैं जो उन्हें शासन करते हुए देखती हैं, सत्ता में महिलाओं की भूमिका के विचार को धीरे–धीरे सामान्य बनाते हैं। साथ ही, शोधकर्ता चेतावनी देते हैं कि ये सार्वभौमिक या स्वतःस्फूर्त परिणाम नहीं हैं ये राज्य, जाति संरचना, शिक्षा स्तर और स्थानीय राजनीतिक संस्कृति के अनुसार काफी भिन्न होते हैं, और केवल आरक्षण ही यह गारंटी नहीं देता कि सत्ता में आने के बाद महिलाओं को पूर्ण निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होगा,।

6. वास्तविक सशक्तिकरण के लिए लगातार चुनौतियां–

6.1 परोक्ष नेतृत्वः सरपंच पति की घटना –

जमीनी स्तर पर वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण में सबसे बड़ी बाधा प्रॉक्सी नेतृत्व है, जिसे विभिन्न क्षेत्रों में आमतौर पर सरपंच पति, प्रधान पति, या मुखिया पति कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रथा है।

6.2–पितृसत्तात्मक सामाजिक ढांचा :–

ग्रामीण समाज आज भी महिलाओं को स्वतंत्र शासक के रूप में स्वीकार करने में संकोच करता हैं।

6.3–लैंगिक भेदभाव एवं शिक्षा और जागरुकता की कमी – लैंगिक भेदभाव के कारण महिलाओं को अक्सर नेतृत्व के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्र महिलाओं की शिक्षा निम्न स्तर और राजनीति के प्रति जागरुकता की कमी भी उनकी भागीदारी को प्रभावित करती हैं। शिक्षा के बिना महिलाएँ नीतिगत प्रक्रियाओं में योगदान देने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल अर्जित नही कर पाती।

6.4 प्रशासनिक उदासीनताः सरकारी अधिकारी (जैसे सचिव, बी0डी0ओ0) कई बार महिला प्रतिनिधियों को गंभीरता से नहीं लेते और उनके पुरुष रिक्तेदारों से ही संवाद करना पंसन्द करते है।

6.5 डिजिटल और वित्तीय साक्षरता की कमी – बजट आवंटन, आनलाइन सरकारी पोर्टल और बैंकिग की कार्यो को पर्याप्त जानकारी न होने के कारण महिलाएँ पुरुष पर निर्भर हो जाती हैं।

7. सरकार द्वारा उठाये गये कदम –

'सरपंच पति' या 'प्रधान पति' प्रथा से निपटने के लिए भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने प्रशासनिक एवं कानूनी स्तर पर कड़े कदम उठाए है।

7.1 सख्त दण्ड की सिफारिस– मंत्रालय द्वारा ने गठित एक विशेष समिति ने फर्जी नेतृत्व के मामलों में दोषी पुरुषों के खिलाफ ''कड़े कानूनी दण्ड'' लगाने की सिफारिश की हैं।

7.2. डिजिटल मुहिम – पंचायती राज मंत्रालय ने "असली प्रधान कौन'' और "जंल छव ज्व च्तवगल तचंदबी'' जैसे बड़े अभियान चलाए।

7.3. अधिकारिक हस्तक्षेप पर रोक – कई राज्य सरकारो जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने सख्त आदेश जारी किए हैं, कि बैठकों में पतियों के बैठने या उनके हस्ताक्षर करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उलंघन करने पर महिला प्रतिनिधि का पद भी निरस्त किया जा सकता है।

7.4. प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन– महिलाओं को प्रशासनिक कार्यों में आत्मनिर्भर बनाने और उनकी स्वतंत्र क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है।

7.5. तकनीकी साक्षरता – महिलाओ को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए स्मार्टफोन दिए जा रहे है और उन्हे ए.आई. टूल्स तथा डिजिटल गवर्नेन्स (जैसे ई–ग्राम स्वराज पोर्टल चलाना) का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

चर्चा औपचारिक आरक्षण आवश्यक है परन्तु पर्याप्त नही :–

पंचायती राज में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलने से संख्या (मात्रा) तो बढ़ी है पर सत्ता और फैसलों में उनकी असली ताकत अभी पूरी तरह नही दिखती है महिलाओं को प्रशासनिक कामकाज और कानूनों की पूरी जानकारी न होने के कारण महिला प्रधान की जगह उनके पति या परिवार के पुरुष सारे फैसले लेते हैं। आरक्षण ने महिलाओ को कुर्सी तक पहुचा दिया लेकिन जब तक खुद अपने फैसले नही लेंगी उन्हें पूरी आजादी नहीं मिलेगी, तब तक असली बदलाव नहीं आयेगा।

8. सुझाव –

8.1. नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने की परिसीमन की समय सिमाओं से अलग करें, जो पहले से ही विवादित और धीमी रही है ताकि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए संवैधानिक रूप से बिना 33 प्रतिशत आरक्षण बिना कई साल की देरी के लागू हो सके।

8.2. पंचायतों में परोक्ष शासन के पक्के मामलों के लिए कानूनी और प्रशासनिक सजा को मजबूत करे साथ ही ब्लाक एवं जिला स्तर पर महिला हेल्प डेस्क जैसे आसान शिकायत सिस्टम भी हो।

8.3. पंचायत विकास फंड को चुनी हुई महिला प्रतिनिधियो के खाते में सीधे ट्रांसफर करना चाहिए। जिससे महिलाओं को वित्तीय मंजूरी के लिए पुरुष रिश्तेदारों या अधिकारियों पर निर्भरता कम हो।

8.4. नवनिर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए एक बार के प्रशिक्षण सत्रो के बजाय संरचित, सतत नेतृत्व, शासन और डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि कौशल को पूरे संगठन में सुदृढ़ किया जा सके।

8.5. पंचायत और उच्च स्तरीय चुनावों में भाग लेने वाली अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य हाशिए पर रहने वाली समुदायों की महिलाओं को सुरक्षा उपायों, मार्गदर्शन और चुनाव प्रचार के लिए वित्तीय सहायता सहित लक्षित सहायता प्रदान करनी चाहिए।

8.6. राजनीतिक दलों को पंचायत स्तर का अनुभव रखने वाली महिलाओं को स्वेच्छा से सामान्य सीटो का एक सार्थक हिस्सा आवंटित करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे राष्ट्रीय आरक्षण लंबित रहने के बावजूद राज्य विधानसभाओं और संसद तक एक आतरिक मार्ग प्रशस्त हो सके।

8.7. महिला प्रतिनिधियों द्वारा स्वतंत्र बजटीय और प्रशासनिक अधिकार के प्रयोग पर दीर्घकालिक राज्य विभाजित डेटा संग्रह में निवेश करें, क्योंकि वास्तविक प्रतिनिधित्व अंतर के लिए वर्तमान साक्ष्य आधार छोटे अध्ययनों और सलाहकारी बैठकों में बिखरा हुआ है।

निष्कर्ष–

भारत में ग्रामीण महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण एक ऐसी कहानी बयाँ करता है, जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन अभी भी अधूरी है, 73वे संवैधानिक संशोधन ने ग्रामीण महिलाओं को यह लगभग अदृश्य राजनीतिक क्षेत्र से निकाल कर एक ही पीढ़ी में देश की लगभग आधी निर्वाचित पंचायत सीटो का धारक बना दिया और पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय नीतिगत प्राथमिकताओ में उल्लेखनीय बदलाव लाए। फिर भी इन्ही तीन दशको ने केवल आरक्षण के माध्यम से प्राप्त प्रतिनिधित्व की

सीमाओं को भी उजागर किया है, कई राज्यों में परोक्ष नेतृत्व औपचारिक पदो को खोखला करता रहता है, वित्तिय और प्रशासनिक नियंत्रण अक्सर पुरुषों के पास ही रहता है। ग्राम स्तरीय नेतृत्व से राज्य और राष्ट्रीय विधानसभाओं तक का मार्ग संकरा बना हुआ है क्योंकि 2023 में उच्च स्तरों पर आरक्षण के लिए कानून बनाया गया था, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया हैं। ग्रामीण महिलाओं के वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए दोनों मोर्चो पर निरन्तर कार्यवाही की आवश्यकता होगी जिसमें सबसे बड़े निर्णय लेने वाली संस्थाओं तक आरक्षण का विस्तार करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि स्थानीय स्तर पर पहले से ही प्राप्त आरक्षण वास्तविक स्वतंत्र सशक्तिकरण में तब्दील हो।

संदर्भ –

1. महिला और बाल विकास मंत्रालय (2022), भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक पहल।
2. सिंह, आर. (2021) महिला सशक्तिकरण और आरक्षण की राजनीति।
3. सैनी, एस. (2018) महिलाओं की पंचायत स्तर पर भागीदारी का प्रभाव। ग्रामीण विकास रिपोर्ट।
4. UNDP (2019) जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट।
5. मोनी टी0एस0 (2021) पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य।
6. कारेकुरवे – रामचंद्र, वी0 (2025) भारत में लैंगिक कोटा और राजनीतिक उर्ध्वगामी गतिशीलता।
7. रंजन, आर0 (2025) भारत के 2024 चुनावों और उसके बाद का राजनीतिक प्रतिनिधित्व।
8. सिंह, कुमार सशांक (2025) भारत में ग्रामीण महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का परिप्रेक्ष्यः प्रगति, लगातार बनी हुई बाधाएँ और आगे का रास्ता। शोध पत्रिका।
9. परिहार, तरूण (2024) महिला सशक्तिकरण और राजनीति (प्श्रस्त्च)।

Nav Jyoti
An International Multidisciplinary Journal
Peer Reviewed Refereed Journal
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.14, N. 28, June 2026
https://theopinion.navjyotijournal.in

विरासत से बाजार तक: मध्य प्रदेश के समावेशी विकास मे भौगोलिक संकेतक (GI Tag) की भूमिका, एक विश्लेषण

दिवाकर पाठक
सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र)
शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय,
ताला मैहर (म. प्र.)

सारांश

विकास का लक्ष्य तभी पूरा माना जा सकता है जब वह समावेशी हो जिसमें समाज के सभी वर्गों, समुदायों तथा क्षेत्रों का समुचित प्रतिनिधित्व हो। आर्थिक विकास संबंधी नीतियों में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अनेक विकल्पों पर विचार किया जाता रहा है ,ऐसा ही एक विकल्प है भौगोलिक संकेतक। मध्य प्रदेश विविधता संपन्न प्रदेश है यहां विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समुदाय के लोगों द्वारा आजीविका के अनेक परंपरागत साधनों को संरक्षित किया गया है। यह साधन विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान रखते हैं।इनका बाजारीकरण मध्य प्रदेश के समावेशी विकास के लक्ष्य के लिए यह एक महत्वपूर्ण संभावना हो सकती है ।मध्य प्रदेश की अधिकांश आबादी आजीविका के परंपरागत साधनों पर निर्भर है यदि इन परंपरागत साधनों को वर्तमान बाजार अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए तथा उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंच प्राप्त हो सके तो इन उत्पादों से जुड़े लोगों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव संभव है ।

मुख्य शब्द- समावेशी विकास, भौगोलिक संकेतक, बाजारीकरण, आजीविका, परंपरागत, बाजार अर्थ-व्यवस्था

प्रस्तावना

समावेशी विकास (Inclusive Growth) सतत आर्थिक विकास की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक प्रगति के लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुँचें। भारत जैसे सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधता वाले देश में, जहाँ लाखों लोगों की आजीविका कृषि, हस्तशिल्प, हथकरघा, जनजातीय कला तथा पारंपरिक ज्ञान पर आधारित है, वहाँ स्थानीय एवं क्षेत्र-विशिष्ट उत्पादों का संरक्षण और संवर्धन अत्यंत आवश्यक है। इस संदर्भ में भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication–GI) टैग एक महत्वपूर्ण बौद्धिक संपदा अधिकार के रूप में उभरा है, जो न केवल विशिष्ट उत्पादों की पहचान और प्रतिष्ठा की रक्षा करता है, बल्कि स्थानीय समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।

मध्य प्रदेश, जिसे "भारत का हृदय प्रदेश" कहा जाता है, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विविध कृषि-जलवायु परिस्थितियों, पारंपरिक हस्तशिल्प, वस्त्रकला तथा कृषि उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य के अनेक उत्पाद, जैसे चंदेरी साड़ी, महेश्वरी साड़ी, बाघ प्रिंट, रतलामी सेव, गोंड चित्रकला तथा शरबती गेहूँ, भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्राप्त कर चुके हैं। ये उत्पाद न केवल राज्य की सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक हैं, बल्कि कारीगरों, बुनकरों, किसानों तथा जनजातीय समुदायों के लिए आय एवं रोजगार के महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं। GI टैग इन उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विशिष्ट पहचान प्रदान करता है, जिससे उनकी मांग, मूल्य तथा निर्यात क्षमता में वृद्धि होती है।

भौगोलिक संकेतक टैग का महत्व केवल बौद्धिक संपदा संरक्षण तक सीमित नहीं है। यह पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण, स्थानीय कौशल के संवर्धन, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण उद्यमिता, पर्यटन विकास तथा स्थानीय मूल्य श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने में भी सहायक है। साथ ही, "एक जिला–एक उत्पाद (ODOP)" जैसी सरकारी पहलें GI-टैग प्राप्त उत्पादों के प्रचार-प्रसार और विपणन को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय आर्थिक विकास तथा समावेशी विकास को नई दिशा प्रदान कर रही हैं।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत शोध का उद्देश्य मध्य प्रदेश में भौगोलिक संकेतक (GI) टैग की समावेशी विकास में भूमिका का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन यह स्पष्ट करने का प्रयास करेगा कि GI-टैग प्राप्त उत्पाद रोजगार सृजन, आय वृद्धि, ग्रामीण विकास, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा सतत् आर्थिक प्रगति में किस प्रकार योगदान देते हैं। साथ ही, अध्ययन GI प्रणाली की सफलता के मार्ग मे आने वाली चुनौतियों तथा समस्याओं का भी परीक्षण करेगा।।

जी आई टैग क्या है?

विश्व व्यापार संगठन के TRIPS समझौते के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों को संरक्षित किया गया है उनमें से एक जी आई टैग है। जी आई टैग वह चिन्ह है जो किसी ऐसे उत्पाद को पहचान प्रदान करता है जिसका उद्गम, गुणवत्ता अथवा प्रतिष्ठा किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होती है ।यह किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े उत्पाद की पहचान को प्रमाणित करता है। भौगोलिक संकेतक(वस्तुओं का पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम 1999 के अनुसार "भौगोलिक संकेतक से आशय ऐसे संकेत से है जो कृषि ,प्राकृतिक अथवा विनिर्मित वस्तुओं को किसी विशिष्ट क्षेत्र, प्रदेश या स्थान में उत्पन्न होने वाली वास्तु के रूप में पहचानता है जहां वस्तु की कोई विशेष गुणवत्ता ,प्रतिष्ठा या अन्य विशेषता उसके भौगोलिक मूल से अनिवार्य रूप से संबंधित होती है।

जी आई पंजीकरण उत्पाद को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। यह उत्पादों को नकल तथा अनधिकृत प्रयोग से संरक्षण प्रदान करता है। साथ ही उत्पाद को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है जिसके माध्यम से उत्पाद की ब्रांडिंग तथा बाजारीकरण के लिए अवसर प्राप्त होते हैं। जैसे भारत में दार्जिलिंग चाय को जी आई टैग मिलने के पश्चात वैश्विक स्तर पर इसकी प्रतिष्ठा तथा मांग मैं उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

भौगोलिक संकेतक के प्रमुख आयाम-

1) भौगोलिक क्षेत्र से संबद्धता- जी आई टैग वस्तु की दुर्लभता, गुणवत्ता अथवा विशिष्टता को किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र की प्राकृतिक अथवा मानवीय कौशल युक्त विशेषताओं के साथ संबध्द करता है ।तात्पर्य यह है कि जी आई टैग प्राप्त उत्पादों का उत्पादन निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के अधिकृत उत्पादकों द्वारा ही किया जा सकता है।

2) सामूहिक अधिकार - जी आई टैग एक ऐसा बौद्धिक संपदा अधिकार है जो उत्पादकों के समूह के अधिकार को प्रमाणित करता है। अर्थात क्षेत्र विशेष से संबंधित सभी अधिकृत उत्पादकों को संबंधित उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ने का अधिकार प्राप्त होता है।

3) गैर हस्तांतरणीय- इसे किसी बाहरी व्यक्ति को सौपा या बेचा नहीं जा सकता यह पूरी तरह से भौगोलिक क्षेत्र से संबंध होता है।अर्थात इस अधिकार को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।

4) कानूनी सुरक्षा - यह अधिकृत उपयोगकर्ता को क्षेत्रीय नाम की नकल या दुरुपयोग से संरक्षण प्रदान करता है और उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करता है। इस प्रकार यह क्षेत्र विशेष के उत्पाद को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।

5) वैधता- यह 10 वर्षों के लिए वैध होता है जिसे आगे भी नवीनीकृत किया जा सकता है।

भारत में भौगोलिक संकेतक का विधिक ढांचा-

भारत डब्ल्यूटीओ के बौद्धिक संपदा अधिकारों संबंधी TRIPS समझौते का एक भागीदार सदस्य है। इसी क्रम मे जी आई टैग के संरक्षण के लिए भारत में भौगोलिक उपदर्शन(रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम ,1999 पारित किया गया जिसे 2003 में लागू किया गया। इसी कानून के तहत जी आई टैग के संबंध में मानक निर्धारित किए जाते हैं तथा संदर्भित क्षेत्र के उत्पाद को जी आई टैग प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रशासन उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT)के अधीन है।

मध्य प्रदेश में जी आई टैग

मध्य प्रदेश की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत तथा भौगोलिक ,सामाजिक - आर्थिक विविधता के कारण भौगोलिक संकेतक को साधन बनाकर समावेशी विकास की अपार संभावनाएं विद्यमान है।वर्ष 2025 तक मध्य प्रदेश के 30 उत्पाद जी आई टैग के माध्यम से न केवल भारतीय बल्कि वैश्विक बाजार में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

क्रम सं.	आवेदन सं.	भौगोलिक संकेत	श्रेणी	राज्य
1	7	चंदेरी साड़ी	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (चंदेरी, अशोकनगर)
2	97	इंदौर के चमड़े के खिलौने	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (इंदौर)
3	98	बाघ प्रिंट्स	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (धार)
4	102	दतिया और टीकमगढ़ का बेल मेट उत्पाद	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (दतिया और टीकमगढ़)
5	197	महेश्वर साड़ी और वस्त्र	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (महेश्वर, खरगोन)
6	378	झाबुआ कड़कनाथ चिकन	खाद्य उत्पाद	मध्यप्रदेश (झाबुआ)
7	385	नागपुर संतरा	कृषि	मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र
8	388	दतिया और टीकमगढ़ का बेल मेटल उत्पाद (Logo)	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (दतिया और टीकमगढ़)
9	399	इंदौर के चमड़े के खिलौने (Logo)	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (इंदौर)
10	401	महोबा देशवासी पान	कृषि	मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश
11	434	रतलामी सेव	खाद्य उत्पाद	मध्यप्रदेश (रतलाम)
12	505	बाघ प्रिंट्स (Logo)	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (धार)

13	663	बालघाट चिन्नौर चावल	कृषि	मध्यप्रदेश (बालघाट)
14	681	मुरैना गजक	खाद्य उत्पाद	मध्यप्रदेश (मुरैना)
15	697	डिंडोरी की रीट आइरन क्राफ्ट	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (डिंडोरी)
16	699	शरबती गेहूँ	कृषि	मध्यप्रदेश (सीहौर)
17	700	उज्जैन वाटिका प्रिंट	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (उज्जैन)
18	701	गोंड पेंटिंग	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (डिंडौरी)
19	707	सुंदरजा आम	कृषि	मध्यप्रदेश (रीवी)
20	708	ग्वालियर हस्तनिर्मित कालीन	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (ग्वालियर)
21	709	वारसिवनी हथकरघा साड़ी और वस्त्र	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (बालघाट)
22	710	जबलपुर स्टोन क्रोफ्ट	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (जबलपुर)
23	813	रतलाम रियावन लहसुन	कृषि	मध्यप्रदेश (रतलाम)
24	816	बुंदेलखंड कठिया गेहूं	कृषि	मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश
25	1427	छतरपुर फर्नीचर	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (छतरपुर)
26	1361	खजुराहो स्टोन क्राफ्ट	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (छतरपुर)
27	1362	बैतूल भरेवा मेट क्राफ्ट	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (बेतूल)
28	1365	ग्वालियर पेपर मैशे क्राफ्ट	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (ग्वालियर)
29	1367	ग्वालियर स्टोन क्राफ्ट	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (ग्वालियर)
30	1097	पन्ना हीरी	उत्पादित	मध्यप्रदेश (पन्ना)

मध्य प्रदेश के समावेशी विकास में जी आई टैग की भूमिका-

मध्य प्रदेश के अनेक उत्पाद जैसे चंदेरी साड़ी, बाघ प्रिंट, रतलामी सेव आदि अपनी गुणवत्ता तथा सांस्कृतिक विशिष्टता के मामले में विशेष पहचान रखते हैं। जी आई टैग प्राप्त होने के पश्चात इन उत्पादों को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है जिससे मध्य प्रदेश के आर्थिक ढांचे में सामाजिक-आर्थिक समावेशन की दिशा में कुछ सकारात्मक बदलाव अवश्य ही देखे गए हैं जिनको निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है

1) रोजगार सृजन- जी आई टैग सामूहिक प्रतिनिधित्व वाला बौद्धिक संपदा अधिकार है अर्थात जी आई टैग प्राप्त उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया में क्षेत्र से संबंधित व्यापक जन समुदाय जुड़ सकता है।जैसे चंदेरी की साड़ी ने एक बड़े वर्ग को आर्थिक समृद्धि का साधन उपलब्ध कराया है।इस प्रकार जी आई टैग प्राप्त उत्पाद एक बड़े वर्ग को रोजगार तथा आजीविका के साधन उपलब्ध करा सकते हैं।

2) किसानों एवं कारीगरों की आय में वृद्धि-आधुनिक बाजार अर्थव्यवस्था से जुड़ने के पश्चात इन उत्पादों की न सिर्फ बिक्री बढ़ी है बल्कि इनसे जुड़े किसानों तथा शिल्पकारों को अपने उत्पाद की अच्छी कीमत प्राप्त हो रही है। इससे संबंधित किसानों एवं कारीगरों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। लोगो के उपभोग ,निवेश तथा बचत के पैटर्न में सकारात्मक बदलाव दिखाई दिए हैं।

3) महिला सशक्तिकरण -जी आई टैग के माध्यम से परंपरागत उत्पादों को संरक्षित किया गया है इन परंपरागत उत्पादन प्रक्रिया में लंबे समय से महिलाओं की भागीदारी सक्रिय रही है ।महेश्वर की साड़ी, चंदेरी साड़ी ,बाग प्रिंट आदि उद्योगों में बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं ।इन उत्पादों के माध्यम से महिलाओं के मानव संसाधन का उत्पादक अर्थव्यवस्था में बेहतर प्रयोग संभव हुआ है जिससे महिलाओं की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में अवश्य ही सुधार हुआ है।

4) जनजातीय विकास -2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 21% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। इसका तात्पर्य है कि जनजातीय विकास के बिना मध्य प्रदेश के समावेशी विकास का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सकता उल्लेखनीय बात यह है की मध्य प्रदेश के परंपरागत शिल्प तथा कृषिगत उत्पादों में जनजातीय समाज की बड़ी भूमिका रही है। इसी प्रकार जी आई टैग प्राप्त उत्पादों में भी जनजातीय भागीदारी बड़ी संख्या में मौजूद है गोंड पेंटिंग ,बैतूल भरेवा मेटल क्राफ्ट आदि कई ऐसे उत्पादों को गी टैग प्राप्त हुआ है जिनका उत्पादन मुख्यतः जनजातीय समाज के लोगों द्वारा किया जाता है इससे जनजातीय समुदाय के लोगों को आय सृजन के अवसर प्राप्त हुए हैं तथा उनकी कला को संरक्षण और वैश्विक पहचान मिली है

5) सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण- मध्य प्रदेश के अनेक क्षेत्रीय परंपरागत उत्पाद जैसे ग्वालियर हस्त निर्मित कालीन ,बाघ प्रिंट आदि अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए प्रसिद्ध है । जी आई टैग के माध्यम से इनको न सिर्फ वैश्विक पहचान तथा नकल से संरक्षण मिला है बल्कि पीढ़ियों तक अपनी परंपरा को हस्तांतरित करते हुए जीवित रखने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। इस प्रकार जी आई टैग विरासत के संरक्षण के माध्यम से सामाजिक तथा आर्थिक समावेशन का मजबूत साधन बन कर उभरा है।

6) पर्यटन को बढ़ावा- जी आई टैग किसी विशिष्ट क्षेत्र की पहचान बन जाते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं; इस प्रकार जी आई टैग वस्तु व्यापार के साथ-साथ सेवा व्यापार का भी साधन बन जाता है। उदाहरण के लिए सुंदरजा आम, खजुराहो स्टोन क्राफ्ट आदि उत्पादों ने पर्यटकों को आकर्षित कर स्थानीय लोगों की आय वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

7) क्षेत्रीय आर्थिक विषमता में कमी -जी आई टैग स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ करते हुए क्षेत्रीय असमानता को कम करने में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। यह अल्पविकसित क्षेत्रों को भी आर्थिक ढांचे में पहचान स्थापित करने का मौका प्रदान करते हैं ।तथा सूक्ष्म - लघु उद्योगों के माध्यम से क्षेत्र के आर्थिक समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। झाबुआ का कड़कनाथ चिकन,मुरैना की गजक, डिंडोरी की गोंड़ पेंटिंग, पन्ना का हीरा ,दतिया और टीकमगढ़ के मेटल क्राफ्ट आदि ऐसे अनेक उत्पाद हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन को कम करने में तथा क्षेत्रीय आर्थिक समावेशन में सुधार किया है।

8) वित्तीय समावेशन- जी आई टैग के माध्यम से अनेक उत्पादों को पहचान मिली है जिससे इन उत्पादों से जुड़े हुए उत्पादक समूह की बैंकिंग, बीमा तथ निवेश गतिविधियों में भी वृद्धि हुई है। किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं ने उत्पादकों को सहज लोन उपलब्ध कराने में सहायता की है। इससे लोगों में जोखिम उठाने तथा निवेश बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिली है ।अनेक शासकीय तथा अशासकीय वित्तीय संस्थाओं ने इन उत्पादक समूहों को सस्ते दर पर ऋण तथा बचत योजनाएं ऑफर की हैं ।इससे वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

9) सतत विकास- मध्य प्रदेश में जी आई टैग प्राप्त अधिकांश उत्पाद कृषि तथा पर्यावरण अनुकूल उत्पादन तकनीक पर आधारित हैं। यह परंपरागत तथा जनजातीय उत्पादों को संरक्षित करते हैं इनके संरक्षण के माध्यम से प्रदेश में समावेशी विकास के साथ-साथ सम्पोषणीय विकास मे भी सहयोग मिला है ।इन उत्पादों के माध्यम से मध्य प्रदेश में UNFCCC तथा NITI Ayog द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने मे सहायता मिली है।मध्य प्रदेश में कार्बन उत्सर्जन में कमी भी आई है तथा जैव निम्नीकृत उत्पादन के बाजारीकरण को बढ़ावा मिला है।

10) गरीबी तथा भुखमरी दूर करने में सहायक -जी आई टैग के माध्यम से ग्रामीण तथा स्थानीय लोगों को आजीविका के साधन उपलब्ध हुए हैं। इन उत्पादों के बाजारीकरण से ग्रामीण किसानों तथा शिल्पकारों को रोजगार तथा आय प्राप्त हुई है जिससे इन लोगों के उपभोग तथा बचत के स्तर पर सुधार हुआ है। लोगों को जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव करने का अवसर मिला है तथा गरीबी भुखमरी जैसी समस्याओं से लड़ने के लिए एक मजबूत साधन प्राप्त हुआ है।

समस्याएं तथा चुनौतियाँ

यद्यपि भौगोलिक संकेतक मध्य प्रदेश में समावेशी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है परंतु यहां यह उल्लेखनीय है की इस प्रक्रिया के माध्यम से समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति चुनौतीपूर्ण है। क्षेत्रीय उत्पादों की पहचान से लेकर उनके जी आई प्रमाणन, बाजारीकरण तथा विपणन तक की संपूर्ण प्रक्रिया में कई चुनौतियां विद्यमान है ।इनके लिए सकारात्मक कदम उठाए बिना समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति आसान नहीं होगी।

1) जागरूकता की कमी - स्थानीय लोगों, किसानों तथा शिल्पकारों को अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों के विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं है साथ ही उन्हें भौगोलिक संकेतक से जुड़ने की प्रक्रिया ,लाभ, विपणन के तरीके, उत्पाद के नवीनीकरण ,उत्पादकता वृद्धि तथा आधुनिक तकनीक के प्रयोग आदि के संबंध में पर्याप्त जानकारी नहीं है जिस कारण उनका अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो पता है।

2) नकली उत्पादों की बिक्री - बाजार में संबंधित उत्पादकों की अनभिज्ञता तथा बाजार नियंत्रण तंत्र की कमजोरियों का फायदा उठाकर नकली उत्पाद बाजार में प्रवेश कर जाते हैं ।इससे न केवल मूल उत्पादकों को हानि होती है बल्कि खराब गुणवत्ता के कारण भौगोलिक संकेतक प्राप्त उत्पादों की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचता है

3) ब्रांडिंग तथा विपणन संबंधी समस्याएँ-संबंधित उत्पादकों के पास अपने उत्पाद की ब्रांडिंग तथा विपणन के लिए सीमित जानकारी तथा अपर्याप्त व्यवस्था के कारण अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है।इससे यह उत्पाद स्थानीय बाजार में कम कीमत पर बिकने वाले साधारण उत्पादन मात्र रह जाते हैं।

4) अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच- मध्य प्रदेश के भौगोलिक संकेतक प्राप्त उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करना एक चुनौती पूर्ण कार्य है। संपूर्ण श्रृंखला का सुदृढ़ीकरण करना आवश्यक है, साथ ही उत्पाद की विशिष्टता ,गुणवत्ता तथा कीमत को संतुलित रखते हुए अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

5) वित्त की उपलब्धता- इन उत्पादों के उत्पादन प्रक्रिया में अधिकांश परंपरागत उत्पादक
शामिल है जिनके पास पूंजी का अभाव है तथा बचत का स्तर अत्यंत न्यून है जिससे पर्याप्त निवेश नहीं हो पता है। बैंकिंग व्यवस्था के साथ इनका जुड़ाव बहुत सुदृढ़ नहीं है जिससे उत्पादन बाधित होता है।

6) तकनीकी सीमाएँ- अधिकतर उत्पादक समूहों के द्वारा अभी भी परंपरागत तकनीक का ही प्रयोग किया जाता है जिससे न केवल उत्पादकता कम होती बल्कि लागत भी बढ़ जाती है। कई उत्पाद अपनी अधिक कीमत के कारण बाजार के अन्य प्रतिस्पर्धियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। कई उत्पादों का वर्तमान बाजार मांग के अनुरूप उत्पादन नहीं हो पता तथा कई उत्पादों में तकनीकी पिछड़ेपन के कारण बाजार मांग के अनुरूप शिल्पगत विविधता नहीं आ पाती।

7) डिजिटल मार्केटिंग तथा ई कॉमर्स का सीमित उपयोग- अभी भी जी आई टैग प्राप्त अधिकांश उत्पाद ई कॉमर्स तथा डिजिटल मार्केटिंग तक पहुंच से या तो दूर है या इन प्लेटफार्मों पर इनकी आपूर्ति अपर्याप्त है ।इससे दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाली बाजार मांग का लाभ उत्पादक नहीं उठा पाते।

निष्कर्ष

वैश्विक अध्ययन यह बताता है कि दुनिया के कई देशों में कई स्थानीय समुदाय के लोगों द्वारा वर्षों से संरक्षित विरासत को भौगोलिक संकेतक के माध्यम से सफलतापूर्वक उत्पादक परिसंपत्तियों में बदला गया है, जो स्थानीय लोगों के आर्थिक समावेशन का साधन बने हैं। मेक्सिको का टकीला, इटली पारमिगियानो रेगियानो और भारत की दार्जिलिंग चाय ने भौगोलिक संकेतक के माध्यम से समावेशी विकास के लक्ष्य की दिशा में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है ।मध्य प्रदेश में पन्ना हीरा छतरपुर फर्नीचर सीहोर का शरबती गेहूं आदि अनेक उत्पादों को जी आई टैग प्राप्त होने के पश्चात उनकी मांग तथा प्रतिष्ठा में बुद्धि हुई है साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार तथा उद्यमिता के नए अवसर सृजित हुए हैं।

इस प्रकार इस अध्ययन से स्पष्ट है कि जी आई टैग केवल किसी उत्पाद की पहचान एवं गुणवत्ता का संरक्षण करने का माध्यम मात्र नहीं है बल्कि यह समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति का उपकरण भी है। मध्य प्रदेश में जी आई टैग प्राप्त उत्पादों ने स्थानीय कारीगरों ,किसानों तथा पारंपरिक उत्पादकों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है ।इस अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में जी आई टैग की अपार संभावना होने के बावजूद अनेक पारंपरिक उत्पाद अभी भी जी आई पंजीकरण से वंचित है साथ ही जागरूकता की कमी ,सीमित विपणन व्यवस्था ,तकनीकी पिछड़ापन आदि समस्याओं के कारण अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका है।यदि इन समस्याओं के निवारण के लिए आवश्यक कदम उठाया जाए तो निश्चित ही जी आई प्रणाली "विकसित मध्य प्रदेश @ 2047" की सफलता में उल्लेखनीय योगदान दे सकती है।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार. The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999. नई दिल्ली: भारत सरकार.
2. भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय. Geographical Indications Registry, Chennai. GI पंजीकरण एवं संसाधन.
3. विश्व व्यापार संगठन (WTO). Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement), 1995.
4. World Intellectual Property Organization. Geographical Indications: An Introduction. Geneva: WIPO.
5. Ghosh, Jayanta; Banerji, Oishika; Samanta, Navajyoti; & Bhargava, Ashish (2025). Geographical Indication (GI) Laws in India and Its Implementation: A Critical Appraisal. Journal of Intellectual Property Rights (JIPR).
6. Rangasamy, N. (2026). Geographical Indications, Supply Chain Challenges and Issues for Origin of GI Agricultural Products in India.
7. Srivastava, S. C. (2003). Geographical Indications and Legal Framework in India. Economic and Political Weekly.
8. Soam, S. K. (2005). Analysis of Prospective Geographical Indications of India. Journal of World Intellectual Property.
9. APEDA. Food & Agri Products Registered as GI (State-wise Catalogue). Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority.
10. मध्य प्रदेश शासन. मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण (नवीनतम संस्करण).

11. मध्य प्रदेश शासन. सांख्यिकीय डायरी (Statistical Abstract of Madhya Pradesh), नवीनतम संस्करण.
12. NITI Aayog. राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (National Multidimensional Poverty Index) एवं समावेशी विकास संबंधी रिपोर्टें।
13. मध्यप्रदेश सरकार. मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष-2025-26

Nav Jyoti
An International Multidisciplinary Journal
Peer Reviewed Refereed Journal
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.14, N. 28, June 2026
https://theopinion.navjyotijournal.in

THEME OF TRAUMA, DISPLACEMENT, AND RESILIENCE IN THE WORKS OF NGŨGĨ WA THIONG'O

PRANAV RAJ
Assistant Professor, Department of English
Degree College, Maheshpur
Sido Kanhu Murmu University

Abstract
*This paper investigates the interconnected issues of trauma, displacement, and resilience in the writings of Ngũgĩ wa Thiong'o. His writings, such as *Weep Not, Child*, *The River Between*, *A Grain of Wheat*, and *Petals of Blood*, among others, engage with the psychological, cultural, and socio-political implications of colonialism and postcolonial politics. Trauma in his writings is both subjective and collective, displacement is both physical, cultural, and psychological, while resilience is cultural, political, and personal. Using postcolonial and trauma studies, this paper argues that Ngũgĩ's writings illustrate resilience as a transformative power that facilitates community healing, cultural survival, and political empowerment*.

Keywords: trauma, displacement, resilience, postcolonial literature, Kenya, Ngũgĩ wa Thiong'o.

1. Introduction

Ngũgĩ wa Thiong'o is a major figure in African literature whose writings are concerned with historical injustices, socio-political oppression, and cultural alienation. His earlier novels, for example, *Weep Not, Child* and *The River Between*, are concerned with the Mau Mau Uprising and the disruption of traditional Kenyan society, while his later novels, for example, *A Grain of Wheat* and *Petals of Blood*, are concerned with the post-independence period. Trauma and displacement are also important themes in his writing.

The objective of this study is to investigate how these themes appear throughout the works of Ngũgĩ and how the theme of resilience is used as a coping mechanism for suffering. The theme of resilience in his works is found on three different levels: cultural, political, and personal.'

Objectives of the Study:

1. To analyze manifestations of trauma in Ngũgĩ's narratives.

2. To examine the forms of displacement — physical, cultural, and psychological.
3. To investigate how resilience emerges as resistance and cultural recovery.

2. Cultural and Political resilience

2.1 Trauma in Postcolonial Literature

Trauma in literature is defined as an experience that overpowers the individual's or community's ability to cope with suffering (Caruth, 1996). In the postcolonial setting, trauma is not only experienced at the individual level but also at the collective level, including the aftermath of colonial rule, which may include the loss of land, the breakdown of society, and the loss of culture. It has been noted that African writers like Ngũgĩ prioritize trauma as a lasting legacy that influences memory, identity, and community relations (Ashcroft et al., 2000).

2.2 Displacement

Displacement is a concept that encompasses the uprooting of people physically, socially, culturally, and psychologically. In Ngugi's literary works, displacement is both literal and symbolic. Physical displacement is caused by forced migration, land alienation, and urbanization, while cultural displacement is caused by the imposition of external languages, education, and religion, and finally, psychological displacement is caused by alienation and identity crises. It is argued that the multi-layered displacement is an indication of the scars caused by colonial and postcolonial interventions (Said, 2000; Mwangi, 2014).

2.3 Resilience as Recovery and Resistance

However, resilience in literary studies is being increasingly defined as a dynamic and transformative process in the face of trauma and displacement. In postcolonial literature, resilience can be seen as a process of reclaiming cultural knowledge, building solidarity among the community, and fighting against systemic oppression. The writer's preference for writing in Gikuyu, his criticism of post-independence political corruption, and his depiction of characters who have experienced adversity all illustrate resilience as a form of personal and collective agency (Ngũgĩ, 1986; Alexander, 2004).

3. Trauma in Ngũgĩ's Works

3.1 Psychological Trauma

Trauma in Ngũgĩ's writing appears as fear, sorrow, guilt, and moral anguish. In *Weep Not, Child*, Njoroge's private ambitions are always thwarted by colonial violence in the form of imprisonment and death of his family members. The ever-present possibility of violence makes it difficult for him to feel secure and stable, showing how colonial domination pervades the private sphere of family and home. The psychological effects of trauma are not limited to Njoroge but also affect his father, brothers, and neighbors, who suffer from feelings of anxiety, depression, and hopelessness. This type of trauma shows how individual pain is intertwined with the broader socio-political context (Caruth, 1996).

In *A Grain of Wheat*, the trauma is conveyed through moral dilemmas and betrayal. Through characters such as Kihika and Gikonyo, the trauma of betrayal is worsened by the violence of history, indicating that political and social turmoil affects emotional and psychological well-being. In this novel, trauma is linked with moral responsibility, indicating that Ngũgĩ is concerned with the moral aspect of human trauma.

3.2 Collective Trauma

Trauma in Ngũgĩ's writings tends to impact whole communities, which is a reflection of historical incidents that disturb the social fabric. During the Mau Mau Uprising, families are deprived of their members, villages are reduced to rubble, and the social fabric is destroyed. The communal aspect of trauma in Weep Not, Child shows how the whole community is affected by violence when fear and sorrow are part of everyday life. In Petals of Blood, the trauma caused by violence and corruption in the post-independence era continues to affect the whole community.

3.3 Trauma from State Repression

Ngũgĩ also examines trauma caused by political repression. His own experience of being imprisoned for performing the play Ngaahika Ndeenda influences his portrayal of psychological trauma caused by the state. Characters who undergo censorship, surveillance, or threats of violence exhibit fear, alienation, and powerlessness. State repression in Ngũgĩ's stories reveals how trauma is not only a consequence of historical oppression but can also be sustained by modern political systems.

4. Displacement

4.1 Physical Displacement

Physical displacement is one of the major themes in Ngũgĩ's writings, portrayed through the loss of land, forced migration, and urbanization. In _The River Between_ , the colonial government's land policies drive a wedge between the communities and displace families from their ancestral homes. Physical displacement here represents the break in cultural continuity and spiritual ties with the land. Again, in _Petals of Blood_ , the villagers are compelled to migrate to the cities in search of employment, leading to the breakdown of social networks and cultural support systems. Through these stories, Ngũgĩ shows that physical displacement cannot be separated from social and psychological displacement.

4.2 Cultural Displacement

Cultural displacement refers to the marginalization of indigenous cultures, languages, and beliefs by colonial institutions such as schools, churches, and government buildings. In *The River Between*, the imposition of Western education and missionary religion causes a rift in the society, threatening traditional practices and authority. The conflict between traditional and modern ways of life causes confusion and disorientation among the characters, who are forced to grapple with two different value systems. Ngũgĩ's later choice to write in Gikuyu is a deliberate attempt to

reclaim cultural sovereignty and assert the validity of indigenous knowledge and worldview (Ngũgĩ, 1986).

4.3 Psychological Displacement

Psychological displacement is a consequence of the conflict between imposed colonial values and native identities. Njoroge, in Weep Not, Child, for example, struggles between his ambitions formed through Western education and his commitment to family and cultural traditions. This conflict gives rise to feelings of alienation, identity splits, and moral confusion. The psychological displacement in Ngũgĩ's works demonstrates that the impact of colonization is not limited to deprivation in the physical or material sense but also affects the psychological lives of the people.

5. Resilience

5.1 Cultural Resilience

Cultural resilience appears through the retention and adaptation of cultural practices. Ngũgĩ shows how characters retain practices, traditions, and oral histories despite the efforts of colonialism to erase them. In *The River Between*, Waiyaki's attempt to synthesize Christianity with Gikuyu practices is an example of creative adaptation rather than assimilation. Moreover, the author's own cultural resilience appears in his decision to write in Gikuyu, taking back the power of storytelling from colonialism (Ngũgĩ, 1986). Such cultural resilience ensures the survival of identity and heritage for the next generation.

5.2 Political Resilience

Political resilience in Ngũgĩ's works entails fighting against oppression and social injustice. In Ngũgĩ's *Petals of Blood*, the characters struggle against the exploitation, corruption, and neo-colonialism that affects them. The characters in the novel demonstrate that resilience is not just about surviving but also about participating in social and political change. Through organizing, speaking out, and resisting, the characters demonstrate their agency and resist being victimized. Political resilience, therefore, is a tool for justice and empowerment.

5.3 Personal Resilience

Personal resilience refers to the ability of individuals to cope with and overcome adversity. Njoroge and other characters in the novels pursue education and moral growth despite adversity, showing the ability to persevere in the face of trauma. In A Grain of Wheat, Mugo struggles with feelings of guilt and moral conflict, finally finding redemption through acts of courage. Ngũgĩ highlights the strong connection between personal resilience and moral integrity.

6. Discussion

The stories told by Ngũgĩ show that trauma and displacement are related to each other. Trauma has psychological effects on people but also disrupts the community. Displacement can be physical, cultural, or psychological, and it increases alienation and loss of identity. Resilience is

shown to be complex because cultural resilience helps to conserve identity, political resilience enables people to resist injustice, and personal resilience helps to regain agency and morality. Through the connection between resilience and agency, Ngũgĩ redefines suffering as a chance for cultural recovery, ethical reflection, and political activism. His writings show that the process of healing from trauma and displacement is a never-ending process that requires both internal and external engagement.

7. Conclusion

The literature of Ngũgĩ wa Thiong'o is a powerful reflection of trauma, displacement, and resilience in colonial and postcolonial Kenya. His writings reveal that although historical and social factors cause immense suffering, resilience – cultural, political, and personal – is a way towards recovery, empowerment, and reconstruction of identity. Trauma is not only individual but also deeply social, displacement is not only physical but also multi-faceted, and resilience is individual, social, and cultural. The focus of Ngũgĩ's writings on language, community, and ethics reveals that literature can be a platform for resistance, healing, and reclaiming culture.

References

- Alexander, B. K. (2004). *Performing Black masculinity: Race, culture, and queer identity*. Routledge.
- Ashcroft, B., Griffiths, G., & Tiffin, H. (2000). *Post-colonial studies: The key concepts*. Routledge.
- Bhabha, H. K. (1994). *The location of culture*. Routledge.
- Caruth, C. (1996). *Unclaimed experience: Trauma, narrative, and history*. Johns Hopkins University Press.
- Gikandi, S. (2000). *Ngũgĩ wa Thiong'o*. Cambridge University Press.
- Mwangi, E. (2014). Displacement and identity in East African literature. *Journal of African Cultural Studies, 26*(3), 245–262.
- Ngũgĩ wa Thiong'o. (1964). *Weep Not, Child*. Heinemann.
- Ngũgĩ wa Thiong'o. (1965). *The River Between*. Heinemann.
- Ngũgĩ wa Thiong'o. (1967). *A Grain of Wheat*. Heinemann.
- Ngũgĩ wa Thiong'o. (1977). *Petals of Blood*. Heinemann.
- Ngũgĩ wa Thiong'o. (1986). *Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature*. James Currey.
- Said, E. (2000). *Reflections on exile and other essays*. Harvard University Press.

Nav Jyoti
An International Multidisciplinary Journal
Peer Reviewed Refereed Journal
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.14, N. 28, June 2026
https://theopinion.navjyotijournal.in

बघेलखंड के स्वाधीनता आन्दोलन में नागौद के जलद त्रिमूर्ति का योगदान

श्रीमती ज्योति सिंह
शोधार्थी, इतिहास विभाग
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
डॉ. अश्विनी कुमार द्विवेदी
शोध निर्देशक, सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह (स्वशासी उत्कृष्टता) महाविद्यालय, रीवा, (म.प्र.)

शोध सारांश

बघेलखंड के स्वाधीनता आंदोलन में नागौद के "जलद त्रिमूर्ति" का योगदान ऐसे अध्ययन का विषय है जो क्षेत्रीय राष्ट्रवाद एवं ग्रामीण शहरी जटिलताओं को जनमानस के समक्ष रखता है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से बघेलखंड और बुन्देलखंड के मिलन स्थल पर केंद्रित रहा है। 19 वीं और 20 वीं शताब्दी के विभिन्न स्वतंत्रता संघर्षों में नागौद की ब्रिटिश सैनिक छावनी के प्रति देशी सिपाहियों और आंदोलनकारियों का असंतोष विभिन्न विद्रोहों में देखा जाता है। "जलद त्रिमूर्ति" के नाम से जानी जाने वाली इस त्रि– संवर्धन ने खुले विरोध और जन जागृति के माध्यम से नागौद व आस–पास के क्षेत्र में राष्ट्रवादी विचारों की चेतना को तीव्रता से बढ़ाया ।"जलद त्रिमूर्ति" के नाम से जाने विख्यात नागौद के त्रि रत्नों ने और आस–पास के क्षेत्रों में राष्ट्रवादी विचारों की चेतना ने संगठित और जन आधारित बनाने में प्रत्यक्ष भूमिका का निर्वाह किया । उन्होंने गांधीवादी विचारधारा, राष्ट्रीय आह्वान और स्थानीय असंतोष के मध्य समन्वय करते हुए खुले रूप से नागरिक अवज्ञा आंदोलन, छात्र युवा संगठन तथा ग्राम स्तरीय जन सभाओं के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया जो न केवल क्षेत्रीय स्तर पर अपितु राष्ट्रीय आंदोलन को सुदृढ़ता प्रदान की।

इस शोध पत्र का उद्देश्य "जलद त्रिमूर्ति" के जीवन वृतांत , राजनीतिक विचारधारा, संगठनात्मक प्रयासों और उनके द्वारा आयोजित समर्थित विभिन्न आंदोलनों की ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करना है। शोध में ग्राम शहर के बीच संचार नेटवर्क, नागौद के स्थानीय प्रशासन व अंग्रेजी प्रशासन के मध्य संघर्ष की व्याख्या , और जलद त्रिमूर्ति के साथ कार्यरत युवा वर्ग छात्र समुदायों, किसानों की भागीदारी को भी विशेष रूप से उल्लिखित किया गया है । इस प्रकार का शोध अध्ययन बघेलखंड के स्वाधीनता संघर्ष को न केवल "क्षेत्रीय इकाई" के रूप में ही नहीं बल्कि एक स्वतंत्र राजनीतिक व सामाजिक – सांस्कृतिक चेतना केंद्र के रूप में देखने का माध्यम प्रदान किया है।

मुख्य शब्द– नागौद की भौतिक राजनीतिक,जलद त्रिमूर्ति, समाज, जाति, शिक्षा व्यवस्था, स्थानीय व्यवस्थापन, विचारधारात्मक एवं संगठनात्मक योगदान, छावनी, प्रतिक्रियाएँ, दमन और विरासत वर्तमान में आधुनिक मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के उत्तर–पूर्व में स्थित है जिसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसी क्षेत्र में नागौद का राज्य स्थित है जो विन्ध्याचल श्रेणी में स्थित सतना जिले से लगभग 25 किमी की दूरी पर स्थित है । नागौद की भौगोलिक स्थिति 20012 से 20018 उत्तरी अक्षांश से 28088 से 80085 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है।1

नागौद की समुद्र सतह से औसत उचाई 317मीटर है। नागौद राज्य लम्बाई उत्तर से दक्षिण दिशा में 45 किमी. तथा चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा में 40 किमी है । इसका कुल क्षेत्रफल 501 वर्ग किलोमीटर है। 2 नागौद तहसील के पूर्व में रघुराज नगर ,पश्चिम में पन्ना और अजयगढ़ तथा दक्षिण में मैहर स्थित है।3 नागौद के पूर्व में टमस नदी,पश्चिम में विन्ध्याचल पर्वत की पन्ना श्रेणी ,उत्तर दिशा में सिंहपुर गाँव तथा दक्षिण दिशा में धार्मिक नगरी मैहर, नागौद की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। यह अमरन नदी के किनारे स्थित है । इस राज्य का पश्चिमी –दक्षिण क्षेत्र छोटी–छोटी पहाड़ियों एवं जंगलों से घिरी हुई है। पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्र कृषि कार्यों के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। नागौद का संपूर्ण हिस्सा लगभग रीवा पठार के अंतर्गत आता है। बघेलखण्ड के इस भाग की धरा को प्रवाहित करने वाली अनेक नदियां है जिसमें तमसा, अमरन, सतना, करारी, बरुआ, कमरो, स्वरगुवा, महानदी, मंगरौला आदि प्रमुख है जिसके कारण यहाँ के लोगों को समृद्ध बनाती हैं।[4]

बघेलखण्ड के अंतर्गत शामिल सतना जिले की नागौद तहसील का स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही द्य इस क्षेत्र अनेक वीरों ने स्वतंत्रता की वेदी में अपने प्राणों की आहुति दी जिसमें जलद त्रिमूर्ति का योगदान अत्यंत गौरवपूर्ण है।

बघेलखण्ड के नागौद क्षेत्र में स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए राष्ट्रवादी विचारों को मुख्य धारा में लाने के लिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार की भयावह शोषणवादी नीतियों का परिणाम थीं द्य ब्रिटिश शासन के आगमन के पश्चात् से भारतीय राजनीति में राष्ट्रवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोगों का उदय हुआ फलस्वरूप बघेलखण्ड क्षेत्र के नागौद में भी राष्ट्रवादी विचारों का प्रभाव भी पड़ा। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में ब्रिटिश शासन की गुलामी से मुक्त होना एक संघर्ष का परिणाम था जो अनेक परिस्थितियों एवं अवस्थाओं से होते हुई प्राप्त हुई। ब्रिटिश हुकूमत की शोषणवादी प्रतिक्रिया ने भारतीय लोगों के मन मस्तिष्क में राष्ट्रीय विचारों की चेतना के जागरण स्वरूप जो विरोध उत्पन्न हुआ उसे राष्ट्रीय जागृति में देखा गया। ब्रिटिश सरकार को इस बात का आभास था कि भारतियों में राजनीतिक चेतना कूट –कूट कर भरी हुई है इसलिए अंग्रेजों ने एक बड़ी चल चली द्य यह थी भावनात्मक रूप से इन्हें अपने असधिन करना द्य अंग्रेजों को सफलता भी प्राप्त हुई और भारतीय इस चाल में फंसते चले गए। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय आन्दोलन 19 वी सदी के चौथे और पाँचवें दशक में प्रारंभ हुआ और प्रमुख रूप से राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ जो अंग्रेजी हुकूमत की साम्राज्यवाद की विस्तारवादी नीति की चुनौतियों के प्रत्युत्तर में हुई। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले अंग्रेजी शासन के अंतर्गत बहुत सी ऐसी रियासतें थी जो स्वतंत्र रूप से प्रत्यक्ष शासन करती थी किन्तु अप्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश हुकूमत का बना रहता था ।

भारत के स्वतंत्र होने के बाद देश में लगभग 562 रियासततें थी जो देश के विभिन्न भागों में स्वतंत्र रूप से शासन कर रहीं थी जिसमें में एक रियासत नागौद क्षेत्र में थी । 1807 में नागौद का क्षेत्र

पन्ना रियासत के अन्तर्गत शामिल था । इस रियासत के शिवराज सिंह को 1809 में ब्रिटिश शासन द्वारा एक अलग सनद द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी । 1820 के आस–पास यह रियासत ब्रिटिश सरकार का संरक्षक राज्य बन गया। राज्य के राजा बलभद्र सिंह को अपने भाई की हत्या के लिए 1831 में राजपद से हटा दिया गया। अत्यधिक फिजुलखर्ची के कारण इस पर नागौद रियासत पर बहुत अधिक कर्ज हो गया द्य 1844 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार के आर्थिक नीति के आधार पर नागौद की प्रशासनिक व्यवस्था को को अपने हाथ में ले लिया। नागौदराज्य 1831 से 1931 ईस्वी तक बघेलखण्ड एजेंसी का एक भाग रहा फिर इसे अन्य छोटे –छोटे राज्यों के साथ बुंदेलखंड स्थित एजेंसी को स्थानांतरित कर दिया गया।

1885 ईस्वी में जब बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो प्रारंभिक दौर में देसी रियासतों के ऊपर किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया द्य इस कारण से लगातार रियासतों की जनता में आक्रोश बना रहा द्य फलस्वरूप कांग्रेस को अपनी तत्कालीन नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा और 1920 में आयोजित हुए नागपुर अधिवेशन में यह निर्णय लिया कि देसी रियासतों में भी कांग्रेस का संगठन स्थापित किए जाए । कांग्रेस के नेतृत्व में जब अजमेर प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना की गई तो इसके मुख्य उद्देश्यों में स्वराज्य की स्थापना, जनजागरण और राजनीतिक चेतना, सामाजिक सुधार, रियासतों की जनता का समर्थन, स्थानीय प्रशासन में प्रतिनिधित्व आदि सम्मिलित थे द्य इसका प्रभाव अन्य रियासतों पर भी पड़ा, फलस्वरूप अन्य रियासतों में कांग्रेस का संगठन बनने लगा द्य इसी क्रम में नागौद में भी एक शाखा स्थापित हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रति वर्ष होने वाला वार्षिक अधिवेशन 1931 करांची में हुआ द्य इस अधिवेशन में बघेलखण्ड के अवधेश प्रताप सिंह और राजभान सिंह ने इस क्षेत्र का नेतृत्व किया और वहां से वापस आने के पश्चात् उसी वर्ष अर्थात 1931 ईस्वी में बघेलखण्ड कांग्रेस कमेटी का गठन किया द्य आगे चलकर बघेलखण्ड कांग्रेस कमेटी को अजमेर कांग्रेस कमेटी की भी मान्यता मिल गयी द्य इस प्रांतीय कांग्रेस समिति में नागौद क्षेत्र के भी लोग शामिल थे ।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत में विभिन्न विचारधाराओं के लोगों ने अलग–अलग माध्यमों से अपने कार्यक्रमों को आयोजित किया। ठीक उसी समय नागौद में भी राजनीतिक चेतना का आविर्भाव हुआ और यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भाग लिया द्य इसी क्रम में बघेलखण्ड के अंतर्गत आने वाली नागौद क्षेत्र में भी स्वतंत्रता का बिगुल बजा जिसमें जलद त्रिमूर्ति का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा जिनके ऊपर गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव रहा । बघेलखण्ड में नागौद क्षेत्र स्वतंत्रता आन्दोलन का केंद्र बिंदु रहा। इन आन्दोलनकारियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। इनमें से प्रमुख थे पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, लाल लल्ला सिंह परिहार और ददन सिंह परिहार ।

जलद त्रिमूर्ति में 'पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी' सतना जिले के ग्राम सिद्धपुरा के रहने वाले थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित स्वर्गीय जगन्नाथ चतुर्वेदी का जन्म अर्द्ध कार्तिक संवत 1956 विक्रमी को ग्राम सिद्धपुरा में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री जानकी प्रसाद चतुर्वेदी था। इन्होंने अपर प्राइमरी शिक्षा कक्षा 4 तक की 1915 –16 गाँव में प्राप्त की। इसके पश्चात् परिवार का पालन–पोषण के लिए व कृषि कार्य एवं पाठ शालाओं में शिक्षक के रूप में 1915 –16 से 1938 –39 तक कार्य करते रहे। पंडित जगन्नाथ गाँधी जी के सत्य एवं अहिंसा के अदम्य पुजारी थे द्य पंडित जी काव्य कला के निष्णांत प्रेमी थे । गाँधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रसार देश के अधिकांश भागों में तेजी से बढ़ रहा था द्य इनके द्वारा स्वराज्य के अर्थ को भली भांति समझाया गया इसके साथ ही स्वतंत्रता के सम्बन्ध में राष्ट्र, राज्य, देश,

जनसेवा आदि के बारे में जनसामान्य को बताया । इसके बाद से वे जगह–जगह होने वाली सभाओं में भाग लेने लगे। इन सभाओं में होने वाली गतिविधियों में विभिन्न प्रकार के विचारों को सुनकर अपने राजनैतिक जीवन श्वांस को आगे बढ़ाना शुरू किया । इन्होने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सभाओं और सम्मेलनों के माध्यम से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसके लिए इन्हें कई बार इन्हें जेल जाना पड़ा । आपके द्वारा जंगल कानून के लिए आन्दोलन चलाया गया तथा त्याग, तपस्या, अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन किया। इनके स्वतंत्रता का मुख्य आधार स्तम्भ लेखन और भाषण था। अपने भाषणों और लेखन के कारण इन्हें स्वतंत्रता आन्दोलन में कई बार जेल जाना पड़ा ।

1930 ईस्वी में गांधीजी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन गया तो धीरे–धीरे उसका प्रभाव तत्कालीन भारत के अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ा। फलस्वरूप नागौद क्षेत्र में भी ब्रिटिश सरकार के विरोध में निरंतर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसी समय यहाँ पर भी जन जागृति कार्यक्रमों के द्वारा कांग्रेस सत्याग्रह आंदोलन प्रारम्भ हुए। अंग्रेजो के विरोध में कार्यकर्ता राज्य के विरोध में समूह बनाकर आंदोलन करते और जेल में जाते और ब्रिटिश सरकार के अत्याचार और दमन के अहिंसात्मक रूप को सहन करते। इस दौरान अंग्रेजी सेना निर्दोष एवं निहत्थी जनता पर अमानवीय व्यवहार करती थी। इसमें मुख्य रूप से शामिल था, उनकी जमीनों को उनसे छीनना , उनकी भूमि पर अधिक से अधिक जुर्माना लगाना आदि शामिल था। इन अत्याचारों के विरोध फरवरी 1931 में पंडित जगन्नाथ चतुर्वेदी ने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। नौकरी के त्यागपत्र पश्चात् इनके द्वारा अपने ग्राम सितपुरा में समूह बनाकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही विभिन्न सभाओं का आयोजन भी किया गया जिसके कारण उन्हें कई बार बंदी बनाकर जेल भेजा गया। उसी समय दूसरा समूह श्री राजबहादुर सिंह के नेतृत्व में भी आगे बढ़ा और सभी कार्यकर्ताओं को सजा देकर इंदौर में स्थित जेल में भेज दिया गया और उनके ऊपर कठोर कार्यवाही की गई। इनकी जेल यात्राओं का विवरण– 1931 ईस्वी में चल रहे जंगल सत्याग्रह में भाग लेने के कारण इन्हें 21 महीने की कठोर सजा सुनाई गई और इन्हें एक महीने नागौद के जेल में रखा गया। तत्पश्चात किसी भी पूर्व सूचना के इन्हें इंदौर में स्थित सेन्ट्रल इण्डिया एजेंसी जेल भेज दिया गया। इसके बाद सुनाई गई आगे की सम्पूर्ण सजा को उसी जेल में काटनी पड़ी । इसके पश्चात् प्रजा मंडल सत्याग्रह नागौद का आंदोलन 6 मई 1946 ईस्वी में चलाया गया द्य इस आंदोलन में पंडित जी को 15 जुलाई 1946 सितपुरा ग्राम सभा से गिरफ्तार कर नागौद जेल भेज दिया गया द्य यहाँ पर इनके ऊपर राजद्रोह का अभियोग लगाकर 2 वर्ष की कठोर सजा सुनाई गई किन्तु 2 महीने के पश्चात् इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया । 1946 में रहिकवारा ग्राम में गोली मारने के कारण फिर से सजा सुनाई गई किन्तु 2 माह के अंदर ही इन्हें पुनः छोड़ दिया गया। इसके बाद 1947 में राज महिला भगाने के आरोप में पुनः जेल भेजा गया किन्तु माह के अंत तक इन्हें रिहा कर दिए गया। पंडित जी नागौद प्रजा मंडल के अध्यक्ष पद पर रहते हुए कुल छः बार जेल गए। भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात् इन्हें विंध्य प्रदेश प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी बनाया गया ।

स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अपने आंदोलन का संगठन और कार्य क्षेत्र नागौद के साथ–साथ मैहर, सोहावल, बुंदेलखंड के अंतर्गत छतरपुर, टीकमगढ़, फतेहपुर में जनता को प्रोत्साहित किया । इसके पश्चात राजपक्ष की ओर से किए गए अनैतिक बर्ताव एवं सितपुरा और नागौद लाठी चार्ज की जांच करने के लिए इंदौर

के दो मंत्री श्री हामिद अली एवं श्री सीताराम जाजू को 1947तथा श्रीमान श्री गोविंद दास को जबलपुर में आने के लिए मजबूर किया।

ब्रिटिश सरकार की गुलामी के पश्चात् जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब इनके सेवा भाव को देखते हुए गृह मंत्री का पद मिला द्य उत्तरदायी शासन के पूर्ण होने के पश्चात् अक्टूबर 1947 से मार्च 1948 तक पंडित जी गृह मंत्री के पद पर रहए जनता की सुविधाओं के लिए अनेक प्रयास किए जिसमें मुख्य रूप से नए स्कूलों को खोलना,उपचार के लिए अस्पताल खोलना तथा अस्पतालों में चिकित्सक की व्यवस्था करना,कृषकों के कर्ज की माफी करना आदि समस्याओं की और ध्यान आकृष्ट किया।

1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक नागौद परिचय में कविता के माध्यम से इस आंदोलन का वर्णन इस प्रकार किया है–

''नागौद राज्य का परिचय सुनिए, आगे और कहानी है।
सन 1930 मध्य का अब सत्याग्रह समझाऊं।
रामनारायण की दीवानी का भी, हाल सभी में बतलाऊँ।
भारत में जो लहर वहीं अब, वही यहां लहरानी है।
था जागृत का पहला अवसर, सबने दिल में ठान लिया।
अत्याचार करों की बढ़ती से, छूट पाने का अरमान किया।
इन्हीं दिनों में राजबहादुर सिंह, नेता को सब जानी है।
राजबहादुर,लल्ला सिंह फिर, रघुवर शरण ,ददन भी थे द्य
कर सिंह नर्मदा प्रसाद के, संग में प्रमुख हीरामन भी थे द्य
सतना नगर में कार्यालय था, सम्मति दायक जानी है।
जत्थे बनकर राज अवज्ञा, जेल में नेता आते थे।
बंदी बनते ढोल बजा कर,मार्ग में पीटे जाते थे।
कुंडों की मार पड़ा करती फिर,शिला खंड हिल जाती है।
नागौद राज्य का परिचय सुनिये , आगे और कहानी है।।''5

इन कविताओं के माध्यम से भी ब्रिटिश हुकमत के अत्याचार को दिखाया गया जिससे जनता में आक्रोश व्याप्त हो सके।

जलद त्रिमूर्ति में 'ल' का अर्थ है

बघेलखण्ड के स्वाधीनता आंदोलन में खमरेही जिला सतना के रहने वॉर 'लाल लल्ला सिंह परिहार' का जन्म ग्राम खमरेही में 1850 ईस्वी में हुआ था। नागौद में प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण करने के उपरान्त हाई स्कूल की परीक्षा हितकारिणी हाईस्कूल जबलपुर से प्राप्त की और परीक्ष पास किया । इन्होने मंडला में कुछ समय के लिए शिक्षक की नौकरी की किन्तु जल्द ही सरकारी सेवा छोड़ दी। इसके पश्चात् इन्होनें नागौद क्षेत्र में चलने वाले स्वाधीनता आन्दोलन में भाग लेकर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई द्य स्वाधीनता के लिए चलने वाले आंदोलन में इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा । इनके ह्रदय में देश के प्रति प्रेम की भावना ओत –प्रोत कर भरी थी । इन्हें अंग्रेजी, हिंदी, बघेली, उर्दू का अच्छा ज्ञान था जिसके द्वारा राष्ट्रवादी विचारों को जनता के समक्ष बड़ी सरलता एवं सहजता के साथ रखते थे । जनता इनके प्रभावशाली व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित थी। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के राष्ट्रव्यापी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1931 से देश

को आजादी प्राप्त करने तक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में इन्होनें अपनी भूमिका का निर्वाहन किया। अपने प्रभावशाली एवं उत्तेजक विचारों के कारण इन्हें 1931 जेल में भी जाना पड़ा। ये स्वभाव से सरल थे किन्तु भ्रष्टाचार, अपराध, लाल फीताशाही, ,तानाशाही के घोर विरोधी थे। ये विन्ध्य प्रदेश में पी.सी.सी.(प्रांतीय कांग्रेस कमेटी) के सदस्य भी रहे।

इन्होनें सम्पूर्ण जीवन समाज सेवा करते रहे । प्रभावशाली कार्यों के कारण आपको जिला कांग्रेस कमेटी सतना का अध्यक्ष भी बनाया गया साथ ही राज्य प्रजा परिषद् में भी रहे। निरंतर आंदोलन में भागीदारी के कारण इन्हें जनता सरकार में मालमंत्री के रूप में भी नियुक्त किया गया । आगे चलकर परिवार के अन्य सदस्यों ने भी स्वाधीनता आंदोलन में बढ़–चढ़ कर भाग लिया । लाल लल्ला सिंह परिहार को नीति निधान की संज्ञा दी गई थी द्य भारत सरकार द्वारा इन्हें सम्मान निधि एवं ताम्र पत्र भी प्रदान किया गया द्य नागौद राज्य के शिलालेख में इनका नाम अंकित किया गया । इनके बारे में उक्ति है ”

गठित प्रजा मंडल किया ,साहस लिए अथाह ।
स्वतंत्रता की चाह का था मन में उत्साह“ ।
श्री ददन सिंह परिहार

'ददन सिंह परिहार' जो ग्राम अमकुई के रहने वाले थे । इनका जन्म सदर उबारीदार श्री जगत बहादुर के घर जून 1899 ईस्वी में हुआ था । इन्होंने मात्र कक्षा 4 तक ही पढाई कर सके किन्हीं कारणों से आगे की शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके और समय के साथ ये स्वतंत्रता की यज्ञ रूपी वेदी में शामिल हो गए । स्वाधीनता आंदोलन में अहम् भूमिका निभाने की प्रेरणा इन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली क्योंकि इनके पितामह श्री छत्रधारी सिंह ने 1857 के महासमर में भेलसायं के युद्ध में अपने प्राणो को बलिदान कर दिया था निश्चित ही इनके वीरगति को आपके छाप पड़ी होगी जिसके कारण भारतीय स्वाधीनता आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया और देश की सेवा की।6

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में इन्होने बढ़ –चढ़ कर हिस्सा लिया तथा 1931 से 1950 तक चले गांधीवादी आंदोलनों में इनकी भागीदारी नागौद क्षेत्र में प्रमुख रूप से रही और इनके गांधीवादी विचारों तथा कार्यों के कारण विन्ध्य क्षेत्र का गाँधी भी कहा जाता था । आन्दोलन के दौरान ये कई बार जेल गए और कठोर यातनाएं सहनी पड़ी । आंदोलन के समय इन्हें कई बार लाठी चार्ज का सामना करना पड़ा,कई बार जेल जान पड़ा और असहनीय पुलिस ज्यादतियों और यातनाओं को बर्दाश्त करना पड़ा ।7ये अकेले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें धारा 26 (इस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है और यह विश्वास तब माना जाएगा जब वह व्यक्ति उस विश्वास का पर्याप्त कारण रखेगा) के तहत गिरफ्तार किया गया था । समाज सेवा के क्षेत्र में इनका योगदान अत्यधिक रहा इन्होंने महावीर सेवा समिति तथा दान प्रबंध कारिणी समिति में सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य किया। इन्हें विन्ध्य क्षेत्र में पी.सी.सी. (प्रांतीय कांग्रेस कमेटी) का सदस्य बनाया गया तथा नागौद क्षेत्र से कांग्रेस के सबसे पहले सदस्य बनें । कांग्रेस का सदस्य बनने से पूर्व जब ददन सिंह परिहार ने नागौद रियासत के सदस्यों को कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए जवाहर लाल नेहरु से सतना रेलवे स्टेशन पर कहा तब नेहरु ने यह कह कर मना कर दिया।

जवाहर लाल नेहरु ने कहा कि गाँधी जी नहीं चाहते कि हिंसा में विश्वास रखने वाले लोग कांग्रेस के सदस्य बनें तब इन्होंने नेहरु जी को वचन दिया कि वे कभी हिंसक कार्य नहीं करेंगे। इसके पश्चात् ही ये कांग्रेस के सदस्य बन सके ।

इन्होनें नागौद क्षेत्र को नशा मुक्त करने के लिए 30 दिन के लिए आमरण अनशन किया । 1939 कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन (जबलपुर) में इनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण रही जिसके पश्चात् नागौद रियासतों की जनता में उनका सम्मान बहुत अधिक बढ़ गया ।

आप तीनों के व्यक्तित्व के बारे में उक्ति प्रचलित है।

"जगन्नाथ थे ज्ञान के अरु, लल्ला नीति निधान ।
ददन सिंह थे त्याग–तप,जलद त्रिमूर्ति महान ।।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. सतना जिले के राज्यों का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास ,पृष्ठ–110.
2. अग्रवाल, डॉ.कन्हैयालाल, 2025,नागौद राज्य का इतिहास, शेखर प्रकाशन, प्रयागराज, पृष्ठ–1.
3. अग्निहोत्री, साहित्यरत्न गुरु रामप्यारे, 2006 ,विंध्य प्रदेश का भूगोल, गया प्रसाद बुकसेलर, एण्ड पब्लिशर, रीवा, पृष्ठ–37.
4. राधेशरण, प्रोफेसर, 2001, विंध्य क्षेत्र का इतिहास, वृहत्तर बघेलखण्ड, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, पृ.465
5. चतुर्वेदी, पंडित जगन्नाथ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, नागौद परिचय, 1956, गीता प्रिंटिंग प्रेस, सत्ती बाजार रायपुर, पृष्ठ–10 / 11.
6. सिंह, डॉ. अनुपम, विंध्य क्षेत्र के प्रतिहार वंश का इतिहास, 2006–07. शेखर ऑफसेट, इलाहाबाद, पृष्ठ–483.
7. सिंह, गजेंद्र, स्वतंत्रता क्षेत्र में नागौद क्षेत्र का योगदान 1986, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संघ तहसील नागौद, पृष्ठ–104 / 105.

Nav Jyoti
An International Multidisciplinary Journal
Peer Reviewed Refereed Journal
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.14, N. 28, June 2026
https://theopinion.navjyotijournal.in

विन्ध्य क्षेत्र की प्राचीन ज्ञान परंपरा
(खान–पान विशेष के सन्दर्भ में)

डॉ0 तारिका सिंह
सहा. प्राध्यापक (गृह विज्ञान)
शा. महा. ताला, मैहर म.प्र.

अमूर्त–
भारतीय ज्ञान परंपरा में खान–पान को केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि स्वास्थ ,मन और अध्यात्मिक शुद्धि का आधार माना जाता है। इसमें ऋतुचर्या, स्थानीय उत्पाद, सात्विक भोजन पर जोर दिया जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में वेदों को विशेष महत्त्व दिया गया है। भारतीय संस्कृति को समझने के लिए वेद विस्तृत ज्ञान का भण्डार है और भारतीय संस्कृति में गौरवपूर्ण स्थान रखते है .वर्त्मान काल की तरह प्राचीन वैदिक काल में भी भोजन जीवन का आधार था। भोजन व्यक्ति के जीवन को सुखी, स्वस्थ और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। प्राचीन ग्रंथो में ''अन्नं वै प्राणा'' अर्थात अन्न ही जीवन है जैसे वाक्यों का उल्लेख है अतः आवश्यक है की भोजन का चयन ऐसा हो की वह व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास में अपना योगदान दे सके। वैदिक काल में मोटे अनाज प्रचलन में थे। "जौ" का उलेख तो हमारे वेदों में भी मिलता है। भोजन में स्वाद लाने के लिए नमक, हल्दी, लम्बी मिर्च, मसाले और शहद का प्रयोग किया जाता था .साथ ही फल–फूल, कंद मूल आदि का प्रयोग भी किया जाता था। यदि हम विन्ध्य क्षेत्र की प्राचीन ज्ञान परंपरा और भारतीय भोजन, स्वास्थ, प्रकृति से सम्बन्ध और आध्यात्मिकता की बात करे तो यहाँ भी अन्न को जीवन माना जाता है। विन्ध्य की संस्कृति में पोषण के साथ स्थानीय जैव विविधता का सम्मान किया जाता है। विन्ध्य क्षेत्र आज से हजारो साल पहले विभिन्न प्रजातियों के लोग रहते थे, इनका रहन सहन, भाषा, रीति रिवाज भी भिन्न प्रकार के थे। वे विभिन्न उद्यम द्वारा अपना जीवन यापन करते थे। .ऐतिहासिक साक्ष्यों से ज्ञान होता है की इस क्षेत्र में लम्बे समय तक गोंड, कोल, अगरिया, बैगा आदि जन जातियों का अधिपत्य रहा है। विन्ध्य क्षेत्र की प्राचीन ज्ञान परंपरा और यहाँ का क्षेत्रीय भोजन स्वास्थ, आध्यात्मिकता और प्रकृति से गहरा सम्बंध दर्शाते है।

इस शोध पत्र का उद्देश्य मुख्य विन्ध्य क्षेत्र के भोजन का वर्त्मान में लोगों को स्वस्थ जीवन प्रदान करने के महत्त्व को उजागर करना है।

कूट शब्द – वैदिक , संस्कृति, पारंपरिक, कोल, गोंड , बैगा , समृद्ध, विन्ध्य।

प्रस्तावना–

भारतीय संस्कृति के विषय में वेद पुराण आदि से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहती है। भारतीय सभ्यता के निर्माण, संस्कृति, अर्थ व्यवस्था, रहन सहन, खान पान आदि को जानने का साधन वेद है। वेदों से भारतीय संस्कृति और सभ्यता की सटीक जानकारी मिलती है। विन्ध्य क्षेत्र (बघेल खंड) की प्राचीन ज्ञान परंपरा और भारतीय भोजन, स्वास्थ, आध्यात्मिकता और प्रकृति से गहरा सम्बन्ध दर्शाते है। यहाँ की संस्कृति में भोजन केवल भोजन ना होकर आपसी संबंधो को सशक्त बनाने का भी एक माध्यम है। यहाँ लोगो का ऐसा मानना है की किसी व्यक्ति के बारे में यदि जानना है तो उसके घर में भोजन करे, आपको उस व्यक्ति के आचार विचार के बारे में बहुत सी जानकारी उसके घर के भोजन से प्राप्त होगी। यहाँ के भोजन में पोषण के साथ साथ स्थानीय जैव विविधता का सम्मान भी निहित है। ये क्षेत्र अपनी अनोखी परम्पराओं के साथ साथ सादगीपूर्ण और विशिष्ट खान पान के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के प्राचीन ज्ञान में भोजन को केवल पेट भरने का माध्यम ही नहीं बल्कि उसे स्थानीय परम्पराओं और रीति रिवाजों के आदान प्रदान का माध्यम भी माना जाता है। यहाँ के भोजन में मौसमी फल और स्थानीय जड़ी बूटियों का प्रयोग भी शामिल है। विन्ध्य क्षेत्र के भोजन का धार्मिक महत्व भी है। यहाँ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानो में प्रसाद का उपयोग किया जाता है जिसे केले के पत्तो में रख कर ईश्वर को भी अर्पण किया जाता है और भक्तजनों में भी वितरित किया जाता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन ही नहीं बल्कि अच्छे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी आवश्यक माना जाता है। गाय के गोबर से बने उपलों और सूखी लकडियो में मिटटी के बर्तनों में पके भोजन का स्वाद निराला होता है और तन और मन की शुद्धि के लिए भी आवश्यक होता है। भोजन की प्रकृति के आधार पर भोजन को तीन रूप में बांटा गया है।

सात्विक भोजन–

जैसा की नाम से स्पष्ट है की जो भोजन शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है उसे सात्विक आहार कहते है। पेड़ पौधे से मिलने वाले फल सब्जियां, गाय का दूध, घी भी इसी के अनतर्गत आते है। जो व्यक्ति शांतिपूर्ण एवं अध्यात्मिक तरीके से जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए ये भोजन सर्वोत्तम होता है।

राजसिक भोजन–

इस प्रकार के आहार में शारीरिक स्वास्थ की अपेक्षा अपनी इन्द्रियों को तृप्त करने में अधिक जोर दिया जाता है। इस प्रकार का भोजन मसालेदार, खट्टा मीठा, तला–भुना होता है। इस प्रकार का भोजन मनुष्य को आक्रामक और उत्तेजित बनाने का कार्य करता है।

तामसिक भोजन :–

अंडा, मांस मछली , बासा भोजन, लहसुन और प्याज युक्त भोजन तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार के भोजन से आलस, तनाव, मोटापा एवं अन्य प्रकार के रोग हो सकते है।

विन्ध्य क्षेत्र जनजातीय प्रधान क्षेत्र रहा है। यहाँ मुख्य रूप से गोंड, बैगा, कोल, आदि जनजातियाँ निवास करती है। इनका भोजन मुख्य रूप से प्रकृति पर निर्भर करता है और बेहद स्वास्थवर्धक होता है। कोदो, कुटकी, बाजरा, मक्का, समां के चावल, दूध एवं दूध से बने खाद्य पदार्थ, शहद आदि पारंपरिक भोजन का हिस्सा रहे है। विन्ध्य क्षेत्र की प्राचीन संस्कृति में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन प्रचलन में था। पशु विन्ध्य क्षेत्र की संस्कृति का प्रधान अंग रहे है। सभी पशुओ में गाय को सर्वोत्तम पशु माना गया

है। प्राचीन संस्कृति में गाय अघन्य (ना मारे जाने योग्य) की संज्ञा दी गयी। गाय को प्राचीन काल से ही समृधि का सूचक मन जाता था। मांसाहारी लोग बकरी, मुर्गी, मछली, खरगोश आदि का सेवन करते थे। विन्ध्य क्षेत्र की जनजातियों में प्रमुख भोज्य पदार्थ निम्न थे –

पेजः– मक्के या कोदो के आटे को पानी के साथ उबाल कर पकाया जाने वाला गाढ़ा पौष्टिक पदार्थ

भाजीः– चरोटा साग , चेच भाजी, लाल भाजी, महुआ के फूल, कुंदरू आदि।

महुआ और कंदमूल :– महुए के फूल का उपयोग रोटी, लड्डू और शराब बनाने में होता है।

भोजन बनाने के लिए इस क्षेत्र में मिटटी के चूल्हे का प्रयोग किया जाता है। जिसमे गाय के गोबर से बने उपलों एवं सूखी लकड़ियों का प्रयोग होता है।

विन्ध्य क्षेत्र के सामान्य और पारंपरिक भोजन की बात करे तो यह पौष्टिक और स्थानीय अनाज और दालों से निर्मित होता है। इनमे रसाज, रिक्मच, जोन्हरी, खिचड़ी बग्जा, गोल्हाठी, आमरस, सत्तू, दाल–चावल, पोई रोटी, खुरचन आदि प्रमुख है। ये क्षेत्र अपनी पारंपरिक मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है और यहाँ जोरिमा (घी चीनी का व्यंजन) भी बहुत खास है।

विन्ध्य क्षेत्र में प्रचलित कुछ अन्य खाद्य पदार्थ–

लावबजा– ये समां के चावल (जंगल राइस) से बनने वाली एक विशेष प्रकार की खीर है।

बगजा– गर्मियो में आम के पने से बनने वाला एक विशेष व्यंजन है जो की लू से बचाता है।

रसाज– ये चने की दाल से बनने वाली एक विशेस प्रकार की कढ़ी है ।

इन्द्रहर एवं रिकमच– यह विभिन्न प्रकार की दालों से बनने वाली डिश ।

अन्य व्यंजन– बर्रा , मुन्गौडा ,उसिना , कोदो कुटकी का भात , आमरस आदि।

विन्ध्य क्षेत्र के भोजन की सम्पुर्ण भारत वर्ष में विशेष पहचान है। यहाँ का खान पान बहुत संतुलित रहा है और सभी प्रकार के पोषक तत्वों का समावेश होता है। खिचड़ी का सेवन सम्पूर्ण भारत में होता है। विन्ध्य क्षेत्र की मोटे अनाज से बनी खिचड़ी अपने आप में निराली है। इसमें विभिन्न पोषक तत्व और एंटी ओक्सिडेंट ,फाइबर प्रचुर मात्रा में होते है साथ ही इसे पचाना भी आसान होता है| .विभिन्न दालों के मेल से बना इन्द्रहर अपने अनूठे स्वाद के लिए एवं कम तेल मसाले से निर्मित होने के कारण बहुत प्रसिद्द है। इसी प्रकार यहाँ के पके आम का आमरस एवं कच्चे आम का पना व बागजा का स्वाद बेहद निराला होता है। एक अन्य पारंपरिक व्यंजन गोल्हथी जो की चावल एवं गुड से बनता है और घी के साथ जिसका स्वाद दुगुना हो जाता है। सुबह के नास्ते के वक्त बच्चो को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जोन्हरी के लड्डू, लावा, खिचड़ी भी अपने अनूठे स्वाद के लिए बहुत प्रसिद्द है। यहाँ के पारंपरिक भोजन में मोटे अनाज व दालों के समावेश के कारण अत्यंत पौष्टिक होता है और प्रोटीन, फाइबर व एंटी आक्सिडेट से परिपूर्ण होता है .

निष्कर्ष– वर्त्मान समय की व्यस्तता व तनाव भरी जिंदगी में लोगो की दिन चर्या ना तो नियमित है और ना ही संतुलित। दूषित दिनचर्या और खराब खान पान की शैली के कारण लोग विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित होते जा रहे है। वेदों में वर्णित पारंपरिक भारतीय भोजन भारतियों की शारीरिक आवश्यकता के अनुकूल है। अतः भारतीय वातावरण में जीवित रहने लिए और अपने उत्तम स्वास्थ को बनाये रखने के लिए पारंपरिक भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए . भारत में भी प्रत्येक क्षेत्र की जलवायु अन्य क्षेत्रों से भिन्न है और इसी कारन प्रत्येक क्षेत्र के पारंपरिक भोज्य वस्तुए भी अलग अलग है ,जो उस स्थान के लोगों को वहाँ की जलवायु के अनुरूप पोषण देने एवं स्वास्थकर दशाओं को बनाये रखने में सक्षम है। अतः ये बहुत ही आवश्यक है की

प्रत्येक व्यक्ति को अपने क्षेत्र की जलवायु , वहाँ की फसल एवं उससे बनने वाले प्रमुख व्यंजनों की पूर्ण जानकारी हो।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. कोलन टेलर,'' फूड कल्चर इन इंडियाः संता बारबरा, ग्रीन वुड पब्लिशिंग ग्रुप यू .एस.ए 2004
2. विद्यालंकार ,सत्यकेतु, ''प्राचीन भारत'', श्री सरस्वती सदन, नई दिल्ली, 2006, पृष्ठ, 88
3. शर्मा, आचार्य श्री राम, ''अथर्ववेद संहिता''(हिंदी अनवुाद) युग निर्माण योजना, मथुरा, सूक्त 34) काण्ड 4
4. ओझा, श्री कृष्ण, भारतीय संस्कृति के मलू तत्व, आदर्श प्रकाशन, चौड़ा रास्ता, जयपुर पृष्ठ– 41
5. लनिूया, बी.एल ''लाइफ एंड कल्चरबीन एंसिएंट इंडिया (फ्रॉम इयरलिस्ट टाइम टू 1000 ए.डी), लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, पृष्ठ–87
6. दुबे, के. जी ''द इंडियन क्यूसिन, दिल्ली, पी एच आई लर्निंग प्रालि, 2010 आचार्य, के.टी. ''इंडियन फूड : ए हिस्टोरिकल कांपेनियनय दिल्ली ऑक्सफोर्ड यनिूवर्सिटी प्रेस, 1994
7. दास, सरस्वती, ''सोशल लाइफ इन एंसियंट इंडिया 800 बी.सी– 183 बी.सी'', बी आरपब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, दिल्ली, पृष्ठ 61
8. सेन, कोलन टेलर,'' फूड कल्चर इन इंडिया, संता बारबरा, ग्रीन वुड पब्लिशिंग ग्रुप यू.एस.ए 2004

Nav Jyoti
An International Multidisciplinary Journal
Peer Reviewed Refereed Journal
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.14, N. 28, June 2026
https://theopinion.navjyotijournal.in

डिजिटल भारत के माध्यम से महिला सशक्तिकरण : अवसर और चुनौतियाँ

सोनम यादव
शोधार्थिनी -समाजशास्त्र विभाग
श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज वाराणसी
ईमेल-sonamyadav4545@gmail.com

सारांश

भारत में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में पिछले कुछ दशकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। शिक्षा के प्रसार, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं ने महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में आगे आने के अवसर प्रदान किए हैं। वर्तमान समय में इस परिवर्तन को आगे बढ़ाने में डिजिटल तकनीक की भूमिका भी तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में ले जाने की महत्वपूर्ण पहल है। इसके अंतर्गत डिजिटल बुनियादी ढाँचे, ऑनलाइन सरकारी सेवाओं, डिजिटल वित्तीय सेवाओं, डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया है।

महिलाओं के लिए डिजिटल तकनीक केवल मोबाइल या इंटरनेट के उपयोग तक सीमित नहीं है। इसके माध्यम से शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता, बैंकिंग, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं और सामाजिक संचार तक उनकी पहुँच बढ़ सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार महिलाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है, क्योंकि उन्हें कई सेवाओं के लिए दूर स्थित कार्यालयों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। डिजिटल माध्यम से महिलाएँ घर से भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं, अपने उत्पादों का प्रचार कर सकती हैं तथा बैंकिंग और सरकारी सेवाओं का उपयोग कर सकती हैं।

फिर भी डिजिटल विकास के लाभ सभी महिलाओं तक समान रूप से नहीं पहुँचे हैं। डिजिटल साक्षरता की कमी, स्मार्टफोन की उपलब्धता, इंटरनेट की लागत, सामाजिक प्रतिबंध, साइबर सुरक्षा, भाषा संबंधी कठिनाइयाँ और डिजिटल उपकरणों पर पुरुष सदस्यों का अधिक नियंत्रण जैसी समस्याएँ अभी भी मौजूद हैं। इसलिए वास्तविक महिला सशक्तिकरण के लिए केवल इंटरनेट उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को डिजिटल उपकरणों तक पहुँच के साथ-साथ उन्हें सुरक्षित और उपयोगी तरीके से इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण भी आवश्यक है।

मुख्य शब्द: डिजिटल इंडिया, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल साक्षरता, महिला रोजगार, डिजिटल उद्यमिता, डिजिटल विभाजन, वित्तीय समावेशन।

1. प्रस्तावना

भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका परंपरागत रूप से परिवार और घरेलू कार्यों के आसपास केंद्रित रही है। हालांकि शिक्षा, नगरीकरण, औद्योगीकरण और सामाजिक परिवर्तन के कारण महिलाओं की भूमिका में निरंतर बदलाव आया है। आज महिलाएँ शिक्षा, प्रशासन, व्यवसाय, राजनीति, विज्ञान, तकनीक और विभिन्न प्रकार के रोजगारों में अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं।

इसी परिवर्तन के बीच डिजिटल तकनीक महिलाओं के लिए एक नए अवसर के रूप में सामने आई है। इंटरनेट, स्मार्टफोन, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स और सरकारी डिजिटल सेवाओं ने महिलाओं को सूचना और अवसरों तक पहुँचने के नए रास्ते दिए हैं।

डिजिटल इंडिया का उद्देश्य केवल सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करना नहीं है, बल्कि नागरिकों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना भी है। डिजिटल इंडिया के विभिन्न स्तंभों में डिजिटल बुनियादी ढाँचा, नागरिकों को सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी तथा डिजिटल साक्षरता और कौशल पर जोर दिया गया है। इस दृष्टि से महिलाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना नहीं है। इसका संबंध निर्णय लेने की क्षमता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वित्तीय स्वतंत्रता, सामाजिक सम्मान और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता से भी है। डिजिटल तकनीक इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने की क्षमता रखती है।

2. अध्ययन की आवश्यकता

भारत में डिजिटल तकनीक का विस्तार तेज गति से हुआ है, लेकिन डिजिटल पहुँच में लैंगिक अंतर अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। GSMA की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दक्षिण एशिया में महिलाओं के बीच मोबाइल इंटरनेट उपयोग की दर लगभग 51% तक पहुँची, जबकि पुरुषों में यह 65% थी। भारत में महिलाओं का मोबाइल इंटरनेट उपयोग 2024 के लगभग 39 %से बढ़कर 2025 में 49 % हुआ, जबकि पुरुषों में यह 58 % से बढ़कर 65 % हुआ। इससे महिलाओं की डिजिटल पहुँच में सुधार दिखाई देता है, लेकिन पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर अभी भी मौजूद है।

यह आँकड़ा यह समझने में मदद करता है कि डिजिटल इंडिया के विस्तार के बावजूद केवल तकनीक उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को डिजिटल माध्यमों का नियमित और विविध उपयोग करने के लिए आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक समर्थन भी आवश्यक है।

महिला आर्थिक भागीदारी की स्थिति को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भारत रोजगार रिपोर्ट में 2022 में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर 32.8 प्रतिशत दर्ज की गई थी, जबकि पुरुषों की दर 77.2 प्रतिशत थी। ILO ने महिलाओं की भागीदारी को 2022 के वैश्विक औसत 47.3 प्रतिशत से काफी कम बताया था।

हालाँकि बाद के भारतीय श्रम सर्वेक्षणों में महिलाओं की श्रम भागीदारी में सुधार दिखाई देता है। इसलिए डिजिटल तकनीक और महिला रोजगार के बीच संबंध को समझते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि रोजगार में वृद्धि के पीछे शिक्षा, सरकारी नीतियाँ, ग्रामीण रोजगार, आर्थिक आवश्यकता और सामाजिक परिवर्तन जैसे अनेक कारण होते हैं। डिजिटल तकनीक इन प्रक्रियाओं को मजबूत करने वाला माध्यम है।

3. डिजिटल इंडिया और महिला सशक्तिकरण का संबंध

डिजिटल इंडिया ने महिलाओं के लिए अवसरों का एक ऐसा क्षेत्र बनाया है जिसमें वे जानकारी प्राप्त करने वाली उपभोक्ता के साथ-साथ शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्रा, नौकरी करने वाली कर्मचारी, व्यवसाय चलाने वाली उद्यमी और डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने वाली स्वतंत्र नागरिक भी बन सकती हैं।

पहले किसी सरकारी योजना की जानकारी प्राप्त करने, बैंक से संबंधित कार्य करने या बाजार तक पहुँच बनाने के लिए महिलाओं को कई बार परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से इन कार्यों का एक हिस्सा स्वयं किया जा सकता है।

इस परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता में संभावित वृद्धि है। जब महिला अपने बैंक खाते की जानकारी स्वयं देख सकती है, डिजिटल भुगतान कर सकती है, सरकारी योजना की जानकारी प्राप्त कर सकती है या ऑनलाइन प्रशिक्षण ले सकती है, तो उसकी आत्मनिर्भरता बढ़ने की संभावना रहती है।

4. डिजिटल शिक्षा के माध्यम से अवसर

शिक्षा महिला सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। डिजिटल माध्यमों ने महिलाओं के लिए शिक्षा के पारंपरिक स्वरूप के बाहर सीखने के अवसर बढ़ाए हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रम, वीडियो व्याख्यान, ई-पुस्तकें, डिजिटल पुस्तकालय और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं को घर से सीखने का अवसर देते हैं।

ग्रामीण या छोटे शहरों की महिलाओं के लिए यह सुविधा अधिक उपयोगी हो सकती है। यदि किसी महिला के पास किसी विशेष विषय का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दूसरे शहर जाने की सुविधा नहीं है, तो ऑनलाइन माध्यम से वह उसी विषय से संबंधित सामग्री प्राप्त कर सकती है।

भारत सरकार की प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल रही है। जुलाई 2024 तक इस योजना के अंतर्गत लगभग 7.35 करोड़ उम्मीदवार नामांकित, 6.39 करोड़ प्रशिक्षित और 4.78 करोड़ प्रमाणित किए गए थे। योजना के प्रशिक्षण में डिजिटल उपकरणों, इंटरनेट, संचार, नागरिक सेवाओं और डिजिटल वित्तीय लेन-देन से जुड़े विषय शामिल थे।

इस प्रकार डिजिटल शिक्षा महिलाओं को केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं है, बल्कि उन्हें आगे की शिक्षा और रोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त करने में भी सहायता कर सकती है।

5. रोजगार और कार्य के नए अवसर

डिजिटल तकनीक ने रोजगार के स्वरूप को भी बदला है। ऑनलाइन कार्य, डिजिटल सेवाएँ, ऑनलाइन शिक्षण, कंटेंट से जुड़े कार्य, डिजिटल मार्केटिंग और घर से किए जाने वाले विभिन्न कार्यों ने रोजगार की संभावनाओं को विस्तृत किया है।

महिलाओं के लिए इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि घरेलू जिम्मेदारियों के कारण कई महिलाएँ पारंपरिक पूर्णकालिक रोजगार में शामिल नहीं हो पातीं। डिजिटल माध्यम उन्हें कुछ ऐसे कार्यों से जोड़ सकता है जिन्हें अपेक्षाकृत लचीले समय में किया जा सकता है।

लेकिन यहाँ सावधानी भी जरूरी है। घर से काम करने की सुविधा को स्वतः महिला सशक्तिकरण नहीं माना जा सकता। यदि महिला को काम के बदले उचित भुगतान नहीं मिलता या घरेलू कार्यों के साथ डिजिटल कार्य का अतिरिक्त बोझ भी उसी पर पड़ता है, तो इसका लाभ सीमित हो सकता है। इसलिए डिजिटल रोजगार के साथ उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्य वातावरण और श्रम अधिकार भी आवश्यक हैं।

6. डिजिटल उद्यमिता और महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता

डिजिटल प्लेटफॉर्म महिलाओं के छोटे व्यवसायों को बड़े बाजार से जोड़ने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई महिला घर पर कपड़े, हस्तशिल्प, खाद्य पदार्थ या अन्य उत्पाद बनाती है तो वह डिजिटल माध्यम से अपने उत्पाद की जानकारी अधिक लोगों तक पहुँचा सकती है।

सोशल मीडिया और ऑनलाइन बाजार ने छोटे स्तर के व्यवसाय के लिए प्रचार की लागत को भी कुछ हद तक कम किया है। पहले किसी छोटे व्यवसाय को स्थानीय बाजार तक सीमित रहना पड़ सकता था, जबकि डिजिटल माध्यम से संभावित ग्राहकों तक दूर तक पहुँचा जा सकता है।

सरकार की महिला उद्यमिता से जुड़ी पहलों में भी वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण है। जून 2025 में प्रकाशित सरकारी जानकारी के अनुसार कुल MUDRA ऋण खातों में महिलाओं को दिए गए ऋणों का हिस्सा लगभग 68 प्रतिशत था। यह आँकड़ा बताता है कि महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों को वित्तीय साधनों से जोड़ने की दिशा में काफी विस्तार हुआ है।

डिजिटल वित्तीय सेवाएँ इस प्रक्रिया को और आसान बना सकती हैं, क्योंकि बैंकिंग, भुगतान और लेन-देन के कई कार्य मोबाइल के माध्यम से किए जा सकते हैं।

7. बैंकिंग और वित्तीय समावेशन

महिला सशक्तिकरण में वित्तीय स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैंक खाता होना, पैसे का सुरक्षित लेन-देन करना, बचत करना और सरकारी लाभ सीधे खाते में प्राप्त करना महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है।

डिजिटल भुगतान और बैंकिंग सेवाओं के विस्तार से महिलाओं को अपने वित्तीय लेन-देन पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करने का अवसर मिला है। Direct Benefit Transfer जैसी व्यवस्थाएँ भी सरकारी लाभों को सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाने में सहायता करती हैं।

महिलाओं के डिजिटल वित्तीय समावेशन का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उन्हें केवल डिजिटल भुगतान करना सिखाना पर्याप्त नहीं है। उन्हें बैंकिंग धोखाधड़ी, OTP की सुरक्षा, पासवर्ड और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए।

8. सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक पहुँच

डिजिटल माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, मातृत्व लाभ, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी अनेक सेवाएँ अब डिजिटल माध्यम से उपलब्ध हैं।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में डिजिटल प्लेटफॉर्म और DBT के उपयोग ने लाभ वितरण में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने में सहायता की है। दिसंबर 2025 तक उपलब्ध सरकारी जानकारी के अनुसार इस योजना के अंतर्गत 2024-25 में 80.80 लाख लाभार्थियों को भुगतान किया गया था और 2025-26 में 7 दिसंबर 2025 तक 57.20 लाख लाभार्थियों को भुगतान किया जा चुका था।

इस प्रकार डिजिटल व्यवस्था महिलाओं को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बन सकती है।

9. ग्रामीण महिलाओं के लिए डिजिटल अवसर

भारत की बड़ी ग्रामीण आबादी के कारण महिला सशक्तिकरण में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा, बैंकिंग, सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य और बाजार से जोड़ने में डिजिटल माध्यम उपयोगी हो सकता है।

कॉमन सर्विस सेंटर जैसी व्यवस्थाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं को लोगों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन केंद्रों के माध्यम से विभिन्न सरकारी और नागरिक सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। MeitY की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 तक देश में 5.21 लाख से अधिक CSC परिचालित थे।

इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएँ भी डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके अपने उत्पादों और गतिविधियों को अधिक लोगों तक पहुँचा सकती हैं। इस प्रकार डिजिटल तकनीक ग्रामीण महिलाओं को केवल सरकारी सेवाओं से जोड़ने के बजाय बाजार और आर्थिक गतिविधियों से भी जोड़ सकती है।

10. डिजिटल विभाजन : सबसे बड़ी चुनौती

डिजिटल इंडिया की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या डिजिटल अवसर समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुँच रहे हैं। यदि किसी महिला के पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है या उसे फोन इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता नहीं है, तो उसके लिए डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता का वास्तविक लाभ सीमित हो जाएगा।

GSMA की 2026 रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दक्षिण एशिया में महिलाओं की मोबाइल इंटरनेट पहुँच 51 प्रतिशत तक पहुँची, लेकिन पुरुषों की पहुँच 65 प्रतिशत थी। इसका अर्थ है कि डिजिटल क्षेत्र में लैंगिक अंतर में कमी आई है, लेकिन वह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।

इसलिए डिजिटल सशक्तिकरण के लिए उपकरण, कनेक्टिविटी और कौशल तीनों को साथ लेकर चलना आवश्यक है।

11. डिजिटल साक्षरता की कमी

डिजिटल साक्षरता केवल मोबाइल फोन चलाने तक सीमित नहीं है। किसी वेबसाइट पर सही जानकारी ढूँढना, ऑनलाइन फॉर्म भरना, डिजिटल भुगतान करना, सरकारी पोर्टल का उपयोग करना और साइबर धोखाधड़ी को पहचानना भी डिजिटल साक्षरता का हिस्सा है। GSMA के अनुसार महिलाओं के मोबाइल इंटरनेट उपयोग में प्रमुख बाधाओं में जागरूकता, सामर्थ्य, साक्षरता एवं डिजिटल कौशल तथा सुरक्षा संबंधी चिंताएँ शामिल हैं।

इसलिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को अधिक व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए। महिलाओं को केवल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र देने के बजाय वास्तविक जीवन में उपयोग होने वाले डिजिटल कार्यों का अभ्यास कराया जाना चाहिए।

12. साइबर सुरक्षा और सामाजिक चुनौतियाँ

डिजिटल दुनिया अवसरों के साथ जोखिम भी लेकर आती है। ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी लिंक, व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग और साइबर उत्पीड़न महिलाओं के डिजिटल उपयोग को प्रभावित कर सकते हैं।

यदि किसी महिला को इंटरनेट पर किसी समस्या का सामना होता है और उसके पास सहायता लेने की जानकारी नहीं है, तो वह डिजिटल सेवाओं का उपयोग कम कर सकती है। इसलिए महिला डिजिटल सशक्तिकरण में साइबर सुरक्षा को मुख्य विषय बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा परिवार और समाज की सोच भी महत्वपूर्ण है। कुछ परिस्थितियों में महिलाओं को मोबाइल फोन या इंटरनेट के उपयोग पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। इस समस्या का समाधान केवल तकनीकी प्रशिक्षण से नहीं होगा। इसके लिए परिवार और समुदाय में डिजिटल समानता के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना भी आवश्यक है।

13. भाषा और डिजिटल सामग्री की चुनौती

भारत भाषाई विविधता वाला देश है। यदि डिजिटल सेवाएँ केवल कठिन अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध हों तो ग्रामीण और कम शिक्षित महिलाओं के लिए उनका उपयोग कठिन हो सकता है।

इसलिए स्थानीय भाषाओं में सरल डिजिटल सामग्री, सरकारी सेवाएँ और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना जरूरी है। हिंदी सहित भारतीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री के विस्तार से अधिक महिलाएँ डिजिटल सेवाओं को आसानी से समझ सकती हैं।

14. डिजिटल महिला सशक्तिकरण के लिए सुझाव

महिलाओं को वास्तविक रूप से डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं—

1. ग्रामीण और शहरी गरीब महिलाओं के लिए नियमित डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चलाए जाएँ।
2. महिलाओं के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुँच को बढ़ाने के प्रयास किए जाएँ।
3. डिजिटल प्रशिक्षण को स्थानीय भाषा में और व्यावहारिक तरीके से दिया जाए।
4. महिलाओं को डिजिटल बैंकिंग और सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान का प्रशिक्षण दिया जाए।
5. साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने की जानकारी प्रशिक्षण का अनिवार्य हिस्सा हो।
6. महिला स्वयं सहायता समूहों को डिजिटल बाजार और ई-कॉमर्स से जोड़ा जाए।
7. महिलाओं के लिए डिजिटल कौशल आधारित रोजगार प्रशिक्षण बढ़ाया जाए।
8. सरकारी पोर्टल और सेवाओं को सरल और मोबाइल-अनुकूल बनाया जाए।
9. महिलाओं को डिजिटल उद्यमिता के साथ वित्तीय सहायता और बाजार की जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
10. परिवार और समुदाय में महिलाओं के डिजिटल उपयोग को लेकर सकारात्मक वातावरण बनाया जाए।
11. विद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों में बालिकाओं के डिजिटल कौशल को बढ़ावा दिया जाए।
12. डिजिटल सशक्तिकरण की सफलता का मूल्यांकन केवल इंटरनेट उपयोग से नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, आय, वित्तीय स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता में परिवर्तन से किया जाए।

15. निष्कर्ष

वर्तमान डिजिटल युग में महिलाओं को केवल परंपरागत साधनों तक सीमित रखना उचित नहीं है। उन्हें डिजिटल तकनीक की जानकारी और उसके सुरक्षित उपयोग के अवसर प्रदान करना आवश्यक है, क्योंकि समाज का समग्र विकास तभी संभव है जब महिलाएँ विकास की मुख्यधारा में समान रूप से भाग लें।

डिजिटल इंडिया ने महिलाओं के सामने शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता, बैंकिंग, सरकारी सेवाओं, स्वास्थ्य और संचार के नए अवसर खोले हैं। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए डिजिटल सेवाएँ महत्वपूर्ण परिवर्तन का माध्यम बन सकती हैं। PMGDISHA जैसे कार्यक्रमों में महिलाओं की बड़ी भागीदारी यह संकेत देती है कि जब डिजिटल प्रशिक्षण महिलाओं तक पहुँचता है तो वे उसे अपनाने में सक्षम और इच्छुक हैं। जुलाई 2024 तक PMGDISHA में 7.35 करोड़ नामांकन और 6.39 करोड़ प्रशिक्षण पूरे हो चुके थे।

इसी प्रकार 2025 में दक्षिण एशिया में महिलाओं के मोबाइल इंटरनेट उपयोग में वृद्धि तथा भारत में महिलाओं की मोबाइल इंटरनेट पहुँच के 49 प्रतिशत तक पहुँचने से डिजिटल भागीदारी में सुधार दिखाई देता है। फिर भी पुरुषों और महिलाओं के बीच डिजिटल अंतर बना हुआ है।

महिला श्रम भागीदारी में भी सुधार के संकेत मिलते हैं, लेकिन इसे केवल डिजिटल तकनीक का परिणाम मानना उचित नहीं होगा। रोजगार के अवसर, शिक्षा, सरकारी योजनाएँ, आर्थिक परिस्थितियाँ और सामाजिक बदलाव भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डिजिटल तकनीक इन सभी प्रक्रियाओं को मजबूत करने वाली महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में कार्य कर सकती है।

इसलिए डिजिटल इंडिया की वास्तविक सफलता तब मानी जाएगी जब महिला केवल इंटरनेट की उपयोगकर्ता न रहकर ज्ञान प्राप्त करने वाली, आर्थिक निर्णय लेने वाली, रोजगार और व्यवसाय से जुड़ने वाली तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नागरिक बने।

अंततः कहा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया और महिला सशक्तिकरण एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। डिजिटल तकनीक महिलाओं को ज्ञान, सूचना, अवसर और आत्मनिर्भरता प्रदान करने का प्रभावी माध्यम बन सकती है। लेकिन इसके लिए डिजिटल पहुँच के साथ डिजिटल कौशल, साइबर सुरक्षा, वित्तीय समावेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक समानता पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा। जब तकनीक महिलाओं की वास्तविक आवश्यकताओं और अवसरों से जुड़ेगी, तभी डिजिटल भारत का लक्ष्य अधिक समावेशी और समान समाज के रूप में सफल हो सकेगा।

संदर्भ सूची

1. International Labour Organization. India Employment Report 2024: Youth Employment, Education and Skills. ILO, 2024.
2. Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India. Periodic Labour Force Survey (PLFS).
3. Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. Digital India Programme.
4. Government of India. Economic Survey 2023-24.
5. Government of India. Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (PMGDISHA) **संबंधी रिपोर्ट एवं प्रकाशन**.
6. GSMA. The Mobile Gender Gap Report 2026.
7. GSMA. The Mobile Gender Gap Report 2024.
8. Ministry of Women and Child Development, Government of India. **महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित रिपोर्ट।**
9. Sen, Amartya. Development as Freedom. Oxford University Press.
10. Ahuja, Ram. Social Problems in India. Rawat Publications.
11. World Bank. Digital Inclusion and Gender Equality **से संबंधित रिपोर्ट।**
12. Shrivtastav, Deepa. digital India and women empowerment. 2017